law/IND/1995/003/eng,hin(Vol 2)

©

भारत सरकार
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

सत्यमेव जयते

निर्वाचन विधि निर्देशिका

(संसद् और राज्य विधान-मंडलों के निर्वाचनों को
शासित करने वाले कानूनी उपबन्धों का संकलन)

[जिल्द 2]

[1 जनवरी, 1995 को यथाविद्यामान]

Manual of Election Law

(A Compilation of the statutory provisions governing elections
to Parliament and the State Legislatures)

[VOLUME II]

[As on the 1st January, 1995]

F Clifton White Resource Center
International Foundation for Election Systems

1995

प्रबन्धक, भारत सरकार फोटोलिथो मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन-नियंत्रक,
भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 द्वारा प्रकाशित।

निर्वाचन विधि निर्देशिका

ELECTION MANUAL

जिल्द 2

VOL. II

1995

निर्वाचन विधि निर्देशिका

[जिल्द 2]

MANUAL OF ELECTION LAW

[VOLUME II]

F Clifton White Resource Center
International Foundation for Election Systems

LIST OF ABBREVIATIONS USED

Cl.	*for*	**Clause**
Ins.	,,	**Inserted**
Notifn.	,,	**Notification**
Rep.	,,	**Repealed**
S.	,,	**Section**
Sch.	,,	**Schedule**
Subs.	,,	**Substituted**
w.e.f.	,,	**with effect from.**

First diglot edition—1982 : 15,000
Second diglot edition—1984 : 14,000
Third diglot edition—1989 : 14,500
Fourth diglot edition—1991 : 12,500
Fifth diglot edition—1995 : 15,000

संक्षेपाक्षर

सं० .... संख्यांक (नम्बर)।

पहला द्विभाषीय संस्करण—1982 : 15,000
दूसरा द्विभाषीय संस्करण—1984 : 14,000
तीसरा द्विभाषीय संस्करण—1989 : 14,500
चौथा द्विभाषीय संस्करण—1991 : 12,500
पांचवां द्विभाषीय संस्करण—1995 : 15,000

MANUAL OF ELECTION LAW

VOLUME II

CONTENTS

PART I

STATUTORY RULES AND ORDER

1. The Registration of Electors Rules, 1960.
2. The Conduct of Elections Rules, 1961.
3. Application of Registration of Electors Rules, 1960 to the State of Sikkim.
4. The Conduct of Parliamentary Elections (Sikkim) Rules, 1977,
5. The Conduct of Assembly Elections (Sikkim) Rules, 1979.
6. The Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968.
7. Lists of political parties and symbols in relation to elections in all parliamentary and assembly constituencies other than assembly constituencies in the State of Jammu and Kashmir.—These lists are being published separately by the Election Commission.
8. List of symbols in relation to elections in an assembly, local authorities' or panchayats' constituencies in the State of Jammu and Kashmir.—The list is being published separately by the Election Commission.

PART II

STATUTORY ORDERS

1. The Delimitation of Council Constituencies Orders.
2. Authorities specified under section 8A to accept petitions about corrupt practices.
3. Officers before whom a candidate for election to fill a seat in the Legislative Assembly of a Union territory shall make and subscribe oath or affirmation.
4. Officers before whom a candidate for election to fill a seat in the Metropolitan Council of Delhi shall make and subscribe oath or affirmation.

निर्वाचन विधि निर्देशिका

जिल्द 2

विषय सूची

भाग 1

कानूनी नियम और आदेश

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 1
2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 35
3. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का सिक्किम राज्य को लागू होना 153
4. संसदीय निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1977 154
5. विधान सभा निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1979 155
6. निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 161
7. जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से भिन्न सभी संसदीय और विधान सभाओं के निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचनों के संबंध में राजनैतिक दलों और प्रतीकों की सूची —ये सूचियां निर्वाचन आयोग द्वारा पृथक रूप से प्रकाशित की जा रही हैं। 167
8. जम्मू-कश्मीर राज्य में विधान सभा, स्थानीय प्राधिकरणों या पंचायतों के निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचनों के संबंध में प्रतीकों की सूची—यह सूची निर्वाचन आयोग द्वारा पृथक रूप से काशित की जा रही है। 167

भाग 2

कानूनी आदेश

1. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश 169
2. भ्रष्ट आचरण के बारे में अर्जी स्वीकार करने के लिए धारा 8 ग के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी 179
3. वे अधिकारी जिनके समक्ष किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में कोई स्थान भरने के लिए निर्वाचन के निमित्त कोई अभ्यर्थी शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा 180
4. वे अधिकारी जिनके समक्ष दिल्ली की महानगर परिषद् में कोई स्थान भरने के लिए निर्वाचन के निमित्त कोई अभ्यर्थी शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा 181

कानूनी नियम और आदेश

Statutory Rules and Order

THE REGISTRATION OF ELECTORS RULES, 1960[1]

PART I

Preliminary

1. **Short title and commencement.**—(*1*) These Rules may be called the Registration of Electors Rules, 1960.

(*2*) They shall come into force on the 1st day of January, 1961.

2. **Definitions and interpretation.**—(*1*) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Act" means the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950);

(*b*) "declared office" means an office declared by the President to be an office to which the provisions of sub-section (*4*) of section 20 apply;

[2][(*c*) "Form" means a Form appended to these rules and in respect of any constituency, includes a translation thereof in the language or any of the languages in which the electoral roll for that constituency is prepared;]

(*d*) "registration officer" means the electoral registration officer of a constituency and includes an assistant electoral registration officer thereof;

(*e*) "roll" means the electoral roll for a constituency;

(*f*) "section" means a section of the Act;

[3]* * * * *

(*2*) The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of these rules as it applies for the interpretation of an Act of Parliament.

PART II

Electoral rolls for Assembly Constituencies

3. **Meaning of constituency.**—In this Part "constituency" means an Assembly constituency.

4. **Form and languages of roll.**—The roll for each constituency shall be prepared in such form and in such language or languages as the Election Commission may direct.

5. **Preparation of roll in parts.**—(*1*) The roll shall be divided into convenient parts which shall be numbered consecutively.

(2) The last part of the roll shall contain the names of every person having a service qualification and of his wife, if any, who are entitled to be included in that roll by virtue of a statement made under rule 7.

---

1. Published with the Ministry of Law Notifn. No. S.O. 2750, dated the 10th November, 1960, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii), page 633.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 3874, dated the 15th December, 1966.
3. Cl. (*g*) omitted, *ibid.*

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960[1]

भाग 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) ये नियम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 कहे जा सकेंगे।

(2) ये 1961 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं और निर्वचन**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) अभिप्रेत है,

(ख) "घोषित पद" से ऐसा पद अभिप्रेत है जिसकी बाबत राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया है कि वह ऐसा पद है जिसे धारा 20 की उपधारा (4) के उपबंध लागू हैं,

[2][(ग) "प्ररूप" से वह प्ररूप अभिप्रेत है जो इन नियमों से संलग्न है और किसी निर्वाचन-क्षेत्र के बारे में उसके अन्तर्गत उस भाषा में या उन भाषाओं में से किसी में उसका अनुवाद आता है जिसमें उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है,]

(घ) "रजिस्ट्रीकरण आफिसर" से निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर अभिप्रेत है और उसका सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण आफिसर इसके अन्तर्गत आता है,

(ङ) "नामावली" से निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अभिप्रेत है,

(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है,

[3]* * * * *

(2) साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इन नियमों के निर्वचन के लिए ऐसे लागू होगा जैसे वह संसद् के अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

भाग 2

सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां

3. **निर्वाचन-क्षेत्र का अर्थ**—इस भाग में "निर्वाचन-क्षेत्र" से सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है।

4. **नामावली का प्ररूप और भाषा**—हर एक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली ऐसे प्ररूप में और ऐसी भाषा या भाषाओं में तैयार की जाएगी जिसे या जिन्हें निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

5. **नामावली का भागों में तैयार किया जाना**—(1) नामावली सुविधाजनक भागों में विभाजित की जाएगी जो क्रम से संख्यांकित किए जाएंगे।

(2) नामावली के अंतिम भाग में सेवा अर्हता रखने वाले ऐसे हर व्यक्ति और उसकी पत्नी के, यदि कोई हो, नाम अन्तर्विष्ट होंगे जो उस नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए हकदार नियम 7 के अधीन किए गए कथन के आधार पर हैं।

---

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2750, तारीख 10 नवम्बर, 1960, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3(ii), पृ० 633 में प्रकाशित।
2. अधिसूचना सं० का०आ० 3874, तारीख 15 दिसम्बर, 1966 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. पूर्वोक्त द्वारा खण्ड (छ) का लोप किया गया।

(*3*) The names of any person holding a declared office and of his wife, if any, who are entitled to be included in the roll by virtue of a statement made under rule 7 shall be included in the part of the roll, pertaining to the locality in which they would, according to that statement, have been ordinarily resident.

(*4*) The number of names included in any part of the roll shall not ordinarily exceed two thousand.

6. **Order of names.**—(*1*) The names of electors in each part of the roll shall be arranged according to house number, unless the chief electoral officer, subject to any general or special instructions issued by the Election Commission, determines in respect of any part that the alphabetical order is more convenient or that the name shall be arranged partly in one way and partly in the other.

(*2*) The names of electors in each part of the roll shall be numbered, so far as practicable, consecutively with a separate series of numbers beginning with the number one.

7. **Statement under section 20.**—(*1*) Every person who holds a declared office or has a service qualification and desires to be registered in the roll for the constituency in which, but for holding such office or having such qualification, he would have been ordinarily resident, shall submit to the [1][registration officer of the constituency], a statement in such one of the [1][Forms 1, 2, 2A and 3] as may be appropriate.

(*2*) Every statement submitted under sub-rule (*1*) shall be verified in the manner specified in the Form.

(*3*) Every such statement shall cease to be valid when the person making it ceases to hold a declared office or, as the case may be, have a service qualification.

8. **Information to be supplied by occupants of dwelling houses.**—The registration officer may, for the purpose of preparing the roll, send letters of request in Form 4 to the occupants of dwelling houses in the constituency or any part thereof; and every person receiving any such letter shall furnish the information called for therein to the best of his ability.

9. **Access to certain registers.**—For the purpose of preparing any roll or deciding any claim or objection to a roll, any registration officer and any person employed by him shall have access to any register of births and deaths and to the admission register of any educational institution, and it shall be the duty of every person in charge of any such register to give to the said officer or person such information and such extracts from the said register as he may require.

10. **Publication of roll in draft.**—As soon as the roll for a constituency is ready, the registration officer shall publish it in draft by making a copy thereof available for inspection and displaying a notice in Form 5—

(*a*) at his office, if it is within the constituency, and

(*b*) at such place in the constituency as may be specified by him for the purpose, if his office is outside the constituency.

11. **Further publicity to the roll and notice.**—The registration officer shall also—

(*a*) make a copy of each separate part of the roll, together with a copy of the notice in Form 5 available for inspection at a specified place accessible to the public and in or near the area to which that part relates;

(*b*) give such further publicity to the notice in Form 5 as he may consider necessary; and

1. Subs. by Notifn. No, S.O. 3874, dated the 15th December, 1966.

(3) घोषित पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति और उसकी पत्नी के, यदि कोई हो, नाम की नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए हकदार नियम 7 के अधीन किए गए कथन के आधार पर हैं, नामावली के उस भाग में सम्मिलित किए जाएंगे जो उस स्थान से संबंधित हैं जिसमें ये, उस कथन के अनुसार, मामूली तौर से निवासी होते।

(4) नामावली के किसी भाग में सम्मिलित नामों की संख्या मामूली तौर से दो हजार से अधिक न होगी।

6. **नामों का क्रम**—(1) जब तक कि मुख्य निर्वाचन आफिसर निर्वाचन आयोग द्वारा निकाले गए किन्हीं साधारण या विशेष अनुदेशों के अधीन रहते हुए किसी भाग की बाबत यह अवधारित न करे कि वर्णक्रम अधिक सुविधाजनक होगा या नाम भागतः एक और भागतः दूसरे क्रम में दर्ज किए जाएं, नामावली के हर एक भाग में निर्वाचकों के नाम गृह-संख्यांक के क्रम में दर्ज किए जाएंगे।

(2) नामावली के हर एक भाग में निर्वाचकों के नाम यावत्साध्य अंक 1 आरम्भ होने वाली पृथक् अंकमाला के अनुसार क्रमवर्ती रूप में संख्यांकित किए जाएंगे।

7. **धारा 20 के अधीन कथन**—(1) हर व्यक्ति, जो घोषित पद धारण करता है या सेवा अर्हता रखता है और उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए वांछा रखता है जिसमें, यदि वह ऐसा पद धारण न करता या ऐसी अर्हता न रखता तो, वह मामूली तौर से निवासी होता, [1][उस निर्वाचन-क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण आफिसर] को [1][प्ररूप 1, 2, 2क और 3] में से ऐसे एक प्ररूप में कथन देगा जो समुचित हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन दिया गया हर कथन उस प्ररूप में विनिर्दिष्ट रीति से सत्यापित किया जाएगा।

(3) हर ऐसा कथन तब विधिमान्य न रह जाएगा जब उसे करने वाले व्यक्ति का, यथास्थिति, घोषित पद धारण करना या सेवा अर्हता रखना समाप्त हो जाता है।

8. **निवास गृहों के अधिभोगियों द्वारा दी जाने वाली जानकारी**—रजिस्ट्रीकरण आफिसर नामावली की तैयारी के प्रयोजन के लिए प्ररूप 4 में निवेदनपत्र निर्वाचन-क्षेत्र में या उसके किसी भाग में निवास गृहों के अधिभोगियों को भेज सकेगा और किसी ऐसे पत्र को पाने वाला हर व्यक्ति उसमें मांगी गई जानकारी को अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार देगा।

9. **कुछ रजिस्टरों तक पहुंच**—किसी नामावली की तैयारी या नामावली की बाबत किसी दावे या आक्षेप के विनिश्चय के प्रयोजन के लिए किसी रजिस्ट्रीकरण आफिसर और एतद्द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति की पहुंच किसी जीवन-मृत्यु के रजिस्टर तक और किसी शैक्षणिक संस्था के प्रवेश रजिस्टर तक होगी और ऐसे रजिस्टर के भारसाधक हर व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त आफिसर या व्यक्ति को ऐसी जानकारी और उक्त रजिस्टर में से ऐसे उद्धरण दे जैसे वह अपेक्षित करे।

10. **नामावली के प्रारूप का प्रकाशन**—जैसे ही निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली तैयार हो जाए रजिस्ट्रीकरण आफिसर उसके प्रारूप को—

(क) उस दशा में, जिसमें उसका कार्यालय निर्वाचन-क्षेत्र में है अपने कार्यालय में, तथा

(ख) उस दशा में, जिसमें उसका कार्यालय निर्वाचन-क्षेत्र के बाहर है निर्वाचन-क्षेत्र में ऐसे स्थान में जैसा इस प्रयोजन के लिए उस द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,

उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध करके और प्ररूप 5 में सूचना संप्रदर्शित करके, प्रकाशित करेगा।

11. **नामावली और सूचना का अतिरिक्त प्रचार**—रजिस्ट्रीकरण आफिसर—

(क) प्ररूप 5 में सूचना की प्रति के सहित नामावली के एक पृथक् भाग की प्रति जनता की पहुंच वाले विनिर्दिष्ट स्थान में, और उस क्षेत्र में या उसके निकट, जिससे उस भाग का संबंध है, निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध करेगा,

(ख) प्ररूप 5 वाली सूचना का ऐसा अतिरिक्त प्रचार भी करेगा जैसा वह आवश्यक समझे, तथा

1. अधिसूचना सं० का० आ० 3874, तारीख 15 दिसम्बर, 1966 द्वारा प्रतिस्थापित।

(*c*) supply free of cost two copies of each separate part of the roll to every political party [1][for which a symbol has been exclusively reserved in the State] by the Election Commission.

[2][**12. Period for lodging claims and objections.**—Every claim for the inclusion of a name in the roll and every objection to an entry therein shall be lodged within a period of thirty days from the date of publication of the roll in draft under rule 10, or such shorter period of not less than fifteen days as may be fixed by the Election Commission in this behalf:

Provided that the Election Commission may, by notification in the Official Gazette, extend the period in respect of the constituency as a whole or in respect of any part thereof.]

13. Form for claims and objections.—(*1*) Every claim shall be—

(*a*) in Form 6; [3][and]

(*b*) signed by the person desiring his name to be included in the roll; [4]* * *

* *

(*2*) Every objection to the inclusion of a name in the roll shall be—

(*a*) in Form 7; [3][and]

(*b*) preferred only by a person whose name is already included in that roll; [4]* * *

* * *

(*3*) Every objection to a particular or particulars in an entry in the roll shall be—

(*a*) in Form 8; and

(*b*) preferred only by the person to whom that entry relates.

14. Manner of lodging claims and objections.—Every claim or objection shall—

(*a*) either be presented to the registration officer or to such other officer as may be designated by him in this behalf; or

(b) be sent by[5]*** Post to the registration officer.

15. Procedure of designated officers.—(*1*) Every officer designated under rule 14 shall—

(*a*) maintain in duplicate a list of claims in Form 9, a list of objections to the inclusion of names in Form 10 and a list of objections to particulars in Form 11; and

(*b*) keep exhibited one copy of each such list on a notice board in his office.

(*2*) Where a claim or objection is presented to him, he shall, after complying with the requirements of sub-rule (*1*), forward it with such remarks, if any, as he considers proper to the registration officer.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 2791, dated the 24th November, 1961, for "to which a symbol has been allotted".
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 35(E), dated the 21st January, 1977.
3. Ins by Notifn. No. S.O. 817(E), dated the 25th October, 1993.
4. The word "and" and clause (c) omitted, ibid.
5. The word "registered" omitted by Notifn. No. S.O. 3661, dated the 12th October, 1964.

(ग) नामावली के हर एक पृथक् भाग की दो प्रतियां भी ऐसे हर राजनैतिक दल को [1][जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने राज्य में प्रतीक अनन्यतः आरक्षित किया है,] खर्च लिए बिना देगा।

[2][12. **दावे और आक्षेप दाखिल करने के लिए कालावधि**—नामावली में नाम के सम्मिलित किए जाने के लिए हर दावा और उसमें की किसी प्रविष्टि पर हर आक्षेप नामावली के प्रारूप के नियम 10 के अधीन प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के अन्दर या पन्द्रह दिन से अनधिक उतनी लघुतर कालावधि में जितनी इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा नियत की जाए दाखिल किया जाएगा :

परन्तु निर्वाचन आयोग पूरे निर्वाचन-क्षेत्र की बाबत या उसके किसी भाग की बाबत इस कालावधि को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बढ़ा सकता है।]

13. **दावों और आक्षेपों के लिए प्ररूप**—(1) हर दावा—

(क) प्ररूप 6 में होगा, [3][तथा]

(ख) उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा जो नामावली में अपना नाम सम्मिलित कराना चाहता है,[4] * * *

(2) नामावली में किसी नाम के सम्मिलित किए जाने की बाबत हर आक्षेप—

(क) प्ररूप 7 में होगा,[3][तथा]

(ख) केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसका नाम पहले से ही उस नामावली में सम्मिलित है,[4] * * *

(3) नामावली में की किसी प्रविष्टि की विशिष्टि या विशिष्टियों की बाबत हर आक्षेप—

(क) प्ररूप 8 में होगा; और

(ख) केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिससे वह प्रविष्टि संबद्ध है।

14. **दावे और आक्षेप दाखिल करने की रीति**—हर दावा या आक्षेप—

(क) या तो रजिस्ट्रीकरण आफिसर के या ऐसे अन्य आफिसर के, जो इस निमित्त उस द्वारा अभिहित किया जाए, समक्ष उपस्थित किया जाएगा, या

(ख) रजिस्ट्रीकरण आफिसर को [5]*** डाक द्वारा भेजा जाएगा।

15. **अभिहित आफिसरों की प्रक्रिया**—(1) नियम 14 के अधीन अभिहित हर आफिसर—

(क) प्ररूप 9 में दावों की सूची, नामों के सम्मिलित किए जाने की बाबत आक्षेपों की प्ररूप 10 में सूची और विशिष्टियों की बाबत आक्षेपों की प्ररूप 11 में सूची, दो प्रतियों में रखेगा तथा

(ख) अपने कार्यालय में सूचना-पट्ट पर हर एक ऐसी सूची की एक प्रति प्रदर्शित रखेगा।

(2) जहां कि कोई दावा या आक्षेप उसके समक्ष उपस्थित किया जाता है वहां वह उपनियम (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् ऐसी टिप्पणियों के सहित, यदि कोई हों, जिन्हें करना वह उचित समझता है, उसे रजिस्ट्रीकरण आफिसर के पास भेजेगा।

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 2791, तारीख 24 नवम्बर, 1961 द्वारा "जिसके लिए प्रतीक आबंटित किया गया है" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 35(अ), तारीख 21 जनवरी, 1977 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं० का० आ० 817(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 1993 द्वारा अंतःस्थापित।
4. अधिसूचना सं० का० आ० 817(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 1993 द्वारा "तथा" शब्द और खंड (ग) का लोप किया गया।
5. अधिसूचना सं० का० आ० 3661, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा "रजिस्ट्रीकृत" शब्द का लोप किया गया।

(Statutory Rules and Order)

16. Procedure of registration officer.—The registration officer also shall—

(*a*) maintain in duplicate the three lists in Forms 9, 10 and 11, entering thereon the particulars of every claim or objection as and when it is received by him whether directly under rule 14 or on being forwarded under rule 15; and

(*b*) keep exhibited one copy of each such list on a notice board in his office.

17. Rejection of certain claims and objections.—Any claim or objection which is not lodged within the period, or in the form and manner, herein specified, shall be rejected by the registration officer.

18. Acceptance of claims and objections without inquiry.—If the registration officer is satisfied as to the validity of any claim or objection, he may allow it without further inquiry after the expiry of one week from the date on which it is entered in the list exhibited by him under clause (*b*) of rule 16:

Provided that where before any such claim or objection has been allowed, a demand for inquiry has been made in writing to the registration officer by any person, it shall not be allowed without further inquiry.

19. Notice of hearing claims and objections.—(*1*) Where a claim or objection is not disposed of under rule 17 or rule 18, the registration officer shall—

(*a*) specify in the list exhibited by him under clause (*b*) of rule 16 the date, time and place of hearing of the claim or objection; and

(*b*) give notice of the hearing—

(*i*) in the case of a claim to the claimant in Form 12;

(*ii*) in the case of an objection to the inclusion of a name, to the objector in Form 13 and to the person objected to in Form 14; and

(*iii*) in the case of an objection to a particular or particulars in an entry, the objector in Form 15.

(*2*) A notice under this rule may be given either personally or by registered post or by affixing it to the person's residence or last known residence within the constituency.

20. Inquiry into claims and objections.—(*1*) The registration officer shall hold a summary inquiry into every claim or objection in respect of which notice has been given under rule 19 and shall record his decision thereon.

(*2*) At the hearing, the claimant or as the case may be, the objector and the person objected to and any other person who, in the opinion of the registration officer, is likely to be of assistance to him, shall be entitled to appear and be heard.

(*3*) The registration officer may in his discretion—

(*a*) require any claimant, objector or person objected to, to appear in person before him;

(*b*) require that the evidence tendered by any person shall be given on oath and administer an oath for the purpose.

21. Inclusion of names inadvertently omitted.— [1][(*1*)] If it appears to the registration officer that owing [2]*** to inadvertence or error during preparation, the names of any electors have been left out of the roll and that remedial action should be taken under this rule, the registration officer shall—

(*a*) prepare a list of the names and other details of such electors:

1. Rule 21 renumbered as sub-rule (*1*) of that rule and sub-rule (*2*) ins. by Notifn. No. S.O. 3661, dated the 12th [illegible]ber. 1964.
2. Certain words omitted, *ibid*.

16. **रजिस्ट्रीकरण आफिसर की प्रक्रिया**—रजिस्ट्रीकरण आफिसर भी—

(क) प्ररूप 9, 10, और 11 में तीन सूचियां दो प्रतियों में रखेगा और सोवें नियम 14 के अधीन किए गए या नियम 15 के अधीन भेजे गए हर दावे या आक्षेप को विशिष्टियां उन सूचियों में वैसे ही और तब प्रविष्ट करेगा जैसे ही और जब वह दावा या आक्षेप उसे प्राप्त हो, तथा

(ख) अपने कार्यालय में सूचना-पट्ट पर हर एक ऐसी सूची की एक प्रति प्रदर्शित रखेगा।

17. **कुछ दावों और आक्षेपों का खारिज किया जाना**—जो कोई दावा या आक्षेप एतस्मिन विनिर्दिष्ट कालावधि के अन्दर या प्ररूप और रीति में दाखिल नहीं किया गया है वह रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा खारिज कर दिया जाएगा।

18. **जांच के बिना दावों और आक्षेपों का प्रतिग्रहण**—किसी दावे या आक्षेप को विधिमान्यता के बारे में यदि रजिस्ट्रीकरण आफिसर का समाधान हो जाता है तो उस तारीख से, जिसको वह नियम 16 के खण्ड (ख) के अधीन उसके द्वारा प्रदर्शित सूची में प्रविष्टि किया जाता है, एक सप्ताह के अवसान के पश्चात् किसी अतिरिक्त जांच के बिना वह उसे अनुज्ञात कर सकेगा :

परन्तु जहां कि किसी ऐसे दावे या आक्षेप के *अनुज्ञात* किए जाने के पूर्व किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रीकरण आफिसर से जांच की मांग लिखित रूप में की है, वहां अतिरिक्त जांच के बिना वह अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

19. **दावों और आक्षेपों की सुनवाई की सूचना**—(1) जहां कि कोई दावा या आक्षेप नियम 17 या नियम 18 के अधीन नहीं निपटाया जाता वहां रजिस्ट्रीकरण आफिसर—

(क) दावे या आक्षेप की सुनवाई की तारीख, समय और स्थान नियम 16 के खंड (ख) के अधीन अपने द्वारा प्रदर्शित सूची में विनिर्दिष्ट करेगा, तथा

(ख) (i) दावे की दशा में, प्ररूप 12 में दावेदार को,

(ii) नाम के सम्मिलित किए जाने की बाबत आक्षेप की दशा में, आक्षेपकर्ता को प्ररूप 13 में और उस व्यक्ति को प्ररूप 14 में जिसके बारे में आक्षेप किया गया है, तथा

(iii) प्रविष्टियों में विशिष्ट या विशिष्टियों की बाबत आक्षेप की दशा में, आक्षेपकर्ता को प्ररूप 15 में, सुनवाई की सूचना देगा।

(2) इस नियम के अधीन की सूचना या तो व्यक्तिगत रूप में या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या निर्वाचन-क्षेत्र के अन्दर व्यक्ति के निवास या अंतिम ज्ञात निवास पर लगा कर दी जाएगी।

20. **दावों और आक्षेपों की जांच**—(1) रजिस्ट्रीकरण आफिसर ऐसे हर दावे या आक्षेप की संक्षिप्त जांच करेगा जिसकी बाबत नियम 19 के अधीन सूचना दी गई है और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा।

(2) सुनवाई में, यथास्थिति, दावेदार या आक्षेपकर्ता और वह व्यक्ति, जिसके बारे में आक्षेप किया गया है, और कोई अन्य व्यक्ति जिसकी बाबत रजिस्ट्रीकरण आफिसर की यह राय है कि यह संभाव्यता है कि वह व्यक्ति मेरे लिए सहायक होगा, उपसंजात होने और सुने जाने का हकदार होगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण आफिसर स्वविवेक में—

(क) यह अपेक्षा किसी दावेदार, आक्षेपकर्ता या उस व्यक्ति से, जिसके बारे में आक्षेप किया गया है, कर सकेगा कि तुम मेरे समक्ष स्वयं उपसंजात होओ,

(ख) यह अपेक्षा कर सकेगा कि किसी व्यक्ति द्वारा निविदत्त साक्ष्य शपथ पर दिया जाए और उस प्रयोजन के लिए शपथ दिला सकेगा।

21. **जो नाम अनवधानता से छूट गए हैं उन्हें सम्मिलित करना**—[1][(1)] रजिस्ट्रीकरण आफिसर को यदि यह प्रतीत होता है कि किन्हीं निर्वाचकों के नाम तैयारी के दौरान [2]**** अनवधानता या गलती के कारण, नामावली में से छूट गए हैं और इस नियम के अधीन उपचारी कार्यवाही की जानी चाहिए तो रजिस्ट्रीकरण आफिसर—

(क) ऐसे निर्वाचकों के नामों और अन्य ब्यौरों की सूची तैयार करेगा,

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 3661, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा नियम 21 को उस नियम के उपनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया और उपनियम (2) अन्तःस्थापित किया गया।
2. पूर्वोक्त द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।

(*b*) exhibit on the notice board of his office a copy of the list together with a notice as to the time and place at which the inclusion of these names in the roll will be considered, and also publish the list and the notice in such other manner as he may think fit; and

(*c*) after considering any verbal or written objections that may be preferred, decide whether all or any of the names should be included in the roll.

[1][(*2*) If any statements under rule 7 are received after the publication of the roll in draft under rule 10, the registration officer shall direct the inclusion of the names of the electors covered by the statements in the appropriate parts of the roll.]

[2][**21A. Deletion of names.**—If it appears to the registration officer at any time before the final publication of the roll that owing to inadvertence or error or otherwise, the names of dead persons or of persons who have ceased to be, or are not, ordinarily residents in the constituency or of persons who are otherwise not entitled to be registered in that roll, have been included in the roll and that remedial action should be taken under this rule, the registration officer, shall,—

(*a*) prepare a list of the names and other details of such electors;

(*b*) exhibit on the notice board of his office a copy of the list together with a notice as to the time and place at which the question of deletion of these names from the roll will be considered, and also publish the list and the notice in such other manner as he may think fit; and

(*c*) after considering any verbal or written objections that may be preferred, decide whether all or any of the names should be deleted from the roll:

Provided that before taking any action under this rule in respect of any person on the ground that he has ceased to be, or is not, ordinarily resident in the constituency, or is otherwise not entitled to be registered in that roll, the registration officer shall make every endeavour to give him a reasonable opportunity to show cause why the action proposed should not be taken in relation to him.]

22. Final publication of roll.—(*1*) The registration officer shall thereafter—

(*a*) prepare a list of amendments to carry out his decisions under rules 18, 20, [3][21 and 21A] and to correct any clerical or printing errors or other inaccuracies subsequently discovered in the roll; [4]***

(*b*) publish the roll, together with the list of amendments, by making a complete copy thereof available for inspection and displaying a notice in Form 16 at his office; [5][and]

[6][(*c*) subject to such general or special directions as may be given by the Election Commission supply, free of cost, two copies of the roll, as finally published, with the list of amendments, if any, to every political party for which a symbol has been exclusively reserved by the Election Commission.]

(*2*) On such publication, the roll together with the list of amendments shall be the electoral roll of the constituency.

1. Ins. by Notifn. S.O 3661, dated the 12th October, 1964.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 814(E), dated the 3rd September, 1987, for rule 21A.
3. Subs. by Notifn. No. S.O. 1519, dated the 25th April, 1968.
4. The word "and" omitted by Notifn. No. S.O. 233(E), dated the 31st March, 1984.
5. The word "and" ins., *ibid.*
6. Cl. (*c*) ins., *ibid.*

(ख) सूची की एक प्रति को उस समय और स्थान के बारे में, जिस पर नामावली में इन नामों को सम्मिलित करने पर विचार किया जाएगा, सूचना सहित अपने कार्यालय के सूचना-पट्ट पर दर्शित करेगा, और ऐसी अन्य रीति में, जैसे वह ठीक समझे, सूची और सूचना को प्रकाशित भी करेगा, तथा

(ग) जो कोई मौखिक या लिखित आक्षेप किए जाएं उन पर विचार करने के पश्चात् यह विनिश्चय करेगा कि क्या उन नामों में से सबको या किसी को नामावली में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

[1][(2) यदि नियम 7 के अधीन कोई कथन नियम 10 के अधीन नियमावली के प्रारूप के प्रकाशन के पश्चात्-प्राप्त होते हैं तो रजिस्ट्रीकरण आफिसर नामावली के उचित भागों में निर्वाचकों के उन नामों के सम्मिलित किए जाने के लिए निदेश देगा जो उन कथनों के अंतर्गत हों।]

[2][21क. **नामों का निकाला जाना**—यदि नामावली के अंतिम प्रकाशन से पूर्व किसी समय रजिस्ट्रीकरण आफिसर को यह प्रतीत होता है कि मृत व्यक्तियों या ऐसे व्यक्तियों के नाम, जो निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गए हैं, या नहीं हैं; या ऐसे व्यक्ति जो उस नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं हैं, अनवधानता या गलती के कारण या अन्यथा नामावली में सम्मिलित किए गए हैं और इस नियम के अधीन उपचारी कार्यवाही की जानी चाहिए तो रजिस्ट्रीकरण आफिसर,—

(क) ऐसे निर्वाचकों के नामों के और अन्य ब्यौरों की सूची तैयार करेगा;

(ख) सूची की एक प्रति को, उस समय और स्थान के बारे में, जहां और जब इन नामों को नामावली से निकाले जाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा, सूचना सहित अपने कार्यालय के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा और ऐसी अन्य रीति में, जैसी वह ठीक समझे, सूची या सूचना को प्रकाशित भी करेगा; और

(ग) जो कोई मौखिक या लिखित आक्षेप किए जाएं, उन पर विचार करने के पश्चात् यह भी विनिश्चय करेगा कि क्या उन नामों में से सबको या किसी को नामावली में से निकाल दिया जाना चाहिए:

परन्तु किसी व्यक्ति की बाबत इस आधार पर कि वह निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या नहीं है या उस नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है, इस नियम के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, रजिस्ट्रीकरण आफिसर उसे यह हेतुक दिखाने के लिए कि उसके संबंध में प्रस्थापित कार्यवाही क्यों न की जाए, युक्तियुक्त अवसर देने के सब प्रयत्न करेगा।]

22. **नामावली का अंतिम प्रकाशन**—(1) रजिस्ट्रीकरण आफिसर तत्पश्चात्—

(क) नियम 18, 20, [3][21 और 21क] के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए और नामावली में की ऐसी किन्हीं लेखन या मुद्रण संबंधी गलतियों या अन्य अशुद्धताओं को जिनका तत्पश्चात् पता चले शुद्ध करने के लिए संशोधनों की सूची तैयार करेगा; [4]***

(ख) संशोधनों की सूची सहित नामावली को अपने कार्यालय में उसकी पूरी प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध करके और प्ररूप 16 में सूचना संप्रदर्शित करके प्रकाशित करेगा; [5][तथा]

[6][(ग) ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए जो निर्वाचन आयोग दे, ऐसे प्रत्येक राजनैतिक दल को, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने कोई प्रतीक अनन्य रूप से आरक्षित किया है, अंतिम रूप से प्रकाशित नामावली की दो प्रतियों को, संशोधनों की, यदि कोई हों, सूची सहित, निःशुल्क प्रदाय करेगा।]

(2) ऐसे प्रकाशन पर संशोधनों की सूची सहित नामावली निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली होगी।

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 3661, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 814(अ), तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा नियम 21क के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं० का० आ० 1519, तारीख 25 अप्रैल, 1968 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं० का० आ० 233(अ), तारीख 31 मार्च, 1984 द्वारा "तथा" शब्द का लोप किया गया।
5. पूर्वोक्त द्वारा "तथा" शब्द अन्तःस्थापित।
6. पूर्वोक्त द्वारा खंड (ग) अन्तःस्थापित।

[1][(*3*) Where the roll (hereafter in this sub-rule referred to as the basic roll), together with the list of amendments, becomes the electoral roll for a constituency under sub-rule (*2*), the registration officer may, for the convenience of all concerned, integrate, subject to any general or special directions issued by the Election Commission in this behalf, the list into the basic roll by [2][incorporating inclusion of names, amendment, transposition or deletion of entries in the relevant parts of the basic roll itself] in the relevant parts of the basic roll itself, so however that no change shall be made in the process of such integration in the name of any elector or in any particulars relating to any elector as given in the list of amendments.]

23. Appeals from orders deciding claims and objections.—(*1*) An appeal shall lie from any decision of the registration officer under rule 20, [3][rule 21 or rule 21A] to such officer of Government as the Election Commission may designate in this behalf (hereinafter referred to as the appellate officer):

Provided that an appeal shall not lie where the person desiring to appeal has not availed himself of his right to be heard by, or to make representations to, the registration officer on the matter which is the subject of appeal.

(*2*) Every appeal under sub-rule (*1*) shall be—

(*a*) in the form of a memorandum signed by the appellant, and

(*b*) presented to the appellate officer within a period of fifteen days from the date of announcement of the decision or sent to that officer by registered post so as to reach him within that period.

(*3*) The presentation of an appeal under this rule shall not have the effect of staying or postponing any action to be taken by the registration officer under rule 22.

(*4*) Every decision of the appellate officer shall be final, but in so far as it reverses or modifies a decision of the registration officer, shall take effect only from the date of the decision in appeal.

(*5*) The registration officer shall cause such amendments to be made in the roll as may be necessary to give effect to the decisions of the appellate officer under this rule.

24. Special provision for preparation of rolls on redelimitation of constituencies.— (*1*) If any constituency is delimited anew in accordance with law and it is necessary urgently to prepare the roll for such constituency, the Election Commission may direct that it shall be prepared—

(*a*) by putting together the rolls of such of the existing constituencies or parts thereof as are comprised within the new constituency; and

(*b*) by making appropriate alterations in the arrangement, serial numbering and headings of the rolls so compiled.

(*2*) The roll so prepared shall be published in the manner specified in rule 22 and shall, on such publication, be the electoral roll for the new constituency.

25. [4][**Revision of rolls**].—(*1*) The roll for every constituency shall be revised under sub-section (*2*) of section 21 either intensively or summarily or partly intensively and partly summarily, as the Election Commission may direct.

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 1033, dated the 12th March, 1970.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 814(E), dated the 3rd September, 1987, for certain words.
3. Subs. by Notifn. No. S.O. 1519, dated the 25th April, 1968.
4. Subs. by Notifn. No. S.O. 814(E), dated the 3rd September, 1987, for the marginal heading "Annual revision of rolls"

[1][(3) जहां कि नामावली (जिसे इस उपनियम में इसके पश्चात् आधारी नामावली कहा गया है) संशोधनों की सूची सहित, उपनियम (2) के अधीन किसी निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली बन जाती है वहां रजिस्ट्रीकरण आफिसर, सभी संबंधित व्यक्तियों को सुविधा के लिए, आधारी नामावली के ही सुसंगत भागों में सूची में के [2][आधारी नामावली के ही सुसंगत भागों में प्रविष्टियों के नाम, संशोधन, उन्हें अन्यत्र रखने या निकाले जाने को सम्मिलित करके], नामावली में सूची का समावेश, निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त निकाले गए किन्हीं साधारण या विशेष निदेशों के अध्यधीन, कर सकेगा, किन्तु इस प्रकार के ऐसे समावेश के दौरान किसी निर्वाचक के नाम या किसी निर्वाचक से संबंधित किन्हीं विशिष्टियों में, जैसी कि वे संशोधनों की सूची में दी गई हैं, कोई परिवर्तन न हो।]

23. **दावों और आक्षेपों का विनिश्चय करने वाले आदेशों से अपीलें**—(1) नियम 20, [3][नियम 21 या नियम 21क] के अधीन रजिस्ट्रीकरण आफिसर के किसी विनिश्चय की अपील सरकार के ऐसे आफिसर से की जाएगी जिसे निर्वाचन आयोग इस निमित्त अभिहित करे (जिसे एतस्मिनपश्चात् अपील आफिसर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है):

परन्तु अपील उस सूरत में नहीं होगी जिसमें कि अपील को वांछा करने वाले व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील का विषय है, रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा सुने जाने या अभ्यावेदन करने के अपने अधिकार का फायदा नहीं उठाया है।

(2) उपनियम (1) के अधीन हर अपील—

(क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी; और

(ख) विनिश्चय के सुनाए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन की कालावधि के अन्दर अपील आफिसर के समक्ष उपस्थित की जाएगी या उस आफिसर को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ऐसे भेजे जाएगी कि वह उक्त कालावधि के अन्दर तक उसके पास पहुंच जाए।

(3) इस नियम के अधीन अपील उपस्थित करने का यह प्रभाव न होगा कि कोई ऐसा कार्य रोक दिया जाए या मुल्तवी कर दिया जाए जो रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा नियम 22 के अधीन किया जाना है।

(4) अपील आफिसर का हर विनिश्चय अंतिम होगा, किन्तु जहां तक कि वह रजिस्ट्रीकरण आफिसर के विनिश्चय को उलटता है या उपांतरित करता है वहां तक वह अपील के विनिश्चय की तारीख से ही प्रभावी होगा।

(5) रजिस्ट्रीकरण आफिसर नामावली में ऐसे संशोधन कराएगा जैसे इस नियम के अधीन अपील आफिसर के विनिश्चयों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों।

24. **निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनःपरिसीमन पर निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के लिए विशेष उपबन्ध**—(1) यदि कोई निर्वाचन-क्षेत्र विधि के अनुसार नए सिरे से परिसीमित किया जाए और ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली आत्यंतिकतः तैयार करना आवश्यक हो, तो, निर्वाचन आयोग यह निदेश दे सकेगा कि वह—

(क) विद्यमान निर्वाचन-क्षेत्रों या उनके ऐसे भागों की, जैसे नए निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट है, ऐसी नामावलियों को एक साथ जोड़ करके, और

(ख) ऐसे संकलित नामावलियों के क्रम विन्यास, क्रम संख्यांकन और शीर्षकों में समुचित परिवर्तन करके, तैयार की जाए।

(2) ऐसे तैयार की गई नामावली नियम 22 में विनिर्दिष्ट रीति में प्रकाशित की जाएगी और ऐसे प्रकाशन पर, वह नए निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली होगी।

25. **[4][नामावलियों का पुनरीक्षण]**—(1) हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन या तो विस्तारपूर्वक या संक्षिप्ततः या अंशतः विस्तारपूर्वक और अंशतः संक्षिप्ततः ऐसे पुनरीक्षित की जाएगी, जैसे निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

---

1. अधिसूचना सं० का०आ० 1033, तारीख 12 मार्च, 1970 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं० का० आ० 1519, तारीख 25 अप्रैल, 1968 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा "नामावलियों का वार्षिक पुनरीक्षण" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(*2*) Where the roll or any part thereof is to be revised intensively in any year, it shall be prepared afresh and rules 4 to 23 shall apply in relation to such revision as they apply in relation to the first preparation of a roll.

(*3*) When the roll or any part thereof is to be revised summarily in any year, the registration officer shall cause to be prepared a list of amendments to the relevant parts of the roll on the basis of such information as may be readily available and publish the roll together with the list of amendments in draft; and the provisions of rules 9 to 23 shall apply in relation to such revision as they apply in relation to the first preparation of a roll.

(*4*) Where at any time between the publication in draft of the revised roll under sub-rule (*2*) or of the roll and list of amendments under sub-rule (*3*) and the final publication of the same under rule 22, any names have been directed to be included in the roll for the time being in force under section 23, the registration officer shall cause the names to be included also in the revised roll unless there is, in his opinion, any valid objection to such inclusion.

26. [1][**Correction of entries and inclusion of names in electoral** rolls].—[2][(*1*) Every application under section 22 or sub-section (*1*) of section 23 shall be made in duplicate in such one of the Forms 6, 8, 8A and 8B as may be appropriate [3]***

[3]

[4][Provided that the statements in Forms 2, 2A and 3, from persons having service qualifications, received after the final publication of the electoral roll shall be deemed to be the applications under sections 22 and 23[3]***]

[4][(*1A*) Every such application as is referred to in sub-rule (*1*) shall be presented to the registration officer in such manner as the Election Commission may direct.]

* * * * *

[5]* * * * *

(*3*) The [6]*** registration officer shall, immediately on receipt of such application, direct that one copy thereof be posted in some conspicuous place in his office together with a notice inviting objections to such application within a period of seven days from the date of such posting.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 2315, dated the 21st September, 1961, for "Inclusion of names in electoral rolls".
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 3874, dated the 15th December, 1966, for sub-rule (*1*).
3. Certain words and Sub-rules (2) and (2A) omitted by Notifn. No.S.O. 537(E), dated 22nd July, 1992.
4. Ins. by Notifn. No. S.O. 814(E), dated the 3rd September, 1987.
5. Sub-rule (1B) omitted by Notifn. No.S.O. 817 (E), dated 25th October, 1993.
6. Certain words omitted by Notifn. No. S.O. 3874, dated the 15th December, 1966.

(2) जहां कि नामावली या उसका कोई भाग किसी वर्ष में विस्तारपूर्वक पुनरीक्षित की जानी या किया जाना है, वहां वह नए सिरे से तैयार की जाएगी या किया जाएगा और ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में 4 से लेकर 23 तक के नियम ऐसे लागू होंगे जैसे वे नामावली की प्रथम तैयारी के संबंध में लागू होते हैं।

(3) जबकि नामावली या उसका कोई भाग किसी वर्ष में संक्षिप्ततः पुनरीक्षित की जानी है या किया जाना है तब रजिस्ट्रीकरण आफिसर ऐसी जानकारी के आधार पर, जैसी सुगमता से उपलब्ध हो, नामावली के सुसंगत भागों के संशोधनों की सूची तैयार कराएगा और नामावली को संशोधनों की सूची के प्रारूप सहित प्रकाशित करेगा; और ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में नियम 9 से लेकर नियम 23 तक के उपबंध ऐसे लागू होंगे जैसे वे नामावली की प्रथम तैयारी के संबंध में लागू होते हैं।

(4) जहां कि उपनियम (2) के अधीन पुनरीक्षित नामावली के या उपनियम (3) के अधीन नामावली और संशोधनों की सूची के प्रारूप के प्रकाशन और नियम 22 के अधीन अंतिम उसके प्रकाशन के बीच किसी समय, धारा 23 के अधीन तत्समय प्रवृत्त नामावली में किन्हीं नामों को सम्मिलित करने का निर्देश दिया गया है वहां रजिस्ट्रीकरण आफिसर उन नामों को पुनरीक्षित नामावली में भी उस दशा में के सिवाय सम्मिलित कराएगा जिसमें कि उसकी राय में ऐसे सम्मिलित किए जाने के लिए कोई विधिमान्य आक्षेप है।

26. [1][निर्वाचक नामावलियों में प्रविष्टियों का शुद्ध किया जाना और नामों को सम्मिलित किया जाना]--[2][(1) धारा 22 या धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन हर आवेदन प्ररूप 6, 8, 8क और 8ख में से ऐसे एक प्ररूप में जैसा समुचित हो, दो प्रतियों में किया जाएगा[3]****।]

[4]["परन्तु ऐसे व्यक्तियों से जिनके पास सेवा अर्हताएं हैं, निर्वाचक नामावली के अंतिम रूप से प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त प्ररूप 2, 2क और 3 में विवरणियों को, धारा 22 और 23 के अधीन आवेदन के रूप में माना जाएगा"।

(1क) ऐसा प्रत्येक आवेदन, जो उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट किया गया है, रजिस्ट्रीकरण आफिसर को ऐसी रीति से प्रस्तुत किया जाएगा जो निर्वाचन आयोग निदेश दे।]

[5]* * * *

[3]* * * *

(3) [6]**** रजिस्ट्रीकरण आफिसर ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर अविलम्ब यह निदेश देगा कि उसकी एक प्रति यह आमंत्रित करने वाली सूचना के साथ उसके अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान में लगा दी जाए कि ऐसे लगाए जाने की तारीख से सात दिन की कालावधि के अन्दर ऐसे आवेदन पर आक्षेप किए जाएं।

---

1. अधिसूचना सं० का०आ० 2315, तारीख 21 सितम्बर, 1961 द्वारा "निर्वाचक नामावलियों में नामों का सम्मिलित किया जाना" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का०आ० 3874, तारीख 15 दिसम्बर, 1966 द्वारा उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं० का० आ० 537(अ), तारीख 22 जुलाई, 1992 द्वारा उपनियम (2) और (2क) का लोप किया गया।
4. अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा अंतःस्थापित।
5. अधिसूचना सं० का० आ० 817(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 1993 द्वारा उपनियम (1ख) का लोप किया गया।
6. अधिसूचना सं० का०आ० 3874, तारीख 15 दिसम्बर, 1966 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।

[1][(*4*) The registration officer shall, as soon as may be after the expiry of the period specified in sub-rule (*3*), consider the application and objections thereto, if any, received by him and shall, if satisfied, direct the inclusion, deletion, correction or transposition of entries in the roll, as may be necessary: Provided that when an application is rejected by the registration officer, he shall record in writing a brief statement of his reasons for such rejection.]

27. Appeals from orders [2]* under rule 26.**—[3][(*1*) Every appeal under section 24 shall be—

(*a*) in the form of a memorandum signed by the [4][appellant];

(*b*) accompanied by a copy of the order appealed from and [5][[6][a fee of five rupees] to be—

(*i*) paid by means of non-judicial stamps; or

(*ii*) deposited in a Government treasury or the Reserve Bank of India in favour of the chief electoral officer; or

(*iii*) paid in such other manner as may be directed by the Election Commission; and]

[7][(*c*) presented to the chief electoral officer within a period of fifteen days from the date of the order appealed from or sent by registered post so as to reach him within that period:]

[8][Provided that the chief electoral officer may condone the delay in the presentation of the appeal to him, if he is satisfied that the appellant had sufficient cause for not presenting it within the time prescribed.]

[9][(*1A*) Where the fee is deposited under clause (*b*) (*ii*) of sub-rule (*1*), the appellant shall enclose with the memorandum of appeal a Government treasury receipt in proof of the fee having been deposited.]

[10][(*2*) For the purposes of sub-rule (*1*), an appeal shall be deemed to have been presented to the chief electoral officer, when the memorandum of appeal is delivered by, or on behalf of, the appellant to the chief electoral officer himself or to any other officer appointed by him in this behalf.]

28. Identity cards for electors in notified constituencies [11]*.**—(*1*) The Election Commission may, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, by notification in the Official Gazette of the State, direct that the provision of this rule shall apply to [12][any such constituency or part thereof] as may be specified in the notification.

(*2*) The registration officer for such notified constituency shall, as soon as may be, after the issue of the notification under sub-rule (*1*), arrange for the issue to every elector of an identity card prepared in accordance with the provisions of this rule.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 814(E), dated the 3rd September, 1987, for sub-rule (*4*).
2. The words "rejecting applications" omitted by Notifn. No. S.O. 3874, dated the 15th December, 1966.
3. Subs. by Notifn. No. S.O. 2315, dated the 21st September, 1961, for sub-rule (*1*).
4. Subs. by Notifn. No. S.O. 814(E), dated the 3rd September, 1987, for "applicant".
5. Subs. by Notifn. No. S.O. 370, dated the 25th January, 1968, for certain words.
6. Subs. by Notifn. No. S.O. 814(E), dated the 3rd September, 1987, for "a fee of one rupee".
7. Subs. by Notifn. No. S.O. 3874, dated the 15th December, 1966, for cl. (*c*).
8. Ins. by Notifn. No. S.O. 814(E), dated the 3rd September, 1987.
9. Ins. by Notifn. No. S.O. 370, dated the 25th January, 1968.
10. Subs. by Notifn. No. S.O. 3874, dated the 15th December, 1966, for sub-rule (*2*).
11. Certain words omitted by Notifn. No. S.O. 1505, dated the 21st April, 1969.
12. Subs., *ibid.*, for certain words.

[1][(4) यदि रजिस्ट्रीकरण आफिसर को कोई आवेदन या उसके आक्षेप प्राप्त हुए हों तो वह उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात् यथा शक्यशीघ्र उन पर विचार करेगा और यदि उसका समाधान हो जाए तो, वह नामावली में जैसा आवश्यक हो, प्रविष्टियों के समावेश, निकाले जाने, संशोधन या अन्यत्र रखने का निदेश देगा:

[2][परन्तु जब रजिस्ट्रीकरण आफिसर किसी आवेदन को नामंजूर कर देता है तो वह ऐसे नामंजूर किए जाने के अपने कारणों का संक्षिप्त कथन लिखित रूप में अभिलिखित करेगा ।]

27. [3]*** **नियम 26 के अधीन आदेशों से अपीलें**— [4][(1) धारा 24 के अधीन हर अपील—

(क) [5][अपीलार्थी] द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में,

(ख) अपीलित आदेश की प्रति के साथ [6] [7][(पांच रुपए की फीस सहित] जो कि—

(i) न्यायिकेतर स्टाम्पों के रूप में दी जाएगी; या

(ii) मुख्य निर्वाचन आफिसर के नाम में सरकारी खजाने में या भारतीय रिजर्व बैंक में जमा की जाएगी; या

(iii) ऐसी अन्य रीति में दी जाएगी जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे; और]

[8][(ग) मुख्य निर्वाचन आफिसर के समक्ष उस आदेश की तारीख से, जिसके खिलाफ अपील की गई है पन्द्रह दिन की कालावधि के अन्दर उपस्थित करके या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ऐसी भेजी जाकर कि उक्त कालावधि के अन्दर उसके पास पहुंच जाए,]

की जाएगी :

[9][परन्तु यदि मुख्य निर्वाचन आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि अपील को विहित समय के भीतर प्रस्तुत न करने के लिए अपीलार्थी के पास पर्याप्त हेतुक है तो वह उसे विलंब से अपील प्रस्तुत करने के लिए माफ कर सकेगा ।]

[10][(1क) जहां कि फीस उपनियम (1) के खंड (ख)(ii) के अधीन जमा की जाती है वहां अपीलार्थी फीस जमा करने का सबूत के रूप में सरकारी खजाने की रसीद अपील के ज्ञापन के साथ संलग्न करेगा ।]

[11][(2) अपील की बाबत उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह उस दशा में, जिसमें कि अपील का ज्ञापन मुख्य निर्वाचन आफिसर को स्वयं या उस द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य आफिसर को अपीलार्थी द्वारा या उसकी ओर से परिदत्त किया गया है मुख्य निर्वाचन आफिसर के समक्ष उपस्थित की गई है ।]

28. **अधिसूचित निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचकों के लिए अभिज्ञान-पत्र** [12]***—(1) निर्वाचन आयोग मतदान के समय निर्वाचकों का प्रतिरूपण रोकने और उनका अभिज्ञान सुकर बनाने की दृष्टि से, राज्य के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि इस नियम के उपबन्ध [13][किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या उसके भाग] को लागू होंगे जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) ऐसे अधिसूचित निर्वाचन-क्षेत्र का रजिस्ट्रीकरण आफिसर उपनियम (1) के अधीन अधिसूचना के निकाले जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र इस नियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार किया गया अभिज्ञान-पत्र हर निर्वाचक को दिए जाने के लिए इंतजाम करेगा ।

---

1. अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3-सितम्बर, 1987 द्वारा उपनियम (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. अधिसूचना सं० का०आ० 3374, तारीख 15-9-1966 द्वारा अंतःस्थापित ।
3. अधिसूचना सं० का०आ० 3874, तारीख 15 सितम्बर, 1966 द्वारा "आवेदनों का अग्रहण" शब्दों का लोप किया गया ।
4. अधिसूचना सं० का०आ० 2315, तारीख 21 सितम्बर, 1961 द्वारा उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा "आवेदक" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. अधिसूचना सं० का०आ० 370, तारीख 25 जनवरी, 1968 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा "एक रुपए की फीस सहित" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
8. अधिसूचना सं० का०आ० 3874, तारीख 15 सितम्बर, 1966 द्वारा खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
9. अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा अंतःस्थापित ।
10. अधिसूचना सं० का०आ० 370, तारीख 25 जनवरी, 1968 द्वारा अंतःस्थापित ।
11. अधिसूचना सं० का०आ० 3874, तारीख 15 सितम्बर, 1966 द्वारा उपनियम (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
12. अधिसूचना सं० का०आ० 1505, तारीख 21 अप्रैल, 1969 द्वारा लोप किया गया ।
13. अधिसूचना सं० का०आ० 1505, तारीख 21 अप्रैल, 1969 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*3*) The identity card shall—

(*a*) be prepared in duplicate;

(*b*) contain the name, age, residence and such other particulars of the elector as may be specified by the Election Commission;

(*c*) have affixed to it a photograph of the elector which shall be taken at the expense of the Government; and

(*d*) bear the facsimile signature of the registration officer:

Provided that if the elector refuses or evades to have his photograph taken, or cannot be found at his residence by the official photographer in spite of repeated attempts, no such identity card shall be prepared for the elector and a note of such refusal or evasion or that the elector could not be found at his residence in spite of repeated attempts shall be made in the copy of the roll maintained by the registration officer.

(*4*) One copy of the identity card prepared under sub-rule (*3*) shall be retained by the registration officer and the other copy shall be delivered to the elector to be kept by him for production at the time of poll.

[1][PART III

Electoral rolls for parliamentary constituencies in the Union territory of Delhi

29. Rolls for the parliamentary constituencies in the Union territory of Delhi.—The provisions of Part II shall apply in relation to parliamentary constituencies in the Union territory of Delhi as they apply in relation to assembly constituencies.]

PART IV

Electoral rolls for Council Constituencies

30. Rolls for local authorities' constituencies.—(*1*) The roll for every local authorities' constituency shall be prepared and maintained in such form, manner and language or languages as the Election Commission may direct.

(*2*) The provisions of [2][rule 26 except sub-rules (*3*) and (*4*) thereof and rule 27] shall apply in relation to local authorities' constituencies as they apply in relation to assembly constituencies:

Provided that an application for the inclusion of a name shall be made in Form 17:

[3][Provided further that where an application referred to in sub-rule (*1*) of rule 26 is received by the electroral registration officer, he shall refer such application to the chief executive officer of the local authority concerned and on receipt of information in relation thereto from the chief executive officer, the electoral registration officer shall act in accordance with clause (*d*) of sub-section (*2*) of section 27.]

31. Rolls for graduates' and teachers' constituencies.—(*1*) The roll for every graduates' or teachers' constituency shall be prepared in such form, manner and language, or languages as the Election Commission may direct.

(*2*) The roll shall be divided into convenient parts which shall be numbered consecutively.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 2577, dated the 6th September, 1963, for Part III.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 3661, dated the 12th October, 1964, for "rules 26 and 27".
3. Subs. by Notifn. No. S.O. 814(E), dated the 3rd September, 1987, for the second proviso.

(3) अभिज्ञान-पत्र—

(क) दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा,

(ख) में निर्वाचक का नाम, आयु, निवास-स्थान और ऐसी अन्य विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जैसी निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं,

(ग) के साथ निर्वाचक का एक फोटोग्राफ लगा होगा जो सरकार के व्यय पर खिचवाया गया होगा, तथा

(घ) में रजिस्ट्रीकरण आफिसर का अनुलिपि हस्ताक्षर होगा :

परन्तु यदि निर्वाचक अपना फोटोग्राफ खिंचवाने से इंकार करता है या बचता है या शासकीय फोटोग्राफर द्वारा बार-बार प्रयत्न किए जाने पर भी अपने निवास-स्थान में नहीं पाया जाता तो उस निर्वाचक के लिए ऐसा अभिज्ञान-पत्र तैयार न किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा रखी गई निर्वाचक नामावली की प्रति में इंकार करने या बचने का या इस बात का कि बार-बार प्रयत्न करने पर भी निर्वाचक अपने निवास-स्थान में नहीं पाया गया, टिप्पण कर दिया जाएगा ।

(4) उपनियम (3) के अधीन तैयार किए गए अभिज्ञान-पत्र की एक प्रति रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा रख ली जाएगी और दूसरी प्रति निर्वाचक को परिदत्त कर दी जाएगी जिसे वह मतदान के समय पेश करने के लिए अपने पास रखेगा ।

[1][भाग 3

दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

29. दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए नामावलियां—दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में भाग 2 के उपबन्ध वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में लागू हैं ।]

भाग 4

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

30. स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए नामावलियां—(1) हर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली ऐसे प्ररूप, रीति और भाषा या भाषाओं में तैयार की जाएगी और बनाए रखी जाएगी जैसे या जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

(2)[2][नियम 26 के उपनियम (3) और (4) के सिवाय और नियम 27] के उपबन्ध स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में लागू हैं :

परन्तु नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन प्ररूप 17 में दिया जाएगा :

[3][परन्तु यह और भी कि जहां नियम 26 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा प्राप्त किया जाएं, वहां वह ऐसे आवेदन के संबद्ध स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक आफिसर को निर्दिष्ट करेगा और मुख्य कार्यपालक आफिसर से उसके संबंध में सूचना की प्राप्ति पर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अनुसार कार्य करेगा ।]

31. स्नातक और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए नामावलियां—(1) हर स्नातक या शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली ऐसे प्ररूप, रीति और भाषा या भाषाओं में तैयार की जाएगी जैसी या जैसे निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

(2) नामावली सुविधाजनक भागों में विभाजित की जाएगी जो क्रम से संख्यांकित किए जाएंगे ।

1. अधिसूचना सं० का०आ० 2577, तारीख 6 सितम्बर, 1963 द्वारा भाग 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. अधिसूचना सं० का०आ० 3661, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा "नियम 26 और 27" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा दूसरे परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*3*) For the purpose of preparing the roll the registration officers shall, on or before the 1st [1][October], issue a public notice calling upon every person entitled to be registered in that roll to send to, or deliver at his office before the 7th day of [1][November] next following an application in Form 18 or Form 19, as the case may be, for inclusion of his name:

[2][Provided that for the purpose of preparing the roll for the first time for the Legislative Council of the State of Madhya Pradesh, the references to the 1st October and the 7th day of November shall be construed as references to the 31st December, 1966 and the 7th day of February, 1967, respectively.]

(*4*) The said notice shall be published in two newspapers having circulation in the constituency and republished in them once on or about the 15th [1][October] and again on or about the 25th [1][October]:

[2][Provided that in relation to the preparation of the roll for the first time for the Legislative Council of the State of Madhya Pradesh, the references to the 15th October and the 25th October shall be construed as references to the 15th January and 25th January, 1967, respectively.]

[3][(*4A*) The provisions of sub-rule (*3*) and sub-rule (*4*) shall apply in relation to revision of the roll for every graduates' or teachers' constituency under sub-section (*2*) (*a*) (*ii*) of section 21 of the Act as they apply in relation to the preparation of such roll subject to the modification that references to the 1st October and the 7th day of November in sub-rule (*3*) and references to the 15th October and 25th October in sub-rule (*4*) shall be construed respectively as references to such dates, as may be specified by the Election Commission in relation to each such revision.]

(*5*) The provisions of rules 10 to 27 except clause (*c*) of sub-rule (*1*) and clause (*c*) of sub-rule (*2*) of rule 13 shall apply in relation to graduates' and teachers' constituencies as they apply in relation to assembly constituencies:

Provided that a claim or an application for the inclusion of a name shall be made in Form 18 or Form 19 as may be appropriate.

[4]* * * * *

PART V

Preservation and disposal of Electoral Rolls

32. Custody and preservation of rolls and connected papers.—(*1*) After the roll for a constituency has been finally published, the following papers shall be kept in the office of the registration officer or at such other place as the chief electoral officer may by order specify until the expiration of one year after the completion of the next intensive revision of that roll:—

(*a*) one complete copy of the roll;

(*b*) statements submitted to the chief electoral officer under rule 7;

(*c*) statements submitted to the registration officer under rule 8;

(*d*) register of enumeration forms;

(*e*) applications in regard to the preparation of the roll;

(*f*) manuscript parts prepared by enumerating agencies and used for compiling the roll;

(*g*) papers relating to claims and objections;

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 2315, dated the 21st September, 1961.
2. Ins. by Notifn. No. S.O. 3963, dated the 24th December, 1966.
3. Ins. by Notifn. No. S.O. 1127, dated the 1st April, 1967.
4. Second proviso omitted by Notifn. No. S.O. 814(E), dated the 3rd September, 1987.

(3) नामावली तैयार करने के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण आफिसर] [1][अक्तूबर] को या से पूर्व एक लोक सूचना निकालेगा जिसमें उस नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार हर व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए, यथास्थिति, प्ररूप 18 या प्ररूप 19 में आवेदन आगामी [1][नवम्बर] के सातवें दिन से पूर्व उसके कार्यालय में भेज दे या परिदत्त कर दे :

[2][परन्तु मध्य प्रदेश की राज्य विधान परिषद् के लिए प्रथम बार नामावली तैयार करने के प्रयोजनार्थ 1 अक्तूबर और नवम्बर के सातवें दिन के प्रति किए गए निर्देशों का अर्थ क्रमश: 31 दिसम्बर, 1966 और फरवरी, 1967 के सातवें दिन के प्रति किए गए निर्देशों के रूप में किया जाएगा।]

(4) निर्वाचन-क्षेत्र में चलने वाले दो समाचारपत्रों में उक्त सूचना प्रकाशित की जाएगी और एक बार 15 [1][अक्तूबर] को या उसके लगभग और फिर 25 [1][अक्तूबर] को या उसके लगभग उनमें पुन: प्रकाशित की जाएगी :

[2][परन्तु मध्य प्रदेश की राज्य विधान परिषद् के लिए प्रथम बार नामावली तैयार करने के संबंध में 15 अक्तूबर और 25 अक्तूबर के प्रति किए गए निर्देशों का अर्थ क्रमश: 15 जनवरी और 25 जनवरी, 1967 के प्रति किए गए निर्देशों के रूप में किया जाएगा।]

[3][(4क) उपनियम (3) और उपनियम (4) के उपबंध, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) (क) (ii) के अधीन हर स्नातक या शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली के पुनरीक्षण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे ऐसी नामावली की तैयारी के संबंध में लागू होते हैं किन्तु वे इन उपांतरों के अधीन रहेंगे कि उपनियम (3) में 1 अक्तूबर और नवम्बर के सातवें दिन के प्रति निर्देशों का और उपनियम (4) में 15 अक्तूबर और 25 अक्तूबर के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमश: ऐसी तारीखों के प्रति निर्देशों के रूप में किया जाएगा जो ऐसे प्रत्येक पुनरीक्षण के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।]

(5) नियम 13 के उपनियम (1) के खंड (ग) और उपनियम (2) के खंड (ग) के सिवाय नियम 10 से लेकर नियम 27 तक के उपबन्ध स्नातक और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में लागू हैं :

परन्तु नाम के सम्मिलित किए जाने के लिए दावा या आवेदन प्ररूप 18 या प्ररूप 19 में से जो भी समुचित हो उसमें किया जाएगा :

[4]* * * * *

भाग 5

निर्वाचक नामावलियों का परिरक्षण और व्ययन

32. नामावलियों और संसक्त कागजपत्रों की अभिरक्षा और परिरक्षण—(1) निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली के अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिए जाने के पश्चात् निम्नलिखित कागजपत्र, अर्थात् :—

(क) नामावली की एक पूरी प्रति,

(ख) मुख्य निर्वाचन आफिसर को नियम 7 के अधीन निवेदित कथन,

(ग) रजिस्ट्रीकरण आफिसर को नियम 8 के अधीन निवेदित कथन,

(घ) प्रगणन प्ररूपों का रजिस्टर,

(ङ) नामावली की तैयारी के संबंध में आवेदन,

(च) प्रगणन अभिकरणों द्वारा तैयार किए गए और नामावली के संकलन के लिए उपयोग में लाए गए पांडुलिपि भाग,

(छ) दावों और आक्षेपों से सम्बद्ध कागजपत्र,

1. अधिसूचना सं० का०आ० 2315, तारीख 21 सितम्बर, 1961 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का०आ० 3963, तारीख 24 दिसम्बर, 1966 द्वारा अन्त:स्थापित।
3. अधिसूचना सं० का०आ० 1127, तारीख 1 अप्रैल, 1967 द्वारा अंत:स्थापित।
4. अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा दूसरे परन्तुक का लोप किया गया।

(*h*) papers relating to appeals under rule 23; and

(*i*) applications under sections 22 and 23.

(*2*) One complete copy of the roll for each constituency duly authenticated by the registration officer shall also be kept in such place as the chief electoral officer may specify [1][as permanent board].

33. Inspection of electoral rolls and connected papers.—Every person shall have the right to inspect the election papers referred to in rule 32 and to get attested copies thereof on payment of such fee as may be fixed by the chief electoral officer.

34. Disposal of electoral rolls and connected papers.—(*1*) The papers referred to in rule 32 shall, on the expiry of the period specified therein, and subject to such general or special directions, if any, as may be given by the Election Commission in this behalf, be disposed of in such manner as the chief electoral officer may direct.

(*2*) Copies of the electoral roll for any constituency in excess of the number required for deposit under rule 32 and for any other public purpose shall be disposed of at such time and such in manner as the Election Commission may direct and until such disposal shall be made available for sale to the public.

[2][PART VI

Miscellaneous

35. Use of old Forms.—If, at any time, during a period of six months from the date on which any amendment to a form for making any claim, objection or other application to the registration officer under these rules takes effect, a person makes, such claim, objection or, as the case may be, other application in the Form as it stood before such amendment, the registration officer shall deal with such claim, objection or other application and he may, for this purpose, require such person, by notice in writing, to furnish such additional information (being the information which would have been furnished if the amended Forms had been used) within such reasonable time as may be specified in the notice.]

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 814(E), dated the 3rd September, 1987, for certain words.
2. Ins. by Notifn. No. S.O. 1128(E), dated 29th December, 1987.

(ज) नियम 23 के अधीन अपीलों से सम्बद्ध कागजपत्र, तथा

(झ) धारा 22 और 23 के अधीन के आवेदन,

रजिस्ट्रीकरण आफिसर के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान में जैसा मुख्य निर्वाचन आफिसर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, तब तक रखे जाएंगे जब तक उस नामावली के अगले विस्तृत पुनरीक्षण की समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष का अवसान न हो जाए।

(2) हर एक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली की ऐसी एक प्रति भी, जो रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणीकृत है ऐसे स्थान में, जैसा मुख्य निर्वाचन आफिसर विनिर्दिष्ट करे [1][स्थायी अभिलेख के रूप में] रखी जाएगी।

33. **निर्वाचक नामावलियों और संसक्त कागजपत्रों का निरीक्षण**—हर व्यक्ति को नियम 32 में निर्दिष्ट निर्वाचन कागजपत्रों के निरीक्षण का और उनकी अनुप्रमाणित प्रतियां लेने का अधिकार ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा नियत की जाए, होगा।

34. **निर्वाचक नामावलियों और संसक्त कागजपत्रों का व्ययन**—(1) नियम 32 में निर्दिष्ट कागजपत्र उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान पर और ऐसे साधारण या विशेष निदेशों, यदि कोई हों, के अध्यधीन, जैसे इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जाएं, ऐसी रीति में व्ययनित किए जाएंगे जैसी मुख्य निर्वाचन आफिसर निर्दिष्ट करे।

(2) किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली की उस संख्या से अधिक प्रतियां, जितनी संख्या में नियम 32 के अधीन वे निक्षिप्त की जाने के लिए और किसी अन्य लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैं, ऐसे समय और रीति में व्ययनित की जाएंगी जैसा या जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे और ऐसे व्ययन के न किए जाने तक वे लोगों को विक्रय के लिए उपलभ्य रहेंगी।

[2][भाग 6

प्रकीर्ण

35. **पुराने प्ररूपों का प्रयोग**—यदि ऐसी तारीख से, जिसको इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण आफिसर के समक्ष कोई दावा, आक्षेप या अन्य आवेदन करने के लिए किसी प्ररूप में कोई संशोधन किया जाता है, छह मास की कालावधि के दौरान, किसी समय कोई व्यक्ति ऐसे प्ररूप में, जैसा वह ऐसे संशोधन से पूर्व था, यथास्थिति, ऐसा दावा, आक्षेप या अन्य आवेदन करता है तो रजिस्ट्रीकरण आफिसर ऐसे दावे, आक्षेप या अन्य आवेदन पर कार्रवाई करेगा और वह, इस प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति से लिखित रूप में सूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी अतिरिक्त जानकारी (वह जानकारी, जो यदि संशोधन प्ररूपों का प्रयोग किया गया होता तो, दी गई होती) ऐसे समुचित समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, दे।]

1. अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का०आ० 1128(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1987 द्वारा अंतःस्थापित।

FORM 1

(*See* rule 7)

Statement as to place of Ordinary Residence by a Person holding a Declared Office

Full name ....

[Father's/Mother's/Husband's name]..

Age..............................years.

Office held ....

I hereby declare that I am a citizen of India and that but for my holding the above-mentioned office, I would have been ordinarily resident at (full postal address) ....

....

....

I further declare that my wife (name) ....
............................aged..years, ordinarily resides with me [2][and is a citizen of India].

This cancels any previous statement as to place of ordinary residence made by me.

Place....................

Date....................

Signature ....

---

1. Subs. by Notifn. No.S.O. 303(E), dated 8th May, 1993, for certain words.
2. Ins. by Notifn. No.S.O.2315, date the 21st September, 1961.

प्ररूप 1

(नियम 7 देखिए)

घोषित पद को धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा मामूली निवास-स्थान के बारे में कथन

पूरा नाम ....

1 [पिता/माता/पति का नाम] ....

आयु .... वर्ष

पूरा पता ....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और यदि मैं उपरिवर्णित पद धारण किए न होता तो मैं (पूरा डाक का पता) .... में मामूली तौर से निवासी होता।

मैं यह अतिरिक्त घोषणा करता हूं कि मेरी पत्नी (नाम) ....

जिसकी आयु .... वर्ष है मेरे साथ मामूली तौर से निवास करती है[2] [और वह भारत की नागरिक है]।

मामूली निवास-स्थान के बारे में मैंने जो कोई कथन इससे पूर्व किया है वह एतद्द्वारा रद्द हो जाता है।

स्थान ....

तारीख ....

हस्ताक्षर ....

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 303(अ), तारीख 8 मई, 1993 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2 अधिसूचना सं० का०आ० 2315, तारीख 21 सितम्बर, 1961 द्वारा अन्तःस्थापित।

[1]FORM 2

(*See* rule 7)

Statement as to place of Ordinary Residence by a member of the Armed Forces

I hereby declare that I am a citizen of India and that but for my service in the Armed Forces I would have been ordinarily resident at—

House No. ....

Street/Mohalla ....

Locality ....

Town/Village ....

Post Office ....

Police Station ....

Tehsil/Taluka ....

District ....

State ....

My full name ....

Service No. .... Rank ....

Service/Corps/Regiment ....

Name and address of record office ....

Age last birthday .... years.

*I further declare that my wife ....

age .... years, ordinarily resides with me and is a citizen of India.

This cancels any previous statement as to ordinary place of residence made by me.

Date .... 198 .

....

(Signature)

Record Office

Folio No. ....

Place ....

Date ....

Verified and found correct

(Signature) ....

(Designation) ....

Officer-in-Charge, Records.

(*For use in the Election Office*)

Statement received on the ...... 199 .

Registered in the electoral roll for the .... Assembly Constituency (No. ....). Service voters' part, at S.No ....

....

Date .... 198 .

[2][Electoral Registration Officer].]

*Delete if not applicable.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 3667, dated the 12th October, 1964, for Form 2.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 3874, dated the 15th December, 1966, for "Chief Electoral Officer."

[1][प्ररूप 2

(नियम 7 देखिए)

सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा मामूली निवास-स्थान के बारे में कथन

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और यदि सशस्त्र बलों में मेरी सेवा न होती तो मैं--

मकान सं० ....

गली/मोहल्ला ....

परिक्षेत्र ....

नगर/ग्राम ....

डाकघर ....

पुलिस थाना ....

तहसील/तालुका ....

जिला ....

राज्य ....

में मामूली तौर से निवासी होता।

मेरा पूरा नाम ....

सेवा सं० .... पंक्ति ....

सेवा/कोर/रेजिमेंट ....

अभिलेख कार्यालय का नाम और पता ....

पिछले जन्म दिन पर आयु .... वर्ष

*मैं यह अतिरिक्त घोषणा करता हूं कि मेरी पत्नी ....

जिसकी आयु .... वर्ष है मेरे साथ मामूली तौर से निवास करती है और वह भारत की नागरिक है।

मामूली निवास-स्थान के बारे में मैंने जो कोई कथन इससे पूर्व किया है वह एतद्द्वारा रद्द हो जाता है।

तारीख .... 198.... हस्ताक्षर ....

अभिलेख कार्यालय | सत्यापित किया और ठीक पाया गया

फो०सं० .... | (हस्ताक्षर) ....

स्थान .... | (पदाभिधान) ....

तारीख .... | अभिलेख भारसाधक आफिसर ..

(निर्वाचन कार्यालय में उपयोग के लिए)

कथन .... 199..... को प्राप्त हुआ।

.... सभा निर्वाचन-क्षेत्र (सं० ....) के लिए निर्वाचक नामावली में सेवा नियोजित मतदाता भाग क्रम सं० .... पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

....

[2][निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर]

तारीख .... 198....

---

*यदि लागू न हो तो काट दीजिए

---

1. अधिसूचना सं० का०आ० 3667, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा प्ररूप 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 3874, तारीख 15 दिसम्बर, 1966 द्वारा "मुख्य निर्वाचन आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][FORM 2A

(*See* rule 7)

Statement as to place of Ordinary Residence by a member of an armed police force of a State, who is serving outside that State

I hereby declare that I am a citizen of India and that but for my service outside the State in the armed police force mentioned below, I would have been ordinarily resident at:—

House No. ....

Street/Mohalla ....

Locality ....

Town/Village ....

Post Office ....

Police Station ....

Tehsil/Taluka ....

District...

State...

My full name.. Rank ....

Buckle No...

Name of armed police force..

Name and address of the office of the Commandant...

Age last birthday..............................years.

*I further declare that my wife...age... years, ordinarily resides with me and is a citizen of India.

This cancels any previous statement as to ordinary place of residence made by me.

Date...................199 .   ...(Signature)

*Delete if not applicable.

Commandant's Office   Verified and found correct.

Folio No.............. ..   (Signature) ....

....

Place........................   (Designation).....................

Date............. .. ..   Commandant.

(*For use in the Election Office*)

Statement received on the..............................199 .

Registered in the electoral roll for the..Assembly Constituency (No.............................). Service voters' part, at S.No...........

Date.............................199 .

....

[2][Electoral Registration Officer].]

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 4371, dated the 21st December, 1964.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 3874, dated the 15th December, 1966, for "Chief Electoral Officer".

1[प्ररूप 2क

(नियम 7 देखिए)

राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के ऐसे सदस्य द्वारा, जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है मामूली निवास-स्थान के बारे में कथन

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और नीचे वर्णित सशस्त्र पुलिस बल में यदि मेरी सेवा राज्य के बाहर न होती तो मैं—

गृह सं०..

गली/मोहल्ला..

परिक्षेत्र..

नगर/ग्राम..

डाकघर..

पुलिस थाना..

तहसील/तालुका..

जिला..

राज्य..

में मामूली तौर से निवासी होता ।

मेरा पूरा नाम..

पंक्ति..

बकसुआ सं०..

सशस्त्र पुलिस बल का नाम..

कमांडेंट के कार्यालय का नाम और पता..

पिछले जन्म दिन पर आयु.. वर्ष

*मैं यह अतिरिक्त घोषणा करता हूं कि मेरी पत्नी.......................... जिसकी आयु ... वर्ष है मेरे साथ, मामूली तौर से निवास करती है और वह भारत की नागरिक है ।

मामूली निवास-स्थान के बारे में मैंने जो कोई कथन इससे पूर्व किया है वह एतद्द्वारा रद्द हो जाता है।

तारीख............ 199....   ....

(हस्ताक्षर)

---

*यदि लागू न हो तो काट दीजिए ।

कमांडेंट का कार्यालय

सत्यापित किया और ठीक पाया गया ।

फोलियो सं०

(हस्ताक्षर)

....

स्थान.............. ....

(पदाभिधान).............

तारीख............ ....

कमांडेंट

(निर्वाचन कार्यालय में उपयोग के लिए)

कथन............. 199..... , को प्राप्त हुआ

.................सभा निर्वाचन-क्षेत्र (सं०..........) के लिए निर्वाचक नामावली में सेवा नियोजित मतदाता भाग क्रम सं० ....पर रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

तारीख............. 199....   ....

2[निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर]

---

1. अधिसूचना सं० का०आ० 4371, तारीख 21 दिसम्बर, 1964 द्वारा अन्तःस्थापित ।

2. अधिसूचना सं० का० आ० 3874, तारीख 15 दिसम्बर, 1966 द्वारा "मुख्य निर्वाचन ऑफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

FORM 3

(*See* rule 7)

Statement as to place of Ordinary Residence by a person employed under the Government of India in a post outside India

Full Name ....

[1][Father's/Mother's/Husband's name]..

Age......................years.

Description of post
held outside India ....
....

I hereby declare that I am a citizen of India and that but for my being employed under the Government of India in the above-mentioned post, I would have been ordinarily resident at (full postal address)..
....

I further declare that my wife (name)..
.....................aged............................. ....years, ordinarily resides with me [2][and is a citizen of India].

This cancels any previous statement as to place of ordinary residence made by me.

Place................ Signature ....

Date......................

Verified

Signature..............................

Designation of the
Head of Office.....................
....

Place.....................

Date.....................

(*For use in the Election Office*)

Statement received on the...............199

Registered in the electoral roll for the............. .. ..

.. ..Assembly Constituency (No......................). Service voters' part, at S.No...........

[3][Electoral Registration Officer].

[illegible]............

---

[1] [illegible] by [illegible] No. S.O. [illegible] dated [illegible] May, 1993, for Certain words
[2] Ins. [illegible] No. S.O. 315, dated the 21st September, 1961.
[3] [illegible] No. [illegible] 3076, dated the [illegible] December, 1966, for "Chief Electoral Officer".

प्ररूप 3

(नियम 7 देखिए)

भारत के बाहर पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित व्यक्ति द्वारा मामूली निवास-स्थान के बारे में कथन

पूरा नाम.................................

[1][पिता/माता/पति का नाम].............................

आयु ....वर्ष

भारत के बाहर धृत पद का वर्णन

....

....

....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और यदि मैं ऊपर वर्णित पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित न होता तो मैं (पूरा डाक पता)...................................में मामूली तौर से निवासी होता।

मैं यह अतिरिक्त घोषणा करता हूं कि मेरी पत्नी (नाम.....................जिसकी आयु.............वर्ष है मेरे साथ मामूली तौर से निवास करती है[2][और वह भारत की नागरिक है]।

मामूली निवास-स्थान के बारे में मैंने जो कोई कथन इससे पूर्व किया है वह एतद्द्वारा रद्द हो जाता है।

स्थान ....

हस्ताक्षर...............

तारीख.........................

अग्रेषित

हस्ताक्षर...............

स्थान.......................

कार्यालय के प्रधान का पदाभिधान

....

तारीख.....................

(निर्वाचन कार्यालय में उपयोग के लिए)

कथन.................199..... को प्राप्त हुआ।

......................सभा निर्वाचन-क्षेत्र (सं० ....) के लिए निर्वाचक नामावली में सेवा नियोजित मतदाता भाग क्रम सं० ....पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

....

तारीख..................

[3][निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर]

---

1. अधिसूचना स० का० आ० 303(अ), तारीख 8 मई, 1993 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का०आ० 2315, तारीख 21 सितम्बर, 1961 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. अधिसूचना सं० का० आ० 3874, तारीख, 15 दिसम्बर, 1966 द्वारा "मुख्य निर्वाचन आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

FORM 4
(*See* rule 8)
Letter of request

Place ....
Date ....

To

The occupant of ....

Sir/Madam,

The preparation of the electoral roll for the Assembly Constituency in which you are residing has been taken in hand. It will greatly facilitate my work if you will kindly complete the statement below after reading the attached instructions and hand it over to my assistant who will call for it.

Electoral Registration Officer of the....
....
Assembly Constituency.

STATEMENT

Names and particulars of adult citizens ordinarily residing in the above premises

Name of citizen	Particulars as to [1][Father or Mother or Husband]	[2][Age on 1st January/April 19...]
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
etc.		

Signature ....
Date ....

INSTRUCTIONS

1. Enter the names of all persons who have completed [1][18 years of age on or before the 1st of January/April] of this year and who are ordinarily residing in the premises.

2. Only the names of those who are citizens of India should be entered.

3. Enter against Serial No. 1 in the first column, the name of the head or other senior member of the family, provided he or she has the qualifications mentioned in paragraphs 1 and 2 above.

4. "Ordinarily residing" does not mean that the person should be actually in the house when you are filling in the form. The persons who normally live in the house should be included even though they may be *temporarily* absent, *e. g.*, on a journey or on business or in hospital. On the other hand, a guest or visitor, who normally lives elsewhere but happens to be in the house at the time should not be included.

5. All ordinary residents of the house should be included, whether they are members of the family or not. But do not enter the name of any person who is a member of the Armed Forces of India or is employed under the Government of India in a post outside India or the name of such person's wife if she ordinarily resides with him.

6. In the case of every male citizen, enter in the second column the name of his father preceded by the words "son of"

7. In the case of every female citizen, enter in the second column —

(*i*) the name of the husband preceded by the words "wife of", if she be married;
(*ii*) the name of the late husband preceded by the words "widow of", if she be a widow; and
(*iii*) the name of the [1][Father or Mother] preceded by the words "daughter of", if she be unmarried.

8. In the third column, enter the age of the citizen as accurately as possible, giving only the number of complete years and ignoring the months.

[2][Note: For preparation/revision of rolls in 1989, omit "January" and retain "April". For preparation/revision of rolls in any other year, omit "April" and retain "January"].

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 303(E), dated 8th May, 1993, for certain words.
2. Subs. & Ins. by S.O. 409(E), dt. 6.6.1989.

प्ररूप 4

(नियम 8 देखिए)

प्रार्थना पत्र

स्थान ....

सेवा में तारीख ....

....

....

.......................का अधिभोगी।

महोदय/महोदया,

विधान सभा के जिस निर्वाचन-क्षेत्र में आप निवास कर रहे/रही हैं, उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार की जा रही है। यदि आप संलग्न अनुदेशों को पढ़ने के पश्चात् कृपया निम्न विवरण को पूरा कर दें और मेरा जो सहायक उसे लेने के लिए आपके पास आएगा उसको इसे दे दें उससे मेरे काम में बहुत सुविधा होगी।

....

सभा निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

विवरण

उन वयस्क नागरिकों के नाम और विशिष्टियां जो ऊपर वर्णित परिसर में मामूली तौर से निवासी हैं

नागरिक का नाम	[1][पिता या माता या पति संबंधी विशिष्टियां]	[2][जनवरी/अप्रैल, 19.............को आयु]
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
आदि		

हस्ताक्षर ....

तारीख ....

अनुदेश

1. उन सब व्यक्तियों के नाम प्रविष्ट कीजिए जो इस वर्ष की [2][1 जनवरी अप्रैल को या उससे पूर्व 18 वर्ष की आयु] पूरी कर चुके हैं और उस परिसर में मामूली तौर से निवासी हैं।

2. केवल उन्हीं के नाम प्रविष्ट किए जाने चाहिएं जो भारत के नागरिक हैं।

3. पहले स्तम्भ में क्रम संख्यांक 1 के आगे कुटुम्ब के मुख्य अथवा अन्य ज्येष्ठ सदस्य का नाम प्रविष्ट कीजिए परन्तु यह तब जब कि उसमें ऐसी अर्हताएं हों जो ऊपर के पैरा 1 और 2 में वर्णित हैं।

4. "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति उस समय, जब आप प्ररूप भर रहे हों, वस्तुतः उस गृह में ही है। उसके अंतर्गत वे व्यक्ति भी लिए जाने चाहिएं जो उस गृह में प्रसामान्यतः रहते हैं भले ही वे वहां से अस्थायी रूप से अनुपस्थित हों, उदाहरणार्थ यात्रा या कारबार के लिए गए हों या अस्पताल में हों। इसके विपरीत वह अतिथि या आगन्तुक जो प्रसामान्यतः अन्यत्र रहता है किन्तु संयोगवश इस समय उस गृह में है, उसके अंतर्गत नहीं लिया जाना चाहिए।

5. मामूली तौर से गृह के सब निवासी इसके अंतर्गत किए जाने चाहिए भले ही वे कुटुम्ब के सदस्य हों या न हों। किन्तु किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जो भारत के सशस्त्र बलों का सदस्य है या जो भारत से बाहर किसी पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित है या ऐसे व्यक्ति की पत्नी का नाम, यदि वह उसके साथ मामूली तौर से निवासी है, प्रविष्ट न कीजिए।

6. हर पुरुष नागरिक की दशा में दूसरे स्तम्भ में उसके पिता का नाम और उसके पश्चात् "का पुत्र" शब्द प्रविष्ट कीजिए।

7. हर नागरिक के संबंध में दूसरे स्तम्भ में :—

(i) उस दशा में जिसमें कि वह विवाहित है, उसके पति का नाम और उसके पश्चात् "की पत्नी" शब्द,

(ii) उस दशा में, जिसमें कि वह विधवा है, उसके मृत पति का नाम और उसके पश्चात् "की विधवा" शब्द, और

(iii) उस दशा में, जिसमें कि वह अविवाहिता है, उसके [1][पिता या माता] का नाम और उसके पश्चात् "की पुत्री" शब्द प्रविष्ट कीजिए।

8. तीसरे स्तम्भ में नागरिक की यथासंभव ठीक-ठीक आयु प्रविष्ट कीजिए, पूरे वर्षों की संख्या ही दीजिए और मास छोड़ दीजिए

[2][टिप्पण- 1989 में नामावलियों को तैयार करने / पुनरीक्षण के लिए "जनवरी" का लोप करें और "अप्रैल" को प्रतिधारित करें। किसी अन्य वर्ष में नामावलियों को तैयार करने / पुनरीक्षण के लिए, "अप्रैल" का लोप करें और "जनवरी" को प्रतिधारित करें]।

---

1. अधिसूचना सं- का० आ० 303(अ), तारीख 8 मई, 1993 से कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का०आ० 409(अ), तारीख 6-6-1989 द्वारा प्रतिस्थापित और अन्तःस्थापित।

[1]FORM 5

(*See* rule 10)

Notice of publication of electoral roll in draft

To

The Electors of the ....constituency.

Notice is hereby given that the electoral roll has been prepared in accordance with the Registration of Electors Rules, 1960, and a copy thereof is available for inspection at my office, and at ....during office hours.

The qualifying date for the preparation of the electoral roll is ....

If, with reference to the abovesaid qualifying date, there be any claim for the inclusion of a name in the roll or any objection to the inclusion of name or any objection to particulars in any entry, it should be lodged on or before the .... 19 ... ., in Form 6, 7 or 8 as may be appropriate.

Every such claim or objection should either be presented in my office or to .... or sent by post to the address given below so as to reach me not later than the aforesaid date.

....
Electoral Registration Officer,
(Address) ....]

Date........................

1. Subs. by Notifn No. S.O. 814 (E), dated the 3rd September, 1987, for Form No. 5.

[1]प्ररूप 5

(नियम 10 देखिए)

निर्वाचन नामावली के प्ररूप के प्रकाशन की सूचना

सेवा में,

.................................निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचकगण।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अनुसार तैयार हो गई है और उसकी एक प्रति कार्यालय के समय के दौरान मेरे कार्यालय में और..........................में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

निर्वाचक नामावली के तैयार किए जाने की अर्हक तारीख..................है।

यदि पूर्वोक्त अर्हक तारीख के संदर्भ में, नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा या किसी नाम के सम्मिलित किए जाने के लिए कोई आक्षेप किया जाता है या किसी प्रविष्टि की विशिष्टियों की बाबत कोई आक्षेप हो तो वह ....19.....को या उससे पूर्व प्ररूप 6, 7 या 8 में से जो समुचित हो, उस प्ररूप में दाखिल किया जाए।

हर ऐसा दावा या आक्षेप या तो मेरे कार्यालय में या..................के समक्ष पेश किया जाए या नीचे दिए गए पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाए कि वह मुझे उपरोक्त तारीख के पश्चात् मिल जाए।

....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

तारीख.....................

पता ....

1. अधिसूचना सं० का० आ० 814(अ), तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा प्ररूप 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][FORM 6

[*See* rules 13(1) and 26]

Claim application for inclusion of name

To

The Electoral Registration Officer,

..........................Constituency.

Sir,

I request that my name be included in the electoral roll for the above constituency in Part No .... relating to ....

My name (in full)..Sex..................

My father's /Mother's/Husband's name..

Particulars of my place of residence are. —

House No. ....

Street/Mohalla ....

Town /Village...

Post Office ....

Police Station/Tehsil/Taluka/Mouza ....

District ....

I hereby declare that to the best of my knowledge and belief:—

(i) I am a citizen of India;

(ii) my age on the [2][first day of January / April] last was .... years and .... months;

(iii) I am ordinarily resident at the address given above;

(iv) I have not applied for the inclusion of my name in the electoral roll for any other constituency;

(v) my name has not been included in the electoral roll for this or any other assembly constituency;

or

my name may have been included in the electoral roll in ....State in which I was ordinarily resident earlier at the address mentioned below and, if so, I request that the same may be excluded from that electoral roll:—

....

....

Place........................ ....

Date........................ ....

Signature or thumb impression of claimant

NOTE.—Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 31 of the Representation of the People Act, 1950.

[4][For preparation/revision of rolls in 1989, omit "January" and retain "April". For preparation/revision of rolls in any other year, omit "April" and retain "January"]

1. Subs. by Notfn. No. S.O. 814(E), dated ... September 198... for Form 6.

2. Subs. by S.O. 409(E), dt. 6.6.1989

3. Certain words omitted by Notfn. No S.O. ...(E), dated 25th October, 1993.

4. Ins. by S.O. 409(E) dated 6.6.1989

[1]**[प्ररूप 6**

[नियम 13(1) और 26 देखिए]

नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावा-आवेदन

सेवा में,

....

निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूं कि उपरोक्त निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में०———— से संबंधित भाग सं०———— में मेरा नाम सम्मिलित कर दिया जाए।

मेरा नाम (पूरा)————————पुरुष/स्त्री————————

मेरे पिता/माता/पति का नाम ————————

गृह संख्या ————————

गली/मोहल्ला ————————

नगर/ग्राम ————————

डाकघर ————————

पुलिस थाना/तहसील/ताल्लुका/मौजा ———————— जिला ————————

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार,—

(i) मैं भारत का नागरिक हूं;

(ii) गत [2][1 जनवरी / अप्रैल] को मेरी आयु ———— वर्ष और ———— मास थी;

(iii) मैं ऊपर दिए गए पते वाले स्थान में मामूली तौर से निवासी हूं।

(iv) मैंने किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है;

(v) इस या किसी अन्य सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है;

या

मेरा नाम ———————— राज्य के, जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर लिया गया है और यदि ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि उसे निर्वाचक नामावली से अपवर्जित कर दिया जाए:—

————————

————————

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

स्थान ————————

तारीख ————————

[3][* * * *]

टिप्पण—जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दण्डनीय है।

[4][''जनवरी'' का लोप करें और ''अप्रैल'' को प्रतिधारित करें। किसी अन्य वर्ष में नामावलियों को तैयार करने / पुनरीक्षण के लिए, ''अप्रैल'' का लोप करें और ''जनवरी'' को प्रतिधारित करें]।

---

1. अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ०), दिनांक 3 सितम्बर, 1987 द्वारा प्ररूप 6 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का०आ० 409(अ), तारीख 6.6.1989 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं० का०आ० 813(अ), तारीख 25-10-1993 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।
4. अधिसूचना सं० का०आ० 409(अ), तारीख 6-6-1989 द्वारा अंतःस्थापित।

....(Perforation)..

Intimation of action taken

The application in Form 6 of Shri/Shrimati/Kumari ....address............
................................has been,—

(a) accepted and his/her name has been included in the electoral roll vide Serial No ....in Part No........

(b) rejected for the reason...
....

Date....................

Electoral Registration Officer
(Address) ....
....

....(Perforation) ....

Receipt for application

Received the application in Form 6 from Shri/Shrimati/Kumari*..
....address* ....
....

Date......................

Electoral Registration Officer
(Address)....................
....

*To be filled in by the applicant.

की गई कार्रवाई की सूचना

श्री/श्रीमती/कुमारी——————————————जो——————————————का/की निवासी है, के प्ररूप 6 में आवेदन को,—

(क) स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर लिया गया है,
देखिए क्रम सं० ——————————
भाग सं०——————————

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है:—
——————————
——————————:-

तारीख——————————

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर
पता ——————————

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी*——————————————जो——————————————का/की निवासी है, से प्ररूप 6 में आवेदन प्राप्त हुआ।

तारीख——————————

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर
पता——————————]

---

*आवेदक द्वारा भरा जाए ।

[1][FORM 7
[*See* rule 13(2)]
Objection to inclusion of name

To

The Electoral Registration Officer,

......................Constituency.

Sir,

I object to the inclusion of the name of .... at Serial No. ....in Part No. .... of the electoral roll for the following reason(s):—

....
....
....

I hereby declare that the facts mentioned above are true to the best of my knowledge and belief.

My name has been included in the electoral roll for this constituency as follows.—

Name in full...Sex ....
Father's/Husband's/Mother's name ....
Serial No ....
Part No...................................

....
Signature/thumb impression of objector
(Full postal address).....................

Date......................

[2] * * * * *

NOTE.—Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true is punishable under section 31 of the Representation of the People Act, 1950.

....(Perforation) ....

Intimation of action taken

The objection in Form 7 lodged by Shri/Shrimati/Kumari...
Address...
has been,—

(a) accepted and the name of Shri/Shrimati/Kumari..
...............................as appearing at Serial No. ....
in Part No.................................has been deleted.

(b) rejected for the reason ....

Electoral Registration Officer

Date......................

(Address) ....
....

....(Perforation)..

Receipt for Application

Received the application in Form 7 from Shri/Shrimati/Kumari*...
Address* ....

Electoral Registration Officer
(Address) ....

Date..... ....]

*To be filled in by the applicant.

1. Subs. by Notifn. No.S.O. 814(E), dated the 3rd September, 1987, for Form 7.
2. Certan words omitted by Notifn. No. 817 (E), dated 25th October, 1993.

[1][प्ररूप 7

[नियम 13(2) देखिए]

नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप

सेवा में

....

निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर।

महोदय,

मैं निर्वाचक नामावली के भाग सं० .... में क्रम संख्यांक ....का नाम सम्मिलित किए जाने पर निम्नलिखित कारण/(णों) से आक्षेप करता हूं।

————————

————————

————————

मैं घोषणा करता हूं कि परिवर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। इस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम निम्नलिखित रूप में सम्मिलित हुआ है—

पूरा नाम........ ....पुरुष/स्त्री......................पिता/पति/माता का नाम ....

क्रम संख्यांक ....

भाग सं०.................

आक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(पूरा डाक पता) ....
....

तारीख ....:

2 * * * * *

टिप्पणी—जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दण्डनीय है।

की गई कार्यवाही की सूचना

श्री/श्रीमती/कुमारी........................, जो ....का/की निवासी है, द्वारा प्ररूप 7 में किए गए आक्षेप को,—

(क) स्वीकार कर लिया गया है और भाग सं०.........................क्रम सं०........पर उल्लिखित श्री/श्रीमती/कुमारी .... के नाम को निकाल दिया गया है।

(ख) निम्नलिखित कारणों से नामंजूर कर दिया गया है।

————————

————————

तारीख————

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर
पता ————————

आक्षेप की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी—————— जो —————————— का/की निवासी है, से प्ररूप 7 में आक्षेप प्राप्त हुआ है।

तारीख ....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर
पता.........................।

आक्षेपक द्वारा भरा जाए

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० [illegible] (अ), तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा प्ररूप 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० 817(अ), [illegible] 1993 [illegible] कुछ शब्द [illegible]

[1][FORM 8

[*See* rules 13(3) and 26]

Objections to particulars in an entry

To

The Electoral Registration Officer.
..................Constituency.

Sir,

I submit that the entry relating to myself which appears at Serial No....................in Part No.......... ....of the electoral roll as "..............................." is not correct. It should be corrected to read as follows:—

"..."

Place....................

Date....................

....
Signature or thumb impression of the elector

NOTE : Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true is punishable under section 31 of the Representation of the People Act, 1950.

.... (Perforation)...

Intimation of action taken

The objection in Form 8 lodged by Shri/Shrimati/Kumari.............................. .... address ....has been—

(a) accepted and the relevant entry has been corrected to read as follows:—
"...
....

(b) rejected for the reason ....

Date....................

Electoral Registration Officer
(Address) ....
....

....(Perforation)...

Receipt for application

Received the application in Form 8 from Shri/Shrimati/Kumari*... address* ....

Date....................

Electoral Registration Officer

(Address) ....
..................................]

*To be filled in by the applicant.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 814(E), dated the 3rd September, 1987, for Form 8.

[1][प्ररूप 8

[नियम 13(3) और 26 देखिए]

किसी प्रविष्टि में की विशिष्टियों पर आक्षेप

सेवा में

....

निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

महोदय,

मैं निवेदन करता हूं कि मुझसे सम्बद्ध प्रविष्टि जो निर्वाचक नामावली के भाग सं०.......... में क्रम संख्यांक .... पर "————————" के रूप में दी हुई है, शुद्ध नहीं है। उसे शुद्ध कर दिया जाए जिससे वह निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाए—

"..

...."

स्थान ....

तारीख ....

....

निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

टिप्पण:—जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दण्डनीय है।

की गई कार्रवाई की सूचना

श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो .... का/की निवासी है, के प्ररूप 8 में आवेदन को,—

(क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है जिसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए;

....

....

(ख) निम्नलिखित कारणों से नामंजूर कर दिया गया है:—

तारीख ....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

पता ....

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी* .... जो .... *का/की निवासी है, से प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त हुआ।

तारीख ....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

पता ....]

* आवेदक द्वारा भरा जाए।

---

1 अधिसूचना सं० का० आ० 814(अ), तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा प्ररूप 8 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][FORM 8A

(*See* rule 26)

Application for transposition of entry in electoral roll

To

The Electoral Registration Officer,
......................Constituency.

Sir,

I submit that the entry at Serial No..................................in Part No. ....
of the electoral roll for the above-mentioned constituency relating to (*myself, namely)..................................
son/wife/daughter of ....should be transposed to Part No...........................
of this roll, because *I have/the said elector has changed *my/his/her place of ordinary residence to ....
which is within the same constituency.

I declare that I am an elector of this constituency being enrolled at Serial No.................in Part No..........
of the roll.

....
Signature/Thumb impression of applicant
(Full Postal Address) ....

Date......................
Place....................

NOTE : Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true is punishable under section 31 of the Representation of the People Act, 1950.

*Strike out the in appropriate words.

....(Perforation)...

Intimation of action taken

The application in Form 8A of Shri/Shrimati/Kumari...
address ....
has been—

(a) accepted and the name of Shri/Shrimati/Kumari ....
has been transposed to Part No........................

(b) rejected for the reason ....
....

Date....................

Electoral Registration Officer
(Address) ....
....

....(Perforation)..

Receipt for application

Received the application in Form 8A from Shri/Shrimati/Kumari*..
Address*...

Electoral Registration Officer
(Address) ....
Date.................. ....]

*To be filled in by the applicant.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 814(E), dated the 3rd September, 1987, for Form 8A.

प्ररूप 8क

(नियम 26 देखिए)

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि का अन्यत्र रखने के लिए आवेदन

सेवा में

....

निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर ।

महोदय,

मेरा निवेदन है कि (मुझसे अर्थात्) .... के/की *पुत्र/पत्नी/पुत्री .... से सम्बद्ध ऊपर वर्णित निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक .... में क्रम संख्यांक .... पर की प्रविष्टि अन्यत्र इस नामावली के भाग संख्यांक .... में रख दी जानी चाहिए, क्योंकि *मैंने/उक्त निर्वाचक ने अपना मामूली निवास स्थान .... पर परिवर्तित कर लिया है, जो उसी निर्वाचन-क्षेत्र में है।

मैं घोषणा करता हूं कि उस नामावली के भाग सं० .... में क्रम सं० .... पर नामांकित होने से मैं इस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक हूं।

....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(डाक का पूरा पता)

....

....

....

तारीख ....

स्थान ....

टिप्पणी: जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके होने का उसे विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दण्डनीय है।

*जो शब्द समुचित नहीं उन्हें काट दीजिए ।

की गई कार्रवाई की सूचना

श्री/श्रीमती/कुमारी* ...., जो .... का/की निवासी है, के प्ररूप 8क में आवेदन को,—

(क) स्वीकार कर लिया गया है और
श्री/श्रीमती/कुमारी .... के नाम को भाग सं० .... में अन्यत्र रख दिया गया है

(ख) निम्नलिखित कारणों से नामंजूर कर दिया गया है:—

....

....

तारीख ....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर

(पता) ....

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी* .... जो .... *का/की निवासी है, से प्ररूप 8क में आवेदन प्राप्त हुआ।

तारीख ....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर

(पता) ....]

*आवेदक द्वारा भरा जाए।

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 814(ब) तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा प्ररूप 8क के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][FORM 8B
(*See* rule 26)

Application for deletion of entry in electoral roll

To
The Electoral Registration Officer,
........................Constituency.

Sir,
submit that the entry at Serial No............................In Part No. ....of the electoral roll for the above-mentioned constituency related to *Shri/Shrimati/Kumari ....
son/wife/daughter of ....requires to be deleted as the said person is dead/is no longer ordinarily resident in this locality*/is not entitled to be registered in the electoral roll for the following reasons:—
....
....
....
....

I hereby declare that the facts mentioned above are true to the best of my knowledge and belief.

I declare that I am an elector of this constituency, being enrolled at Serial No ....in Part No. .... of the roll.

....
Signature/Thumb impression of objector

Date....................
Place....................

(Full Postal Address)...................
....

NOTE : Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true is punishable under section 31 of the Representation of the People Act, 1950.
*Strike out the inappropriate words.

....(Perforation)..

Intimation of action taken

The application in Form 8B lodged by Shri/Shrimati/Kumari..
Address ....
has been—
(a) accepted and the name of Shri/Shrimati/Kumari ....as appearing at Serial No. ...... in Part No. ....has been deleted.
(b) rejected for the reason ....
....

Electoral Registration Officer

Date....................

(Address) ....
....

....(Perforation) ....

Receipt for application

Received the application in Form 8B from Shri/Shrimati/Kumari*...
Address* ....

Electoral Registration Officer

Date....................

(Address) ....
....

*To be filled in by the applicant.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 814(E), dated the 3rd September, 1987, for Form 8B.

[1][प्ररूप 8ख

(नियम 26 देखिए)

निर्वाचक नामावली में की प्रविष्टि को निकालने के लिए आवेदन

सेवा में

____

निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर।

महोदय,

मेरा निवेदन है कि__________के *पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री/श्रीमती/कुमारी __________से सम्बद्ध ऊपर वर्णित निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली के भाग सं०__________में क्रम सं० __________पर की प्रविष्टि निकाल दी जाने के लिए अपेक्षित है क्योंकि उक्त व्यक्ति मर गया है/इस परिक्षेत्र में मामूली तौर से अब निवासी नहीं है/निम्नलिखित कारणों से निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार नहीं है—

____

____

____

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

मैं घोषणा करता हूं कि उस नामावली के भाग सं०__________में क्रम सं०__________पर नामांकित होने से मैं इस निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक हूं।

____

आक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान
(डाक का पूरा पता) ....
....

तारीख....................
स्थान....................

टिप्पण—जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दण्डनीय है।

*जो शब्द समुचित नहीं उन्हें काट दीजिए।

की गई कार्रवाई की सूचना

श्री/श्रीमती/कुमारी*__________,जो__________का/की निवासी है, द्वारा प्ररूप 8ख में दिए गए आवेदन को,—

(क) स्वीकार कर लिया गया है और भाग सं०__________में क्रम सं०__________पर उल्लिखित श्री/श्रीमती/कुमारी.......के नाम को निकाल दिया गया है।

(ख) निम्नलिखित कारणों से नामंजूर कर दिया गया :—

____

____

तारीख....................

....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर
(पता)....................

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी*.............................जो.....................*का/की निवासी है, से प्ररूप 8ख में आवेदन प्राप्त हुआ।

तारीख....................

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर
पता ....]

*आवेदक द्वारा भरा जाए।

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 8:4(अ), तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा प्ररूप 8ख के स्थान पर प्रतिस्थापित।

FORM 9

(*See* rules 15 and 16)

List of claims

Date of receipt	Serial Number	Name of claimant	Name of father/ husband/mother	Place of residence	Date, time and Place of hearing
1	2	3	4	5	6*

FORM 10

(*See* rule 15)

List of objections to inclusion of names

Date of receipt	Serial Number	Full name of objector	Particulars of name objected to			Reasons in brief for objection	Date, time and place of hearing
			Part No.	Serial No.	Name in full		
1	2	3	4	5	6	7	8*

FORM 11

(*See* rule 15)

List of objections to particulars in entries

Date of receipt	Serial Number	Name in full of elector objecting	Part No. and Serial No. of entry	Nature of objection	Date, time and place of hearing
1	2	3	4	5	6*

*To be filled *only* by the registration officer and *not* by an officer designated under rule 14.

प्ररूप 9

(नियम 15 और 16 देखिए)

दावों की सूची

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्यांक	दावेदार का नाम	पिता/पति/माता का नाम	निवास स्थान	सुनवाई की तारीख, समय और स्थान
1	2	3	4	5	6*

प्ररूप 10

(नियम 15 देखिए)

नामों के सम्मिलित किए जाने की बाबत आक्षेपों की सूची

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्यांक	आक्षेपकर्ता का पूरा नाम
1	2	3

जिस नाम की बाबत आक्षेप किया गया है उसकी विशिष्टियां			संक्षेप में आक्षेप के कारण	सुनवाई की तारीख, समय और स्थान
भाग सं०	क्रम सं०	पूरा नाम		
4	5	6	7	8*

प्ररूप 11

(नियम 15 देखिए)

प्रविष्टियों में की विशिष्टियों की बाबत आक्षेपों की सूची

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्यांक	आक्षेपकर्ता निर्वाचक का पूरा नाम	प्रविष्टि का भाग संख्यांक और क्रम संख्यांक	आक्षेप की प्रकृति	सुनवाई की तारीख, समय और स्थान
1	2	3	4	5	6*

* [illegible] रजिस्ट्रीकरण [illegible] द्वारा भरा जाएगा न कि नियम 14 के अधीन अभिहित [illegible] द्वारा।

FORM 12

[*See* rule 19(1)(*b*)(*i*)]

Notice of hearing of a claim

Duplicate

(Office Copy)

To

(Full name
and address
of claimant) ....
....
....

Reference:—Claim No. ....

Take notice that your claim for the inclusion of your name in the electoral roll will be heard at ....(place) at ....O'clock on the ....day of ....19 . You are directed to be present at the hearing with such evidence as you/may like to adduce;

Place..................

Date..................

....

Electoral Registration Officer.

FORM 12

[*See* rule 19(*1*)(*b*)(*i*)]

Notice of hearing of a claim

Original

(To be served on the claimant)

To

(Full name
and address
of claimant) ....
....
....

Reference:—Claim No..

Take notice that your claim for the inclusion of your name in the eletoral roll will be heard at ....(place) at ....O'clock on the ....day of ....19 . You are directed to be present at the hearing with such evidence as you may like to adduce.

Place..................

Date..................

....

Electoral Registration Officer.

CERTIFICATE OF SERVICE OF NOTICE

Received notice of the date of hearing

Date..................

....

Claimant

Certified that the notice on the claimant has been duly served by me this ....day of ....on (name) ....personally/by affixation on residence.

Place......... ....

Date..................

....

Serving Officer.

N.B.—If this notice is served by post, attach the receipt here.

प्ररूप 12

[नियम 19(1)(ख)(i) देखिए]

दावे की सुनवाई की सूचना

दूसरी प्रति

(कार्यालय की प्रति)

सेवा में

(दावेदार का पूरा नाम और पता) ....

प्रसंग——————————————दावा संख्यांक ....

यह सूचना दी जाती है कि निर्वाचक नामावली में आपका नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आपके दावे की सुनवाई 19........ के/की .... के .... दिन .... बजे .... (स्थान) में होगी। आपको निदेश दिया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के सहित, जिसे आप देना चाहें, उस सुनवाई के समय उपस्थित हों।

स्थान ....

तारीख ....   निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

प्ररूप 12

[नियम 19(1)(ख)(i) देखिए]

दावे की सुनवाई की सूचना

मूल

....

(दावेदार पर तामील किए जाने के लिए)

सेवा में

(दावेदार का पूरा नाम और पता) ....

प्रसंग ....दावा संख्यांक ....

यह सूचना दी जाती है कि निर्वाचक नामावली में आपका नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आपके दावे की सुनवाई 19......... के/की .... के .... दिन .... बजे .... (स्थान) में होगी। आपको निदेश दिया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के सहित, जिसे आप देना चाहें, उस सुनवाई के समय उपस्थित हों।

स्थान ....

तारीख ....   निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

सूचना की तामील का प्रमाणपत्र

सुनवाई की तारीख की सूचना प्राप्त हुई

तारीख ....

....

दावेदार

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सूचना की तामील दावेदार (नाम) .... पर वैयक्तिक रूप से या उसके निवास-स्थान पर लगाकर आज .... दिन सम्यक् रूप से कर दी है।

स्थान ....

तारीख ....   तामील करने वाला आफिसर

ध्यान दीजिए:—यदि इस सूचना की तामील डाक द्वारा की जाए तो रसीद उसके साथ संलग्न कर दी जाए।

FORM 13

[*See* rule 19(*1*)(*b*)(*ii*)]

Notice to the objector

Duplicate

(Office copy)

To

(Full name and address of objector) ....
....
....

Reference:— Objection No ....

Take notice that your objection to the inclusion of the name of—

....
....
....

will be heard at ....(place) at ....O'clock on the .... day of ....19 You are directed to be present at the hearing with such evidence as you may like to adduce.

Place..................

Date..................

....
Electoral Registration Officer.

FORM 13

[*See* rule 19(*1*)(*b*)(*ii*)]

Notice to the objector

Original

(To be served on the objector)

To

(Full name and address of objector) ....
....
....

Reference:—Objection No ....

Take notice that your objection to the inclusion of the name of—

....
....
....

will be heard at..............(place) at....................................O'clock on the.................... day of ....19 . You are directed to be present at the hearing with such evidence as you may like to adduce.

Place..................

Date..................

....
Electoral Registration Officer.

प्ररूप 13

[नियम 19(1)(ख)(ii) देखिए]

आक्षेपकर्ता की सूचना

दूसरी प्रति

(कार्यालय की प्रति)

सेवा में,

(आक्षेपकर्ता का पूरा नाम और पता) ....

प्रसंग .... दावा संख्यांक ....

यह सूचना दी जाती है कि .... का नाम सम्मिलित किए जाने पर आपके आक्षेप की सुनवाई 19 .... के/की .... के .... दिन .... बजे .... (स्थान) में होगी। आपको निदेश दिया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के सहित, जिसे आप देना चाहें, उस सुनवाई के समय उपस्थित हों।

स्थान ....

तारीख ....

....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

प्ररूप 13

[नियम 19(1)(ख)(ii) देखिए]

आक्षेपकर्ता की सूचना

मूल

(आक्षेपकर्ता पर तामील किए जाने के लिए)

सेवा में

(आक्षेपकर्ता का पूरा नाम और पता) ....

प्रसंग .... दावा संख्यांक ....

यह सूचना दी जाती है कि .... का नाम सम्मिलित किए जाने पर आपके आक्षेप की सुनवाई 19 .... के/की .... के .... दिन .... बजे .... (स्थान) में होगी। आपको निदेश दिया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के सहित, जिसे आप देना चाहें, उस सुनवाई के समय उपस्थित हों।

स्थान ....

तारीख ....

....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

CERTIFICATE OF SERVICE OF NOTICE

Received notice of the date of hearing

Date..................

....
Objector

Certified that the notice on the objector has been duly served by me this ....
....................................day of................. ....on (name) ....
personally/by affixing on residence.

Place..................

Date..................

....
Serving Officer.

N.B.—If this notice is served by post, attach the receipt here.

सूचना की तामील का प्रमाणपत्र

सुनवाई की तारीख की सूचना प्राप्त हुई

तारीख····················

····················
आक्षेपकर्ता

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सूचना की तामील आक्षेपकर्ता (नाम)····························पर वैयक्तिक रूप से या उसके निवास-स्थान पर लगाकर आज····························के····················दिन सम्यक् रूप से कर दी है।

स्थान ··················

तारीख··············

····················
तामील करने वाला व्यक्ति

[ध्यान दीजिए—यदि सूचना की तामील डाक द्वारा की जाए तो रसीद इसके साथ संलग्न कर दी जाए।

FORM 14

[*See* rule 19(*1*)(*b*)(*ii*)]

[1][*Notice to the person in respect of whom objection has been made*]

Duplicate

(Office copy)

To

(Full name
and address of person
objected to) ....

Reference:—Objection No..

Take notice that the objection to the inclusion of your name at Serial No.. in Part..of the electoral roll for .... constituency filed by

(Full name and
address of
objector) ....

will be heard at ....(place) at.......................................O'clock on the ....day of ....19 . You are directed to be present at the hearing with such evidence as you may like to adduce. The grounds of objection (in brief) are:—

(a)
(b)
(c)

Place..................
Date..................

....
Electoral Registration Officer.

FORM 14

[*See* rule 19(*1*) (*b*)(*ii*)]

[1][*Notice to the person in respect of whom objection has been made*]

Original

(To be served
on the person
objected to)

To

(Full name and
address of person
objected to) ....

Reference:—Objection No..

Take notice that the objection to the inclusion of your name at Serial No .... in Part......................................of the electoral roll for... constituency filed by

(Full name and
address of
objector) ....

will be heard at ....(place) at ....O'clock on the ....day of ....19 . You are directed to be present at the hearing with such evidence as you may like to adduce. The grounds of objection (in brief) are:—

(a)
(b)
(c)

Place..................
Date..................

....
Electoral Registration Officer.

---

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 814(E), dated the 3rd September, 1987.

प्ररूप 14

[नियम 19(1)(ख)(ii) देखिए]

[1][ऐसे व्यक्ति को, जिसकी बाबत आक्षेप किया गया है, सूचना]

दूसरी प्रति

(कार्यालय की प्रति)

सेवा में

(जिस व्यक्ति के बारे में आक्षेप किया गया है उसका पूरा नाम और पता)··································
··

प्रसंग··········आक्षेप संख्यांक····················

यह सूचना दी जाती है कि················निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली के भाग··················में क्रम संख्यांक·······························पर उसका नाम सम्मिलित किए जाने पर जो आक्षेप··············(आक्षेपकर्ता का पूरा नाम और पता) ने किया है उसकी सुनवाई 19...........................के/की·············के·····························दिन·························बजे ·····························(स्थान) में होगी। आपको निर्देश दिया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के सहित, जिसे आप देना चाहें, उस सुनवाई के समय उपस्थित हों। आक्षेप के आधार (संक्षेप में) इस प्रकार हैं :—

(क)

(ख)

(ग)

स्थान···············

तारीख················ ···················

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

प्ररूप 14

[नियम 19(1)(ख)(ii) देखिए]

[1][ऐसे व्यक्ति को, जिसकी बाबत आक्षेप किया गया है, सूचना]

मूल

(उस व्यक्ति पर जिसके बारे में आक्षेप किया गया है तामील किए जाने के लिए)

सेवा में

(जिस व्यक्ति के बारे में आक्षेप किया गया है उसका पूरा नाम और पता)'··································
··

प्रसंग·····आक्षेप संख्यांक····················

यह सूचना दी जाती है कि.................निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली के भाग में.················· में क्रम संख्यांक·····························पर आपका नाम सम्मिलित किए जाने पर जो आक्षेप (आक्षेपकर्ता का पूरा नाम और पता) ·······························ने किया है उसकी सुनवाई 19·······················के/की············ ·······················के·························दिन···············बजे····················· (स्थान) में होगी। आपको निर्देश दिया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के सहित, जिसे आप देना चाहें, उस सुनवाई के समय उपस्थित हों। आक्षेप के आधार (संक्षेप में) इस प्रकार है :—

(क)

(ख)

(ग)

स्थान··················

···················

तारीख···················

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 814(अ) तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा अन्तःस्थापित।

CERTIFICATE OF SERVICE OF NOTICE

Received Notice of the date of hearing

Date..................

....
Person objected to

Certified that the notice on the person, the entry relating to whose name has been objected to, has been duly served by me this ....day of ....
................................on (name) ....personally/by affixation on residence.

Place..................
Date.................. ....
Serving Officer.

N.B.—If this notice is served by post, attach the receipt here.

FORM 15

Duplicate [*See* rule 19(*1*) (*b*)(*iii*)]

(Office copy)

Notice of hearing of an objection to particulars in an entry

To
(Full name ....
and address ....
of objector) ....

Reference;—Objection No..

Take notice that your objection to certain particulars in the entry relating to you will be heard at ....
..........................(place) at.........................O'clock on the ....
.....................................day of ....19 . You are directed to be present at the hearing with such evidence as you may like to adduce.

Place..................

Date.................. ....
Electoral Registration Officer.

FORM 15

Original [*See* rule 19(*1*)(*b*)(*iii*)]

(To be served on the objector)

Notice of hearing of an objection to particulars in an entry

To
(Full name ....
and address ....
of objector) ....

Reference:—Objection No..

Take notice that your objection to certain particulars in the entry relating to you will be heard at.................
.......................(place) at ....O'clock on the ....day of ....19 . You are directed to be present at the hearing with such evidence as you may like to adduce.

Place..................

Date..................

....
Electoral Registration Officer.

सूचना की तामील का प्रमाणपत्र

सुनवाई की तारीख की सूचना प्राप्त हुई

तारीख ....

....
वह व्यक्ति जिसके बारे में आक्षेप किया गया है

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सूचना की तामील जिस व्यक्ति के नाम से सम्बद्ध प्रविष्टि पर आक्षेप किया गया है उस व्यक्ति (नाम) .... पर वैयक्तिक रूप से या उसे उसके निवास-स्थान पर लगाकर आज .... के .... दिन सम्यक् रूप से कर दी है।

स्थान ....
तारीख ....

....
तामील करने वाला आफिसर

ध्यान दीजिए—यदि सूचना की तामील डाक द्वारा की जाए तो रसीद इसके साथ संलग्न कर दी जाए।

प्ररूप 15

[नियम 19(1)(ख)(iii) देखिए]

किसी प्रविष्टि में की विशिष्टियों पर आक्षेप की सुनवाई की सूचना

दूसरी प्रति

(कार्यालय की प्रति)

सेवा में

(आक्षेपकर्ता का पूरा नाम और पता) ....

....

प्रसंग—आक्षेप संख्यांक ....

यह सूचना दी जाती है कि आपसे संबद्ध प्रविष्टि में की कुछ विशिष्टियों पर आपके आक्षेप की सुनवाई 19.......... के घंटे .... के .... दिन .... बजे .... (स्थान) में होगी। आपको निदेश दिया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के सहित जिसे आप देना चाहें, उस सुनवाई के समय उपस्थित हों।

स्थान....................
तारीख....................

....
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

प्ररूप 15

[नियम 19(1)(ख)(iii) देखिए]

किसी प्रविष्टि में की विशिष्टियों पर आक्षेप की सुनवाई की सूचना

मूल

(आक्षेपकर्ता पर तामील किए जाने के लिए)

सेवा में

(आक्षेपकर्ता का पूरा नाम और पता) ....

....

प्रसंग—आक्षेप संख्यांक ....

यह सूचना दी जाती है कि आपसे संबद्ध प्रविष्टि में की कुछ विशिष्टियों पर आपके आक्षेप की सुनवाई 19.......... का/की .... के .... दिन .... बजे .... (स्थान) में होगी। आपको निदेश दिया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के सहित, जिसे आप देना चाहें, उस सुनवाई के समय उपस्थित हों।

स्थान ....
तारीख ....

....
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

CERTIFICATE OF SERVICE OF NOTICE

Received notice of the date of hearing

Date.................

....
Objector

Certified that the notice on the objector has been duly served by me this...................................... day of ....on (name) ....personally/by affixation on residence.

Place..................

Date..................

....
Serving Officer.

N.B.—If this notice is served by post, attach the receipt here.

---

[1][FORM 16

[*See* rule 22(*1*)]

Notice of final publication of electoral roll

It is hereby notified for public information that the list of amendments to the draft electoral roll for the .... constituency has been prepared with reference to ....as the qualifying date and in accordance with the Registration of Electors Rules, 1960. A copy of the said roll together with the said list of amendments has been published and will be available for inspection at my office.

....
Electoral Registration Officer

Place..................
Date..................

(Address) ....
....................]

FORM 17

(*See* rule 30)

Application for inclusion of name in the electoral roll for a local authorities' constituency

To

The Electoral Registration Officer,

................................(Local Authorities) Constituency.

Sir,

I am a member of ....which is a constituent local authority exercising jurisdiction within the limits of the ....local authorities' constituency. I am therefore entitled to be registered as an elector in the said constituency, and request that my name be included in the electoral roll thereof.

My address is:

....
....
....
....

Your's faithfully.

---

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 814(E), dated the 3rd September, 1987, for Form 16.

सूचना की तामील का प्रमाणपत्र

सुनवाई की तारीख की सूचना प्राप्त हुई

तारीख ....

....
आक्षेपकर्ता

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सूचना की तामील आक्षेपकर्ता (नाम)......................... पर वैयक्तिक रूप से या उसके निवास स्थान पर लगाकर आज .... के दिन सम्यक् रूप से कर दी है।

....
तामील करने वाला आफिसर

स्थान ....

तारीख ....

ध्यान दीजिए: यदि सूचना की तामील डाक द्वारा दी जाए तो रसीद इसके साथ संलग्न कर दी जाए।

---

[1][प्ररूप 16

[नियम 22(1) देखिए]

निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन की सूचना

जनसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि .... निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली के प्रारूप में किए गए संशोधनों की सूची अर्हक तारीख के रूप में .... के संदर्भ में और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अनुसार तैयार की गई है और उक्त नामावली की एक प्रति संशोधनों की उक्त सूची सहित प्रकाशित कर दी गई है और मेरे कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

....
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

तारीख .... पता ....

स्थान................. ....]

प्ररूप 17

(नियम 30 देखिए)

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन

.... (स्थानीय प्राधिकारी) निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को,

महोदय,

मैं .... का सदस्य हूं जो .... स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र की सीमाओं के अंदर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला संघटक स्थानीय प्राधिकारी है। अतः मैं उक्त निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार हूं और प्रार्थना करता हूं कि उसकी निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए।

मेरा पता इस प्रकार है --

....

....

....
भवदीय,

---

1. अधिसूचना सं० का०आ० 814 (अ०), तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा प्ररूप 16 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1]FORM 18

(*See* rule 31)

CLAIM FOR INCLUSION OF NAME IN THE ELECTORAL ROLL FOR A GRADUATES' CONSTITUENCY

To

The Electoral Registration Officer.

..................(graduate) Constituency.

Sir.

I request that my name be registered in the electoral roll for the....................................(graduate's) Constituency.

The particulars are :—

Name (in full)..Sex ....

Father's/Mother's/Husband's name (in full) ....

Qualification ....

Occupation ....

House address (Place of ordinary residence) ....

House No. ....

Street/Mohalla ....

Town/Village ....

Post Office ....

Police Station/Tehsil/Taluka/Mouza ....

District ....

Age ....

2. *I am a graduate of the ....University having passed the degree/diploma examination in the year.................................

OR

*I am in possession of a diploma/certificate in ....which is a qualification equivalent to that of a graduate of a University in India having passed the examination for the diploma certificate in the year......

3. In support of my claim as being a graduate/in possession of the above diploma/certificate. I submit herewith........

4. **My name has not been included in the electoral role for this or any other graduates' constituency.

OR

**My name has been included in the electoral roll for the ....graduates' constituency under the address given below and I request that it be deleted from that roll:—

....

....

5. I declare that I am a citizen of India and that all the particulars given above are true to the best of my knowledge.

Place..................

Date..................

....

Signature of claimant.

NOTE : Any person who makes a statement or declaration which is false and which the either knows or believes to be false or does not believe to be true is punishable under section 31 of the Representation of the People Act, 1950.

*Strike out the paragraph not applicable.

**Strike off the inappropriate alternative.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 814(E), dated the 3rd September, 1967 for Form 18.

[1][प्ररूप 18

(नियम 31 देखिए)

स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावा

.... (स्नातक) निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को,

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूं कि .... (स्नातक) निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाए विशिष्टियां इस प्रकार हैं :--

नाम (पूरा) .... स्त्री/पुरुष .... पिता/माता/पति का नाम (पूरा) ....

अर्हता ....

उपजीविका ....

घर का पता (सामान्य निवास-स्थान) ....

मकान नं. ....

गली/मोहल्ला ....

नगर/ग्राम ....

डाकघर.. ....

पुलिस स्टेशन/तहसील/तालुका/मौजा ....

आयु ....

2. मैं* .... विश्वविद्यालय का स्नातक हूं और मैंने अपनी डिग्री/डिप्लोमा के लिए सन् 19.......... में परीक्षा उत्तीर्ण की। *मेरे पास ...... में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र है, जो भारत के विश्वविद्यालय के स्नातक की समतुल्य अर्हता और मैंने .... वर्ष में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की।

3. स्नातक होने उपर्युक्त डिप्लोमा/प्रमाणपत्र धारण करने के समर्थन में, मैं इसके साथ .... पेश करता हूं।

4. **इस या किसी अन्य स्नातक क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया हुआ है।

या

**नीचे दिए गए पते पर .... स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित किया हुआ है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि वह उस नामावली से निकाल दिया जाए :——

....

....

....

5. मैं घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और ऊपर दी गई सब विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

स्थान ....

तारीख ....

....

दावेदार के हस्ताक्षर

टिप्पण :—जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दण्डनीय है।

*जो पैरा लागू न हो उसे काट दीजिए।

**जो शब्द समुचित न हों उन्हें काट दीजिए।

1. अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा प्ररूप 18 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

....(Perforation) ....

Intimation of action taken

The application in Form 18 of Shri/Shrimati/Kumari..
address..has been—

(*a*) accepted and the name of Shri/Shrimati/Kumari ....has been registered at Serial No................................in Part No. ....

(*b*) rejected for the reason ....

Date..................

Electoral Registration Officer
(Address) ....
....
....

....(Perforation) ....

Receipt for application

Received the application in Form 18 from Shri/Shrimati/Kumari*...................................address*
....

Date..................

Electoral Registration Officer
(Address) ....
....
....

---

*To be filled in by the applicant.

....

की गई कार्रवाई की सूचना

श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो .... का/की निवासी है, के प्ररूप 18 में आवेदन को,—

(क) स्वीकार कर लिया गया है और श्री/श्रीमती/कुमारी .... के नाम को भाग सं० .... में क्रम सं० ... पर रजिस्टर कर लिया गया है ।

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :

....   निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

....   पता ....

तारीख ....

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो .... *का/की निवासी है, प्ररूप 18 में आवेदन प्राप्त हुआ ।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

तारीख ....   (पता) ....

......................]

---

*आवेदक द्वारा भरा जाए ।

[1][FORM 19

(*See* rule 31)

CLAIM FOR INCLUSION OF NAME IN THE ELECTORAL ROLL FOR A TEACHERS' CONSTITUENCY

To

The Electoral Registration Officer,
......................(Teachers') Constituency.

Sir,

I request that my name be registered in the electoral roll for the ....(teachers') Constituency. The particulars are:—

Name (in full)............................ ....Sex ....
Father's/Mother's/Husband's name (in full) ....
House address (place of ordinary residence):—

House No. ....

Street/Mohalla ....

Town/Village..

Post Office ....

Police Station/Tehsil/Taluka/Mouza ....

District ....

Age ....

2. During the last six years I have been engaged in teaching for a total period of more than three years as follows:—

Name of Educational Institution	From (Date)	To (Date)	Period
1.			
2.			
3.			
4.			

In support of the above I submit herewith..
....
....
....
....

3. *My name has not been included in the electoral roll for this or any other teachers' constituency.

OR

*My name has been included in the electoral roll for the ....teachers' constituency under the address given below and I request that it be deleted from that roll:—

....
....
....
....

4. I declare that I am citizen of India and that all the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Place..................
Date.................

....
(Signature of claimant)

NOTE:—Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true is punishable under section 31 of the Representation of the People Act, 1950.

*Strike out the paragraph not applicable.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 814(E), dated the 3rd September, 1987 for Form 19.

[1][प्ररूप 19

(नियम 31 देखिए)

शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावा

.... (शिक्षक) निर्वाचन-क्षेत्र, के
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को,

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूं कि .... (शिक्षक) निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाए विशिष्टियां इस प्रकार हैं :—

नाम (पूरा) .... स्त्री/पुरुष ....

पिता/माता/पति का नाम (पूरा) ....

घर का पता (सामान्य निवास स्थान) ....
....

मकान नं ....

गली/मोहल्ला ....

नगर/ग्राम ....

डाकघर ....

पुलिस स्टेशन/तहसील/तालुका/मौजा ....

आयु ....

2. पिछले छह वर्षों के दौरान में तीन वर्ष से अधिक की कुल कालावधि के लिए शिक्षा देने में लगा रहा हूं जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

शैक्षिक संस्था का नाम	(इस तारीख) से	(इस तारीख) तक	कालावधि
1.			
2.			
3.			
4.			

उपरोक्त के समर्थन में मैं इसके साथ .... पेश करता हूं।

3. *इस या किसी अन्य शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया हुआ है।

या

*नीचे दिए गए पते पर .... शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित किया हुआ है और मैं प्रार्थना करता हूं कि वह उस नामावली से निकाल दिया जाए :—

....
....
....

4. मैं घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और ऊपर दी गई सब विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम] ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं :—

स्थान ....

तारीख ....

....

(दावेदार के हस्ताक्षर)

टिप्पण—जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दण्डनीय है।

*जो पैरा लागू न हो उसे काट दीजिए।

1. अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितम्बर, 1987 द्वारा प्ररूप 19 के स्थान पर] प्रतिस्थापित।

....(Perforation)..

Intimation of action taken

The application in Form 19 of Shri/Shrimati/Kumari..
address ....has been—

(a) accepted and the name of Shri/Shrimati/Kumari..
has been registered at Serial No..............................in Part No.....................

(b) rejected for the reason ....

Date..................

Electoral Registration Officer
(Address) ....
....

....(Perforation)..

Receipt for application

Received the application in Form 19 from Shri/Shrimati/Kumari* ....
address* ....

Date..................

Electoral Registration Officer
(Address) ....
....
..................]

*To be filled in by the applicant.

छिद्रण ···

की गई कार्रवाई की सूचना

श्री/श्रीमती/कुमारी ······························ जो ······························ का/की निवासी है के प्ररूप 19 में आवेदन को,—

(क) स्वीकार कर लिया गया है और भाग सं० ······························ में क्रम सं० ······························ पर रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।

(ख) निम्नलिखित कारणों से नामंजूर कर दिया गया।

························

························

तारीख ·····················

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

(पता) ·················

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी* ······························ जो ······························ का/की निवासी है, से प्ररूप 19 में आवेदन प्राप्त हुआ।

तारीख ·························

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

(पता) ··············]

---

*आवेदक द्वारा भरा जाए।

THE CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961[1]

PART I

Preliminary

1. Short title and commencement.—(*1*) These rules may be called the Conduct of Elections Rules, 1961.

(*2*) They shall come into force on the 25th day of April, 1961:

Provided that these rules shall not apply to or in relation to any election called but not completed before that date and the Representation of the People (Conduct of Elections and Election Petitions) Rules, 1956, shall continue to apply to or in relation to any such election as if these rules had not been made.

2. Interpretation.—(*1*) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Act" means the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951);

(*b*) "ballot box" includes any box, bag or other receptacle used for the insertion of ballot paper by voters;

[2][(*ba*) "counterfoil" means the counterfoil attached to a ballot paper printed under the provisions of these rules;]

[3][(*bb*) "district election officer", in relation to a constituency in a Union territory, means the returning officer of that constituency;]

(*c*) "election by assembly members" means an election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of a State by the members of the electoral college of a Union territory, or an election to the Legislative Council of a State by the members of the Legislative Assembly of that State:

(*d*) "elector", in relation to an election by assembly members, means any person entitled to vote at that election;

(*e*) "electoral roll", in relation to an election by assembly members, means the list maintained under section 152 by the returning officer for that election;

(*f*) "electoral roll number" of a person means —

(*i*) the serial number of the entry in the electoral roll in respect of that person;

(*ii*) the serial number of the part of the electoral roll in which such entry occurs; and

(*iii*) the name of the constituency to which the electoral roll relates;

[4][(*g*) "Form" means a Form appended to these rules and in respect of any election in a State, includes a translation thereof in any of the languages used for official purposes of the State;

---

1. Published with the Ministry of Law Notifn. No. S.O. 859, dated the 15th April, 1961, *see* Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii), page 419-
2. Ins. by Notifn. No. S.O. 5573, dated the 23rd December, 1971.
3. Ins. by Notifn. No. S.O. 3875, dated the 15th December, 1966.
4. Subs. by Notifn. No. S.O. 3450, dated the 9th November, 1966, for cl (*g*).

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961[1]

भाग 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) ये नियम निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 कहे जा सकेंगे।

(2) ये 1961 की अप्रैल के 25वें दिन को प्रवृत्त होंगे :

परन्तु उस तारीख से पहले समाहूत किए गए किन्तु पूरे न हुए किसी निर्वाचन को या उसके सम्बन्ध में ये नियम लागू न होंगे और ऐसे किसी निर्वाचन को या उसके संबंध में लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन अर्जी) नियम, 1956 निरन्तर ऐसे लागू बने रहेंगे मानो ये नियम बनाए ही नहीं गए थे।

2. निर्वाचन—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) अभिप्रेत है;

(ख) "मतपेटी" के अन्तर्गत कोई पेटी, थैला या अन्य पात्र आता है जो इस प्रयोजन के लिए काम में लाया जाता है कि मतदाता उसमें मतपत्र डाल दें;

[2][(खक) "प्रतिपर्ण" से इन नियमों के उपबन्धों के अधीन मुद्रित मतपत्र के साथ संलग्न प्रतिपर्ण अभिप्रेत है;]

[3][(खख) "जिला निर्वाचन आफिसर" से संघ राज्य क्षेत्र में के निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में उस निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर अभिप्रेत है;]

(ग) "सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन" से राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन या राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा उस राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन अभिप्रेत है;

(घ) "निर्वाचक" से सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन के संबंध में उस निर्वाचन में मत देने के लिए हकदार कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ङ) "निर्वाचक नामावली" से सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन के संबंध में उस निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर द्वारा धारा 152 के अधीन रखी गई सूची अभिप्रेत है;

(च) व्यक्ति का "निर्वाचक नामावली संख्यांक" से—

(i) उस व्यक्ति के बारे में निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि का क्रम संख्यांक;

(ii) निर्वाचक नामावली के उस भाग का क्रम संख्यांक जिसमें ऐसी प्रविष्टि है; तथा

(iii) उस निर्वाचन-क्षेत्र का नाम, जिससे वह निर्वाचक नामावली सम्बद्ध है,

अभिप्रेत है;

[4][(छ) "प्ररूप" से वह प्ररूप अभिप्रेत है जो इन नियमों से संलग्न है और इसके अन्तर्गत किसी राज्य में किसी निर्वाचन के बारे में उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भाषाओं में से किसी में उसका अनुवाद आता है;]

---

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 के साथ प्रकाशित, देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(ii), पृ० 419।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. अधिसूचना सं० का० आ० 3875, तारीख 15 दिसम्बर, 1966 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. अधिसूचना सं० का० आ० 3450, तारीख 9 नवम्बर, 1966 द्वारा खण्ड (छ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][(*gg*) "marked copy of the electoral roll" means the copy of the electoral roll set apart for the purpose of marking the names of electors to whom ballot papers are issued at an election;]

(*h*) "polling station", in relation to an election by assembly members, means the place fixed under section 29 for taking the poll at that election;

(*i*) "presiding officer" includes—

(*i*) any polling officer performing any of the functions of a presiding officer under sub-section (*2*) or sub-section (*3*) of section 26; and

(*ii*) any returning officer while presiding over an election under sub-section (*2*) of section 29;

(*j*) "returning officer" includes any assistant returning officer performing any function he is authorised to perform under sub-section (*2*) of section 22;

(*k*) "section" means a section of the Act.

(*2*) For the purposes of the Act or these rules, a person who is unable to write his name shall, unless otherwise expressly provided in these rules, be deemed to have signed an instrument or other paper if—

(*a*) he has placed a mark on such instrument or other paper in the presence of the returning officer or the presiding officer or such other officer as may be specified in this behalf by the Election Commission, and

(*b*) such officer on being satisfied as to his identity has attested the mark as being the mark of that person.

(*3*) Any requirement under these rules that a notification, order, declaration, notice or list issued or made by any authority shall be published in the Official Gazette shall, unless otherwise expressly provided in these rules, be construed as a requirement that it shall be published in the Gazette of India if it relates to an election to, or membership of, either House of Parliament or an electoral college, and in the Official Gazette of the State, if it relates to an election to or membership of, the House or either House of the State Legislature.

(*4*) The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply for the interpretation of these rules as it applies for the interpretation of an Act of Parliament.

PART II

General provisions

3. Public notice of intended election.—The public notice of an intended election referred to in section 31 shall be in Form 1 and shall, subject to any directions of the Election Commission, be published in such manner as the returning officer thinks fit.

4. Nomination paper.—Every nomination paper presented under sub-section (*1*) of section 33 shall be completed in such one of the Forms 2A to 2E as may be appropriate:

Provided that a failure to complete or defect in completing, the declaration as to symbols in a nomination paper in Form 2A or Form 2B shall not be deemed to be a defect of a substantial character within the meaning of sub-section (*4*) of section 36.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 5573, dated the 23rd December, 1971.

[1][(छछ) "निर्वाचन नामावली की चिह्नित प्रति" से निर्वाचन नामावली की वह प्रति अभिप्रेत है, जो उन निर्वाचकों जिन्हें, किसी निर्वाचन में मतपत्र दिए जाते हैं, नामों को चिह्नित करने के प्रयोजन के लिए अलग रखी जाती है;]

(ज) "मतदान केन्द्र" से सभा सदस्य द्वारा निर्वाचन के संबंध में उस निर्वाचन में मतदान के लिए धारा 29 के अधीन नियत स्थान अभिप्रेत है;

(झ) "पीठासीन आफिसर" के अन्तर्गत आता है—

(i) धारा 26 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन पीठासीन आफिसर के कृत्यों में से किसी का पालन करने वाला कोई मतदान आफिसर; तथा

(ii) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचन में पीठासीन कोई रिटर्निंग आफिसर;

(ञ) "रिटर्निंग आफिसर" के अन्तर्गत ऐसे किसी कृत्य का पालन करने वाला कोई सहायक रिटर्निंग आफिसर आता है जिसका पालन करने के लिए वह धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत है;

(ट) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) जो व्यक्ति अपना नाम लिखने में असमर्थ है यदि—

(क) वह लिखत या अन्य कागज पर अपना चिह्न रिटर्निंग आफिसर की या पीठासीन आफिसर की या ऐसे अन्य आफिसर की, जिसे निर्वाचन आयोग इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उपस्थिति में कर देता है; तथा

(ख) ऐसा आफिसर उस व्यक्ति की अनन्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर उस चिह्न को उस व्यक्ति के चिह्न के रूप में अनुप्रमाणित कर देता है,

तो उस व्यक्ति की बाबत, जब तक कि इन नियमों में *अन्यथा अभिव्यक्त* रूप से उपबन्धित न हो, अधिनियम या इन नियमों के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने ऐसी लिखत या अन्य कागज को हस्ताक्षरित कर दिया है।

(3) जब तक कि इन नियमों में अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित न हो, इन नियमों के अधीन की ऐसी किसी अपेक्षा का कि किसी प्राधिकारी द्वारा निकाली गई या किए गए या की गई या दी गई या बनाई गई कोई अधिसूचना, आदेश, घोषणा, सूचना या सूची शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी या किया जाएगा अर्थ यह लगाया जाएगा कि यदि वह संसद् के दोनों सदनों में से किसी सदन या निर्वाचकगण के लिए निर्वाचन या सदस्यता से सम्बद्ध है तो वह भारत के राजपत्र में और यदि वह राज्य विधान-मण्डल के सदन या दोनों सदनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचन या सदस्यता से सम्बद्ध है तो वह राज्य के शासकीय राजपत्र में ऐसी अधिसूचना, ऐसे आदेश, ऐसी घोषणा, सूचना या सूची के प्रकाशित किए जाने के लिए अपेक्षा है।

(4) साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इन नियमों के निर्वाचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जैसे वह संसद् के अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू है।

भाग 2

साधारण उपबन्ध

3. ***आशयित निर्वाचन की लोक सूचना***—आशयित निर्वाचन की लोक सूचना जो धारा 31 में विर्दिष्ट है प्ररूप 1 में होगी और निर्वाचन आयोग के किन्हीं निदेशों के अध्यधीन रहते हुए ऐसी रीति में प्रकाशित की जाएगी जैसी रिटर्निंग आफिसर ठीक समझता है।

4. **नामनिर्देशन पत्र**—हर नामनिर्देशन पत्र, जो धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन उपस्थित किया गया है, 2क से लेकर 2ङ तक के प्ररूपों में से ऐसे प्ररूप में पूरा किया जाएगा जैसा समुचित हो :

परन्तु प्ररूप 2क या प्ररूप 2ख में नामनिर्देशन-पत्र में प्रतीकों के बारे में घोषणा को पूरी करने में असफलता या पूरी करने की त्रुटि की बाबत यह न समझा जाएगा कि वह धारा 36 की उपधारा (4) के अर्थ के अन्दर सारवान् स्वरूप की त्रुटि है।

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 5573, तारीख 23 दिसम्बर 1971 द्वारा प्रतिस्थापित।

5. Symbols for elections in parliamentary and assembly constituencies.—(*1*) The Election Commission shall, by notification in the Gazette of India, and in the Official Gazette of each State, specify the symbols that may be chosen by candidates at elections in parliamentary or assembly constituencies and the restrictions to which their choice shall be subject.

(*2*) [1][Subject to any general or special direction issued by the Election Commission either under sub-rule (*4*) or sub-rule (*5*) of rule 10, where at any such election], more nomination papers than one are delivered by or on behalf of a candidate, the declaration as to symbols made in the nomination paper first delivered, and no other declaration as to symbols, shall be taken into consideration under rule 10 even if that nomination paper has been rejected.

6. Authentication of certificates issued by the Election Commission.—A certificate issued by the Election Commission under [2][sub-section (*2*) of section 9] or under sub-section (*3*) of section 33 shall be signed by the Secretary to the Election Commission and shall bear its official seal.

7. Notice of nominations.—The notice of nominations under section 35 shall be in such one of the Forms 3A to 3C as may be appropriate.

[3][**8. List of validly nominated candidates.**—(*1*) The list of validly nominated candidates referred to in sub-section (*8*) of section 36 shall be in Form 4.

(*2*) The name of every such candidate shall be shown in said list as it appears in his nomination paper:

Provided that if a candidate considers that his name is incorrectly spelt or is otherwise incorrectly shown in his nomination paper or is different from the name by which he is popularly known, he may, at any time before the list of contesting candidates is prepared, furnish in writing to the returning officer the proper form and spelling of his name and the returning officer shall, on being satisfied as to the genuineness of the request, make the necessary correction or alteration in the list in Form 4 and adopt that form and spelling in the list of contesting candidates].

9. Notice of withdrawal of candidature.—(*1*) A notice of withdrawal of candidature under sub-section (*1*) of section 37 shall be in Form 5 and shall contain the particulars set out therein; and on receipt of such notice, the returning officer shall note thereon the date and time at which it was delivered.

(*2*) The notice under sub-section (*3*) of section 37 shall be in Form 6.

10. Preparation of list of contesting candidates.—(*1*) The list of contesting candidates referred to in sub-section (*1*) of section 38 shall be in Form 7A or Form 7B as may be appropriate and shall contain the particulars set out therein and shall be prepared in such language or languages as the Election Commission may direct.

[4]* * * * *

(*3*) If the list is prepared in more languages than one, the names of candidates therein shall be arranged alphabetically according to the script of such one of those languages as the Election Commission may direct.

---

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 5573, dated the 23rd December, 1971, for certain words.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 1542, dated the 25th April, 1967.
3. Subs. by Notifn. No. S.O. 3450, dated the 9th November, 1966, for rule 8.
4. Sub-rule (*2*) omitted by Notifn. No. S.O. 3662, dated the 12th October, 1964.

5. **संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचनों के लिए प्रतीक**---(1) निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र में और हर एक राज्य के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन प्रतीकों का, जिन्हें संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचनों में के अभ्यर्थी चुन सकेंगे और उन निर्बन्धनों का, जिनके अध्यधीन करके उनका चुनाव होगा, विनिर्देश करेगा।

(2) [1][नियम 10 के चाहे उपनियम (4) या उपनियम (5) के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा निकाले गए किसी साधारण या विशेष निर्देश के अध्यधीन जहां कि किसी ऐसे निर्वाचन में] अभ्यर्थी के द्वारा या की ओर से एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्र परिदत्त किए गए हैं वहां प्रथम परिदत्त नामनिर्देशन पत्र में प्रतीकों के बारे में की गई घोषणा, न कि प्रतीकों के बारे में कोई अन्य घोषणा, नियम 10 के अधीन विचारगत की जाएगी भले ही वह नामनिर्देशन पत्र प्रतिक्षेपित कर दिया गया हो।

6. **निर्वाचन आयोग द्वारा निकाले गए प्रमाणपत्रों का अधिप्रमाणीकरण**---निर्वाचन आयोग द्वारा [2][धारा 9 की उपधारा (2)] के अधीन या धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उस पर उसकी पदीय मुद्रा लगी होगी।

7. **नामनिर्देशनों की सूचना**---धारा 35 के अधीन नामनिर्देशनों की सूचना 3क से लेकर 3ग तक के प्ररूपों में से ऐसे प्ररूप में होगी जैसा समुचित हो।

[3][8. **विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची**---(1) विधिमान्यतः नामनिर्देशन अभ्यर्थियों की सूची, जो धारा 36 की उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट है, प्ररूप 4 में होगी।

(2) हर ऐसे अभ्यर्थी का नाम उक्त सूची में उसी रूप में दर्शित किया जाएगा जिसमें वह उसके नामनिर्देशन पत्र में प्रकट किया गया है :

परन्तु यदि अभ्यर्थी का विचार है कि उसका नाम उसके नामनिर्देशन-पत्र में अशुद्ध हिज्जों में लिखा गया है या अन्यथा अशुद्ध रूप से दर्शित किया गया है, या उस नाम से भिन्न है, जिससे वह लोगों में जाना जाता है, तो वह निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को सूची के तैयार होने से पूर्व किसी भी समय रिटर्निंग आफिसर को अपने नाम का उचित रूप और हिज्जे लिखित रूप में देगा और रिटर्निंग आफिसर उस प्रार्थना के अवलोकन के बारे में अपना समाधान हो जाने पर प्ररूप 4 की सूची में आवश्यक शुद्धि या परिवर्तन करेगा और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में वही रूप और हिज्जे अंगीकृत करेगा।]

9. **अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना**---(1) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना प्ररूप 5 में होगी और उसमें वे विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जो उसमें उपवर्णित हैं और रिटर्निंग आफिसर ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उसमें वह तारीख और वह समय जिस पर वह परिदत्त की गई थी, टीप लेगा।

(2) धारा 37 की उपधारा (3) के अधीन की सूचना प्ररूप 6 में होगी।

10. **निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की तैयारी**---(1) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, जो धारा 38 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, प्ररूप 7क या प्ररूप 7ख में से जो भी समुचित हो, उसमें होगी और उसमें वे विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जो उसमें उपवर्णित हैं और ऐसी भाषा या भाषाओं में तैयार की जाएंगी जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

[4]* * * *

(3) यदि सूची एक से अधिक भाषाओं में तैयार की जाती है तो अभ्यर्थियों के उसमें नाम उन भाषाओं में से एक ऐसी भाषा की लिपि के वर्णक्रम से लिखे जाएंगे जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 1542, तारीख 25 अप्रैल, 1967 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं० का० आ० 3450, तारीख 9 नवम्बर, 1966 द्वारा नियम 8 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं० का० आ० 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा उपनियम (2) का लोप किया गया।

(*4*) At an election in a parliamentary or assembly constituency, where a poll becomes necessary, the returning officer shall consider the choice of symbols expressed by the contesting cadidates in their nomination papers and shall, subject to any general or special direction issued in this behalf by the Election Commission, —

(*a*) allot a different symbol to each contesting candidate in conformity, as far as practicable, with his choice; and

(*b*) If more contesting candidates than one have indicated their preference for the same symbol decide by lot to which of such candidates the symbol will be allotted.

(*5*) The allotment by the returning officer of any symbol to a candidate shall be final except where it is inconsistent with any directions issued by the Election Commission in this behalf in which case the Election Commission may revise the allotment in such manner as it thinks fit.

(*6*) Every candidate or his election agent shall forthwith be informed of the symbol allotted to the candidate and be supplied with a specimen thereof by the returning officer.

[1][11. **Publication of list of contesting candidates and declaration of result in uncontested election.**—(*1*) The returning officer shall, immediately after its preparation, cause a copy of the list of contesting candidates to be affixed in some conspicuous place in his office and where the number of contesting candidates is equal to, or less than, the number of seats to be filled, he shall, immediately after such affixation, declare under sub-section (*2*) or as the case may be, sub-section (*3*) of section 53 the result of the election in such one of the Forms 21 to 21B as may be appropriate and send signed copies of the declaration to the appropriate authority, the Election Commission and the chief electoral officer.

(*2*) If a poll becomes necessary under sub-section (*1*) of section 53, the returning officer shall supply a copy of the list of contesting candidates to each such candidate or his election agent, and then shall also publish the list in the Official Gazette.]

12. **Appointment of election agent.**—[2][(*1*) Any appointment of an election agent under section 40 shall be made in Form 8 and the notice of such appointment shall be given by forwarding the same in duplicate to the returning officer who shall return one copy thereof to the election agent after affixing thereon his seal and signature in token of his approval of the appointment.]

(*2*) The revocation of the appointment of an election agent under sub-section (*1*) of section 42 shall be made in Form 9.

13. **Appointment of polling agents.**—(*1*) The number of polling agents that may be appointed under section 46 shall be one agent and two relief agents.

(*2*) Every such appointment shall be made in Form 10 and shall be made over to the polling agent for production at the polling station or the place fixed for the poll, as the case may be.

(*3*) No polling agent shall be admitted into the polling station or the place fixed for the poll unless he has delivered to the presiding officer the instrument of his appointment under sub-rule (*2*) after duly completing and signing before the presiding officer the declaration contained therein.

14. **Revocation of the appointment of a polling agent.**—(*1*) The revocation of the appointment of a polling agent under sub-section (*1*) of section 48 shall be made in Form 11 and lodged with the presiding officer.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 4542, dated the 20th December, 1968 (w.e.f. 1-1-1969).
2. Subs by Notifn. No. S.O. 3450, dated the 9th November, 1966, for sub-rule (*1*).

(4) संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र में के किसी निर्वाचन में जहां कि मतदान आवश्यक हो जाता है वहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपने नामनिर्देशन पत्रों में अभिव्यक्त किए गए प्रतीकों संबंधी चुनाव पर रिटर्निंग आफिसर विचार करेगा और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त निकाले गए किसी साधारण या विशेष निदेश के अध्यधीन–

(क) निर्वाचन लड़ने वाले हर एक अभ्यर्थी को उसके अपने चुनाव के यथासाध्य अनुरूप भिन्न-भिन्न प्रतीक आवंटित करेगा; तथा

(ख) यदि निर्वाचन लड़ने वाले एक से अधिक अभ्यर्थियों ने एक ही प्रतीक के लिए अपना अधिमान उपदर्शित किया है तो लाट द्वारा यह विनिश्चय करेगा कि वह प्रतीक ऐसे अभ्यर्थियों में से किस को आवंटित किया जाए ;

(5) अभ्यर्थी को रिटर्निंग आफिसर द्वारा किसी प्रतीक का आवंटन वहां के सिवाय अन्तिम होगा जहां कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त निकाले गए किन्हीं निर्देशों से असंगत है और ऐसी दशा में निर्वाचन आयोग आवंटन को ऐसी रीति से पुनरीक्षित कर सकेगा जैसी वह ठीक समझता है ।

(6) हर अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को, अभ्यर्थी को आवंटित प्रतीक की इत्तिला तत्क्षण दी जाएगी और उसे रिटर्निंग आफिसर उसका एक नमूना भी देगा ।

[1][**11. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन और निर्विरोध निर्वाचन की दशा में परिणाम की घोषणा**—(1) रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की तैयारी के पश्चात् तुरन्त उस सूची की एक प्रति अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा और जहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बराबर या उससे कम हो, वहां वह सूची लगाने के ठीक पश्चात् धारा 53 की, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन निर्वाचन का परिणाम, प्ररूप 21 से 21ङ तक में से किसी ऐसे एक प्ररूप में, जो समुचित हो, घोषित करेगा और घोषणा की हस्ताक्षरित प्रतियां समुचित प्राधिकारी, निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर को भेजेगा ।

(2) यदि धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन मतदान आवश्यक हो जाए तो रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को देगा और उस सूची को शासकीय राजपत्र में भी प्रकाशित करेगा ।]

12. निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति—[2][(1) धारा 40 के अधीन निर्वाचन अभिकर्ता की कोई नियुक्ति प्ररूप 8 में की जाएगी और ऐसी नियुक्ति की सूचना रिटर्निंग आफिसर को दो प्रतियों में भेजकर दी जाएगी जो उनमें से एक प्रति को उस पर उस नियुक्ति के अपने अनुमोदन के साक्ष्यस्वरूप अपनी मुद्रा लगाने और हस्ताक्षर करने के पश्चात् निर्वाचन अभिकर्ता को वापस कर देगा ।]

(2) निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति को धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिसंहरण प्ररूप 9 में किया जाएगा ।

13. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति—(1) जितने मतदान अभिकर्ता धारा 46 के अधीन नियुक्त किए जा सकेंगे, वे एक अभिकर्ता और दो अवमुक्ति अभिकर्ता होंगे ।

(2) हर ऐसी नियुक्ति प्ररूप 10 में की जाएगी और, यथास्थिति, मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान में पेश की जाने के लिए मतदान अभिकर्ता को दे दी जाएगी ।

(3) जब तक कि किसी मतदान अभिकर्ता ने पीठासीन आफिसर के उपनियम (2) के अधीन वाली अपनी नियुक्ति की लिखत, उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा को पीठासीन आफिसर के समक्ष सम्यक् रूप से पूर्ण हस्ताक्षरित करने के पश्चात्, परिदत्त न कर दी हो उसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान में प्रवेश न करने दिया जाएगा ।

14. मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण—(1) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति की धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिसंहरण प्ररूप 11 में किया जाएगा और पीठासीन आफिसर के पास दाखिल किया जाएगा।

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) प्रतिस्थापित ।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 3450, तारीख 9 नवम्बर, 1966 द्वारा उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) In the event of any such revocation the candidate or his election agent may, at any time before the poll is closed, make a fresh appointment in the manner specified in rule 13 and the provisions of that rule shall apply to every such agent.

15. Publication of the hours fixed for polling.—The hours fixed for polling under section 56 shall be published by notification in the Official Gazette.

16. Voting normally to be in person.—Save as hereinafter provided, all electors voting at an election shall do so in person at the polling station provided for them under section 25 or, as the case may be, at the place of polling fixed under section 29.

PART III

Postal ballot

17. Definitions.—In this Part,—

(*a*) "service voter" means any person who is required to give his vote by postal ballot under clause (*a*) of section 60;

(*b*) "special voter" means any person holding an office to which the provisions of sub-section (*4*) of section 20 of the Representation of the People Act, 1950 are declared to apply or the wife of such person, if he or she has been registered as an elector by virtue of a statement made under sub-section (*5*) of the said section;

(*c*) "voter on election duty" means any polling agent, any polling officer, presiding officer or other public servant, who is an elector in the constituency and is by reason of his being on election duty unable to vote as the polling station where he is entitled to vote.

18. Persons entitled to vote by post.—The following persons shall, subject to their fulfilling the requirements hereinafter specified, be entitled to vote by post, namely :—

(*a*) at an election in a parliamentary or assembly constituency—

(*i*) special voters;

(*ii*) service voters;

(*iii*) voters on election duty; and

(*iv*) electors subjected to preventive detention;

(*b*) at an election in a council constituency—

(*i*) voters on election duty;

(*ii*) electors subjected to preventive detention; and

(*iii*) electors in the whole or any specified parts, of the constituency if directed by the Election Commission in this behalf under clause (*b*) of rule 68;

(*c*) at an election by assembly members—

(*i*) electors subjected to preventive detention; and

(*ii*) all electors if directed by the Election Commission in this behalf under clause (*a*) of rule 68.

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता किसी ऐसे प्रतिसंहरण को दशा में नई नियुक्ति मतदान बन्द होने के पहले किसी भी समय नियम 13 में विनिर्दिष्ट रीति से कर सकेगा और हर ऐसे अभिकर्ता को उस नियम के उपबन्ध लागू होंगे।

15. मतदान के लिए नियत समय का प्रकाशन—मतदान के लिए धारा 56 के अधीन नियत समय शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

16. मत प्रसामान्यतः स्वयं दिए जाएंगे—यथा एतस्मिन्पश्चात् उपबन्धित के सिवाय निर्वाचन में मत देने वाले सब निर्वाचक, यथास्थिति, धारा 25 के अधीन अपने लिए उपबन्धित किए गए मतदान केन्द्र में या धारा 29 के अधीन नियत मतदान के स्थान पर स्वयं मत देंगे।

भाग 3

डाक-मतपत्र

17. परिभाषाएं—इस भाग में—

(क) "सेवा नियोजित मतदाता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 60 के खण्ड (क) के अधीन डाक-मतपत्र द्वारा अपना मत देने के लिए अपेक्षित है;

(ख) "विशेष मतदाता" से ऐसे पद का धारक कोई व्यक्ति जिस पद की बाबत यह घोषणा की गई है कि उसको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 की उपधारा (4) के उपबन्ध लागू हैं या ऐसे व्यक्ति की पत्नी अभिप्रेत है, यदि वह व्यक्ति या उसकी पत्नी उक्त धारा की उपधारा (5) के अधीन किए गए कथन के आधार पर निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

(ग) "निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता" से मतदान अभिकर्ता, कोई मतदान आफिसर, पीठासीन आफिसर या अन्य लोक सेवक अभिप्रेत है जो निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक है और निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ होने के कारण उस मतदान केन्द्र से मत देने में असमर्थ है जहां कि वह मत देने का हकदार है।

18. डाक द्वारा मत देने के हकदार व्यक्ति—एतस्मिनपश्चात् विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति करने के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित व्यक्ति, अर्थात् :—

(क) (i) विशेष मतदाता;

(ii) सेवा नियोजित मतदाता;

(iii) निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता; तथा

(iv) निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक;

संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले निर्वाचन में—

(ख) (i) निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता;

(ii) निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक; तथा

(iii) निर्वाचन-क्षेत्र के संपूर्ण या किन्हीं विनिर्दिष्ट भागों में निर्वाचक उस सूरत में जिसमें कि नियम 68 के खण्ड (ख) के अधीन इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट हो ;

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले निर्वाचन में—

(ग) (i) निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक; तथा

(ii) सब निर्वाचक उस दशा में, जिसमें कि नियम 68 के खण्ड (क) के अधीन इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट हों,

सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन में,

डाक द्वारा मत देने के हकदार होंगे।

19. Intimation by special voters.—A special voter who wishes to vote by post at an election shall send an intimation in Form 12 to the returning officer so as to reach him at least ten days before the date of poll; and on receipt of the intimation the returning officer shall issue a postal ballot paper to him.

20. Intimation by voters on election duty.—[1][(*1*)] A voter on election duty who wishes to vote by post at an election shall send an application in Form 12 to the returning officer so as to reach him at least seven days or such shorter period as the returning officer may allow before the date of poll; and if the returning officer is satisfied that the applicant is a voter on election duty, he shall issue a postal ballot paper to him.

[2][(*2*) Where such voter, being a polling officer, presiding officer or other public servant on election duty in the constituency of which he is an elector, wishes to vote in person at an election [3][in a parliamentary or assembly constituency] and not by post, he shall send an application in Form 12A to the returning officer so as to reach him at least four days, or such shorter period as the returning officer may allow, before the date of poll; and if the returning officer is satisfied that the applicant is such public servant and voter on election duty in the constituency, he shall—

(*a*) issue to the applicant an election duty certificate in Form 12B,

(*b*) mark 'EDC' against his name in the marked copy of the electoral roll to indicate that an election duty certificate has been issued to him, and

(*c*) ensure that he is not allowed to vote at the polling station where he would otherwise have been entitled to vote.]

21. Electors under preventive detention.—(*1*) The appropriate Government shall, within 15 days of the calling of an election, ascertain and intimate to the returning officer the names of the electors, if any, subjected to preventive detention together with their addresses and electoral roll numbers and the particulars about their places of detention.

(*2*) Any elector subjected to preventive detention may, within 15 days of the calling of an election, send an intimation to the returning officer that he wishes to vote by post, specifying his name, address, electoral roll number and place of detention.

(*3*) The returning officer shall issue a postal ballot paper to every elector subjected to preventive detention whose name has been intimated to him under sub-rule (*1*) or under sub-rule (*2*).

22. Form of ballot paper.—[4][(*1*) Every postal ballot paper shall have a counterfoil attached thereto, and the said ballot paper and the counterfoil shall be in such form, and the particulars therein shall be in such language or languages, as the Election Commission may direct.]

(*2*) The names of the candidates shall be arranged [5][on the postal ballot paper] in the order in which they appear in the list of contesting candidates.

(*3*) If two or more candidates bear the same name, they shall be distinguished by the addition of their occupation or residence or in some other manner.

23. Issue of ballot paper.—(*1*) A postal ballot paper shall be sent by post under certificate of posting to the elector together with—

(*a*) a declaration in Form 13A;

1. Rule 20 renumbered as sub-rule (1) of that rule by Notifn. No. S.O. 3662, dated the 12th October, 1964.
2. Ins., *ibid.*
3. Ins. by Notifn. No. S.O. 3450, dated the 9th November, 1966.
4. Subs. by Notifn. No. S.O. 5573, dated the 23rd December, 1971, for sub-rule (*1*).
5. Ins., *ibid.*

19. विशेष मतदाताओं द्वारा प्रज्ञापना—जो विशेष मतदाता निर्वाचन में डाक द्वारा मत देना चाहता है वह रिटर्निंग आफिसर को प्ररूप 12 में प्रज्ञापना ऐसे भेजेगा कि वह मतदान की तारीख से कम से कम दस दिन पहले उसके पास पहुंच जाए और प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर रिटर्निंग आफिसर उसे एक डाक-मतपत्र भेज देगा।

20. निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाताओं द्वारा प्रज्ञापना—[1][(1)] जो निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता निर्वाचन में डाक द्वारा मत देना चाहता है वह रिटर्निंग आफिसर को प्ररूप 12 में आवेदन ऐसे भेजेगा कि वह मतदान की तारीख से कम से कम सात दिन या ऐसी अल्पतर कालावधि से जैसी रिटर्निंग आफिसर अनुज्ञात करे, पहले उसके पास पहुंच जाए, और यदि रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाता है कि आवेदक निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता है तो वह उसे एक डाक-मतपत्र जारी कर देगा।

[2][(2) जहां कि ऐसा मतदाता, उस निर्वाचन-क्षेत्र में जिसका वह निर्वाचक है, निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदान आफिसर, पीठासीन आफिसर या अन्य लोक सेवक होते हुए, [3][संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र में] के निर्वाचन में स्वयं, न कि डाक द्वारा मत देना चाहता है, वहां वह रिटर्निंग आफिसर को प्ररूप 12क में आवेदन ऐसे भेजेगा कि वह मतदान की तारीख से कम से कम चार दिन या ऐसी अल्पतर कालावधि से, जैसी रिटर्निंग आफिसर अनुज्ञात करे पहले उसके पास पहुंच जाए, और यदि रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाता है कि आवेदक उस निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ ऐसा लोक सेवक और मतदाता है तो वह —

(क) आवेदक को प्ररूप 12ख में निर्वाचन-कर्तव्य प्रमाणपत्र जारी कर देगा,

(ख) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में उसके नाम के सामने "नि०क०प्र०" यह उपदर्शित करने के लिए अंकित करेगा कि उसे निर्वाचन-कर्तव्य प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है, तथा

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि वह उस मतदान केन्द्र पर, जिस पर वह मत देने के लिए अन्यथा हकदार होता, मत देने के लिए अनुज्ञात न किया जाए।]

21. निवारक निरोध के अधीन निर्वाचक—(1) समुचित सरकार निर्वाचन के समाहूत किए जाने के पन्द्रह दिन के अन्दर, उन निर्वाचकों के, यदि कोई हों, नाम जो निवारक निरोध के अध्यधीन हैं, उनके पतों और निर्वाचक नामावली संख्यांकों तथा उनके निरोध के स्थानों की विशिष्टियों के सहित अभिनिश्चित करेगी और रिटर्निंग आफिसर को प्रज्ञापित करेगी।

(2) निवारक निरोध के अध्यधीन कोई निर्वाचक के समाहूत किए जाने के पन्द्रह दिन के अन्दर अपना नाम, पता, निर्वाचक नामावली संख्यांक और निरोध के स्थान पर का विनिर्देश करते हुए रिटर्निंग आफिसर को यह प्रज्ञापना भेज सकेगा कि मैं डाक द्वारा मत देना चाहता हूं।

(3) निवारक निरोध के अध्यधीन हर निर्वाचक को, जिसके नाम की प्रज्ञापना रिटर्निंग आफिसर को उपनियम (1) के अधीन या उपनियम (2) के अधीन दी गई है रिटर्निंग आफिसर एक डाक-मतपत्र जारी कर देगा।

22. मतपत्र का प्ररूप—[4][(1) प्रत्येक डाक-मतपत्र के साथ एक प्रतिपर्ण संलग्न होगा और उक्त मतपत्र और प्रतिपर्ण ऐसे प्ररूप में होंगे और उनमें की विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होंगी, जैसा या जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।]

(2) अभ्यर्थियों के नाम [5][डाक-मतपत्र पर] उसी क्रम से लिखे होंगे जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज हैं।

(3) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों का एक ही नाम है तो उनकी उपजीविका या निवास-स्थान को जोड़कर या किसी अन्य रीति में उनको सुभिन्न किया जाएगा।

23. मतपत्रों का जारी किया जाना—(1) डाक प्रेषण प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा डाक-मतपत्र निर्वाचक को भेजा जाएगा, जिसके साथ—

(क) प्ररूप 13क में घोषणा;

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा नियम 20 को उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. अधिसूचना सं० का० आ० 3450, तारीख 9 नवम्बर, 1966 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. अधिसूचना सं० का० आ० 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. पूर्वोक्त द्वारा अन्तःस्थापित।

(*b*) a cover in Form 13B:

(*c*) a large cover addressed to the returning officer in Form 13C; and

(*d*) instructions for the guidance of the elector in Form 13D:

Provided that the returning officer may, in the case of a special voter or a voter on election duty, deliver the ballot paper and forms, or cause them to be delivered, to such voter personally

[1][(*2*) The returning officer shall at the same time—

(*a*) record on the counterfoil of the ballot paper the electoral roll number of the elector as entered in the marked copy of the electoral roll;

(*b*) mark the name of the elector in the marked copy of the electoral roll to indicate that a ballot paper has been issued to him, without however recording therein the serial number of the ballot paper issued to that elector; and

(*c*) ensure that that elector is not allowed to vote at a polling station.]

(*3*) Before any ballot paper is issued to an elector at an election in a local authorities' constituency or by assembly members, the serial number of the ballot paper shall be effectively concealed in such manner as the Election Commission may direct.

(*4*) Every officer under whose care or through whom a postal ballot paper is sent shall ensure its delivery to the addressee without delay.

(*5*) After ballot papers have been issued to all the electors entitled to vote by post, the returning officer shall—

(*a*) at an election in a parliamentary or assembly constituency, seal up in a packet that part of the marked copy of the electoral roll which relates to service voters and record on the packet a brief description of its contents and the date on which it was sealed and send the other relevant parts of the marked copy to the several presiding officers [2][or marking the names of electors to whom ballot papers are issued at the polling stations without however recording therein the serial numbers of the ballot papers issued to the electors]; and

(*b*) at any other election, seal up in a packet the marked copy of the electoral roll and record on the packet a brief description of its contents and the date on which it is sealed.

[3][(*6*) The returning officer shall also seal up in a separate packet the counterfoils of the ballot papers issued to electors entitled to vote by post and record on the packet a brief description of its contents and the date on which it was sealed.]

24. Recording of Vote.—(*1*) An elector who has received a postal ballot paper and desires to vote shall record his vote on the ballot paper in accordance with the directions contained in Part I of Form 13D and then enclose it in the cover in Form 13B.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 5573, dated the 23rd December, 1971, for sub-rule (*2*).
2. Subs. *ibid.*
3. Ins., *ibid.*

(ख) प्ररूप 13ख में लिफाफा ;

(ग) प्ररूप 13ग में रिटर्निंग आफिसर को सम्बोधित बड़ा लिफाफा; तथा

(घ) निर्वाचक के मार्गदर्शन के लिए प्ररूप 13घ में अनुदेश,

भी होंगे :

परन्तु रिटर्निंग आफिसर विशेष मतदाता या निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता की दशा में मतपत्र और प्ररूप स्वयं ऐसे मतदाता को परिदत्त कर सकेगा या परिदत्त करा सकेगा ।

[1][(2) रिटर्निंग आफिसर उसी समय—

(क) मतपत्र के प्रतिपर्ण पर निर्वाचक की वह निर्वाचक नामावली संख्या अभिलिखित करेगा जो निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में प्रविष्ट है;

(ख) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में, निर्वाचक का नाम यह उपदर्शित करने के लिए चिह्नित करेगा कि उसे मतपत्र दिया गया है किन्तु वह उस निर्वाचक को दिए गए मतपत्र का क्रम संख्यांक उसमें अभिलिखित नहीं करेगा; और

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि वह निर्वाचक मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अनुज्ञात न किया जाए ।]

(3) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र में या सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन में निर्वाचक को कोई मतपत्र जारी करने के पहले मतपत्र का क्रम संख्यांक प्रभावपूर्ण रूप में ऐसी रीति से छिपाया जाएगा जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

(4) हर आफिसर, जिसकी देखरेख में या जिसके द्वारा डाक-मतपत्र भेजा जाता है, यह सुनिश्चित करेगा कि वह मतपत्र सम्बोधित व्यक्ति को अविलम्ब परिदत्त कर दिया जाए ।

(5) डाक द्वारा मत देने के लिए हकदार सब निर्वाचकों को मतपत्र जारी कर दिए जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर—

(क) संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र में के निर्वाचन में निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के उस भाग को जो सेवा-नियोजित मतदाताओं से सम्बद्ध है एक पैकेट में रखकर मुद्राबन्द करेगा और उसकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन और वह तारीख, जिसको वह मुद्राबन्द किया गया है, पैकेट पर अभिलिखित करेगा और चिह्नित प्रति के अन्य सुसंगत भाग ऐसे [2][निर्वाचकों के नाम, जिन्हें मतदान केन्द्रों में मतपत्र, दिए गए हैं, निर्वाचकों को दिए गए मतपत्रों के क्रम संख्यांक उनमें अभिलिखित किए बिना, चिह्नित करने के लिए] विभिन्न पीठासीन आफिसरों को भेजेगा; तथा

(ख) किसी अन्य निर्वाचन में निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति को एक पैकेट में रखकर मुद्राबन्द करेगा और उसकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन और वह तारीख जिसको वह मुद्राबन्द किया गया है, पैकेट पर अभिलिखित करेगा ।

[3][(6) रिटर्निंग आफिसर डाक द्वारा मतदान करने के लिए हकदार निर्वाचकों को दिए गए मतपत्रों के प्रतिपर्णों को क अलग पैकेट में मुद्राबन्द भी करेगा और पैकेट पर उसकी अन्तर्वस्तु का संक्षिप्त वर्णन और वह तारीख अभिलिखित करेगा जिसको मुद्राबन्द किया गया था ।]

24. मत का अभिलेखन—(1) जिस निर्वाचक को डाक-मतपत्र प्राप्त हुआ है और जो मत देना चाहता है वह मतपत्र पर अपना मत प्ररूप 13घ के भाग 1 में अन्तर्विष्ट निदेशों के अनुसार अभिलिखित करेगा और वह तब उसे प्ररूप 13क वाले लिफाफे में बन्द करेगा ।

---

1. अधिसूचना सं० का०आ० 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा उपनियम (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. अधिसूचना सं० का० आ० 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. पूर्वोक्त द्वारा अन्तःस्थापित ।

(*2*) The elector shall sign the declaration in Form 13A in the presence of, and have the signature attested by, a stipendiary magistrate or such other officer specified below, as may be appropriate, to whom he is personally known or to whose satisfaction he has been identified—

(*a*) in the case of a service voter, such officer as may be appointed in this behalf by the Commanding Officer of the unit, ship or establishment in which the voter or her husband, as the case may be, is employed or such officer as may be appointed in this behalf by the diplomatic or consular representative of India in the country in which such voter is resident;

(*b*) in the case of a special voter, an officer not below the rank of a Deputy Secretary to Government;

(*c*) in the case of a voter on election duty, any gazetted officer [1][or the presiding officer of the polling station at which he is on election duty];

(*d*) in the case of an elector under preventive detention, the Superintendent of the Jail or the Commandant of the detention camp in which the elector is under detention; and

(*e*) in any other case, such officer as may be notified in this behalf by the Election Commission.

25. Assistance to illiterate or infirm voters.—(*1*) If an elector is unable through illiteracy, blindness or other physical infirmity to record his vote on a postal ballot paper and sign the declaration, he shall take the ballot paper, together with the declaration and the covers received by him to an officer competent to attest his signature under sub-rule (*2*) of rule 24 and request the officer to record his vote and sign his declaration on his behalf.

(*2*) Such officer shall thereupon mark the ballot paper in accordance with the wishes of the elector in his presence, sign the declaration on his behalf and complete the appropriate certificate contained in Form 13A.

26. Re-issue of ballot paper.—(*1*) When a postal ballot paper and other papers sent under rule 23 are for any reason returned undelivered, the returning officer may re-issue them by post under certificate of posting or deliver them or cause them to be delivered to the elector personally on a request being made by him.

(*2*) If any elector has inadvertently dealt with the ballot paper or any of the other papers sent to him under rule 23 in such a manner that they cannot conveniently be used, a second set of the papers shall be issued to him after he has returned the spoiled papers and satisfied the returning officer of the inadvertence.

(*3*) The returning officer shall cancel the spoiled papers so returned and keep them in a separate packet after noting thereon the particulars of the election and the serial numbers of the cancelled ballot papers.

27. Return of ballot paper.—(*1*) After an elector has recorded his vote and made his declaration under rule 24 or rule 25, he shall return the ballot paper and declaration to the returning officer in accordance with the instructions communicated to him in Part II of Form 13D so as to reach the returning officer before [2][the hour fixed for the commencement of counting of votes].

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 3450, dated the 9th November, 1966.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 479A dated the 27th January, 1971, for certain words.

(2) जो साम्पलिक मजिस्ट्रेट या नीचे विनिर्दिष्ट अन्य आफिसरों में से जो भी समुचित आफिसर निर्वाचक को स्वयं जानता है या जिसके समक्ष निर्वाचक समाधानप्रद रूप में पहचाना गया है उस मजिस्ट्रेट की या उस अन्य समुचित आफिसर की, अर्थात्—

(क) सेवा नियोजित मतदाता की दशा में, उस आफिसर की, जो उस यूनिट, पोत या स्थापन के कमान आफिसर द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए, जिसमें, यथास्थिति, मतदाता या उसका पति नियोजित है या उस आफिसर को, उस देश में, जिसमें ऐसा मतदाता निवासी है, भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा प्रदत्त इस निमित्त नियुक्त किया जाए;

(ख) विशेष मतदाता की दशा में, उस आफिसर की जो सरकार के उपसचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का नहीं है;

(ग) निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता की दशा में किसी राजपत्रित आफिसर की [1][या उस मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर की जिस पर वह निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ है];

(घ) निवारक निरोध के अधीन निर्वाचक की दशा में उस जेल के अधीक्षक या उस निरोध शिविर के समादेशक की, जिसमें वह निर्वाचक निरोधाधीन है; तथा

(ङ) किसी अन्य दशा में, उस आफिसर की जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए, उपस्थिति में निर्वाचक प्ररूप 13क वाली घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा और उसमें अपने हस्ताक्षर को उसके द्वारा अनुप्रमाणित करा देगा ।

25. निरक्षर या शिथिलांग मतदाताओं की सहायता—(1) यदि निर्वाचक निरक्षरता, अन्धेपन या अन्य शारीरिक अंग-शैथिल्य के कारण अपना मत डाक-मतपत्र पर अभिलिखित करने में और घोषणा हस्ताक्षरित करने में असमर्थ है तो वह अपने द्वारा प्राप्त घोषणा और लिफाफों के सहित मतपत्र, नियम 24 के उपनियम (2) के अधीन अपने हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित करने के लिए, सक्षम आफिसर के पास ले जाएगा और उस आफिसर से प्रार्थना करेगा कि वह उसकी ओर से उसका मत अभिलिखित करे और उसकी घोषणा हस्ताक्षरित करे

(2) ऐसा आफिसर तदुपरि मतपत्र को निर्वाचक की इच्छा के अनुसार उसकी उपस्थिति में चिह्नित करेगा, उसकी ओर से घोषणा हस्ताक्षरित करेगा और प्ररूप 13क में अंतर्विष्ट समुचित प्रमाणपत्र भर कर पूरा करेगा ।

26. मतपत्र का पुनः जारी किया जाना—(1) जबकि नियम 23 के अधीन भेजे गए डाक-मतपत्र और अन्य कागजपत्र किसी कारणवश अपरिदत्त लौटा दिए गए हों तब रिटर्निंग आफिसर उसे प्रार्थना किए जाने पर उन्हें डाक प्रेषण प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा फिर उन्हें भेज सकेगा या स्वयं निर्वाचक को उन्हें परिदत्त कर सकेगा या परिदत्त करा सकेगा ।

(2) यदि किसी निर्वाचक ने अनवधानता से मतपत्र या अन्य कागजपत्रों में से किसी से, जो उसे नियम 23 के अधीन भेजे गए हैं, ऐसी रीति से बरता है कि वे सुविधानुसार उपयोग में नहीं लाए जा सकते तो कागजपत्रों का एक दूसरा संवर्ग खराब हुए कागजपत्रों को निर्वाचक द्वारा लौटाए जाने और रिटर्निंग आफिसर का समाधान अनवधानता के बारे में किए जाने पर उसे जारी कर दिया जाएगा ।

(3) रिटर्निंग आफिसर ऐसे लौटाए गए खराब कागजपत्रों को रद्द करेगा और निर्वाचन को विशिष्टियों और रद्द किए गए मतपत्रों के क्रम संख्यांकों को उस पर टिप्पण कर उन्हें पृथक् पैकेट में रखेगा ।

27. मतपत्र लौटाना—(1) निर्वाचक अपना मत अभिलिखित करने और नियम 24 या नियम 25 के अधीन अपनी घोषणा करने के पश्चात् वह मतपत्र और घोषणा रिटर्निंग आफिसर को उन अनुदेशों के अनुसार जो उसे प्ररूप 13घ के भाग 2 में संसूचित किए गए हैं, ऐसे लौटा देगा कि वे रिटर्निंग आफिसर के पास [2][मतगणना के प्रारंभ के लिए नियत] समय से पहले पहुंच जाएं ।

1. अधिसूचना सं० का० आ० 3450, तारीख 9 नवम्बर, 1966 द्वारा अन्तःस्थापित ।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 479क, तारीख 27 जनवरी, 1971 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*2*) If any cover containing a postal ballot paper is received by the returning officer after the expiry of the time fixed in sub-rule (*1*), he shall note thereon the date and time of its receipt and shall keep all such covers together in a separate packet.

(*3*) The returning officer shall keep in safe custody until the commencement of the counting of votes all covers containing postal ballot papers received by him.

PART IV

Voting in Parliamentary and Assembly Constituencies

[1][CHAPTER I
VOTING BY BALLOT]

28. **Definitions.**—[2][In this Chapter and Chapter II], unless the context otherwise requires,—

(*a*) "candidate" means a contesting candidate;

(*b*) "constituency" means a parliamentary or assembly constituency; and

(*c*) "polling agent", in relation to a polling station, means a polling agent of a candidate duly appointed under section 46 for the polling station and includes a candidate and the election agent of a candidate when present at the polling station.

29. Design of ballot boxes.—Every ballot box shall be of such design as may be approved by the Election Commission.

30. Form of ballot papers.—[3][(*1*) Every ballot paper shall have a counterfoil attached thereto, and the said ballot paper and the counterfoil shall be in such form, and the particulars therein shall be in such language or languages, as the Election Commission may direct.]

(*2*) The names of the candidates shall be arranged on the ballot paper in the same order in which they appear in the list of contesting candidates.

(*3*) If two or more candidates bear the same name, they shall be distinguished by the addition of their occupation or residence or in some other manner.

31. Arrangements at polling stations.—(*1*) Outside each polling station there shall be displayed prominently—

(*a*) a notice specifying the polling area the electors of which are entitled to vote at the polling station and, when the polling area has more than one polling station, the particulars of the electors so entitled; and

(*b*) a copy of the list of contesting candidates.

(*2*) At each polling station, there shall be set up [4][one or more voting compartments] in which electors can record their votes screened from observation.

(*3*) The returning officer shall provide at each polling station a sufficient number of ballot boxes, copies of the relevant part of the electoral roll, ballot papers, instruments for stamping the distinguishing mark on ballot papers and articles, necessary for electors to mark the ballot papers.

32. Admission to polling stations.—The presiding officer shall regulate the number of electors, to be admitted at any one time inside the polling station and shall exclude therefrom all persons other than—

(*a*) polling officers;

---

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 230 (E), dated 24th March, 1992.
2. Subs. ibid., for certain words.
3. Subs. by Notifn. No. S.O. 5573, dated the 23rd December, 1971.
4. Subs. ibid., for certain words.

(2) यदि डाक-मतपत्र अन्तर्विष्ट रखने वाला कोई लिफाफा रिटर्निंग आफिसर को उस समय के अवसान के पश्चात् जो उपनियम (1) के अधीन नियत है, प्राप्त होता है तो वह उसकी प्राप्ति की तारीख और समय उस पर टीप लेगा और सब ऐसे लिफाफों को एक साथ पृथक् पैकेट में रखेगा।

(3) रिटर्निंग आफिसर डाक-मतपत्रों को अन्तर्विष्ट रखने वाले सब लिफाफों को, जो उसे प्राप्त हुए हैं, पतों की गणना के प्रारंभ होने तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

भाग 4

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में मतदान

[1][अध्याय 1
मतपत्र द्वारा मतदान]

28. **परिभाषाएं**—[2][इस अध्याय और अध्याय 2 में] जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अभ्यर्थी" से निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी अभिप्रेत है,

(ख) "निर्वाचन-क्षेत्र" से संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है, तथा

(ग) "मतदान अभिकर्ता" से मतदान केन्द्र के सम्बन्ध में उस मतदान केन्द्र के लिए धारा 46 के अधीन सम्यक् रूप से नियुक्त अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता अभिप्रेत है और अभ्यर्थी और अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता तब इसके अन्तर्गत आते हैं जबकि वे उस मतदान केन्द्र में उपस्थित हैं।

29. **मतपेटियों का परिकल्प**—हर मतपेटी ऐसे परिकल्प की होगी जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए।

30. **मतपत्रों का प्ररूप**—[3][(1) प्रत्येक मतपत्र के साथ एक प्रतिपर्ण संलग्न होगा और उक्त मतपत्र और प्रतिपर्ण ऐसे प्ररूप में होंगे और उनमें की विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होंगी जैसा या जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।]

(2) अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र में उसी क्रम से लिखे होंगे जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज हैं।

(3) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों का एक ही नाम है तो उनको उपजीविका या निवास-स्थान को जोड़कर या किसी अन्य रीति में उनको सुभिन्न किया जाएगा।

31. **मतदान केन्द्रों में इंतजाम**—(1) हर एक मतदान केन्द्र के बाहर—

(क) उस मतदान क्षेत्र को, जिसके मतदाता उस मतदान केन्द्र में मत देने के लिए हकदार हैं, और जबकि मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं तब ऐसे हकदार निर्वाचकों की विशिष्टियां, विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना, तथा

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति,

संलक्ष्यतः सम्प्रदर्शित की जाएगी।

(2) हर एक मतदान केन्द्र में [4][एक या अधिक मतदान कोष्ठ] स्थापित किए जाएंगे जिनमें निर्वाचक परदे के पीछे रहकर संप्रेक्षित हुए बिना अपने मत दे सकेंगे।

(3) रिटर्निंग आफिसर हर एक मतदान केन्द्र में पर्याप्त संख्या में मतपेटियां, निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की प्रतियां, मतपत्र, मतपत्रों पर सुभिन्नक चिह्न मुद्रांकित करने के लिए उपकरण और मतपत्रों को चिह्नित करने के लिए निर्वाचकों के लिए आवश्यक चीजें उपबन्धित करेगा।

32. **मतदान केन्द्रों में प्रवेश**—पीठासीन आफिसर निर्वाचकों को उस संख्या को विनियमित करेगा जिस संख्या में वे मतदान केन्द्र के अन्दर एक ही समय प्रवेश कर सकेंगे, तथा—

(क) मतदान आफिसरों के;

---

1. अधिसूचना सं० का०आ० 230(अ), तारीख 24 मार्च, 1992 द्वारा अंतःस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का०आ० 230(अ), तारीख 24 मार्च, 1992 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं० का०आ० 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. पूर्वोक्त द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(*b*) public servants on duty in connection with the election;

(*c*) persons authorised by the Election Commission;

(*d*) candidates, their election agents and subject to the provisions of rule 13, one polling agent of each candidate;

(*e*) a child in arms accompanying an elector;

(*f*) a person accompanying a blind or infirm elector who cannot move without help; and

(*g*) such other persons as the returning officer or the presiding officer may employ under sub-rule (*2*) of rule 34 or sub-rule (*1*) of rule 35.

33. Preparation of ballot boxes for poll.—(*1*) Where a paper seal is used for securing a ballot box, the presiding officer shall affix his own signature on the paper seal and obtain thereon the signatures of such of the polling agents present as are desirous of affixing the same.

(*2*) The presiding officer shall thereafter fix the paper seal so signed in the space meant therefor in the ballot box and shall then secure and seal the box in such manner that the slit for the insertion of ballot paper thereinto remains open.

(*3*) The seals used for securing a ballot box shall be affixed in such manner that after the box has been closed it is not possible to open it without breaking the seals.

(*4*) Where it is not necessary to use paper seals for securing the ballot boxes, the presiding officer shall secure and seal the ballot box in such manner that the slit for the insertion of ballot papers remains open and shall allow the polling agents present to affix, if they so desire, their seals.

(*5*) Every ballot box used at a polling station shall bear lables, both inside and outside, marked with—

(*a*) the serial number, if any, and name of the constituency;

(*b*) the serial number and name of the polling station;

(*c*) the serial number of the ballot box (to be filled in at the end of the poll on the label outside the ballot box only); and

(*d*) the date of poll.

(*6*) Immediately before the commencement of the poll, the presiding officer shall demonstrate to the polling agents and other persons present that the ballot box is empty and bears the labels referred to in sub-rule (*5*).

(*7*) The ballot box shall then be closed, sealed and secured and placed in full view of the presiding officer and the polling agents.

[1][**33A. Marked copy of electoral roll.**—Immediately before the commencement of the poll the presiding officer shall also demonstrate to the polling agents and others present that the

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 5573, dated the 23rd December, 1971.

(ख) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के;

(ग) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के;

(घ) अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और नियम 13 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए हर एक अभ्यर्थी के एक मतदान अभिकर्ता के;

(ङ) निर्वाचक के साथ गोद वाले बालक के;

(च) अन्धे या शिथिलांग निर्वाचक के जो सहायता के बिना चल फिर नहीं सकता, साथ वाले व्यक्ति के; तथा

(छ) ऐसे अन्य व्यक्तियों के जिन्हें, रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन आफिसर नियम 34 के उपनियम (2) या नियम 35 के उपनियम (1) के अधीन नियोजित करे,

सिवाय, सब अन्य व्यक्ति वहां से अपवर्जित करेगा ।

33. मतदान के लिए मतपेटियों का तैयार किया जाना—(1) जहां तक कि मतपेटी को सुरक्षित रूप से बन्द कराने के लिए पत्र-मुद्रा का उपयोग किया जाता है, वहां पीठासीन आफिसर पत्र-मुद्रा पर अपने हस्ताक्षर अंकित करेगा और उस पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं में से ऐसों के हस्ताक्षर कराएगा जैसा उन्हें अंकित करने की वांछा रखते हों ।

(2) पीठासीन आफिसर ऐसी हस्ताक्षरित पत्र-मुद्रा को मतपेटी में उसके लिए अभिप्रेत स्थान में तत्पश्चात् लगाएगा और मतपेटी को तब ऐसी रीति में सुरक्षित रूप से बन्द और मुद्रांकित करेगा कि मतपत्र को उसके अन्दर घुसाने के लिए छेद खुला रहे ।

(3) मतपेटी को सुरक्षित रूप से बन्द करने के लिए उपयोग में लाई गई मुद्राएं ऐसी रीति में लगाई जाएंगी कि पेटी का बन्द कर देने के पश्चात् मुद्राओं को तोड़े बिना पेटी का खोलना संभव न हो।

(4) जहां कि यह आवश्यक नहीं है कि मतपेटियों को सुरक्षित रूप से बन्द करने के लिए पत्र-मुद्राओं का उपयोग किया जाए वहां पीठासीन आफिसर मतपेटी को ऐसी रीति में सुरक्षित रूप से बन्द और मुद्रांकित करेगा कि मतपत्रों को उसके अन्दर घुसाने के लिए छेद खुला रहे और यदि उपस्थित मतदान अभिकर्ता ऐसा करने की वांछा करें तो उन्हें अपनी-अपनी मुद्रा उस पर लगाने की अनुज्ञा देगा ।

(5) मतदान केन्द्र में प्रयुक्त हर मतपेटी के अन्दर और बाहर दोनों ओर लेबल लगे होंगे जिन पर--

(क) यदि निर्वाचन-क्षेत्र का कोई क्रम संख्यांक हो तो वह और उसका नाम;

(ख) मतदान केन्द्र का क्रम संख्यांक और नाम;

(ग) मतपेटी का क्रम संख्यांक (जो मतपेटी के बाहर वाले लेबल पर ही मतदान की समाप्ति पर भरा जाएगा); तथा

(घ) मतदान की तारीख,

चिह्नित होगा या होगी ।

(6) मतदान के प्रारम्भ होने से अव्यवहित पूर्व पीठासीन आफिसर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को यह निर्देशित करेगा कि मतपेटी खाली है और उस पर उपनियम (5) में निर्दिष्ट लेबल लगे हैं ।

(7) मतपेटी तब सुरक्षित रूप से बन्द और मुद्रांकित की जाएगी और इस प्रकार रखी जाएगी कि वह पीठासीन आफिसर और मतदान अभिकर्ताओं को पूर्णरूपेण दृष्टिगोचर रहे ।

[1][33क. निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति—मतदान के प्रारंभ से ठीक पूर्व, पीठासीन आफिसर मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित लोगों को यह भी निर्देशित करेगा कि मतदान के दौरान काम में लाई जाने वाली निर्वाचक

1. अधिसूचना सं० का० आ० 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा प्रतिस्थापित ।

marked copy of the electoral roll to be used during the poll does not contain—

(*a*) any entry other than that made in pursuance of clause (*b*) of sub-rule (*2*) of rule 20; and

(*b*) any mark other than the mark made in pursuance of clause (*b*) of sub-rule (*2*) of rule 23.]

34. Facilities for women electors.—(*1*) Where a polling station is for both men and women electors, the presiding officer may direct that they shall be admitted into the polling station alternately in separate batches.

(*2*) The returning officer or the presiding officer may appoint a woman to serve as an attendant at any polling station to assist women electors and also to assist the presiding officer generally in taking the poll in respect of women electors, and, in particular, to help in searching any woman elector in case it becomes necessary.

35. Identification of electors.—(*1*) The presiding officer may employ at the polling station such persons as he thinks fit to help in the identification of the electors or to assist him otherwise in taking the poll.

(*2*) As each elector enters the polling station, the presiding officer or the polling officer authorised by him in this behalf shall check the elector's name and other particulars with the relevant entry in the electoral roll and then call out the serial number, name and other particulars of the elector.

(*3*) Where the polling station is situated in a constituency, electors of which have been supplied with identity cards under the provisions of the Registration of Electors Rules, 1960, the elector shall produce his identity card before the presiding officer or the polling officer authorised by him in this behalf.

(*4*) In deciding the right of a person to obtain a ballot paper the presiding officer or the polling officer, as the case may be, shall overlook merely clerical or printing errors in an entry in the electoral roll, if he is statisfied that such person is identical with the elector to whom such entry relates.

[1][**35A. Facilities for public servants on election duty.**—(*1*) The provisions of rule 35 shall not apply to any person who produces at the polling station an election duty certificate in Form 12B and asks for the issue of a ballot paper to him although the polling station is different from the one where he is entitled to vote.

(*2*) On production of such certificate the presiding officer shall—

(*a*) obtain thereon the signature of the person producing it;

(*b*) have the person's name and electoral roll number as mentioned in the certificate entered at the end of the marked copy of the electoral roll; and

(*c*) issue to him a ballot paper, and permit him to vote, in the same manner as for an elector entitled to vote at that polling station.]

36. Challenging of identity.—(*1*) Any polling agent may challenge the identity of a person claiming to be a particular elector by first depositing a sum of two rupees in cash with the presiding officer for each such challenge.

(*2*) On such deposit being made, the presiding officer shall—

(*a*) warn the person challenged of the penalty for personation;

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 3662, dated the 12th October, 1964.

नामावली की चिह्नित प्रति में—

(क) नियम 20 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अनुसरण में की गई प्रविष्टि से भिन्न कोई प्रविष्टि; और

(ख) नियम 23 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अनुसरण में किए गए चिह्न से भिन्न कोई चिह्न, अन्तर्विष्ट नहीं है।]

34. **मतदात्रियों के लिए सुविधाएं**—(1) जहां कि मतदान केन्द्र मतदाताओं और मतदात्रियों दोनों के लिए है वहां पीठासीन आफिसर यह निदेश दे सकेगा कि उनको मतदान केन्द्र में बारी-बारी से पृथक्-पृथक् टुकड़ियों में घुसने दिया जाएगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन आफिसर किसी स्त्री को मतदात्रियों को सहायता करने के लिए और मतदात्रियों की बाबत मतदान लेने में साधारणतया पीठासीन आफिसर की सहायता करने के लिए भी और विशिष्टतः किसी मतदात्री की उस दशा में तलाशी में मदद करने के लिए, जिसमें कि वह तलाशी आवश्यक हो, परिचारिका के रूप में किसी मतदान केन्द्र में सेवा करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

35. **निर्वाचकों का अभिज्ञान**—(1) पीठासीन आफिसर ऐसे व्यक्तियों को जैसों को वह ठीक समझे मतदान केन्द्र में निर्वाचकों का अभिज्ञान करने में अपनी मदद करने के लिए या अन्यथा मतदान में अपनी सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा।

(2) जैसे-जैसे हरएक निर्वाचक मतदान केन्द्र में प्रवेश करे वैसे-वैसे पीठासीन आफिसर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मतदान आफिसर निर्वाचक के नाम और अन्य विशिष्टियों को निर्वाचक नामावली में की सुसंगत प्रविष्टि से मिलाएगा और तब निर्वाचक का क्रम संख्यांक, नाम और अन्य विशिष्टियां पढ़कर सुनाएगा।

(3) जहां कि मतदान केन्द्र ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में अवस्थित है जिसके निर्वाचकों को रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन अभिज्ञान-पत्र दिए गए हैं वहां पीठासीन आफिसर या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत मतदान आफिसर के समक्ष निर्वाचक अपना अभिज्ञान-पत्र पेश करेगा।

(4) मतपत्र अभिप्राप्त करने के व्यक्ति के अधिकार का विनिश्चय करने में, यथास्थिति, पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर निर्वाचक नामावली में की प्रविष्टि में कोरी लेखन संबंधी या मुद्रण संबंधी अशुद्धियों की उस दशा में अनवेक्षा करेगा जिसमें कि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति वही निर्वाचक है जिससे कि ऐसी प्रविष्टि संबद्ध है।

[1][35क. **निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के लिए सुविधाएं**—(1) नियम 35 के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू न होंगे जो मतदान केन्द्र में प्ररूप 12ख में निर्वाचन-कर्तव्य-प्रमाणपत्र पेश कर देता है और अपने को मतपत्र दिए जाने की मांग करता है भले ही मतदान केन्द्र उस केन्द्र से भिन्न हो जहां मत देने का वह हकदार है।

(2) ऐसे प्रमाणपत्र के पेश किए जाने पर पीठासीन आफिसर—

(क) उस पर उसे पेश करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा;

(ख) उस व्यक्ति का नाम और निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो प्रमाणपत्र में वर्णित है, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के अन्त में प्रविष्टि कराएगा; तथा

(ग) उसे मतपत्र और मत देने की अनुज्ञा उसी रीति में देगा जिससे उस मतदान केन्द्र में मत देने के हकदार किसी निर्वाचक को देता है।]

36. **अनन्यता के बारे में अभ्याक्षेप**—(1) कोई मतदान अभिकर्ता विशिष्ट निर्वाचक होने का दावा करने वाले व्यक्ति की अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप हर एक ऐसे अभ्याक्षेप के लिए पीठासीन आफिसर के पास नकद दो रुपए की राशि पहले निक्षिप्त करके कर सकेगा।

(2) पीठासीन आफिसर ऐसा निक्षेप किए जाने पर—

(क) उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत ऐसा अभ्याक्षेप किया गया है, प्रतिरूपण के लिए शास्ति की चेतावनी देगा;

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा अन्तःस्थापित।

(*b*) read the relevant entry in the electoral roll in full and ask him whether he is the person referred to in that entry;

(*c*) enter his name and address in the list of challenged votes in Form 14; and

(*d*) require him to affix his signature in the said list.

(*3*) The presiding officer shall thereafter hold a summary inquiry into the challenge and may for that purpose—

(*a*) require the challenger to adduce evidence in proof of the challenge and the person challenged to adduce evidence in proof of his identity;

(*b*) put to the person challenged any questions necessary for the purpose of establishing his identity and require him to answer them on oath; and

(*c*) administer an oath to the person challenged and any other person offering to give evidence.

(*4*) If, after the inquiry, the presiding officer considers that the challenge has not been established he shall allow the person challenged to vote; and if he considers that the challenge has been established, he shall debar the person challenged from voting.

(*5*) If the presiding officer is of the opinion that the challenge is frivolous or has not been made in good faith, he shall direct that the deposit made under sub-rule (*1*) be forefeited to Government, and in any other case, he shall return to the challenger at the conclusion of the inquiry.

37. Safeguards against personation.—(*1*) Every elector about whose identity the presiding officer or the polling officer, as the case may be, is satisfied, shall allow his left forefinger to be inspected by the presiding officer or polling officer and an indelible ink mark to be put on it.

(*2*) If any elector—

(*a*) refuses to allow his left forefinger to be inspected or marked in accordance with sub-rule (*1*) or has already such a mark on his left forefinger or does any act with a view to removing the ink mark, or

(*b*) fails or refuses to produce his identity card as required by sub-rule (*3*) of rule 35

he shall not be supplied with any ballot paper or allowed to vote.

(*3*) Where a poll is taken simultaneously in a parliamentary constitutency and an assembly constituency, an elector whose left forefinger has been marked with indelible ink or who has produced his identity card at one such election shall, notwithstanding anything contained in sub-rules (*1*) and (*2*), be supplied with a ballot paper for the other election.

(*4*) Any reference in this rule to the left forefinger of an elector shall, in the case where the elector has his left forefinger missing, be construed as a reference to any other finger of his left hand, and shall, in the case where all the fingers of his left hand are missing, be construed as a reference to the forefinger or any other finger of his right hand, and shall in the case where all his fingers of both the hands are missing be construed as a reference to such extremity of his left or right arm as he possesses.

[1][**38. Issue of ballot papers to electors.**—(*1*) Every ballot paper before it is issued to an elector, and the counterfoil attached thereto shall be stamped on the back with such distinguishing mark as the Election Commission may direct, and every ballot paper, before it is issued, shall be signed in full on its back by the presiding officer.

---

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 5573, dated the 23rd December, 1971.

(ख) निर्वाचक नामावली में की सुसंगत प्रविष्टि को पूरी तरह पढ़कर सुनाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है;

(ग) अभ्याक्षेपित मतों की प्ररूप 14 वाली सूची में उसका नाम और पता प्रविष्ट करेगा; तथा

(घ) उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर करने की उससे अपेक्षा करेगा।

(3) पीठासीन आफिसर तत्पश्चात् उस अभ्याक्षेप के संबंध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए—

(क) वह अपेक्षा कर सकेगा कि अभ्याक्षेपकर्ता अपने अभ्याक्षेप के सबूत में साक्ष्य दे और अभ्याक्षेपित व्यक्ति अपनी अनन्यता के सबूत में व्यक्ति साक्ष्य दे ;

(ख) जिस व्यक्ति की बाबत अभ्याक्षेप किया गया है उसकी अनन्यता स्थापित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई प्रश्न उससे पूछ सकेगा और उनका उत्तर शपथ पर देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा; और

(ग) जिस व्यक्ति की बाबत अभ्याक्षेप किया गया है उसको और साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकेगा।

(4) यदि जांच के पश्चात् पीठासीन आफिसर का विचार हो कि अभ्याक्षेप सत्य साबित नहीं हुआ है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को अनुज्ञा देगा कि वह मत दे, और यदि उसका विचार हो कि अभ्याक्षेप स्थापित कर दिया गया है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मत देने से विवर्जित करेगा।

(5) यदि पीठासीन आफिसर की यह राय है कि अभ्याक्षेप तुच्छ है या सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है तो वह यह निदेश देगा कि उपनियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप सरकार के पक्ष में समपहृत कर लिया जाए और अन्य किसी दशा में वह जांच की समाप्ति पर उसे अभ्याक्षेपकर्ता को लौटा देगा।

37. प्रतिरूपण के विरुद्ध उपाय—(1) हर ऐसा निर्वाचक, जिसकी अनन्यता की बाबत, यथास्थिति, पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर का समाधान हो गया है, अपनी बाईं तर्जनी का निरीक्षण पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर द्वारा किए जाने देगा, और उस पर अमिट स्याही का चिह्न लगाया जाने देगा।

(2) यदि कोई निर्वाचक—

(क) अपनी बाईं तर्जनी को उपनियम (1) के अनुसार निरीक्षित या चिह्नित करने से इंकार करता है या उसकी अपनी बाईं तर्जनी पर ऐसा चिह्न पहले से है या ऐसे स्याही-चिह्न को हटाने की दृष्टि से कोई कार्य करता है, अथवा

(ख) नियम 35 के उपनियम (3) द्वारा यथापेक्षित रूप में अपना अभिज्ञान पत्र पेश करने में असफल होता है या पेश करने से इंकार करता है,

तो उसे किसी मतपत्र का प्रदाय न किया जाएगा और न उसे मतदान करने दिया जाएगा।

(3) जहां कि संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान साथ-साथ हो वहां उस निर्वाचक को जिसकी बाईं तर्जनी ऐसे एक निर्वाचन में, अमिट स्याही से चिह्नित कर दी गई है या जिसने अपना अभिज्ञान पत्र ऐसे एक निर्वाचन में पेश कर दिया है, उपनियम (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, दूसरे निर्वाचन के लिए मतपत्र का प्रदाय किया जाएगा।

(4) इस नियम में निर्वाचक की बाईं तर्जनी के प्रति किसी निर्देश का उस दशा में, जिसमें निर्वाचक की बाईं तर्जनी नहीं है ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उसके बाएं हाथ की किसी दूसरी उंगली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके बाएं हाथ की सब उंगलियां न हों वहां ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह निर्देश उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी दूसरी उंगली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके दोनों हाथों की सब उंगलियां नहीं हैं वहां ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उसकी बाईं या दाहिनी भुजा के ऐसे अग्रतम भाग के प्रति निर्देश हो जैसा कि उसका है।

[1][38. निर्वाचकों को मतपत्रों का दिया जाना—(1) निर्वाचक को दिए जाने के पूर्व प्रत्येक मतपत्र और उससे संलग्न प्रतिपर्ण, पृष्ठ भाग पर ऐसे सुभिन्नक चिह्न से मुद्रांकित किए जाएंगे जैसा निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे, और पीठासीन आफिसर मतपत्र दिए जाने से पूर्व उसके पृष्ठ भाग पर पूरे हस्ताक्षर करेगा।

1. अधिसूचना सं० का० आ० 5573 तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) At the time of issuing a ballot paper to an elector, the polling officer shall—

(a) record on its counterfoil the electoral roll number of the elector as entered in the marked copy of the electoral roll;

[(b) obtain the signature or thumb impression of that elector on the said counterfoil; and]

(c) mark the name of the elector in the marked copy of the electoral roll to indicate that a ballot paper has been issued to him, without however recording therein the serial number of the ballot paper issued to that elector:

[1][Provided that no ballot paper shall be delivered to an elector unless he has put his signature or thumb impression on the counterfoil of that ballot paper.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 2, it shall not be necessary for any presiding officer or polling officer or any other officer to attest the thumb impression of the elector on the counterfoil.]

(4) No person in the polling station shall note down the serial numbers of the ballot papers issued to particular electors.]

[2][39. **Maintenance of secrecy of voting by electors within polling station and voting procedure.**—(1) Every elector to whom a ballot paper has been issued under rule 38 or under any other provision of these rules, shall maintain secrecy of voting within the polling station and for that purpose observe the voting procedure hereinafter laid down.

(2) The elector on receiving the ballot paper shall forthwith—

(a) proceed to one of the voting compartments;

(b) there make a mark on the ballot paper with the instrument supplied for the purpose on or near the symbol of the candidate for whom he intends to vote;

(c) fold the ballot paper so as to conceal his vote;

(d) if required, show to the presiding officer the distinguishing mark on the ballot paper;

(e) insert the folded ballot paper into the ballot box: and

(f) quit the polling station.

(3) Every elector shall vote without undue delay.

(4) No elector shall be allowed to enter a voting compartment when another elector is inside it.

(5) If an elector to whom a ballot paper has been issued, refuses, after warning given by the presiding officer, to observe the procedure as laid down in sub-rule (2), the ballot paper issued to him shall, whether he has recorded his vote thereon or not, be taken back from him by the presiding officer or a polling officer under the direction of the presiding officer.

(6) After the ballot paper has been taken back, the presiding officer shall record on its back the words "Cancelled: voting procedure violated" and put his signature below those words

(7) All the ballot papers on which the words "Cancelled: voting procedure violated" are recorded, shall be kept in a separate cover which shall bear on its face the words "Ballot papers : voting procedure violated".

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 518(E), dated the 7th September, 1979.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 1433, dated the 19th April, 1968.

(2) निर्वाचक को मतपत्र दिए जाने के साथ, मतदान आफिसर—

(क) उसके प्रतिपर्ण पर निर्वाचक की वह निर्वाचक नामावली संख्यांक अभिलिखित करेगा जो निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में प्रविष्ट हैं;

[1][(ख) उक्त प्रतिपर्ण पर उस निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप अभिप्राप्त करेगा; और]

(ग) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में निर्वाचक का नाम यह उपदर्शित करने के लिए चिह्नित करेगा कि उसे मतपत्र दिया गया है किन्तु वह उस निर्वाचक को दिए गए मतपत्र का क्रम संख्यांक उसमें अभिलिखित नहीं करेगा :

[1][परन्तु किसी निर्वाचक को कोई मतपत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने उस मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अपने हस्ताक्षर न कर दिए हों या अंगूठे की छाप न लगा दी हो।

[1][(3) नियम 2 के उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी किसी पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर या किसी अन्य आफिसर के लिए आवश्यक नहीं होगा कि वह प्रतिपर्ण पर निर्वाचक के अंगूठे की छाप को अनुप्रमाणित करे।]

(4) मतदान केन्द्र में कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी निर्वाचकों को दिए गए मतपत्रों के क्रम संख्यांक को नोट नहीं करेगा।]

39. [2][**निर्वाचकों द्वारा मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया**—(1) हर वह निर्वाचक जिसे नियम 38 या इन नियमों के किसी अन्य उपबंध के अधीन मतपत्र दिए गए है, मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और इस प्रयोजन के लिए एतस्मिन् पश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(2) निर्वाचक मतपत्र प्राप्त होने पर तत्क्षण—

(क) मतदान कोष्ठों मे से एक मे जाएगा;

(ख) वहां उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके निकट, जिसके लिए मत देने का उसका आशय है, मतपत्र में उस प्रयोजन के लिए दिए गए, उपकरण से चिह्न बनाएगा;

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाए;

(घ) उस दशा में, जिसमें कि उससे यह अपेक्षा की जाए, मतपत्र पर लगा भुमिन्नक चिह्न पीठासीन आफिसर को दर्शित करेगा;

(ङ) मुड़े मतपत्र को मतपेटी में डालेगा; तथा

(च) मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा।

(3) हर निर्वाचक असम्यक् विलम्ब के बिना मत देगा।

(4) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक है तब अन्य किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने दिया जाएगा।

(5) यदि कोई निर्वाचक जिसे मतपत्र दिया गया है, उपनियम (2) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने से पीठासीन आफिसर द्वारा चेतावनी दिए जाने के पश्चात् भी इंकार करे तो, उसे दिया गया मतपत्र, चाहे उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं, पीठासीन आफिसर द्वारा या पीठासीन आफिसर के निदेश से मतदान आफिसर द्वारा वापस ले लिया जाएगा।

(6) मतपत्र वापस लिए जा चुकने के पश्चात् पीठासीन आफिसर उसके पृष्ठ भाग पर "रद्द किया गया : मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया" शब्द अभिलिखित करेगा और उन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा।

(7) ऐसे सब मतपत्र जिन पर "रद्द किया गया : मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया" शब्द अभिलिखित हों, एक पृथक् लिफाफे में रखे जाएंगे जिसके ऊपर "मतपत्र : मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया" शब्द अभिलिखित होंगे।

1. अधिसूचना सं० का० आ० 518(अ), तारीख 7 सितम्बर, 1979 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 1433, तारीख 19 अप्रैल, 1968 द्वारा प्रतिस्थापित।

(8) Without prejudice to any other penalty to which an elector, from whom a ballot paper has been taken back under sub-rule (5), may be liable, the vote, if any, recorded on such ballot paper shall not be counted.]

[1][40. **Recording of votes of blind or infirm electors.**—(1) If the presiding officer is satisfied that owing to blindness or other physical infirmity an elector is unable to recognise the symbols on the ballot paper or to make a mark thereon without assistance, the presiding officer shall permit the elector to take with him a companion of not less than [2][eighteen] years of age to the voting compartment for recording the vote on the ballet paper on his behalf and in accordance with his wishes, and, if necessary, for folding the ballet papor so as to conceal the vote and inserting it into the ballot box:

Provided that no person shall be permitted to act as the companion of more than one elector at any polling station on the same day:

Provided further that before any person is permitted to act as the companion of an elector on any day under this rule, the person shall be required to declare that he will keep secret the vote recorded by him on behalf of the elector and that he has not already acted as the companion of any other elector at any polling station on that day.

(2) The presiding officer shall keep a record in Form 14A of all cases under this rule.]

41. Spoilt and returned ballot papers.—(1) An elector who has inadvertently dealt with his ballot paper in such manner that it cannot be conveniently used as a ballot paper may, on returning it to the presiding officer and on satisfying him of the inadvertence, be given another ballot paper, and [3][the ballot paper so returned and the counterfoil of such ballot paper] shall be marked "Spoilt : cancelled" by the presiding officer.

(2) If an elector after obtaining a ballot paper decides not to use it, he shall return it to the presiding officer, and [3][the ballot paper so returned and the counterfoil of such ballot paper] shall be marked as "Returned : cancelled" by the presiding officer.

(3) All ballot papers cancelled under sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be kept in a separate packet.

42. Tendered votes.—(1) If a person representing himself to be a particular elector applies for a ballot paper after another person has already voted as such elector, he shall, on satisfactorily answering such questions relating to his identity as the presiding officer may ask, be entitled, subject to the following provisions of this rule, to mark a ballot paper (hereinafter in these rules referred to as a "tendered ballot paper") in the same manner as any other elector.

(2) Every such person shall, before being supplied with a tendered ballot paper, sign his name against the entry relating to him in a list in Form 15.

[3][(3) A tendered ballot paper shall be the same as the other ballot papers used at the polling except that—

(a) such tendered ballot paper shall be serially the last in the bundle of ballot papers issued for use at the polling station; and

(b) such tendered ballot paper and its counterfoil shall be endorsed on the back with the words "tendered ballot paper" by the presiding officer in his own hand and signed by him.]

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 3662, dated the 12th October, 1964, for rule 40.
2. Subs. by S.O. 542(E), dt. 13.7.1989.
3. Subs. by Notifn. No. S.O. 5573, dated the 23rd December, 1971.

(8) ऐसी अन्य किसी भी शास्ति पर, जिससे कि ऐसा निर्वाचक, जिससे उपनियम (5) के अधीन मतपत्र वापस ले लिया गया है, दण्डनीय हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसका मत, यदि ऐसे मतपत्र पर अभिलिखित किया गया है, संगणित नहीं किया जाएगा।]

[1][40. अंधे या शिथिलांग निर्वाचकों द्वारा मतों का अभिलेखन—(1) यदि पीठासीन आफिसर का समाधान हो जाता है कि अन्धेपन या अन्य अंगशैथिल्य के कारण निर्वाचक मतपत्र में प्रतीकों को पहचानने में या सहायता के बिना उस पर चिह्न बनाने में असमर्थ है तो पीठासीन आफिसर, निर्वाचक को मतपत्र पर अपनी ओर से और अपनी इच्छाओं के अनुसार, मत अभिलिखित करने के लिए और यदि आवश्यकता हो तो मतपत्र को ऐसे मोड़ने के लिए कि मत छिप जाए और उसे मतपेटी में घुसाने के लिए, अपने साथ [2][अठारह] वर्ष से अन्यून आयु का एक साथी मतदान कोष्ठ में ले जाने की अनुज्ञा देगा:

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही दिन किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक निर्वाचकों के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के तौर पर कार्य करने के लिए अनुज्ञात करने से पहले उस व्यक्ति से यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह निर्वाचक की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र में किसी अन्य निर्वाचक के साथी के तौर पर पहले कार्य नहीं किया है, करने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) पीठासीन आफिसर इस नियम के अधीन के सभी मामलों का प्ररूप 14क में अभिलेख रखेगा।]

41. खराब हुए और लौटाए गए मतपत्र—(1) उस निर्वाचक को, जिसने अपना मतपत्र अनवधानता से ऐसी रीति से बरता है कि वह मतपत्र के रूप में सुविधानुसार उपयोग में नहीं लाया जा सकता, पीठासीन आफिसर को उसे लौटा दिए जाने पर और अनवधानता के संबंध में उसका समाधान कर दिए जाने पर, दूसरा मतपत्र दिया जा सकेगा और [3][ऐसे लौटाए गए मतपत्र और ऐसे मतपत्र के प्रतिपर्ण] पर पीठासीन आफिसर "खराब : रद्द किया गया" शब्द अंकित करेगा।

(2) यदि निर्वाचक कोई मतपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् उसे उपयोग में न लाने का विनिश्चय करता है तो उसे वह पीठासीन आफिसर को लौटा देगा और [3][ऐसे लौटाए गए मतपत्र और ऐसे मतपत्र के प्रतिपर्ण पर] पीठासीन आफिसर "लौटाया गया : रद्द किया गया" शब्द अंकित करेगा।

(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन रद्द किए गए सब मतपत्र पृथक् पैकेट में रखे जाएंगे।

42. निविदत्त मत—(1) यदि कोई व्यक्ति अपनी बाबत यह व्यपदिष्ट करके कि वह विशिष्ट निर्वाचक है ऐसे निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत दे दिए जाने के पश्चात् मतपत्र के लिए आवेदन करता है तो अपनी अनन्यता के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधानप्रद रूप में उत्तर देने के पश्चात् जैसे पीठासीन आफिसर पूछे, वह इस नियम के निम्नलिखित उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए (एतस्मिन्पश्चात् इन नियमों में "निविदत्त मतपत्र" के रूप में निर्दिष्ट) मतपत्र को चिह्नित करने का हकदार ऐसे होगा जैसे कोई अन्य निर्वाचक होता है।

(2) हर ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किए जाने के पहले अपना नाम प्ररूप 15 की सूची में अपने से सम्बद्ध प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षरित करेगा।

[3][(3) निविदत्त मतपत्र, इसके सिवाय कि—

(क) ऐसा निविदत्त मत मतदान केन्द्र में उपयोग के लिए दिए गए मतपत्रों के बंडल में क्रम में अंतिम होगा; तथा

(ख) ऐसा निविदत्त मत और उसका प्रतिपर्ण पृष्ठ पर "निविदत्त मतपत्र" शब्दों से पीठासीन आफिसर द्वारा अपने हाथ से पृष्ठांकित और हस्ताक्षरित होंगे,

वैसा ही होगा जैसा मतदान में उपयोग में लाया जाने वाला अन्य मतपत्र होता है।]

1. अधिसूचना सं० का० आ० 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा नियम 40 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 542(अ), तारीख 13.7.1989 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं० का०आ० 5573, तारीख 23 दिसम्बर 1971 द्वारा प्रतिस्थापित।

(*4*) The elector, after marking a tendered ballot paper in the voting compartment and folding it, shall, instead of putting it into the ballot box, give it to the presiding officer, who shall place it in a cover specially kept for the purpose.

43. Closing of poll.—(*1*) The presiding officer shall close a polling station at the hour fixed in that behalf under section 56 and shall not thereafter admit any elector into the polling station:

Provided that all electors present at the polling station before it is closed shall be allowed to cast their votes.

(*2*) If any question arises whether an elector was present at the polling station before it was closed, it shall be decided by the presiding officer and his decision shall be final.

44. Sealing of ballot boxes after poll.—(*1*) As soon as practicable after the closing of the poll, the presiding officer shall close the slit of the ballot box, and where the box does not contain any mechanical device for closing the slit, he shall seal up the slit and also allow any polling agent present to affix his seal.

(*2*) The ballot box shall thereafter be sealed and secured.

(*3*) Where it becomes necessary to use a second ballot box by reason of the first ballot box getting full, the first box shall be closed, sealed and secured as provided in sub-rules (*1*) and (*2*) before another ballot box is put into use.

(*4*) The foregoing provisions of this rule shall not apply at a polling station to the presiding officer of which the Election Commission has issued a direction asking him to proceed in accordance with sub-rule (*5*).

(*5*) At any such polling station, as soon as practicable after the close of poll, the presiding officer shall—

(*a*) transfer all the ballot papers contained in the ballot box or boxes used at that polling station, without examining or counting them and with due regard to the secrecy of the ballot, into a cloth bag or cloth-lined cover after demonstrating to the polling agents present that the bag or cover is empty;

(*b*) allow the polling agents present to inspect each ballot box and demonstrate to them that it has been emptied;

(*c*) record on the bag or cover the name of the constituency, the name of the polling station and the date of the poll; and

(*d*) seal the bag or cover and allow any polling agent present to affix his seal thereon.

45. Account of ballot papers.— [(*1*)] The presiding officer shall at the close of the poll prepare a ballot paper account in Form 16 and enclose it in a separate cover with the words "Ballot Paper Account" superscribed thereon.

[2][(*2*) The presiding officer shall furnish to every polling agent present at the close of the poll a true copy of the entries made in the ballot paper account after obtaining a receipt from the said polling agent therefor and shall also attest it as a true copy.]

46. Sealing of other packets.—(*1*) The presiding officer shall then make into separate packets—

(*a*) the marked copy of the electoral roll;

1. Rule 45 renumbered as sub-rule (*1*) of that rule by Notifn. No. S.O. 3875, dated the 15th December, 1966.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 229(E), dated the 26th May, 1975.

(4) निर्वाचक निविदत्त मतपत्र को मतदान कोष्ठ में चिह्नित करने और उसको मोड़ने के पश्चात् उसे मत-पेटी में रखने के बजाय उसे पीठासीन आफिसर को देगा जो उसे उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में रखेगा।

43. मतदान बन्द करना—(1) पीठासीन आफिसर मतदान केन्द्र को धारा 56 के अधीन तन्निमित्त नियत समय पर बन्द कर देगा और तत्पश्चात् किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने देगा :

परन्तु मतदान केन्द्र के बन्द किए जाने के पूर्व उसमें उपस्थित सब निर्वाचक अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे।

(2) यदि कोई प्रश्न इस बाबत पैदा होता है कि कोई निर्वाचक मतदान केन्द्र बन्द किए जाने के पूर्व वहां उपस्थित था या नहीं तो उसका विनिश्चय पीठासीन आफिसर द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

44. मतदान के पश्चात् मतपेटियों का मुद्राबन्द किया जाना—(1) मतदान के बन्द होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से पीठासीन आफिसर मतपेटी के छेद को बन्द कर देगा और जहां छेद को बन्द करने के लिए कोई यांत्रिक युक्ति पेटी में नहीं है वहां वह उस छेद को मुद्राबन्द करेगा और किसी भी उपस्थित मतदान अभिकर्ता को उस पर मुद्रा लगाने देगा।

(2) मतपेटी तत्पश्चात् मुद्राबन्द की जाएगी और सुरक्षित कर दी जाएगी।

(3) जहां कि पहली मतपेटी के भर जाने के कारण दूसरी मतपेटी को उपयोग में लाना आवश्यक हो जाता है वहां दूसरी मतपेटी को उपयोग में लाने से पूर्व उपनियम (1) और (2) में यथा उपबन्धित रूप में पहली मतपेटी बन्द, मुद्रांकित और सुरक्षित कर दी जाएगी।

(4) इस नियम के पूर्वगामी उपबन्ध उस मतदान केन्द्र को लागू न होंगे जिसके पीठासीन आफिसर को निर्वाचन आयोग ने यह निदेश दिया है कि वह उपनियम (5) के अनुसार अग्रसर हो।

(5) ऐसे किसी मतदान केन्द्र पर मतदान के बन्द होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से पीठासीन आफिसर—

(क) उस मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी या पेटियों में अन्तर्विष्ट सब मतपत्रों को उनकी परीक्षा या गणना किए बिना और मत की गोपनीयता का सम्यक् ध्यान रखकर एक कपड़े के थैले या कपड़े की परत लगे लिफाफे में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को यह निर्दिष्ट करने के पश्चात् अन्तरित करेगा कि ऐसा थैला या लिफाफा खाली है;

(ख) उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की हर एक मतपेटी का निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा और उन्हें निर्देशित करेगा कि उसे खाली कर दिया गया है;

(ग) थैले या लिफाफे पर निर्वाचन-क्षेत्र का नाम, मतदान केन्द्र का नाम और मतदान की तारीख अभिलिखित करेगा; तथा

(घ) थैले या लिफाफे को मुद्राबन्द करेगा और किसी उपस्थित मतदान अभिकर्ता को उस पर अपनी मुद्रा लगाने देगा।

45. मतपत्रों का लेखा—[1][(1)] पीठासीन आफिसर मतदान के बन्द होने पर मतपत्र-लेखा प्ररूप 16 में तैयार करेगा और उसे एक पृथक् लिफाफे में रखेगा और उसके ऊपर "मतपत्र-लेखा" शब्द लिखेगा।

[2][(2) पीठासीन आफिसर मतदान की समाप्ति पर उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को, मतपत्र-लेखा में की गई प्रविष्टियों की एक शुद्ध प्रति, उक्त मतदान अभिकर्ता से उसकी रसीद अभिप्राप्त करने के पश्चात् देगा और यह अनुप्रमाणित भी करेगा कि वह शुद्ध प्रति है।]

46. अन्य पैकेटों का मुद्राबन्द किया जाना—(1) पीठासीन आफिसर तब—

(क) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के;

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 3875, तारीख 15 दिसम्बर, 1966 द्वारा नियम 45 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।

2. अधिसूचना सं० का० आ० 229(अ), तारीख 26 मई, 1975 द्वारा अन्तःस्थापित।

[1][(*aa*) the counterfoils of the used ballot paper;]

[2][(*b*) the ballot papers signed in full by the presiding officer under sub-rule (*1*) of rule 38 but not issued to the voters;

(*bb*) any other ballot papers not issued to the voters;

(*c*) the ballot papers cancelled for violation of voting procedure under rule 39;

(*cc*) any other cancelled ballot papers;]

(*d*) the cover containing the tendered ballot papers and the list in Form 15:

(*e*) the list of challenged votes; and

(*f*) any other papers directed by the Election Commission to be kept in a sealed packet.

[2][(*2*) Each such packet shall be sealed with the seals of the presiding officer and with the seals either of the candidate or of his election agent or of his polling agent who may be present at the polling station and may desire to affix his seals thereon.]

47. Transmission of ballot boxes, etc., to the returning officer.—(*1*) The presiding officer shall then deliver or cause to be delivered to the returning officer at such place as the returning officer may direct—

(*a*) the ballot boxes or, as the case may be, the bags or covers referred to in rule 44;

(*b*) the ballot paper account;

(*c*) the sealed packets referred to in rule 46; and

(*d*) all other papers used at the poll.

(*2*) The returning officer shall make adequate arrangements for the safe transport of all ballot boxes, packets and other papers and for their safe custody until the commencement of the counting of votes.

48. Procedure on adjournment of poll.—(*1*) If the poll at any polling station is adjourned under sub-section (*1*) of section 57, the provisions of rules 44 to 47 shall, as far as practicable, apply as if the poll was closed at the hour fixed in that behalf under section 56.

(*2*) When an adjourned poll is recommenced under sub-section (*2*) of section 57, the electors who have already voted at the poll so adjourned shall not be allowed to vote again.

(*3*) The returning officer shall provide the presiding officer of the polling station at which such adjourned poll is held, with the sealed packet containing the marked copy of the electoral roll and a new ballot box.

(*4*) The presiding officer shall open the sealed packet in the presence of the polling agents present and use the marked copy of the electoral roll [3][for marking the names of the electors to whom the ballot papers are issued at the adjourned poll, without however recording therein the serial number thereof].

(*5*) The provisions of rules 28 to 47 shall apply in relation to the conduct of an adjourned poll as they apply in relation to the poll before it was so adjourned.

49. Voting by ballot at notified polling stations.—(*1*) Notwithstanding anything contained in the preceding provisions of this Part, the Election Commission may, by notification published

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 5573, dated the 23rd December, 1971.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 4542, dated the 20th December, 1968 (w.e.f. 1-1-1969).
3. Subs. by Notifn. No. S.O. 5573, dated the 23rd December, 1971, for certain words.

[1][(कक) उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपर्णों के;]

[2][(ख) नियम 38 के उपनियम (1) के अधीन पीठासीन आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित किन्तु मतदाता को जारी न किए गए मतपत्रों के;

(खख) मतदाताओं को जारी न किए गए किन्हीं अन्य मतपत्रों के;

(ग) नियम 39 के अधीन मतदान की प्रक्रिया के उल्लंघन स्वरूप रद्द किए गए मतपत्रों के;

(गग) किन्हीं अन्य रद्द किए गए मतपत्रों के;]

(घ) निविदत्त मतपत्रों को अन्तर्विष्ट रखने वाले लिफाफे और प्ररूप 15 की सूची के;

(ङ) अभ्याक्षेपित मतों की सूची के; और

(च) किन्हीं अन्य ऐसे कागजपत्रों के, जिनकी बाबत निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि वे मुद्राबन्द पैकेट में रखे जाएं,

पृथक् पैकट बनाएगा।

[3][(2) ऐसा हर एक पैकेट पीठासीन आफिसर की ओर, या तो अभ्यर्थी को या उसके निर्वाचन अभिकर्ता अथवा उसके मतदान अभिकर्ता को जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों और उस पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित किया जाएगा।

47. **मतपेटियों, आदि का रिटर्निंग आफिसर को पारेषण**—(1) पीठासीन आफिसर तब रिटर्निंग आफिसर को—

(क) मतपेटियों या यथास्थिति, नियम 44 में निर्दिष्ट थैले या लिफाफे;

(ख) मतपत्र-लेखा ;

(ग) नियम 46 में निर्दिष्ट मुद्राबन्द पैकेट; तथा

(घ) मतदान में उपयोग में लाए गए सब अन्य कागजपत्र,

ऐसे स्थान में जैसा रिटर्निंग आफिसर निर्दिष्ट करे, परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर सब मतपेटियों, पैकेटों और अन्य कागजपत्रों के सुरक्षापूर्ण परिवहन के लिए और मतों की गणना के प्रारम्भ होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए यथायोग्य इंतजाम करेगा।

48. **मतदान के स्थगन पर प्रक्रिया**—(1) यदि मतदान किसी मतदान केन्द्र में धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन स्थगित किया गया है तो नियम 44 से लेकर 47 तक के उपबन्ध यावत्साध्य ऐसे लागू होंगे मानो मतदान धारा 56 के अधीन तन्निमित्त नियत समय पर बन्द हुआ हो।

(2) जब स्थगित मतदान धारा 57 की उपधारा (2) के अधीन पुनः आरम्भ हुआ है तब उन निर्वाचकों को जिन्होंने ऐसे स्थगित मतदान में पहले ही मत दिया था, पुनः मत देने के लिए अनुज्ञा न दी जाएगी।

(3) रिटर्निंग आफिसर उस मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर को, जिनमें ऐसा स्थगित मतदान होता है वह मुद्राबन्द पैकेट जिसमें निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति अन्तर्विष्ट है और एक नई मतपेटी उपबन्धित करेगा।

(4) पीठासीन आफिसर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं को, जो उपस्थित हैं, उपस्थिति में मुद्राबन्द पैकेट को खोलेगा और निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति का उपयोग [3][ऐसे निर्वाचकों के नाम, जिन्हें स्थगित मतदान में मतपत्र दिए गए हैं, उनका क्रम संख्यांक उनमें अभिलिखित किए बिना चिह्नित करने के लिए] करेगा।

(5) नियम 28 से लेकर 47 तक के उपबन्ध स्थगित मतदान के संचालन के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे ऐसे स्थगन किए जाने के पूर्व के मतदान के संबंध में लागू होते हैं।

49. **अधिसूचित मतदान केन्द्रों में मतपत्र द्वारा मत का दिया जाना**—(1) इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन आयोग निर्वाचन के लिए नियत मतदान की तारीख या तारीखों में से प्रथम

1. अधिसूचना सं० का० आ० 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं० का० आ० 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

in the Official Gazette at least 15 days before the date, or the first of the dates, of poll appointed for an election, direct that the method of voting by ballot shall be followed in that election at such polling stations as may be specified in the notification.

(2) Every such polling station is hereafter in these rules referred to as a "notified polling station".

(3) The provisions of rules 28 to 48 shall apply in relation to every notified polling station subject to the following modifications, namely:—

(*a*) in lieu of rule 30, the following rule shall apply:—

"30A. *Form of ballot paper.*—Every ballot paper shall be of such design as the Election Commission may decide.";

(*b*) in lieu of sub-rules (2) and (3) of rule 31, the following sub-rules shall apply:—

"(2) At each notified polling station there shall be set up one voting compartment in which the ballot boxes, one for each candidate, shall be placed for the reception of ballot papers during the poll and which shall be so designed that an elector can insert a ballot paper in any of the ballot boxes without being observed by any person outside the compartment.

(3) The returning officer shall provide at each notified polling station a sufficient number of ballot boxes, copies of the relevant part of the electoral roll, ballot papers and such other election materials as may be required for taking the poll.";

(*c*) in lieu of sub-rules (5), (6) and (7) of rule 33, the following sub-rules shall apply:—

"(5) The symbol allotted to each candidate under rule 10 shall be printed on labels which shall be affixed both inside and outside the ballot box and such ballot box shall thereafter be deemed to have been allotted to that candidate.

(6) Each ballot box shall also be marked with such other distinguishing marks as the Election Commission may direct.

(7) Immediately before the commencement of the poll, the presiding officer shall allow inspection of each ballot box by the polling agents present and demonstrate to them that (*a*) it is empty, (*b*) proper labels have been affixed both inside and outside the box, and (*c*) the ballot box is marked in accordance with sub-rule (6).

(8) After all the ballot boxes have been labelled, secured and sealed, they shall be placed in the voting compartment side by side in the same order in which the names of the candidates to whom they have rspectively been allotted appear in the list of contesting candidates.";

[1][(*cc*) in lieu of rule 38, the following rule shall apply:—

"38B. *Issue of ballot papers to electors.*—(1) Every ballot paper shall before issue to an elector be—

(*a*) stamped with such distinguishing mark as the Election Commission may direct; and

(*b*) singed in full on its back by the presiding officer.

(2) At the time of issuing a ballot paper to an elector, the polling officer shall record the serial number thereof against the entry relating to the elector in the marked copy of the electoral roll.

---

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 5573, dated the 23rd December, 1971.

तारीख से कम से कम 15 दिन पहले शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि उस निर्वाचन में ऐसे मतदान केन्द्रों में, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं मतपत्र द्वारा मतदान की पद्धति का अनुसरण किया जाएगा।

(2) हर ऐसे मतदान केन्द्र को एतत्पश्चात् इन नियमों में "अधिसूचित मतदान केन्द्र" कहा गया है।

(3) नियम 28 से लेकर 48 तक के उपबन्ध हर अधिसूचित मतदान केन्द्र के संबंध में निम्नलिखित उपान्तरों के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगे, अर्थात् :—

(क) नियम 30 के बदले में निम्नलिखित नियम लागू होगा :—

"30 क. **मतपत्र का प्ररूप**—हर मतपत्र ऐसे परिकल्प का होगा जैसा निर्वाचन आयोग विनिश्चित करे।";

(ख) नियम 31 के उपनियम (2) और (3) के बदले में निम्नलिखित उपनियम लागू होंगे—

"(2) हर एक अधिसूचित मतदान केन्द्र में एक मतदान कोष्ठ स्थापित किया जाएगा जिसमें हर एक अभ्यर्थी के लिए एक के हिसाब से मतपेटियां मतदान के दौरान मतपत्रों को ग्रहण करने के लिए रखी होंगी और जिसका परिकल्प इस प्रकार का होगा कि कोष्ठ के बाहर किसी व्यक्ति से संप्रेक्षित हुए बिना निर्वाचक मतपेटियों में से किसी में मतपत्र धुसा सके।

(3) रिटर्निंग आफिसर हर एक अधिसूचित मतदान केन्द्र में पर्याप्त संख्या में मतपेटियां, निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की प्रतियां, मतपत्र और ऐसी अन्य निर्वाचन सामग्री जैसी मतदान के लिए अपेक्षित हो उपबन्धित करेगा।";

(ग) नियम 33 के उपनियम (5), (6) और (7) के बदले में निम्नलिखित उपनियम लागू होंगे—

"(5) नियम 10 के अधीन हर एक अभ्यर्थी को आवंटित प्रतीक लेबलों पर मुद्रित किया जाएगा जो मतपेटी के भीतर और बाहर दोनों ओर लगाए जाएंगे और ऐसी मतपेटी की बाबत तत्पश्चात् यह समझा जाएगा कि वह उस अभ्यर्थी को आवंटित कर दी गई है।'

(6) हर एक मतपेटी पर ऐसे अन्य सुभिन्नक चिह्न भी चिह्नित किए जाएंगे जैसे निर्वाचन आयोग निदिष्ट करे।

(7) मतदान के प्रारम्भ होने से अव्यवहित पूर्व पीठासीन आफिसर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं द्वारा हर एक मतपेटी का निरीक्षण अनुज्ञात करेगा और उनको यह निदर्शित करेगा कि (क) वह खाली है, (ख) पेटी के भीतर और बाहर दोनों ओर उचित लेबल लगा दिए गए हैं, और (ग) मतपेटी उपनियम (6) के अनुसार चिह्नित है।

(8) लेबल लगा दिए जाने, सुरक्षित रूप से बन्द कर दिए जाने और मुद्रांकित कर दिए जाने के पश्चात् सब मतपेटियां मतदान कोष्ठ में साथ-साथ उसी क्रम में रखी जाएंगी जिसमें उन अभ्यर्थियों के नाम, जिनको वे क्रमशः आवंटित की गई हैं, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में हैं।" ;

[1][(गग) नियम 38 के बदले निम्नलिखित नियम लागू होगा —

"38ख. **निर्वाचकों को मतपत्र देना**—(1) निर्वाचक को दिए जाने से पूर्व प्रत्येक मतपत्र—

(क) ऐसे सुभिन्नक चिह्न से मुद्रांकित किया जाएगा, जैसा निर्वाचन आयोग निदिष्ट करे; और

(ख) पीठासीन आफिसर द्वारा उसके पृष्ठ भाग पर पूरा नाम लिखकर हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) निर्वाचक को मतपत्र देते समय, मतदान आफिसर उसका क्रम संख्यांक निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में, निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने अभिलिखित करेगा।

1. अधिसूचना सं० का० आ० 573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा अन्तःस्थापित।

(*3*) Save as provided in sub-rule (*2*), no person in the polling station shall note down the serial numbers of the ballot papers issued to particular electors.";]

(*d*) in lieu of [1][sub-rule (*2*) of rule 39], the following sub-rule shall apply:—

"(*1*) On receiving the ballot paper, the elector shall forthwith go into the voting compartment and insert the ballot paper through the slit into the ballot box allotted to the candidate for whom he wishes to vote.";

[2][(*e*) in lieu of sub-rule (*1*) of rule 40, the following sub-rule shall apply:—

"(*1*) If the presiding officer is satisfied that owing to blindness or other physical infirmity an elector is unable to recognise the symbols on the ballot boxes or to insert the ballot paper into a ballot box, the presiding officer shall permit the elector to take with him a companion of not less than [3][eighteen] years of age to the voting compartment for ascertaining from him the name of the candidate for whom he wishes to vote and for inserting the ballot paper into the ballot box of such candidate in accordance with the wishes of such elector:

Provided that no person shall be permitted to act as the companion of more than one elector at any polling station on the same day:

Provided further that before any person is permitted to act as the companion of an elector on any day under this rule, the person shall be required to declare that he will keep secret the name of the candidate for whom the elector has voted and that he has not already acted as the companion of any other elector at any polling station on that day."];

(*f*) in lieu of rule 42, the following rules shall apply:—

'42*A*. *Tendered votes.*—(*1*) If a person representing himself to be a particular elector applies for a ballot paper after another person has already voted as such elector, he shall, on satisfactorily answering such questions relating to his identity as the presiding officer may ask, be supplied with a ballot paper in Form 17 (hereafter in these rules referred to as a "tendered ballot paper").

(*2*) Every such person shall, before being supplied with a tendered ballot paper, sign his name against the entry relating to him in a list in Form 15.

(*3*) Such person shall thereafter record on the tendered ballot paper the name of the candidate for whom he wishes to vote; but if owing to illiteracy, blindness, physical infirmity or any other reason he is unable to make such record, the presiding officer shall do so in accordance with his wishes.

(*4*) The procedure laid down in sub-rule (*3*) shall be followed with due regard to secrecy.

(*5*) Every such tendered ballot paper shall forthwith be placed in a cover specially kept for the purpose.

42B. *Presiding Officer's entry into voting compartment during poll.*—(*1*) The presiding officer may, whenever he considers it necessary to do so, enter the voting compartment during poll and take such steps as may be necessary to ensure that the ballot boxes therein are not tampered or interfered within any way.

(*2*) If the presiding officer has reason to suspect that an elector who has entered the voting compartment is tampering or otherwise interfering with any ballot box or has

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 1433, dated the 19th April, 1968.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 3662, dated the 12th October, 1964, for cl. (*e*).
3 Subs. by S.O. 542(E), dt. 13.7.1989.

(3) उपनियम (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय केन्द्र में कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी निर्वाचकों को दिए गए मतपत्रों के क्रम संख्यांकों को नोट नहीं करेगा।"] ;

(घ) [1][नियम 39 के उपनियम (2)] के बदले में निम्नलिखित उपनियम लागू होगा —

"(1) मतपत्र प्राप्त होने पर निर्वाचक तत्क्षण मतदान कोष्ठ में जाएगा और जिस अभ्यर्थी को वह मत देना चाहता है उसको आवंटित मतपेटी के छेद में से मतपत्र घुसाएगा।";

[2][(ङ) नियम 40 के उपनियम (1) के बदले में निम्नलिखित उपनियम लागू होगा—

"(1) यदि पीठासीन आफिसर का समाधान हो जाता है कि अन्धेपन या अन्य अंग-शैथिल्य के कारण निर्वाचक मतपेटियों पर प्रतीकों को पहचानने में या मतपेटी में मतपत्र घुसाने में असमर्थ है तो पीठासीन आफिसर निर्वाचक को अपने साथ [3][अठारह] वर्ष से अन्यून आयु का एक साथी, उससे उस अभ्यर्थी का नाम अभिनिश्चित करने के लिए जिसे वह मत देना चाहता है और मतपत्र को ऐसे अभ्यर्थी की मतपेटी में ऐसे निर्वाचक की इच्छाओं के अनुसार घुसाने के लिए, मतदान कोष्ठ में ले जाने की अनुज्ञा देगा :

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही दिन किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक निर्वाचकों के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात करने से पहले उस व्यक्ति से यह घोषणा कि वह उस अभ्यर्थी का नाम गुप्त रखेगा जिसे निर्वाचक ने मत दिया है और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र में किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है, करने की अपेक्षा की जाएगी।"];

(च) नियम 42 के बदले में निम्नलिखित नियम लागू होंगे —

"42क. **निविदत्त मत**—(1) यदि कोई व्यक्ति अपनी बाबत यह व्यपदिष्ट करके कि वह विशिष्ट निर्वाचक है ऐसे निर्वाचक के रूप में के दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत दे दिए जाने के पश्चात् मतपत्र के लिए आवेदन करता है तो अपनी अनन्यता के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधानप्रद रूप में उत्तर देने के पश्चात् जैसे पीठासीन आफिसर पूछे उसे प्ररूप 17 में मतपत्र (एतत्पश्चात् इन नियमों में "निविदत्त मतपत्र" के रूप में निर्दिष्ट) किया जाएगा।

(2) हर ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र दिए जाने के पूर्व अपना नाम प्ररूप 15 की सूची में अपने से सम्बद्ध प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षरित करेगा।

(3) ऐसा व्यक्ति तत्पश्चात् निविदत्त मतपत्र पर उस अभ्यर्थी का नाम अभिलिखित करेगा जिसको कि वह मत देना चाहता है, किन्तु यदि निरक्षरता, अन्धेपन, अंग-शैथिल्य या किसी अन्य कारण से वह ऐसा अभिलेख करने में असमर्थ है तो पीठासीन आफिसर उसकी इच्छाओं के अनुसार वैसा करेगा।

(4) उपनियम (3) में अधिकथित प्रक्रिया गोपनीयता का सम्यक् ध्यान रखकर अनुसरित की जाएगी।

(5) हर ऐसा निविदत्त मतपत्र उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में तत्क्षण रखा जाएगा।

42ख. **मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में पीठासीन आफिसर का प्रवेश करना**—(1) जब कभी पीठासीन आफिसर ऐसा करना आवश्यक समझे तब वह मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे कदम उठा सकेगा जैसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि उसमें की मतपेटियों में किसी प्रकार से कोई गड़बड़ या हस्तक्षेप न किया जाए।

(2) यदि पीठासीन आफिसर के पास यह सन्देह करने का कारण है कि कोई निर्वाचक, जिसने मतदान कोष्ठ में प्रवेश किया है, किसी मतपेटी में गड़बड़ कर रहा है या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप कर रहा है

1. अधिसूचना सं० का० आ० 1433 तारीख 19 अप्रैल, 1968 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 3662 तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा खण्ड (ङ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं० का०आ० 542(अ), तारीख 13.7.1989 द्वारा प्रतिस्थापित।

remained inside the voting compartment unduly long, he shall enter the voting compartment and take such steps as may be necessary to ensure the smooth and prompt progress of the poll.

(*3*) Whenever the presiding officer enters the voting compartment under this rule he shall permit the polling agents present to accompany him.

42C. *Disposal of ballot papers found wholly or partly outside ballot boxes.*—(*1*) If any ballot paper which has been issued to an elector has not been inserted by him into any ballot box but is found anywhere in or near the polling station, whether within or outside the voting compartment it shall be deemed to have been returned to the presiding officer under sub-rule (2) of rule 41 and dealt with accordingly.

(*2*) If a ballot paper is found partly inserted into the ballot box of a candidate, it shall be presumed that the intention of the elector was to cast that vote for that candidate and the presiding officer shall accordingly push the ballot paper into that ballot box.';

(*g*) in lieu of rule 44, the following rule shall apply:—

"44A. *Sealing of ballot boxes after poll.*—(*1*) As soon as practicable after the closing of the poll, the presiding officer shall close the slit of each ballot box and where the boxes do not contain any mechanical device for closing the slit, he shall seal up the slit and also allow any polling agent present to affix his seals.

(*2*) All the ballot boxes shall thereafter be sealed and secured.";

1* * * * *

2[(*i*) clause (*aa*) of sub-rule (*1*) of rule 46 shall not apply; and

(*j*) in lieu of sub-rules (*3*) and (*4*) of rule 48, the following sub-rule shall apply:—

"(*3*) The returning officer shall provide the presiding officer of the polling station at which such adjourned poll is held with the sealed packet containing the marked copy of the electoral roll and a set of new ballot boxes.

(*4*) The presiding officer shall open the sealed packet in the presence of the polling agents present and use the marked copy of the electoral roll for recording the serial numbers of the ballot papers issued to elector at the adjourned poll."].

1. Cl. (*h*) omitted by Notifn. No. S.O. 518(E), dated the 7th September, 1979.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 5573, dated the 23rd December, 1971.

या मतदान कोष्ठ में असम्यक् देरी तक बना रहा है तो वह मतदान कोष्ठ में प्रवेश करेगा और ऐसे कदम उठाएगा जैसे मतदान की निर्विघ्न और सत्वर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।

(3) जब कभी पीठासीन आफिसर मतदान कोष्ठ में इस नियम के अधीन प्रवेश करे तब वह उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को अपने साथ आने देगा।

42ग. मतपेटियों के पूर्णतः या भागतः बाहर पाए गए मतपत्रों का व्ययन—(1) यदि कोई मतपत्र, जो निर्वाचक को दिया गया है, उसके द्वारा किसी मतपेटी में घुसाया नहीं गया है किन्तु मतदान केन्द्रों में या उसके पास कहीं, चाहे मतदान कोष्ठ के बाहर या भीतर, पाया जाता है तो उसको बाबत यह समझा जाएगा कि वह नियम 41 के उपनियम (2) के अधीन पीठासीन आफिसर को लौटा दिया गया है और उससे तदनुसार बरता जाएगा।

(2) यदि कोई मतपत्र किसी अभ्यर्थी की मतपेटी में भागतः घुसाया गया पाया जाता है तो उसको बाबत यह उपधारित किया जाएगा कि निर्वाचक का आशय वह मत उस अभ्यर्थी को देना था और पीठासीन आफिसर तदनुसार उस मतपत्र को उस मतपेटी में घुसा देगा।";

(छ) नियम 44 के बदले में निम्नलिखित नियम लागू होगा—

"**44क. मतदान के पश्चात् मतपेटियों का मुद्राबन्द किया जाना**—(1) मतदान के बन्द होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से पीठासीन आफिसर हर एक मतपेटी के छेद को बन्द कर देगा और जहां कि छेद को बन्द करने के लिए कोई यांत्रिक युक्ति पेटियों में नहीं है वहां वह उस छेद को मुद्राबन्द करेगा और किसी उपस्थित मतदान अभिकर्ता को भी उस पर अपनी मुद्राएं लगाने देगा।

(2) सब मतपेटियां तत्पश्चात् मुद्राबन्द की जाएंगी और सुरक्षित कर दी जाएंगी।";

[1]* * * * * * *

[2][(झ) नियम 46 के उपनियम (1) का खण्ड (कक) लागू नहीं होगा; तथा

(ञ) नियम 48 के उपनियम (3) और (4) के बदले निम्नलिखित उपनियम लागू होंगे—

"(3) रिटर्निंग आफिसर उस मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर को जिसमें स्थगित मतदान होता है वह मुद्राबन्द पैकेट जिसमें निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति अन्तर्विष्ट है, और नई मतपेटियों का एक सेट देगा।

(4) पीठासीन आफिसर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में, जो वहां उपस्थित हों, मुद्राबंद पैकेट खोलेगा और स्थगित मतदान में निर्वाचक को दिए गए मतपत्रों के क्रम संख्यांकों को अभिलिखित करने के लिए निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति का उपयोग करेगा।]"।

---

1. अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 518(अ), तारीख 7 सितम्बर, 1979 द्वारा खंड (ज) का लोप किया गया।
2. अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1]CHAPTER II
VOTING BY ELECTRONIC VOTING MACHINES

49A. Design of Eletronic Voting Machines.—Every elctronic voting machine (hereinafter referred to as the voting machine) shall have a control unit and a balloting unit and shall be of such designs as may be approved by the Election Commission.

49B. Preparation of voting machine by the returning Officer.— (1) The balloting unit of the voting machine shall contain such particulars and in such lanugage or languages as the Election Commission may specify.

(2) The names of the candidates shall be arranged on the balloting unit in the same order in which they appear in the list of the contesting candidates.

(3) If two or more candidates bear the same name, they shall be distinguished by the addition of their occupation or residence or in some other manner.

(4) Subject to the foregoing provisions of this rule, the returning officer shall,—

(a) fix the label containing the names and symbol of the contesting candidates in the balloting unit and secure that unit with his seal and the seals of such of the contesting candidates or their election agents present as are desirous of affixing the same;

(b) set the number of contesting candidates and close the candidate set section in the control unit and secure it with his seal and the seals of such of the contesting candidates or their election agents present as are desirous of affixing the same.

49C. Arrangements at the Polling Stations.—(1) Outside each polling station there shall be displayed prominently—

(a) a notice specifying the polling area, the electors of which are entitled to vote at the polling station and, when the polling area has more than one polling station, the particulars of the electors so entitled; and

(b) a copy of the list of contesting candidates.

(2) At each polling station there shall be set up one or more voting compartments in which the electors can record their votes free from observation.

(3) The returning officer shall provide at each polling station one voting machine and copies of relevant part of the electoral roll and such other election material as may be necessary for taking the poll.

(4) Without prejudice to the provisions of sub-rule (3), the returning officer may, with the previous approval of the Election Commission, provide one common voting machine for two or more polling stations located in the same premises.

---

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 230(E), dated 24th March, 1992.

[1][अध्याय 2
इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों द्वारा मतदान

49क. इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों का परिकल्प—प्रत्येक इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीन (जिसे इसमें इसके पश्चात् मतदान मशीन कहा गया है) में एक नियंत्रण यूनिट और एक मतदान यूनिट होगी और वह ऐसी परिकल्प की होगी जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए।

49ख. रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदान यूनिट पर विशिष्टिया—

(1) मतदान मशीन के मतदान यूनिट पर विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होंगी जो निर्वाचन आयोग निदेशित करे।

(2) अभ्यर्थियों के नाम मतदान यूनिट पर उसी क्रम से लिखे होंगे जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज है।

(3) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों का एक ही नाम है तो उनकी उपजीविका या निवास-स्थान जोड़कर या किसी अन्य रीति से उनको सुभिन्न किया जाएगा।

(4) इस नियम के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, रिटर्निंग आफिसर,—

(क) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों और चिन्हों को अंतर्विष्ट करने वाला लेबल मतदान यूनिट में लगाएगा और उस यूनिट को अपनी मुद्रा से और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या वहां उपस्थित उनके ऐसे निर्वाचन अभिकर्ताओं की मुद्राओं से, जो उस पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्रांकित करेगा;

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या व्यवस्थित करेगा और अभ्यर्थी व्यवस्था अनुभाग को नियंत्रण यूनिट में बंद करेगा और उसे अपनी मुद्रा से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या वहां उपस्थित उनके ऐसे निर्वाचन अभिकर्ताओं की मुद्राओं से, जो उन पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्रांकित करेगा।

49ग. मतदान केन्द्रों में इंतजाम—(1) हर एक मतदान केन्द्र के बाहर—

(क) उस मतदान क्षेत्र को, जिसके मतदाता उस मतदान केन्द्र में मत देने के लिए हकदार हैं, और जबकि मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं तब ऐसे हकदार निर्वाचकों की विशिष्टियां, विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना, तथा

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति, संलक्ष्यतः सम्प्रदर्शित की जाएगी।

(2) हर एक मतदान केन्द्र में एक या अधिक मतदान कोष्ठ स्थापित किए जाएंगे जिनमें निर्वाचक संप्रेक्षित हुए बिना अपने मत दे सकेंगे।

(3) रिटर्निंग आफिसर हर एक मतदान केन्द्र पर एक मतदान मशीन और निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की प्रतियां और ऐसी अन्य निर्वाचन सामग्री जो मतदान कराने के लिए आवश्यक हो, की व्यवस्था करेगा।

(4) निर्वाचन आफिसर, उपनियम (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमोदन से एक ही परिसर में अवस्थित दो या अधिक मतदान केन्द्रों के लिए एक सामान्य मतदान मशीन की व्यवस्था करेगा।

1. अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 230(अ), तारीख 24 मार्च, 1992 द्वारा अंतःस्थापित।

49D. Admission to polling stations.—The presiding officer shall regulate the number of electors, to be admitted at any one time inside the polling station and shall exclude therefrom all persons other than.

(a) polling officers;

(b) public servants on duty in connection with the election;

(c) persons authorised by the Election Commission;

(d) candidates, their election agents and subject to the provisions of rule 13, one polling agent of each candidate;

(e) a child in arms accompanying as elector;

(f) a person accompanying a blind or infirm elector who cannot move without help; and

(g) such other person as the returning officer or the presiding officer may employ under sub-rule (2) of rule 49-G or sub-rule (1) or fule 49-H.

49E. Preparation of voting machine for poll.—(1) The control unit and balloting unit of every voting machine used at polling station shall bear a lable marked with—

(a) the serial number, if any, and the name of the constituency;

(b) the serial number and name of the polling station or stations as the case may be;

(c) the serial number of the unit; and

(d) the date of poll.

(2) Immediately before the commencement of the poll, the presiding officer shall demonstrate to the polling agents and other persons present that no voter has been already recorded in the voting machine and it bears the label referred to in sub-rule (4).

(3) A paper seal shall be used for securing the control unit of the voting machine, and the presiding officer shall affix his own signature on the paper seal and obtain thereon the signature of such of the polling agents present as the desirous of affixing the same.

(4) The presiding officer shall thereafter fix the paper seal so signed in the space meant therefor in the control unit of the voting machine and shall secure and seal the same.

(5) The seal used for securing the control unit shall be fixed in such manner that after in unit has been sealed, it is not possible to press the "result button" without breaking the seal.

(6) The control unit shall be closed and secured and placed in full view of the presiding officer and the polling agents and the balloting unit placed in the voting compartment.

49 घ. मतदान केन्द्रों में प्रवेश —पीठासीन आफ़िसर निर्वाचकों की उस संख्या को विनियमित करेगा जिस संख्या में वे मतदान केन्द्र के अन्दर एक ही समय प्रवेश कर सकेंगे, तथा—

(क) मतदान आफिसरों के;

(ख) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के;

(ग) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के;

(घ) अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और नियम 13 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए हर एक अभ्यर्थी के एक मतदान अभिकर्ता के;

(ङ) निर्वाचक के साथ गोद वाले बालक के;

(च) आधे या शिथिलांग निर्वाचक के जो सहायता के बिना चल फिर नहीं सकता, साथ वाले व्यक्ति के; तथा

(छ) ऐसे अन्य व्यक्तियों के जिन्हें, रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन आफिसर नियम 49छ के उपनियम (2) या नियम 19ज के उपनियम (1) के अधीन नियोजित करे,

सिवाय सब अन्य व्यक्ति वहां से अपवर्जित करेगा।

49 ङ. मतदान के लिए मतदान मशीन का तैयार किया जाना—(1) मतदान केन्द्र में प्रयुक्त प्रत्येक मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट पर एक ऐसा लेबल लगा होगा जिस पर—

(क) यदि निर्वाचन-क्षेत्र का कोई क्रम संख्यांक हो तो वह और उसका नाम;

(ख) यथास्थिति, मतदान केन्द्र या केन्द्रों का क्रम संख्यांक और नाम;

(ग) यूनिट का क्रम संख्यांक; और

(घ) मतदान की तारीख,
चिन्हित होगा या होगी।

(2) मतदान के प्रारंभ होने से अव्यवहित पूर्व पीठासीन आफिसर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को यह निर्देशित करेगा कि मतदान मशीन में पहले से ही कोई मत दर्ज नहीं किया गया है और उस पर उपनियम (4) में निर्दिष्ट लेबल लगा है।

(3) जहां तक कि मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रूप से बंद कराने के लिए पत्र-मुद्रा का उपयोग किया जाता है, वहां पीठासीन आफिसर पत्र-मुद्रा पर अपने हस्ताक्षर अंकित करेगा और उन पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं में से ऐसों के हस्ताक्षर कराएगा जो उन्हें अंकित करने की वांछा रखते हों।

(4) पीठासीन आफिसर इस प्रकार हस्ताक्षरित पत्र-मुद्रा को मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट में उसके लिए अभिप्रेत स्थान में तत्पश्चात् लगाएगा और उसे सुरक्षित रूप से बंद और मुद्रांकित करेगा।

(5) नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए उपयोग में लाई गई मुद्राएं ऐसी रीति से लगाई जाएंगी कि यूनिट को मुद्रांकित किए जाने के पश्चात् मुद्राओं को तोड़े बिना "परिणाम बटन" को दबाना संभव न हो।

(6) नियंत्रण यूनिट सुरक्षित रूप से बंद और मुद्रांकित किया जाएगा और इस प्रकार रखा जाएगा कि वह पीठासीन आफिसर और मतदान अभिकर्ताओं को पूर्ण रूपेण दृष्टिगोचर रहे और मतदान यूनिट को मतदान कोष्ठ में रखा जाएगा।

49F. Marked copy of electoral roll.—Immediately before the commencement of the poll, the presiding officer shall also demonstrate to the Polling agents and others present that the marked copy of the electoral roll to be used during the poll does not contain—

(a) any entry other than that made in pursuance of clause (b) of sub-rule (2) of rule 20; and

(b) any mark other than the mark made in pursuance of clause (b) of sub-rule (2) of rule 23.

49G. Facilities for women electors.—(1) Where a polling station is for both men and women electors, the presiding officer may direct that they shall be admitted into the polling station alternately in separate batches.

(2) The returning officer or the presiding officer may appoint a women to serve as an attendant at any polling station to assist women electors and also to assist the presiding officer generally in taking the poll in respect of women electors, and in particular, to help/frisking any woman elector in case it becomes necessary.

49H. Identification of electors.—(1) The presiding officer may employ at the polling station such persons as he thinks fit to help in the identification of the electors or to assist him otherwise in taking the poll.

(2) As each elector enters the polling station, the presiding officer or the polling officer authorised by him in this behalf shall check the elector's name and other particulars with the relevant entry in the electoral roll and then call out the serial number, name and other particulars of the elector.

(3) Where the polling station is situated in a constituency electors of which have been supplied with identity cards under the provisions of the Registration of Electors Rules, 1960, the elector shall produce his identity card before the presiding officer or the polling officer authorised by him in this behalf.

(4) In deciding the right of a person to cast his vote, the presiding officer or the polling officer, as the case may be, shall over look the clerical or printing errors in an entry in the electoral roll if he is satisfied that such person is identical with the elector to whom such entry relates.

49I. Facilities for public servants on election duty.—(1) The provisions of rule 49-H shall not apply to any person who produces at the polling station an election duty certificate in Form-12B and seeks permission to cast his vote at that polling station although it is different from the one where he is entitled to vote.

(2) On production of such certificate, the Presiding Officer shall—

(a) obtain thereon, the signature of the person producing it;

(b) have the person's name and electoral roll number as mentioned in the certificate entered at the end of the marked copy of the electoral roll; and

(c) permit him to cast his vote in the same manner as for an elector entitled to vote at that polling station.

49J. Challenging of Identity.—(1) Any polling agent may challenge the identity of a person claiming to be a particular elector by first depositing a sum of two rupees in cash with the presiding officer for each such challenge.

(2) On such deposit being made, the presiding officer shall—

(a) warm the person challenged of the penalty for personation;

(b) read the relevant entry in the electoral roll in full and ask him whether he is the person referred to in that entry;

49च. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति— मतदान के प्रारम्भ से ठीक पूर्व, पीठासीन आफिसर मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित लोगों को यह भी निर्देशित करेगा कि मतदान के दौरान काम में लाई जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में—

(क) नियम 20 के उपनियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में की गई प्रविष्टि से भिन्न कोई प्रविष्टि; और

(ख) नियम 23 के उपनियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में किए गए चिन्ह से भिन्न कोई चिन्ह, अन्तर्विष्ट नहीं है।

49छ. मतदात्रियों के लिए सुविधाएं— (1) जहां कि मतदान केन्द्र मतदाताओं और मतदात्रियों दोनों के लिए है वहां पीठासान आफिसर यह निदेश दे सकेगा कि उनको मतदान केन्द्र में बारी-बारी से पृथक्-पृथक् टुकड़ियों में घुसने दिया जाएगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन आफिसर किसी स्त्री को मतदात्रियों की सहायता करने के लिए और मतदात्रियों की बाबत मतदान करने में साधारणतया पीठासीन आफिसर की सहायता करने के लिए भी और विशिष्टतः किसी मतदात्री को उस दशा में हटाने में मदद करने के लिए, जब कि वह आवश्यक हो, परिचारिका के रूप में किसी मतदान केन्द्र में सेवा करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

49ज. निर्वाचकों का अभिज्ञान—(1) पीठासीन आफिसर ऐसे व्यक्तियों को जैसों को वह ठीक समझे मतदान केन्द्र में निर्वाचकों के अभिज्ञान करने में अपनी मदद करने के लिए या अन्यथा मतदान में अपनी सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा।

(2) जैसे-जैसे हर एक निर्वाचक मतदान केन्द्र में प्रवेश करे वैसे-वैसे पीठासीन आफिसर या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत मतदान आफिसर निर्वाचक के नाम और अन्य विशिष्टियों को निर्वाचक नामावली में की सुसंगत प्रविष्टि से मिलाएगा और तब निर्वाचक का क्रम संख्यांक, नाम और अन्य विशिष्टियां पढ़ कर सुनाएगा।

(3) जहां कि मतदान केन्द्र ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में अवस्थित है जिसके निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन अभिज्ञान-पत्र दिए गए हैं वहां पीठासीन आफिसर या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत मतदान आफिसर के समक्ष निर्वाचक अपना अभिज्ञान-पत्र पेश करेगा।

(4) किसी व्यक्ति के मतदान करने के अधिकार का विनिश्चय करने में यथास्थिति, पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर निर्वाचक नामावली में की प्रविष्टि में लिपिकीय या मुद्रण संबंधी अशुद्धियों की उस दशा में अनवेक्षा करेगा जिसमें कि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति वही निर्वाचक है जिससे कि ऐसी प्रविष्टि संबद्ध है।

49झ. निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के लिए सुविधाएं— (1) नियम 49ज के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू न होंगे जो मतदान केन्द्र में प्ररूप 12ख में निर्वाचन कर्तव्य प्रमाणपत्र पेश कर देता है और उस मतदान केन्द्र में अपना मत देने की अनुज्ञा दिए जाने की मांग करता है भले ही वह मतदान केन्द्र उस केन्द्र से भिन्न हो जहां मत देने का वह हकदार है।

(2) ऐसे प्रमाणपत्र के पेश किए जाने पर पीठासीन आफिसर—

(क) उस पर उसे पेश करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा;

(ख) उस व्यक्ति का नाम और निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो प्रमाणपत्र में वर्णित है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अंत में प्रविष्टि कराएगा; तथा

(ग) मत देने की अनुज्ञा उसी रीति से देगा जैसी उस मतदान केन्द्र में मत देने के हकदार किसी निर्वाचक को देता है।

49ञ. अनन्यता के बारे में अभ्याक्षेप—(1) कोई मतदान अभिकर्ता विशिष्ट निर्वाचक होने का दावा करने वाले व्यक्ति की अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप हर एक ऐसे अभ्याक्षेप के लिए पीठासीन आफिसर के पास नकद दो रुपए की राशि पहले निक्षिप्त करके कर सकेगा।

(2) पीठासीन आफिसर ऐसा निक्षेप किए जाने पर—

(क) उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत ऐसा अभ्याक्षेप किया गया है, प्रतिरूपण के लिए शास्ति की चेतावनी देगा;

(ख) निर्वाचक नामावली में की सुसंगत प्रविष्टि को पूरी तरह पढ़कर सुनाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है;

(c) enter his name and address in the list of challenged votes in Form 14; and

(d) require him to affix his signature in the said list.

(3) The presiding officer shall thereafter hold a summary inquiry into the challenge and may for that purpose.—

(a) require the challenger to adduce evidence in proof of the challenge and the person challenged to adduce evidence in proof of his identity;

(b) put to the person challenged any questions necessary for the puipose of establishing his identity and require him to answer them on oath; and

(c) administer an oath to the person challenged and any other person offering to give evidence.

(4) If, after the inquiry, the presiding officer considers that the challenge has not been established he shall allow the person challenged to vote; and if he considers that the challenge has been established, he shall debar the person challenged from voting.

(5) If the presiding officer is of the opinion that the challenge is frivolous or has not been made in good faith, he shall direct that the deposit made under sub-rule (1) be forfeited to Government, and in any other case, returned to the challenger at the conclusion of the inquiry.

49K. Safeguards against personation—(1) Every elector about whose identity the presiding officer or the polling officer, as the case may be, is satisfied, shall allow his left forefinger to be inspected by the presiding officer or polling officer and an indelible ink mark to be put on it.

(2) If any elector—

(a) refure to allow his left forefinger to be inspected or marked in accordance with sub-rule (1) or has already such a mark on his left forefinger or does any act with a view to removing the ink mark, or

(b) fails or refuses to produce his identity card as required by sub-rule (3) of rule 49-H he shall not be allowed to vote.

(3) Where a poll is taken sumultaneously in a Parliamentary constituency and an assembly constituency, and elector whose left forefinger has been marked witn indeliable ink or who has produced his identity card at one such election, shall notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2) be permitted to cast his vote for the other election.

(4) Any reference in this rule to the left forefinger of an elector shall, in the case where the elector has his left forefinger missing, he construed as a reference to any other finger to his left hand, and shall, in the case where all the fingers of his left hand are missing, be construed as a reference to the forefinger or any other finger of his right hand, and shall in the case where all his fingers of both the hands are missing be construed as a reference to such extremity of his left or right arm as he possesses.

49L. Procedure for voting by voting machines—(1) Before permitting an elector to vote, the polling officer shall—

(a) record the electoral roll number of the elector as entered in the marked copy of the electoral roll in a register of voters in Form 17-A.

(b) obtain the signature or the thumb impression of the elector on the said register of votes; and

(ग) अभ्याक्षेपित मतों की प्ररूप 14 वाली सूची में उसका नाम और पता प्रविष्ट करेगा; तथा

(घ) उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर करने की उससे अपेक्षा करेगा।

(3) पीठासीन आफिसर तत्पश्चात् उस अभ्याक्षेप के संबंध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए --

(क) यह अपेक्षा कर सकेगा कि अभ्याक्षेपकर्ता अपने अभ्याक्षेप के सबूत के साक्ष्य दें और अभ्याक्षेपित व्यक्ति अपनी अनन्यता के सबूत में साक्ष्य दें;

(ख) जिस व्यक्ति की बाबत अभ्याक्षेप किया गया है उसकी अनन्यता स्थापित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई प्रश्न उससे पूछ सकेगा और उनका उत्तर शपथ पर देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा; और

(ग) जिस व्यक्ति की बाबत अभ्याक्षेप किया गया है उसको और साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकेगा।

(4) यदि जांच के पश्चात् पीठासीन आफिसर का विचार हो कि अभ्याक्षेप सत्य साबित नहीं हुआ है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को अनुज्ञा देगा कि वह मत दें, और यदि उसका विचार हो कि अभ्याक्षेप स्थापित कर दिया गया है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मत देने से विवर्जित करेगा।

(5) यदि पीठासीन आफिसर की यह राय है कि अभ्याक्षेप तुच्छ हैं या सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है तो वह यह निदेश देगा कि उपनियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप सरकार के पक्ष में समपहृत कर लिया जाए और किसी अन्य दशा में जांच की समाप्ति पर उसे अभ्याक्षेपकर्ता को लौटा दिया जाए।

49ट. प्रतिरूपण के खिलाफ उपाय—(1) हर ऐसा निर्वाचक, जिसकी अनन्यता की बाबत, यथास्थिति, पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर का समाधान हो गया है, अपनी बांई तर्जनी का निरीक्षण पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर द्वारा किया जाने देगा, और उस पर अमिट स्याही का चिन्ह लगाया जाने देगा।

(2) यदि कोई निर्वाचक–

(क) अपनी बांई तर्जनी को उपनियम (1) के अनुसार निरीक्षित या चिन्हित कराने से इंकार करता है या उसकी अपनी बांई तर्जनी पर ऐसा चिन्ह पहले से है या ऐसे स्याही चिन्ह को हटाने की दृष्टि से कोई कार्य करता है, अथवा

(ख) नियम 49ज के उपनियम (3) द्वारा यथापेक्षित रूप में अपना अभिज्ञान–पत्र पेश करने में असफल होता है या पेश करने से इंकार करता है,
तो उसे मतदान नहीं करने दिया जाएगा।

(3) जहां कि संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान साथ-साथ हो वहां उस निर्वाचक को, जिसकी बांई तर्जनी ऐसे एक निर्वाचन में, अमिट स्याही से चिन्हित कर दी गई है या जिसने अपना अभिज्ञान–पत्र ऐसे एक निर्वाचन में पेश कर दिया है, उपनियम (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, दूसरे निर्वाचन के लिए मतदान नहीं करने दिया जाएगा।

(4) इस नियम में निर्वाचक की बांई तर्जनी के प्रति किसी निर्देश का उस दशा में, जिसमें निर्वाचक को बांई तर्जनी नहीं है ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उसके बाएं हाथ ही किसी दूसरी उंगली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके बाएं हाथ की सब उंगलियां न हों वहां ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह निर्देश उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी दूसरी उंगली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके दोनों हाथों की सब उंगलियां नहीं हैं वहां ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उसकी बांई या दाहिनी भुजा के ऐसे अग्रतम भाग के प्रति निर्देश हो जैसा कि उसका है।

49ठ. मतदान मशीनों द्वारा मतदान के लिए प्रक्रिया—(1) किसी निर्वाचक को मतदान करने की अनुज्ञा देने से पूर्व, मतदान आफिसर

(क) निर्वाचक का निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो मतदाता रजिस्टर प्ररूप 17क में निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में प्रविष्ट है, अभिलिखित करेगा;

(ख) उक्त मतदाता रजिस्टर में निर्वाचक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे की छाप अभिप्राप्त करेगा; और

(c) mark the name of the elector in the marked copy of the electoral roll to indicate that he has been allowed to vote.

Provided that no elector shall be allowed to vote unless he has his signature or thumb impression on the register of voters.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 2, it shall be necessary for any presiding officer or polling officer or any other officer to attest the thumb impression of the elector on the register of voters.

49M. Maintenance of secrecy of voting by electors within the polling station and voting procedures —

(1) Every elector who has been permitted to vote under rule 49-L shall maintain secrecy of voting within the polling station and for that purpose observe the voting procedure hereinafter laid down.

(2) Immediately on being permitted to vote the elector shall proceed to the presiding officer or the polling officer incharge of the control unit of the voting machine who shall, by pressing the appropriate button on the control unit, activate the balloting unit; for recording of elector's vote.

(3) The elector shall thereafter forthwith—

(a) proceed to the voting compartment;

(b) record his vote by pressing the button on the balloting unit against the name and symbol of the candidate for whom he intends to vote; and

(c) come out of the voting compartment and leave the polling station.

(4) Every elector shall vote without undue delay.

(5) No elector shall be allowed to enter the voting compartment when another elector is inside it.

(6) If an elector who has been permitted to vote under rule 49-L or rule 49-P refuses after warning given by the presiding officer to observe the procedure laid down in sub-rule (3) of the said rules, the presiding officer or a polling officer under the direction of the presiding officer shall not allow such elector to vote.

(7) Where an elector is not allowed to vote under sub-rule (6), a remark to the effect that voting procedure has been violated shall be made against the elector's name in the register of voters in Form 17-A by the presiding Officer under his signature.

49N. Recording of votes of blind or infirm electors.—(1) If the presiding officer is satisfied that owing to blindness or other physical infirmities an elector is unable to recognise the symbol on the balloting unit of the voting machine or unable to record his vote by pressing the appropriate button thereon without assistance the presiding officer shall permit the elector to take with him a companion of not less than eighteen years of age to the voting compartment for recording the vote on his behalf and in accordance with his wishes:

Provided that no person shall be permitted to act as the companion of more than one elector at any polling station on the same day:

Provided further that before any person is permitted to act as the companion of an elector on any day under this rule that person shall be required to declare that he will keep secret the vote recorded by him on behalf of the elector and that he has not already acted as the companion of any other elector at any other polling station on that day.

(ग) निर्वाचक का नाम निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में यह उपदर्शित करने के लिए चिह्नित करेगा कि उसको मतदान करने की अनुज्ञा दी गई है :

परन्तु यह कि किसी निर्वाचक को तब तक मतदान नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि उसने मतदाता रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर न किए हों या अंगूठे की छाप न लगाई हो।

(2) नियम 27 के उपनियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर या किसी अन्य आफिसर के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह मतदाता रजिस्टर में निर्वाचक के अंगूठे की छाप को अनुप्रमाणित करे।

49ड. निर्वाचकों द्वारा मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया—(1) हर वह निर्वाचक, जिसे नियम 49ठ के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और इस प्रयोजन के लिए एतस्मिनपश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(2) मतदान करने के लिए अनुज्ञात किए जाने पर तत्काल निर्वाचक पीठासीन अधिकारी के पास या मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट के भारसाधक मतदान अधिकारी के पास जाएगा जो, नियंत्रण यूनिट पर समुचित बटन दबाकर, निर्वाचक का मत अभिलिखित करने के लिए मतदान यूनिट को सक्रिय करेगा।

(3) निर्वाचक उसके पश्चात् तत्काल—

(क) मतदान कोष्ठ में जाएगा;

(ख) उस अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने जिसको वह मत देने का आशय रखता है, मतदान यूनिट का बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करेगा; और

(ग) मतदान कोष्ठ से बाहर जाएगा तथा मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा।

(4) हर निर्वाचक असम्यक् विलंब के बिना मत देगा।

(5) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक है तब अन्य किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने दिया जाएगा।

(6) यदि कोई निर्वाचक, जिसे नियम 49ठ या 49त के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त नियमों के उपनियम (3) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए पीठासीन आफिसर द्वारा चेतावनी दिए जाने के पश्चात् भी इंकार करें, तो पीठासीन आफिसर या पीठासीन आफिसर के निर्देश से मतदान आफिसर ऐसे निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।

(7) जहां उपनियम (6) के अधीन निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है, पीठासीन आफिसर अपने हस्ताक्षर से मतदाताओं के रजिस्टर में निर्वाचक के नाम के सामने प्ररूप 17क में इस आशय का टिप्पण लिखेगा कि मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया है।

49ढ. अंधे या शिथिलांग निर्वाचकों के मतों का अभिलेखन—(1) यदि पीठासीन आफिसर का समाधान हो जाता है कि अंधेपन या अन्य अंगशैथिल्य के कारण कोई निर्वाचक मतदान मशीन की मतदान यूनिट पर प्रतीक को पहचानने में या सहायता के बिना उसके समुचित बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है, तो पीठासीन आफिसर, निर्वाचक को अपनी ओर से और अपनी इच्छाओं के अनुसार मत अभिलिखित करने के लिए अपने साथ अठारह वर्ष से अन्यून आयु का एक साथी मतदान कोष्ठ में ले जाने की अनुज्ञा देगा :

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही दिन किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक निर्वाचकों के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के तौर पर कार्य करने के लिए अनुज्ञात करने से पहले उस व्यक्ति से यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह निर्वाचक की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र में किसी अन्य निर्वाचक के साथी के तौर पर पहले कार्य नहीं किया है :

(2) The presiding officer shall keep a record in Form 14A of all cases under this rule.

49O. Elector deciding not to vote—If an elector, after his electoral roll number has been duly entered in the register of voters in Form-17A and has put his signature or thumb impression thereon as required under sub-rule (1) of rule 49L, decided not to record his vote, a remark to this effect shall be made against the said entry in Form 17A by the presiding officer and the signature or thumb impression of the elector shall be obtained against such remark.

49P. Tendered Votes—(1)If a person representing himself to be a particular elector seeks to vote after another person has already voted as such elector, he shall, on satisfactorily answering such questions relating to his identity as the presiding officer may ask, be, instead of being allowed to vote through the balloting unit, supplied with a tendered ballot paper which shall be of such design, and the particulars of which shall be in such language or languages as the Election Commission may specify.

(2) Every such elector shall before being supplied with tendered ballot paper write has name against the entry relating to him in Form 17B.

(3) On receiving the ballot paper he shall forthwith—

(a) proceed to the voting compartment;

(b) record there his vote on the ballot paper by placing a cross mark 'X' with the instrument or article supplied for the purpose on or near the symbol of the candidate for whom he intends to vote.

(c) fold the ballot paper so as to conceal his vote.

(d) show to the presiding officer, if required, the distinguishing mark on the ballot paper.

(e) give it to the presiding officer who shall place it in a cover specially kept for the purpose; and

(f) leave the polling station.

(4) If owing blindness or physical infirmities, such elector is anable to record his vote without assistance; the presiding officer shall permit him to take with him a companion, subject to the same conditions and after following the same procedure as laid down in rule 49N for recording the vote in accordance with his wishes.

49Q. Presiding Officer's entry in the voting compartment during poll—(1) The presiding officer may whenever he considers it necessary so to do, enter the voting compartment during poll and take suh steps as may be necessary to ensure that the balloting unit is not tampered or interfered with in any way.

(2) If the presiding officer has reason to suspect that an elector who has entered the voting compartment is tampering or otherwise interfering with the balloting unit or has remained inside the voting compartment for unduly long period, he shall enter the voting compartment and take such steps as may be necessary to ensure the smooth and orderly progress of the poll.

(3) Whenever the presiding officer enters the voting compartment under this rule, he shall permit the polling agents present to accompany him if they so desire.

49R. Closing of Poll—(1) The presiding officer shall close a polling station at the hour fixed in that behalf under section 56 and shall not thereafter admit any elector into the polling station :

Provided that all electors present at the polling station before it is closed shall be allowed to cast their votes.

(2) पीठासीन आफिसर इस नियम के अधीन के सभी मामलों का प्ररूप 14क में अभिलेख रखेगा।

49ण. निर्वाचक का मत न देने के लिए विनिश्चय करना—यदि कोई निर्वाचक, उसका निर्वाचक नामावली संख्यांक मतदाता रजिस्टर में प्ररूप 17क में सम्यक् रूप से प्रविष्ट किए जाने और नियम 39ठ के उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित रूप में उस पर अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे की छाप लगाने के पश्चात् अपना मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करता है तो उस आशय की एक टिप्पणी पीठासीन अधिकारी प्ररूप 17क में उक्त प्रविष्टि के सामने लिखेगा और निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप ऐसी टिप्पणी के सामने अभिप्राप्त करेगा।

49त. निविदत्त मत—(1) यदि कोई व्यक्ति अपनी बाबत यह व्यपदिष्ट करके कि वह विशिष्ट निर्वाचक है, से निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत दे दिए जाने के पश्चात् मत देना चाहता है, तो उसे अपनी अनन्यता के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधानप्रद रूप में उत्तर देने के पश्चात् जैसे पीठासीन आफिसर पूछे, मतदान यूनिट के माध्यम से मत देने के लिए अनुज्ञात करने के बजाए निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किया जाएगा जो ऐसी डिजाइन का होगा और जिसकी विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होंगी जो निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे।

(2) हर ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किए जाने के पहले अपना नाम प्ररूप 17ख से संबंधित प्रविष्टि के सामने लिखेगा।

(3) मतपत्र प्राप्त करने पर वह तत्क्षण,—

(क) मतदान कोष्ठ में जाएगा;

(ख) अपना मत मतदान पत्र पर उस प्रयोजन के लिए उसे दिए गए उपकरण या वस्तु से उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके निकट, जिसके लिए मत देने का उसका आशय है, एक क्रास चिह्न (×) लगा कर अभिलिखित करेगा;

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाए;

(घ) पीठासीन आफिसर को, यदि अपेक्षित हो तो, मतपत्र पर लगा सुभिन्नक चिह्न दर्शित करेगा;

(ङ) उसे पीठासीन आफिसर को देगा, जो उसे उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में रखेगा; और

(च) मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा।

(4) यदि अन्धेपन या अंगशैथिल्य के कारण ऐसा निर्वाचक सहायता के बिना अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन आफिसर निर्वाचक को अपनी इच्छाओं के अनुसार मत अभिलिखित करने के लिए उन्हीं शर्तों के अधीन रखते हुए और नियम 49ड में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् एक साथी अपने साथ ले जाने की अनुज्ञा देगा।

49थ. मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में पीठासीन आफिसर का प्रवेश करना—(1) जब कभी पीठासीन आफिसर ऐसा करना आवश्यक समझे तब वह मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे कदम उठा सकेगा जैसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि उसमें की मतदान यूनिट में किसी प्रकार से कोई गड़बड़ या हस्तक्षेप न किया जाए।

(2) यदि पीठासीन आफिसर के पास यह सन्देह करने का कारण है कि कोई निर्वाचक, जिसने मतदान कोष्ठ में प्रवेश किया है, किसी मतदान यूनिट में गड़बड़ कर रहा है या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप कर रहा है या मतदान कोष्ठ में असम्यक् देरी तक बना रहा है तो वह मतदान कोष्ठ में प्रवेश करेगा और ऐसे कदम उठाएगा जैसे मतदान की निर्विघ्न और व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।

(3) जब कभी पीठासीन आफिसर मतदान कोष्ठ में इस नियम के अधीन प्रवेश करे तब वह उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को, यदि वे ऐसी वांछा करें तो अपने साथ जाने देगा।

49द. मतदान बन्द करना—(1) पीठासीन आफिसर मतदान केन्द्र को धारा 56 के अधीन तन्निमित्त नियत समय पर बन्द कर देगा और तत्पश्चात् किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने देगा :

परन्तु मतदान केन्द्र के बन्द किए जाने के पूर्व उसमें उपस्थित सब निर्वाचक अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे।

(2) If any question arises whether an elector was present at the polling station before it was closed it shall be decided by the presiding officer and his decision shall be final.

49S. Account of votes recorded.—(1) The presiding officer shall at the close of the poll prepare an account of votes recorded in Form 17-C and enclose it in a separate cover with the words 'Account of Votes Recorded' superscribed thereon.

(2) The presiding officer shall furnish to every polling agent present at the close of the poll a true copy of the entires made in Form 17-C after obtaining a receipt from the said polling agent therefor and shall attest it as a true copy.

49T. Sealing of voting machine after poll.—(1) As soon as practicable after the closing of the poll, the presiding officer shall close the control unit to ensure that no further votes can be recorded and shall detach the balloting unit from the control unit.

(2) The control unit and the balloting unit shall thereafter be sealed, and secured separately in such manner as the Election Commission may direct and the seal used for securing them shall be affixed that it will not be possible to open the units without breaking the seals.

(3) The polling agents present at the polling station, who desire to affix their seals, shall also be permitted to do so.

49U. Sealing of other packets.—(1) The presiding officer shall then make into separate packets,—

(a) the marked copy of the electoral roll;

(b) the register of voters in Form 17A;

(c) the cover containing the tendered ballot papers and the list in Form 17B;

(d) the list of challenged votes; and

(e) any other papers directed by the Election Commission to be kept in a sealed packet.

(2) Each packet shall be sealed with the seal of the presiding officer and with the seal either of the candidate or of his election agent or of his polling agent who may be present at the polling station and may desire to affix his seal thereon.

49V. Transmission of voting machines, etc., to the returning officer.—(1) The presiding officer shall then deliver or cause to be delivered to the returning officer at such place as the returning officer may direct,—

(a) the voting machine;

(b) the account of votes recorded in Form 17C;

(c) the sealed packets referred to in rule 49U; and

(d) all other papers used at the poll.

(2) The returning officer shall make adequate arrangements for the safe transport of the voting machine, packets and other papers for their safe custody until the commencement of the counting of votes.

49W. Procedure on adjournment of poll.—(1) If the poll at any polling station is adjourned under sub-section (1) of section 57, the provision of rules 49S to 49V shall, as far as practicable, apply as if the poll was closed at the hour fixed in that behalf under section 56.

(2) यदि कोई प्रश्न इस बाबत पैदा होता है कि कोई निर्वाचक मतदान केन्द्र बन्द किए जाने के पूर्व वहां उपस्थित था या नहीं तो उसका विनिश्चय पीठासीन आफिसर द्वारा किया जाएगा और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

49थ. अभिलिखित मतों का लेखा—(1) पीठासीन आफिसर मतदान के बन्द होने पर प्ररूप 17ग में मतों का लेखा तैयार करेगा और उसे एक पृथक् लिफाफे में परिवेष्ठित कर उस पर अभिलिखित मतों का लेखा शब्द लिखेगा।

(2) पीठासीन आफिसर मतदान के बन्द होने पर उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररूप 17ग में की गई प्रविष्टियों की एक सही प्रति उस मतदान अभिकर्ता से उसकी रसीद प्राप्त करने के पश्चात् देगा और उसे सही प्रति के रूप में अनुप्रमाणित करेगा।

49न. मतदान के पश्चात् मतदान मशीन का मुद्राबन्द किया जाना—(1) मतदान के बन्द होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से, पीठासीन आफिसर यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और मतों का अभिलेखन न किया जा सके नियंत्रण यूनिट को बंद कर देगा और मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से वियोजित कर देगा।

(2) नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को उसके पश्चात् अलग-अलग रूप से उस रीति से जैसा कि निर्वाचन आयोग निदेशित करे मुद्राबंद और सुरक्षित किया जाएगा और उन्हें सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त मुद्रा इस प्रकार लगाई जाएगी कि बिना मुद्राओं को तोड़े यूनिटों का खोलना संभव नहीं होगा।

(3) मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता, जो उनकी मुद्रा लगाने की वांछा करे को भी ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

49प. अन्य पैकेटों को मुद्राबन्द करना— (1) पीठासीन आफिसर तब—

(क) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के;

(ख) प्ररूप 17क में मतदाता रजिस्टर के;

(ग) निविदत्त मतपत्रों को अंतर्विष्ट रखने वाले लिफाफे और प्ररूप 17ख में सूची के;

(घ) अभ्याक्षेपित मतों की सूची में; और

(ङ) किन्हीं अन्य ऐसे कागजपत्रों के, जिनकी बाबत निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि वे मुद्राबंद पैकेट में रखे जाएं, पृथक पैकेट बनाएगा।

(2) ऐसे हर पैकेट पीठासीन आफिसर की ओर से या तो अभ्यर्थी को या उसके निर्वाचक अभिकर्ता अथवा उसके मतदान अभिकर्ता को जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो और उस पर अपनी मुद्रा लगाना चाहे, मुद्रा से मुद्रांकित किया जाएगा।

49फ. मतदान मशीन आदि का रिटर्निंग आफिसर को पारेषण—(1) पीठासीन आफिसर तब रिटर्निंग आफिसर को—

(क) मतदान मशीन;

(ख) प्ररूप 17ग में अभिलिखित मतों का लेखा,

(ग) नियम 49प में निर्दिष्ट मुद्राबंद पैकेट; और

(घ) मतदान में उपयोग में लगाए गए सब अन्य कागजपत्र ऐसे स्थान में जैसा रिटर्निंग आफिसर निर्दिष्ट करे, परिदत करेगा या परिदत्त कराएगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर मतदान मशीन, पैकेटों और अन्य कागजपत्रों के सुरक्षापूर्ण परिवहन के लिए और मतों की गणना के प्रारंभ होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए यथायोग्य इंतजाम करेगा।

49ब. मतदान के [illegible] पर प्रक्रिया—(1) यदि मतदान किसी मतदान केन्द्र में धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन स्थगित किया गया है तो नियम [illegible] से [illegible] तक के उपबंध यथासाध्य ऐसे लागू होंगे मानो मतदान धारा 56 के अधीन नियमित नियत समय [illegible] है।

(2) When an adjourned poll is recommended under sub-section (2) of section 57, the electors who have already voted at the poll so adjourned shall not be allowed to vote again.

(3) The returning officer shall provide the presiding officer of the polling station at which such adjourned poll is held, with the sealed packet containing the marked copy of the electoral roll, register of voters in Form 17A and a new voting machine.

(4) The presiding officer shall open the sealed packet in the presence of the polling agents present and use the marked copy of the electoral roll for marking the names of the electors who are allowed to vote at the adjourned poll.

(5) The provisions of rule 28 and rules 49A to 49V shall apply in relation to the conduct of an adjourned poll before it was so adjourned.

49X. Closing of voting machine in case of booth capturing—Where the presiding officer is of opinion that booth capturing is taking place at a polling station or at a place fixed for the poll, he shall immediately close the control unit of the voting machine to ensure that no further votes can be recorded and shall detach the balloting unit from the control unit.]

PART V
Counting of votes in Parliamentary and Assembly Constituencies

50. Definitions—In this Part, unless the context otherwise requires,—

(a) "candidate" means a contesting candidate;

(b) "constituency" means a parliamentary or assembly constituency;

(c) "counting agent" means a counting agent duly appointed under section 47 and includes a candidate and the election agent of a candidate when present at the counting;

(d) "notified polling station" means a polling station notified under rule 49;

(2) जब स्थगित मतदान धारा 57 की उपधारा (2) के अधीन पुनः प्रारम्भ हुआ है तब उन निर्वाचकों को जिन्होंने ऐसे स्थगित मतदान में पहले ही मत दिया था पुनः मत देने के लिए अनुज्ञा न दी जाएगी।

(3) रिटर्निंग आफिसर उस मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर को, जिनमें ऐसा स्थगित मतदान होता है वह मुद्राबंद पैकेट जिसमें निर्वाचक नामावली को चिह्नित प्रति अंतर्विष्ट है, प्ररूप 17क में मतदाता रजिस्टर और एक नई मतदान मशीन उपबंधित करेगा।

(4) पीठासीन आफिसर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं की, जो उपस्थित हैं, उपस्थिति में मुद्राबंद पैकेट को खोलेगा और निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति का उपयोग ऐसे निर्वाचकों के नाम जिन्हें स्थगित मतदान में मद देने के लिए अनुज्ञात किया गया है नाम चिह्नित करने के लिए करेगा।

(5) नियम 28 और नियम 49क से 49फ तक के उपबंध स्थगित मतदान के संचालन के संबंध में ऐसे स्थगन से पूर्व किए जाने वाले मतदान की तरह लागू होंगे।

49भ. बूथ पर कब्जा करने की दशा में मतदान मशीन का बन्द किया जाना—जहां पीठासीन आफिसर की यह राय है कि किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान के लिए नियत किसी स्थान पर बूथ पर कब्जा किया जा रहा है, वहां वह मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट को यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त बंद कर देगा कि कोई और मत अभिलिखित न किए जाएं तथा मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से अलग कर देगा।]

भाग 5

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में मतों की गणना

50. परिभाषाएं—इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अभ्यर्थी" से निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी अभिप्रेत है,

(ख) "निर्वाचन-क्षेत्र" से संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है,

(ग) "गणन अभिकर्ता" से वह गणन अभिकर्ता है, जो धारा 47 के अधीन सम्यक् रूप से नियुक्त है, और इसके अन्तर्गत अभ्यर्थी और अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता तब आता है जबकि वह गणना के समय उपस्थित है,

(घ) "अधिसूचित मतदान केन्द्र" से नियम 40 के अधीन अधिसूचित मतदान केन्द्र अभिप्रेत है,

(*e*) "polling station" means a polling station provided under section 25 other than a notified polling station.

51. Time and place for counting of votes.—The returning officer shall, at least one week before the date, or the first of the dates, fixed for the poll, appoint the place or places where the counting of votes will be done and the date and time at which the counting will commence and shall give notice of the same in writing to each candidate or his election agent:

Provided that if for any reason the returning officer finds it necessary so to do, he may alter the date, time and place or places so fixed, or any of them, after giving notice of the same in writing to each candidate or his election agent.

52. Appointment of counting agents and revocation of such appointments.—(*1*) The number of counting agents that a candidate may appoint under section 47 shall, subject to such general or special direction as the Election Commission may issue in this behalf, not exceed sixteen at the place or each of the places, fixed for counting under rule 51.

(*2*) Every such appointment shall be made in Form 18 in duplicate, one copy of which shall be forwarded to the returning officer while the other copy shall be made over to the counting agent for production before the returning officer [1][not later than one hour before the time fixed] for counting under rule 51.

(*3*) No counting agent shall be admitted into the place fixed for counting unless he has delivered to the returning officer the second copy of his appointment under sub-rule (*2*) after duly completing and signing the declaration contained therein and receiving from the returning officer an authority for entry into the place fixed for counting.

(*4*) The revocation of appointment of a counting agent under sub-section (*2*) of section 48 shall be made in Form 19 and lodged with the returning officer.

(*5*) In the event of any such revocation before the commencement of the counting of votes, the candidate or his election agent may make a fresh appointment in accordance with sub-rule (2).

53. Admission to the place fixed for counting.—(*1*) The returning officer shall exclude from the place fixed for counting of votes all persons except—

(*a*) [2][such persons (to be known as counting supervisors and counting assistants)] as he may appoint to assist him in the counting;

(*b*) persons authorised by the Election Commission;

(*c*) public servants on duty in connection with the election; and

(*d*) candidates, their election agents and counting agents.

(*2*) No person who has been employed by or on behalf of, or has been otherwise working for, a candidate in or about the election shall be appointed under clause (*a*) of sub-rule (*1*).

(*3*) The returning officer shall decide which counting agent or agents shall watch the counting at any particular counting table or group of counting tables.

(*4*) Any person who during the counting of votes misconducts himself or fails to obey the lawful directions of the returning officer may be removed from the place where the votes are being

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 3662, dated the 12th October, 1964, for certain words.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 4542, dated the 20th December, 1968 (w.e.f. 1-1-1969).

(ङ) "मतदान केन्द्र" से अधिसूचित मतदान केन्द्र से भिन्न वह मतदान केन्द्र अभिप्रेत है जो धारा 25 के अधीन उपबन्धित है।

51. मतों की गणना के लिए समय और स्थान—रिटर्निंग आफिसर मतदान के लिए नियत तारीख या तारीखों में की प्रथम तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले वह स्थान या वे स्थान जहां मतों की गणना की जाएगी और वह तारीख और समय जब मतों की गणना प्रारम्भ होगी, नियत करेगा और हर एक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को उसकी लिखित सूचना देगा :

परन्तु यदि रिटर्निंग आफिसर किसी कारणवश वैसा करना आवश्यक समझता है तो वह ऐसे नियत तारीख, समय और स्थान या स्थानों या उनमें से किसी को हर एक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को उसकी लिखित सूचना देने के पश्चात् बदल सकेगा।

52. गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति और ऐसी नियुक्तियों का प्रतिसंहरण—(1) गणन अभिकर्ताओं की जो संख्या धारा 47 के अधीन अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त की जा सकेगी वह निर्वाचन आयोग के ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, जैसे निर्वाचन आयोग इस निमित्त निकाले, नियम 51 के अधीन गणना के लिए नियत स्थान में या स्थानों में से हर एक में सोलह से अधिक न होगी।

(2) हर ऐसी नियुक्ति प्ररूप 18 में दो प्रतियों में की जाएगी जिसमें से एक प्रति रिटर्निंग आफिसर को भेजी जाएगी और दूसरी प्रति गणन अभिकर्ता को गणना के लिए नियम 51 के अधीन [1][नियत समय के एक घंटे पूर्व से अपश्चात्] रिटर्निंग आफिसर के समक्ष पेश की जाने के लिए दे दी जाएगी।

(3) जब तक किसी गणन अभिकर्ता ने रिटर्निंग आफिसर को उपनियम (2) के अधीन अपने नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति उसमें अंतर्विष्ट घोषणा को सम्यक् रूप से पूरा करने और हस्ताक्षरित करने के पश्चात् परिदत्त न कर दी हो और रिटर्निंग आफिसर से गणना के लिए नियत स्थान में प्रविष्ट होने के लिए प्राधिकार प्राप्त न कर लिया हो उसे गणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश न करने दिया जाएगा।

(4) गणन अभिकर्ता की नियुक्ति को धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिसंहरण प्ररूप 19 में किया जाएगा और रिटर्निंग आफिसर के पास दाखिल किया जाएगा।

(5) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतों की गणना के प्रारम्भ के पूर्व किसी ऐसे प्रतिसंहरण की दशा में नई नियुक्ति उपनियम (2) के अनुसार कर सकेगा।

53. गणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश—(1) रिटर्निंग आफिसर मतों की गणना के लिए नियत स्थान में से—

(क) [2][ऐसे व्यक्तियों के, (जो गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक के रूप में ज्ञात होंगे)], और जिन्हें वह गणना में अपनी सहायता के लिए नियुक्त करे;

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के;

(ग) निर्वाचन के संसंग में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के; और

(घ) अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और गणन अभिकर्ताओं के, सिवाय अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित रखेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत अभ्यर्थी के द्वारा या की ओर से नियोजित है, या अन्यथा उसके लिए कार्य कर रहा है वह उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त न किया जाएगा।

(3) रिटर्निंग आफिसर इस बात का विनिश्चय करेगा कि कौन सा या कौन से अभिकर्ता किसी विशिष्ट गणना पटल या गणना पटलों के समूह पर गणना देखेगा या देखेंगे।

(4) जो कोई व्यक्ति मतों की गणना के दौरान स्वयं अवचार करता है या रिटर्निंग आफिसर के विधिपूर्ण निदेशों के पालन में असफल रहता है वह उस स्थान से, जहां मतों की गणना की जा रही है, रिटर्निंग आफिसर द्वारा या

1. अधिसूचना सं० का० आ० 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) प्रतिस्थापित।

counted by the returning officer or by any police officer on duty or by any person authorised in this behalf by the returning officer.

54. Maintenance of secrecy of voting.—The returning officer shall, before he commences the counting, read out the provisions of section 128 to such persons as may be present.

[1][**54A. Counting of votes received by post.**—(*1*) The returning officer shall first deal with the postal ballot papers in the manner hereinafter provided.

(*2*) No cover in Form 13C received by the returning officer after the expiry of the time fixed in that behalf shall be opened and no vote contained in any such cover shall be counted.

(*3*) The other covers shall be opened one after another and as each cover is opened, the returning officer shall first scrutinise the declaration in Form 13A contained therein.

(*4*) If the said declaration is not found, or has not been duly signed and attested, or is otherwise substantially defective, or if the serial number of the ballot paper as entered in it differs from the serial number endorsed on the cover in Form 13B, that cover shall not be opened, and after making an appropriate endorsement thereon, the returning officer shall reject the ballot paper therein contained.

(*5*) Each cover so endorsed and the declaration received with it shall be replaced in the cover in Form 13C and all such covers in Form 13C shall be kept in a separate packet which shall be sealed and on which shall be recorded the name of the constituency, the date of counting and a brief description of its content.

(*6*) The returning officer shall then place all the declarations in Form 13A which he has found to be in order in a separate packet which shall be sealed before any cover in Form 13B is opened and on which shall be recorded the particulars referred to in sub-rule (*5*).

(*7*) The covers in Form 13B not already dealt with under the foregoing provisions of this rule shall then be opened one after another and the returning officer shall scrutinise each ballot paper and decide the validity of the vote recorded thereon.

(*8*) A postal ballot paper shall be rejected—

[2][(*a*) if it bears any mark (other than the mark to record the vote) or writing by which the elector can be identified; or]

[3][(*aa*)] if no vote is recorded thereon; or

(*b*) if votes are given on it in favour of more candidates than one; or

(*c*) if it is a spurious ballot paper; or

(*d*) if it is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established; or

(*e*) if it is not returned in the cover sent along with it to the elector by the returning officer.

(*9*) A vote recorded on a postal ballot paper shall be rejected if the mark indicating the vote is placed on the ballot paper in such manner as to make it doubtful to which candidate the vote has been given.

(*10*) A vote recorded on a postal ballot paper shall not be rejected merely on the ground that the mark indicating the vote is indistinct or made more than once, if the intention that the vote shall be for a particular candidate clearly appears from the way the paper is marked.

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 3662, dated the 12th October, 1964.
2. Ins. by Notifn. No. S.O. 5573, dated the 23rd December, 1971.
3. cl. (*a*) relettered as cl. (*aa*) by, ibid.

किसी कर्तव्यारूढ़ पुलिस आफिसर द्वारा या रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकेगा।

54. मतदान की गोपनीयता बनाए रखना--रिटर्निंग आफिसर, इसके पूर्व कि वह गणना प्रारम्भ करे, धारा 128 के उपबंध उन व्यक्तियों को, जो उपस्थित हों, पढ़कर सुनाएगा।

[1][**54क. डाक द्वारा प्राप्त मतों की गणना**--(1) रिटर्निंग आफिसर डाक मतपत्रों के विषय में प्रथमतः एतस्मिन्पश्चात् उपबंधित रीति से कार्यवाही करेगा।

(2) तन्निमित्त नियत समय के अवसान के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्राप्त प्ररूप 13ग में के किसी लिफाफे को खोला नहीं जाएगा और ऐसे किसी लिफाफे में अन्तर्विष्ट किसी मत को गणना नहीं की जाएगी।

(3) अन्य लिफाफे को एक-एक करके खोला जाएगा और जैसे ही हर एक लिफाफे को खोला जाए रिटर्निंग आफिसर प्रथमतः उसमें अन्तर्विष्ट प्ररूप 13क में की घोषणा की संवीक्षा करेगा।

(4) यदि उक्त घोषणा नहीं पाई जाती है या उसे सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित नहीं किया गया है या अन्यथा सारतः त्रुटिपूर्ण है या यदि उसमें यथा प्रविष्ट मतपत्र का क्रम संख्यांक प्ररूप 13ख में के लिफाफे पर पृष्ठांकित क्रम संख्यांक से भिन्न है तो उस लिफाफे को खोला नहीं जाएगा और उस पर समुचित पृष्ठांकन करने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर उसमें अन्तर्विष्ट मतपत्र को प्रतिक्षेपित कर देगा।

(5) ऐसे पृष्ठांकित हर एक लिफाफे और उसके साथ प्राप्त घोषणा को पुनः प्ररूप 13ग में के लिफाफे में रखा जाएगा और प्ररूप 13ग में के ऐसे सभी लिफाफे एक पृथक् पैकेट में रखे जाएंगे जिसे मुद्राबन्द किया जाएगा और जिस पर निर्वाचन-क्षेत्र का नाम, गणना की तारीख और उसकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जाएगा।

(6) रिटर्निंग आफिसर तब प्ररूप 13क में की उन सभी घोषणाओं को, जो उसने व्यवस्थानुरूप पाई हैं, पृथक् पैकेट में रखेगा जिसे प्ररूप 13ख में के किसी लिफाफे को खोलने के पहले मुद्राबन्द किया जाएगा और जिस पर उपनियम (5) में निर्दिष्ट विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी।

(7) प्ररूप 13ख में के उन लिफाफों को, जिनके विषय में इस नियम के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन पहले ही कार्यवाही नहीं की गई है, तब एक-एक करके खोला जाएगा और रिटर्निंग आफिसर हर एक मतपत्र की संवीक्षा करेगा और उस पर अभिलिखित मत की विधिमान्यता का विनिश्चय करेगा।

(8) डाक मतपत्र को प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा---

[2][(क) यदि उस पर ऐसा कोई चिह्न (मत को अभिलिखित करने के लिए चिह्न से भिन्न) या लेख है जिससे निर्वाचक की पहचान हो सके; या]

[3][(कक)] यदि उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं है; या

(ख) यदि उस पर मत एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में दिए गए हैं;

(ग) यदि वह बनावटी मतपत्र है; या

(घ) यदि वह ऐसे क्षत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है;

(ङ) यदि उसे उस लिफाफे में रखकर नहीं लौटाया गया है जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचक को उसके साथ ही भेजा गया था।

(9) डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा यदि मत को उपदर्शित करने वाला चिह्न मतपत्र पर ऐसी रीति में लगा है कि यह बात सन्देहपूर्ण हो जाती है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है।

(10) डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को केवल इस आधार पर कि मत को उपदर्शित करने वाला चिह्न अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा यदि यह आशय कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए है, मतपत्र चिह्नित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है।

1. अधिसूचना सं० का० आ० 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1961 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 5373, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. पूर्वोक्त द्वारा मूल खण्ड (क) को खण्ड (कक) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया।

(*11*) The returning officer shall count all the valid votes given by postal ballot in favour of each candidates, record the total thereof in the result sheet in Form 20 and announce the same.

(*12*) Thereafter, all the valid ballot papers and all the rejected ballot papers shall be separately bundled and kept together in a packet which shall be sealed with the seals of the returning officer and of such of the candidates, their election agents or counting agents as may desire to affix their seals thereon and on the packet so sealed shall be recorded the name of the constituency, the date of counting and a brief description of its contents.]

55. Scrutiny and opening of ballot boxes.—[1][(*1*) The returning officer may have the ballot box or boxes used at more than one polling station opened and the ballot papers found in such box or boxes counted simultaneously.]

[2]* * * * *

(*2*) Before any ballot box is opened at a counting table, the counting agents present at that table shall be allowed to inspect the paper seal or such other seal as might have been affixed thereon and to satisfy themselves that it is intact.

(*3*) The returning officer shall satisfy himself that none of the ballot boxes has in fact been tampered with.

(*4*) If the returning officer is satisfied that any ballot box has in fact been tampered with, he shall not count the ballot papers contained in that box and shall follow the procedure laid down in section 58 in respect of that polling station.

56. [3][Counting of Votes].—[1][(*1*) The ballot papers taken out of each ballot box shall be arranged in convenient bundles and scrutinized.]

(*2*) The returning officer shall reject a ballot paper—

(*a*) if it bears any mark or writing by which the elector can be identified, or

[4][(*b*) If it bears no mark at all or, to indicate the vote, it bears a mark elsewhere than on or near the symbol of one of the candidates on the face of the ballot paper or, it bears a mark made otherwise than with the instrument supplied for the purpose, or]

(*c*) if votes are given on it in favour of more than one candidate, or

(*d*) if the mark indicating the vote thereon is placed in such manner as to make it doubtful to which candidate the vote has been given, or

(*e*) if it is a spurious ballot paper, or

(*f*) if it is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established, or

(*g*) if it bears a serial number, or is of a design, different from the serial numbers, or, as the case may be, design, of the ballot papers authorised for use at the particular polling station, or

---

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 518(E), dated the 7th September, 1979, for sub-rule (*1*).
2. Sub-rule (1*A*) omitted, *ibid.*
3. Subs. by Notifn. No. S.O. 3662, dated the 12th October, 1964.
4. Subs. by Notifn. No. S.O. 505(E), dated the 18th September, 1973

(11) रिटर्निंग ग्राफिसर उन सभी विधिमान्य मतों की, जो डाक मतपत्र द्वारा हर एक ग्रभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए हैं, गणना करेगा, उनके जोड़ को प्ररूप 20 में के परिणामपत्र में ग्रभिलिखित करेगा और उसे ग्राख्यापित करेगा।

(12) तदुपरांत सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी प्रतिक्षेपित मतपत्रों के पृथक्-पृथक् बंडल बनाए जाएंगे और उन्हें एक साथ एक पैकेट में रखा जाएगा जिसे रिटर्निंग ग्राफिसर की और ऐसे ग्रभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन ग्रभिकर्ताओं या गणन ग्रभिकर्ताओं की, जो इस पर ग्रपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित किया जाएगा और ऐसे मुद्रावंद पैकेट पर निर्वाचन-क्षेत्र का नाम, गणना की तारीख और उसकी ग्रन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन ग्रभिलिखित किया जाएगा।]

55. मतपेटियों की संवीक्षा ग्रौर उनका खोला जाना—[1][(1) रिटर्निंग ग्राफिसर एक से ग्रधिक मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाई गई मतपेटी या मतपेटियों को खुलवा सकेगा और ऐसी मतपेटी या मतपेटियों में पाए गए कुल मतपत्रों की साथ-साथ गणना करवा सकेगा।]

[2]* * * * * *

(2) जो गणन ग्रभिकर्ता गणना पटल पर उपस्थित हैं उस पटल पर किसी मतपेटी के खोले जाने के पहले उन्हें उस पत्र-मुद्रा या ऐसी ग्रन्य मुद्रा का, जो उस पर लगी हो, निरीक्षण और ग्रपना यह समाधान कि वह ठीक है, करने दिया जाएगा।

(3) रिटर्निंग ग्राफिसर ग्रपना यह समाधान करेगा कि मतपेटियों में से किसी में वास्तव में कोई गड़बड़ नहीं की गई है

(4) यदि रिटर्निंग ग्राफिसर का समाधान हो जाता है कि किसी मतपेटी में वास्तव में कोई गड़बड़ की गई है तो वह उस पेटी में ग्रन्तर्विष्ट मतपत्रों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान केन्द्र की बाबत धारा 58 में ग्रधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा।

56. [3][**मतों की गणना**— [1][(1) प्रत्येक मतपेटी से निकाले गए मतपत्र सुविधाजनक बंडलों में रखे जाएंगे और उनकी संवीक्षा की जाएगी]।

(2) रिटर्निंग ग्राफिसर मतपत्र को प्रतिक्षेपित उस दशा में कर देगा यदि—

(क) उस पर ऐसा कोई चिह्न या लेख है, जिससे निर्वाचक का ग्रभिज्ञान किया जा सकता है, ग्रथवा

[4][(ख) उस पर कोई चिह्न हो नहीं है, या, मत उपदर्शित करने के लिए मतपत्र पर सामने की ओर ग्रभ्यर्थियों में से किसी एक के प्रतीक पर से या उसके निकट से ग्रन्यत्र ऐसा कोई चिह्न है, या ऐसा चिह्न है जो उस प्रयोजन के लिए प्रदाय किए गए उपकरण से लगाने या ग्रन्यथा लगाया गया है, ग्रथवा]

(ग) उस पर एक ग्रभ्यर्थी से अधिक के पक्ष में मत दिए गए हैं, ग्रथवा

(घ) उस पर मत उपदर्शित करने वाला चिह्न ऐसी रीति में लगाया गया है जिससे कि यह बात शंकास्पद हो जाती है कि मत किस ग्रभ्यर्थी को दिया गया है, ग्रथवा

(ङ) वह बनावटी मतपत्र है, ग्रथवा

(च) वह ऐसे क्षत या विकृत है कि ग्रसली मतपत्र के रूप में उसकी ग्रनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है, ग्रथवा

(छ) वह उस विशिष्ट मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए जाने के लिए प्राधिकृत मतपत्रों के, यथास्थिति, क्रम संख्यांकों से भिन्न क्रम संख्यांक या परिकल्पों से भिन्न परिकल्प का है, ग्रथवा

1. ग्रधिसूचना सं० का० ग्रा० 518(ग) तारीख 7 सितम्बर, 1979 द्वारा उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. पूर्वोक्त द्वारा उपनियम [illegible]
3. ग्रधिसूचना [illegible]
4. ग्रधिसूचना [illegible]

(*h*) if it does not bear [1][both the mark and the signature] which it should have borne under the provisions of sub-rule (*1*) of rule 38:

Provided that where the returning officer is satisfied that any such defect as is mentioned in clause (*g*) or clause (*h*) has been caused by any mistake or failure on the part of a presiding officer or polling officer, the ballot paper shall not be rejected merely on the ground of such defect:

Provided further that a ballot paper shall not be rejected merely on the ground that the mark indicating the vote is indistinct or made more than once, if the intention that the vote shall be for a particular candidate clearly appears from the way the paper is marked.

(*3*) Before rejecting any ballot paper under sub-rule (*2*), the returning officer shall allow each counting agent present a reasonable opportunity to inspect the ballot paper but shall not allow him to handle it or any other ballot paper.

[2][(*4*) The returning officer shall endorse on every ballot paper which he rejects the word "Rejected" and the grounds of rejection in abbreviated form either in his own hand or by means of a rubber stamp and shall initial such endorsement.]

(*5*) All ballot papers rejected under this rule shall be bundled together.

[3][(*6*) Every ballot paper which is not rejected under this rule shall be counted as one valid vote:

Provided that no cover containing tendered ballot papers shall be opened and no such paper shall be counted.

[4][(*7*) After the counting of all ballot papers contained in all the ballot boxes used at a polling station has been completed,—

(*a*) the counting supervisor shall fill in and sign Part II—Result of Counting, in Form 16, which shall also be signed by the returning officer; and

(*b*) the returning officer shall make the entries in a result sheet in Form 20 and announce the particulars.]]

[5]* * * * *

[6][**57. Sealing of used ballot papers.**—The valid ballot papers of each candidate and the rejected ballot papers shall thereafter be bundled separately and the several bundles made up into a separate packet which shall be sealed with the seals of the returning officer and of such of the candidates, their election agents or counting agents as may desire to affix their seals thereon; and on the packets so sealed shall be recorded the following particulars, namely:—

(*a*) the name of the constituency;

[7][(*b*) the particulars of the polling station where the ballot papers have been used; and]

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 4542, dated the 20th December, 1968 (w.e.f. 1-1-1969).
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 479A, dated the 27th January, 1971, for sub-rule (*4*).
3. Ins. by Notifn. No. S.O. 3662, dated the 12th October, 1964.
4. Subs. by Notifn. No. S.O. 518(E), dated the 7th September, 1979, for sub-rule (*7*).
5. *Explanation* omitted, *ibid.*
6. Subs. by Notifn. No. S.O. 3662, dated the 12th October, 1964.
7. Ins. by Notifn. No. S.O. 518 (E), dated the 7th September, 1979. The former cl. (*b*) was omitted by Notifn. No. S.O. 5573, dated the 23rd December, 1971.

(ज) उस पर [1][वह चिह्न और वह हस्ताक्षर दोनों] ही नहीं हैं जो उस पर नियम 38 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन होने चाहिए थे :

परन्तु जहां कि रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में वर्णित जैसी कोई त्रुटि, पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर की ओर से की गई किसी भूल या असफलता के कारण हुई है वहां मतपत्र केवल ऐसी त्रुटि के आधार पर ही प्रतिक्षेपित न किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि कोई मतपत्र केवल इस आधार पर कि मत उपदर्शित करने वाला चिह्न अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिक्षेपित न किया जाएगा यदि यह आशय कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए होगा, मतपत्र चिह्नित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है ।

(3) रिटर्निंग आफिसर किसी मतपत्र को उपनियम (2) के अधीन प्रतिक्षेपित करने से पहले हर एक गणन अभिकर्ता को, जो उपस्थित है, मतपत्र के निरीक्षण के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा, किन्तु उसे उस मतपत्र को या अन्य किसी मतपत्र को हाथ लगाने देगा।

[2][(4) रिटर्निंग आफिसर ऐसे हर मतपत्र पर जिसे वह प्रतिक्षेपित करता है, अक्षर "प्र" और प्रतिक्षेपण के आधारों को संक्षिप्त रूप में या तो स्वहस्तेन लिखकर या रबड़ स्टाम्प से पृष्ठांकित करेगा और ऐसे पृष्ठांकन पर आद्याक्षर करेगा ।]

(5) इस नियम के अधीन प्रतिक्षेपित किए गए सभी मतपत्र एक साथ बंडल में बांधे जाएंगे।

[3][(6) हर मतपत्र को, जिसे इस नियम के अधीन प्रतिक्षेपित नहीं किया गया है, एक विधिमान्य मत के रूप में गणना की जाएगी :

परन्तु निविदत्त मतपत्र अन्तर्विष्ट रखने वाले किसी लिफाफे को खोला नहीं जाएगा और ऐसे किसी मतपत्र की गणना नहीं की जाएगी ।

[4][(7) किसी मतदान केन्द्र के उपयोग में लाई गई सभी मतपेटियों में अन्तर्विष्ट सब मतपत्रों की गणना खत्म हो जाने के पश्चात्—

(क) गणना पर्यवेक्षक प्ररूप 16 में, भाग 2 में गणना का फल भरेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा रिटर्निंग आफिसर उस पर हस्ताक्षर करेगा; और

(ख) रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 20 में परिणामपत्र में प्रविष्टियां करेगा और विशिष्टियां आख्यापित करेगा ।]

[5]* * * * *

[6][57. उपयोग में लाए गए मतपत्रों को मुद्रा बन्द करना—तत्पश्चात् हर एक अभ्यर्थी के विधिमान्य मतपत्रों को और प्रतिक्षेपित मतपत्रों को पृथक्-पृथक् बंडलों में बांधा जाएगा और कई बंडलों का पृथक् पैकेट बनाया जाएगा जिसे रिटर्निंग आफिसर की और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ता की, जो उन पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित किया जाएगा और ऐसे मुद्राबन्द पैकेटों पर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी, अर्थात्:—

(क) निर्वाचन-क्षेत्र का नाम,

[7][(ख) उस मतदान के केन्द्र की विशिष्टियां जहां मतपत्रों को उपयोग में लाया गया है; और]

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) प्रतिस्थापित ।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 479क, तारीख 27 जनवरी, 1971 द्वारा उपनियम (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. अधिसूचना सं० का० आ० 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. अधिसूचना सं० का० आ० 518(अ), तारीख 7 सितम्बर, 1979 द्वारा उपनियम (7) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. पूर्वोक्त द्वारा स्पष्टीकरण का लोप किया गया ।
6. अधिसूचना सं० का० आ० 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. अधिसूचना सं० का० आ० 518(अ), तारीख 7 सितम्बर, 1979 द्वारा अन्तःस्थापित। अधिसूचना सं० का० आ० 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा पूर्ववर्ती खण्ड (ख) का लोप किया गया ।

(*c*) the date of counting.]

58. Counting of ballot papers transferred to bags or covers under rule 44.—The provisions of rules 55, 56 and 57 shall apply so far as may be in relation to counting of ballot papers and votes, if any, which have been transferred from ballot boxes to cloth bags or cloth-lined covers under sub-rule (*5*) of rule 44:

Provided that every reference in the said rules to a ballot box shall be construed as a reference to a bag or cover to which the contents of a ballot box have been transferred.

59. Counting of votes at notified polling stations.—In relation to the counting of ballot papers found in ballot boxes used at notified polling stations, [1][rules 50 to 54] and, in lieu of rules 55, 56 and 57, the following rules shall apply, namely:—

"55A. *Scrutiny and opening of ballot boxes.*—(*1*) All ballot boxes used at a notified polling station shall be opened at the same time but every ballot box shall be dealt with in such manner that its contents do not get mixed up with the contents of any other ballot box.

(*2*) Subject to the provisions of sub-rule (*1*), the returning officer may have the ballot boxes used at more notified polling stations than one opened and their contents counted simultaneously.

(*3*) Before any ballot box is opened, the counting agents present shall be allowed to inspect the paper seal or any other seal that might have been affixed thereon and to satisfy themselves that it is intact.

(*4*) The returning officer shall satisfy himself that none of the ballot boxes has in fact been tampered with.

(*5*) If the returning officer is satisfied that any of the ballot boxes has in fact been tampered with, he shall not count the ballot papers contained in any of the ballot boxes used at the polling station at which such box was used and shall proceed as laid down in section 58 in respect of that polling station.

(*6*) After each ballot box is opened, the counting agents present shall be allowed to inspect the ballot box and satisfy themselves that it bears the proper symbol inside and has been duly marked in accordance with the provisions of sub-rule (*6*) of rule 33 as modified by clause (*c*) of sub-rule (*3*) of rule 49.

(*7*) If any question arises as to the candidate to whom a particular ballot box was allotted at the poll, the returning officer shall decide such question by a reference to the symbol inside the box :

Provided that—

(*a*) if there is no symbol inside the box, or

(*b*) if the symbol inside the box has been damaged or mutilated beyond recognition, or

(*c*) if the same symbol is found on two or more boxes used at the same polling station,

---

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 5573, dated the 23rd December, 1971.

(ग) गणना की तारीख ।]

58. **थैलों या लिफाफों में नियम 44 के अधीन अंतरित मतपत्रों की गणना करना**—नियम 55, 56 और 57 के उपबंध उन मतपत्रों और मतों की, यदि कोई हों, गणना के संबंध में यावत्शक्य लागू होंगे जो मतपेटियों में से कपड़े के थैलों या कपड़े के अस्तर वाले लिफाफों में नियम 44 के उपनियम (5) के अधीन अन्तरित किए गए हैं :

परन्तु उक्त नियमों में मतपेटी के प्रति हर निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस थैले या लिफाफे के प्रति निर्देश है जिसमें मतपेटी की अन्तर्वस्तुएं अंतरित की गई हैं।

59. **अधिसूचित मतदान केन्द्रों पर मतों की गणना**—अधिसूचित मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाई गई मतपेटियों में पाए गए मतपत्रों की गणना के संबंध में [1][नियम 50 से लेकर 54 तक के नियम] और नियम 55, 56 और 57 के स्थान में निम्नलिखित नियम लागू होंगे, अर्थात् :—

"55क. **संवीक्षा और मतपेटियों का खोलना**—(1) किसी अधिसूचित मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई सभी मतपेटियां एक ही समय में खोली जाएंगी किन्तु हर मतपेटी से ऐसी रीति में बरता जाएगा कि उसकी, अन्तर्वस्तुएं किसी अन्य मतपेटी की अन्तर्वस्तुओं से मिश्रित न हो जाएं।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए रिटर्निंग आफिसर एक से अधिक अधिसूचित मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाई गई मतपेटियों को एक साथ खुलवा सकेगा और उनकी अन्तर्वस्तुओं की एक साथ गणना करवा सकेगा ।

(3) किसी मतपेटी के खोले जाने के पूर्व उन गणन अभिकर्ताओं को, जो उपस्थित हों, पत्र-मुद्रा का या किसी अन्य मुद्रा का, जो उस पर लगी हो, निरीक्षण और अपना यह समाधान, कि वह ठीक हालत में है, करने दिया जाएगा ।

(4) रिटर्निंग आफिसर अपना यह समाधान करेगा कि मतपेटियों में से किसी में वास्तव में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है ।

(5) यदि रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाता है कि मतपेटियों में से किसी में वास्तव में कोई गड़बड़ की गई है तो वह उस मतदान केन्द्र में, जिसमें ऐसी पेटी उपयोग में लाई गई थी, उपयोग में लाई गई मतपेटियों में से किसी में अन्तर्विष्ट मतपत्रों की गणना न करेगा और उस मतदान केन्द्र की बाबत धारा 58 में यथा अधिकथित रूप में अग्रसर होगा ।

(6) हर एक मतपेटी के खोलने के पश्चात् गणन अभिकर्ताओं को जो, उपस्थित हों, मतपेटी का निरीक्षण और अपना यह समाधान, कि उसके अंदर उचित प्रतीक लगा हुआ है और नियम 49 के उपनियम (3) के खंड (ग) से यथा उपांतरित नियम 33 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसार यह सम्यक् रूप से चिह्नित है, करने दिया जाएगा ।

(7) यदि कोई प्रश्न इस बारे में पैदा होता है कि विशिष्ट मतपेटी किस अभ्यर्थी को मतदान में आबंटित की गई थी, तो रिटर्निंग आफिसर ऐसे प्रश्न का विनिश्चय पेटी के अन्दर वाले प्रतीक के प्रति निर्देश से करेगा :

परन्तु—

(क) यदि पेटी के अन्दर कोई प्रतीक नहीं है, अथवा

(ख) यदि पेटी के अन्दर वाला प्रतीक इतना क्षत या विकृत हो गया है कि पहचाना नहीं जा सकता, अथवा

(ग) यदि एक ही प्रतीक एक ही मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई दो या अधिक पेटियों के अन्दर पाया जाता है,

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा प्रतिस्थापित ।

the returning officer, shall, wherever possible, decide the question by reference to all relevant circumstances including the distinguishing marks on the ballot box, and where he does not consider it possible to decide the question, he shall immediately refer it to the Election Commission for its decision.

56A. [1][*Counting of votes.*]—(*1*) The ballot papers taken out of each ballot box shall be arranged in convenient bundles and scrutinised.

(*2*) The returning officer shall reject a ballot paper—

(*a*) if it bears any mark or writing by which the elector can be identified, or

(*b*) if it is a spurious ballot paper, or

(*c*) if it is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established, or

(*d*) if it bears a serial number, or is of a design, different from the serial numbers or, as the case may be, design, of the ballot papers authorised for use at the particular polling station, or

(*e*) if it does not bear [2][both the mark and the signature] which it should have borne under the provisions of sub-rule (*1*) of rule 38:

Provided that where the returning officer is satisfied that any such defect as is mentioned in clause (*d*) or clause (*e*) has been caused by any mistake or failure on the part of a presiding officer or polling officer, the ballot paper shall not be rejected merely on the ground of such defect.

(*3*) Before rejecting any ballot paper under sub-rule (*2*), the returning officer shall allow the couting agents present a reasonable opportunity to inspect the ballot paper but shall not allow them to handle it or any other ballot paper.

(*4*) The returning officer shall record on every ballot paper which he rejects the letter 'R' and the grounds of rejection in abbreviated form either in his own hand or by means of a rubber stamp.

(*5*) All ballot papers taken out of any one ballot box and rejected under this rule shall be made into a separate bundle.

[3][(*6*) Every ballot paper which is not rejected under this rule shall be counted as one valid vote:

Provided that no cover containing tendered ballot papers shall be opened and so such ballot paper shall be counted.]

[2](*7*) After the counting of all ballot papers contained in all the ballot boxes used at a polling station has been completed,—

(*a*) the counting supervisor shall fill in and sign Part II—Result of Counting in [4][Form 16 which shall also be signed by the returning officer; and

(*b*) the returning officer shall make the entries in a result sheet in Form 20 and announce the particulars.]

[5][57A. *Sealing of used ballot papers.*—(*1*) The valid ballot papers found in each ballot box, shall thereafter be bundled together and kept along with the bundle of rejected ballot

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 3662, dated the 12th October, 1964, for the former heading.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 4542, dated the 20th December, 1968 (w.e.f. 1-1-1969).
3. Ins. by Notifn. No. S.O. 3662, dated the 12th October, 1964.
4. Subs. by Notifn. No. S.O. 518 (E), dated the 7th September, 1979.
5. Subs. by Notifn. No. S.O. 3662, dated the 12th October, 1964.

तो रिटर्निंग ऑफिसर जहां कहीं ऐसा करना संभव हो वहां प्रश्न का विनिश्चय मतपेटी पर सुभिन्नक चिह्नों के सहित सब सुसंगत परिस्थितियों के प्रति निर्देश से करेगा और जहां कि वह यह पाता है कि प्रश्न का विनिश्चय करना संभव नहीं है वहां वह उसे निर्वाचन आयोग के विनिश्चय के लिए आयोग को तुरन्त निर्देशित करेगा।

56क. [1][मतों की गणना]—(1) हर एक मतपेटी में से निकाले गए मतपत्र सुविधाजनक बंडलों में व्यवस्थानुसार रखे जाएंगे और उनकी संवीक्षा की जाएगी।

(2) रिटर्निंग ऑफिसर मतपत्रों को उस दशा में प्रतिक्षेपित कर देगा जिसमें कि मतपत्र—

(क) पर ऐसा कोई चिह्न या लेख है जिससे निर्वाचक का अभिज्ञान किया जा सकता है, अथवा

(ख) बनावटी मतपत्र है, अथवा

(ग) ऐसे क्षत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित की जा सकती है, अथवा

(घ) उस विशिष्ट मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए जाने के लिए प्राधिकृत मतपत्रों के, यथास्थिति, क्रम संख्यांकों से भिन्न क्रम संख्यांक या परिकल्पों से भिन्न परिकल्प का है, अथवा

(ङ) पर [2][वह चिह्न और हस्ताक्षर दोनों] नहीं हैं जिन्हें उस पर नियम 38 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन होना चाहिए था:

परन्तु जहां कि रिटर्निंग ऑफिसर का समाधान हो जाता है कि खंड (घ) या खंड (ङ) में वर्णित जैसी कोई त्रुटि, पीठासीन ऑफिसर या मतदान ऑफिसर की ओर से की गई किसी भूल या असफलता के कारण हुई है वहां मतपत्र ऐसी त्रुटि के आधार पर प्रतिक्षेपित न किया जाएगा।

(3) रिटर्निंग ऑफिसर उपनियम (2) के अधीन किसी मतपत्र को प्रतिक्षेपित करने से पूर्व गणन अभिकर्ताओं को, जो उपस्थित हों, मतपत्र के निरीक्षण के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा, किन्तु उन्हें उस मतपत्र को या अन्य किसी मतपत्र को हाथ न लगाने देगा।

(4) रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे हर मतपत्र पर, जिसे वह प्रतिक्षेपित करता है, अक्षर "प्र" और प्रतिक्षेपण के आधारों को संक्षिप्त रूप में या तो स्वहस्तेन लिखकर या रबड़ स्टाम्प से अभिलिखित करेगा।

(5) किसी एक मतपेटी में से निकाले गए और इस नियम के अधीन प्रतिक्षेपित किए गए सब मतपत्रों का एक पृथक बंडल बनाया जाएगा।]

[3][(6) हर मतपत्र को, जिसे इस नियम के अधीन प्रतिक्षेपित नहीं किया गया है, एक विधिमान्य मत के रूप में गणना की जाएगी:

परन्तु निविदत्त मतपत्र अन्तर्विष्ट रखने वाले किसी लिफाफे को खोला नहीं जाएगा और ऐसे किसी मतपत्र की गणना नहीं की जाएगी।]

[3][(7) किसी मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई सब मतपेटियों में अन्तर्विष्ट मतपत्रों की गणना खत्म हो जाने के पश्चात्—

(क) गणना पर्यवेक्षक [4][प्ररूप 16] में भाग 2 में गणना का फल भरेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा रिटर्निंग ऑफिसर भी उस पर हस्ताक्षर करेगा; और

(ख) रिटर्निंग ऑफिसर प्ररूप 20 में परिणामपत्र में प्रविष्टियां करेगा और विशिष्टियां आख्यापित करेगा।]

[5][57क. **उपयोग में लाए गए मतपत्रों को मुद्राबन्द करना**—(1) हर एक मतपेटी में पाए गए विधिमान्य मतपत्रों को तत्पश्चात् एक साथ बंडल में बांधा जाएगा और उस पेटी में पाए गए प्रतिक्षेपित मतपत्रों के

1. अधिसूचना सं० का० आ० 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा पूर्ववर्ती शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं० का० आ० 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 से अंतःस्थापित।
4. अधिसूचना सं० का० आ० 518(अ), तारीख 7 सितम्बर, 1979 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना सं० का० आ० 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।

papers, if any found in that box in a separate packet which shall be sealed with the seals of the returning officer and of such of the candidates, their election agents or counting agents as may desire to affix their seals thereon and on the packet so sealed there shall be recorded the following particulars, namely :—

(a) the name of the constituency,

(b) the particulars of the polling station where the ballot papers have been used,

(c) the name of the candidate to whom the ballot box was allotted, and

(d) the date of counting.

(2) The returning officer shall then place together all the packets made up under sub-rule (*1*) in respect of each candidate in a separate container which shall be sealed with the seals of the returning officer and of such of the candidates, their election agents or their counting agents as may desire to affix their seals thereon and on the container so sealed shall be recorded the following particulars, namely :—

(a) the name of the constituency,

(b) the names of the candidates, and

(c) the date of counting.]

[1][59A. [2][**Counting of votes in specified constituencies**—Where the Election Commission apprehends intimidation and victimisation of electors in any constituency and it is of the opinion that it is absolutely necessary that the ballot papers taken out of all boxes used in that constituency should be mixed before counting, it may, by notification in the Official Gazette, specify such constituency and for counting of such ballot papers, in lieu of rules 55, 56, 57 and 59, the following rules shall apply], namely :—

'59B. **Scrutiny and opening of ballot boxes.**—(1) The returning officer shall open, or cause to be opened, simultaneously the ballot box or boxes used at more than one polling station and shall have the total number of ballot papers found in such box or boxes counted and recorded in Part II of From 16 :

Provided that discrepancy, if any, between the total number of such ballot papers recorded as aforesaid and the total number of ballot papers shown against item No. 5 of Part I shall also be recorded in Part II of Form 16.

(2) Before any ballot box is opened at a Counting table, the counting agents present at that table shall be allowed to inspect the paper seal or such other seal as might have been affixed thereon and to satisfy themselves that it is intact.

(3) The returning officer shall satisfy himself that none of the ballot boxes has in fact been tampered with.

(4) If the returning officer is satisfied that any ballot box has in fact been tampered with, he shall not count the ballot papers contained in that box and shall follow the procedure laid down in section 58 in respect of that polling station.

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 958(E), dt. 17.11.1989.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 105(E), dated 15th February, 1993.

बंडल के, यदि कोई हों, साथ ही पृथक् पैकेट में रखा जाएगा जिसे रिटर्निंग आफिसर की और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की, जो उन पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित किया जाएगा, और ऐसे मुद्राबंद पैकेट पर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी, अर्थात्:—

(क) निर्वाचन-क्षेत्र का नाम,

(ख) उस मतदान केन्द्र की विशिष्टियां जहां मतपत्रों को प्रयोग में लाया गया है,

(ग) उस अभ्यर्थी का नाम जिसे वह मतपेटी आबंटित की गई थी, तथा

(घ) गणना की तारीख।

(2) रिटर्निंग आफिसर तब हर एक अभ्यर्थी की बाबत उपनियम (1) के अधीन बनाए गए सब पैकेट पृथक् लिफाफे में एक साथ रखेगा जिसे रिटर्निंग आफिसर और ऐसे अभ्यर्थियों उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या उनके गणन अभिकर्ताओं को, जो उन पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित किया जाएगा और ऐसे मुद्राबंद किए गए लिफाफे पर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी, अर्थात:—

(क) निर्वाचन-क्षेत्र का नाम,

(ख) अभ्यर्थियों का नाम, तथा

(ग) गणना की तारीख।]

[1][**59क.** [2][**विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्रों में मतों की गणना**—जहां निर्वाचन आयोग को किसी निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचकों को अभित्रस्त करने और सताने की आशंका है और उसकी यह राय है कि यह आत्यन्तिक रूप से आवश्यक है कि उस निर्वाचन-क्षेत्र में उपयोग में लाई गई सभी मत पेटियों में से निकाले गए मतपत्रों को गणना करने के पूर्व मिलाया जाए वहां वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र को विनिर्दिष्ट कर सकेगा और ऐसे मतपत्रों की गणना के लिए, नियम 55, नियम 56, नियम 57 और नियम 59 के स्थान में निम्नलिखित नियम लागू होंगे, अर्थात्—]

'**55ख. मतपेटियों की संवीक्षा और उनका खोला जाना**— (1) रिटर्निंग आफिसर एक से अधिक मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाई गई मतपेटी या मतपेटियों को एक साथ खोलेगा या खुलवाएगा और ऐसी मतपेटी या मतपेटियों में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या की गणना करेगा और उसे प्ररूप 16क के भाग 2 में अभिलिखित करेगा:

परन्तु पूर्वोक्त रूप में अभिलिखित ऐसे मतपत्रों की कुल संख्या और भाग 1 की मद सं० 5 के सामने दर्शित मतपत्रों की कुल संख्या के बीच कोई फर्क यदि कोई हो, प्ररूप 16क के भाग 2 में भी अभिलिखित किया जाएगा।

(2) जो गणन अभिकर्ता गणना पटल पर उपस्थित हैं उस पटल पर किसी मतपेटी के खोले जाने के पहले उन्हें उस पत्रमुद्रा या ऐसी अन्य मुद्रा का, जो उस पर लगी हो, निरीक्षण और अपना यह समाधान कि वह ठीक है, करने दिया जाएगा।

(3) रिटर्निंग आफिसर अपना यह समाधान करेगा कि मतपेटियों में से किसी में वास्तव में कोई गड़बड़ नहीं की गई है।

(4) यदि रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाता है कि किसी मतपेटी में वास्तव में कोई गड़बड़ की गई है तो वह उस पेटी में अंतर्विष्ट मतपत्रों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान केन्द्र की बाबत धारा 58 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा।

---

1. अधिसूचना सं० का०आ० 958(अ), तारीख 17-11-1989 द्वारा अंतःस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का०आ० 105(अ), तारीख 15 फरवरी, 1993 द्वारा प्रतिस्थापित।

56B. Counting of votes.- (*1*) Subject to such general or special directions, if any, as may be given by the Election Commission in this behalf, the ballot papers taken out of all boxes [1][used at more than one polling station in a constituency] shall be mixed together and then arranged in convenient bundles and scrutinised.

(2) The returning officer shall reject a ballot paper—

(a) If it bears any mark or writing by which the elector can be identified, or

(b) if it bears no mark at all or, to indicate the vote, it bears a mark elsewhere than on or near the symbol of one of the candidates on the face of the ballot paper or, it bears a mark made otherwise than with the instrument supplied for the purpose, or

(c) if votes are given on it in favour of more than one candidate, or

(d) if the mark indicating the vote thereon is placed in such manner as to make it doubtful to which candidate the vote has been given, or

(e) if it is a spurious ballot paper, or

(f) if it is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established, or

(g) if it bears a serial number, or is of a design, different from the serial numbers, or, as the case may be, design, of the ballot papers authorised for use at the particular polling station, or

(h) if it does not bear both the mark and the signature which it should have borne under the provisions of sub-rule (1) of rule 38:

Provided that where the returning officer is satisfied that any such defect as is mentioned in clause (g) or clause (h) has been caused by any mistake or failure on the part of a presiding officer or polling officer, the ballot paper shall not be rejected merely on the ground of such defect:

Provided further that a ballot paper shall not be rejected merely on the ground that the mark indicating the vote is indistinct or made more than once, if the intention that the vote shall be for a particular candidate clearly appears from the way the paper is marked.

(3) Before rejecting any ballot paper under sub-rule (2), the returning officer shall allow each counting agent present a reasonable opportunity to inspect the ballot paper but shall not allow him to handle it or any other ballot paper.

(4) The returning officer shall endorse on every ballot paper which he rejects the word "Rejected" and the grounds of rejection in abbreviated form either in his own hand or by means of a rubber stamp and shall initial such endorsement.

(5) All ballot papers rejected under this rule shall be bundled together.

(6) Every ballot paper which is not rejected under this rule shall be counted as one valid vote:

Provided that no cover containing tendered ballot shall be opened and no such paper shall be counted.

---

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 105(E), dated 15th February, 1993.

56ख. मतों की गणना—(1) ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए जाएं, [1][किसी निर्वाचन-क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाई गई], सभी मतपेटियों से निकाले गए मतपत्रों को एक साथ मिलाया जाएगा और तब उन्हें सुविधाजनक बंडलों में रखा जाएगा और उनकी संवीक्षा की जाएगी।

(2) रिटर्निंग आफिसर मतपत्र को प्रतिक्षेपित उस दशा में कर देगा यदि—

(क) उस पर ऐसा कोई चिह्न या लेख है, जिससे निर्वाचक का अभिज्ञान किया जा सकता है, अथवा

(ख) उस पर कोई चिह्न ही नहीं, या, मत उपदर्शित करने के लिए मतपत्र पर सामने की ओर अभ्यर्थियों में से किसी एक के प्रतीक पर से या उसके निकट से अन्यत्र ऐसा कोई चिह्न है, या ऐसा चिह्न है जो उस प्रयोजन के लिए प्रदाय किए गए उपकरण से लगाने से अन्यथा लगाया गया है, अथवा

(ग) उस पर एक अभ्यर्थी से अधिक के पक्ष में मत दिए गए हैं, अथवा

(घ)उस पर मत उपदर्शित करने वाला चिह्न ऐसी रीति में लगाया गया है जिसमें कि यह बात शंकास्पद हो जाती है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है, अथवा

(ङ) वह बनावटी मतपत्र है, अथवा

(च) वह ऐसे क्षत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है, अथवा

(छ) वह उस विशिष्ट मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए जाने के लिए प्राधिकृत मतपत्रों के, यथास्थिति, क्रम संख्यांकों से भिन्न क्रम संख्यांक या परिकल्पों से भिन्न परिकल्प का है, अथवा

(ज) उस पर वह चिह्न और वह हस्ताक्षर दोनों ही नहीं हैं जो उस पर नियम 38 के उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन होने चाहिए थे:

परन्तु जहां कि रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में वर्णित जैसी कोई त्रुटि, पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर की ओर से की गई किसी भूल या असफलता के कारण हुई है वहां मतपत्र केवल ऐसी त्रुटि के आधार पर ही प्रतिक्षेपित न किया जाएगा:

परन्तु यह और कि कोई मतपत्र केवल इस आधार पर कि मत उपदर्शित करने वाला चिह्न अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिक्षेपित न किया जाएगा यदि यह आशय कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए होगा, मतपत्र चिह्नित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है।

(3) रिटर्निंग आफिसर किसी मतपत्र को उपनियम (2) के अधीन प्रतिक्षेपित करने से पहले हर एक गणना अभिकर्ता को, जो उपस्थित है, मतपत्र के निरीक्षण के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा, किन्तु उसे उस मतपत्र को या अन्य किसी मतपत्र को हाथ नहीं लगाने देगा।

(4) रिटर्निंग आफिसर ऐसे हर मतपत्र पर जिसे वह प्रतिक्षेपित करता है, अक्षर "प्र" और प्रतिक्षेपण के आधारों को संक्षिप्त रूप में या तो स्वहस्तेन लिखकर या रबड़ स्टाम्प से पृष्ठांकित करेगा और ऐसे पृष्ठांकन पर आद्याक्षर करेगा।

(5) इस नियम के अधीन प्रतिक्षेपित किए गए सभी मतपत्र एक साथ बंडल में बांधे जाएंगे।

(6) हर मतपत्र की, जिसे इस नियम के अधीन प्रतिक्षेपित नहीं किया गया है, एक विधिमान्य मत के रूप में गणना की जाएगी:

परन्तु निविदत्त मतपत्र अन्तर्विष्ट रखने वाले किसी लिफाफे को खोला नहीं जाएगा और ऐसे किसी मतपत्र की गणना नहीं की जाएगी।

---

1. अधिसूचना सं० का०आ० 105(अ), तारीख 15 फरवरी, 1993 द्वारा प्रतिस्थापित।

(7) After the counting of all ballot papers contained in all the ballot boxes used in a constituency has been completed, the returning officer shall make the entries in a result sheet in Form 20 and announce the particulars.

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression "constituency" shall, in relation to an election from a parliamentary constituency, mean the assembly constituency comprised therein.

57B. *Sealing of used ballot papers.*—The valid ballot papers of each candidate and the rejected ballot papers shall thereafter be bundled separately and the several bundles made up into a separate packet which shall be sealed with the seals of the returning officer and of such of the candidates, their election agents or counting agents as may desire to affix their seals thereon: and on the packets so sealed shall be recorded the following particulars, namely:—

(a) the name of the constituency; and

(b) the date of counting].

60. Counting to be continuous.—The returning officer shall, as far as practicable, proceed continuously with the counting and shall, during any intervals when the counting has to be suspended, keep the ballot papers, packets and all other papers relating to the election sealed with his own seal and the seals of such candidates or election agents as may desire to affix their seals and take sufficient precaution for their safe custody during such intervals.

61. Recommencement of counting after fresh poll.—(*1*) If a fresh poll is held under section 58, the returning officer shall, after completion of that poll, recommence the counting of votes on the date and at the time and place which have been fixed by him in that behalf and of which notice has been previously given to the candidates and their election agents.

(*2*) The provisions of rules 56 and 57 shall apply so far as may be to such further counting.

[1]* * * * *

63. Re-count of votes.—(*1*) After the completion of the counting, the returning officer shall record in the result sheet in Form 20 the total number of votes polled by each candidate and announce the same.

[2][(*2*) After such announcement has been made, a candidate or, in his absence, his election agent or any of his counting agents may apply in writing to the returning officer to re-count the votes either wholly or in part stating the grounds on which the demands such re-count.]

(*3*) On such an application being made the returning officer shall decide the matter and may allow the application in whole or in part or may reject it *in toto* if it appears to him to be frivolous or unreasonable.

(*4*) Every decision of the returning officer under sub-rule (*3*) shall be in writing and contain the reasons therefor.

[2][(*5*) If the returning officer decides under sub-rule (*3*) to allow a re-count of the votes either wholly or in part, he shall—

(*a*) do the re-counting in accordance with [3][rule 54A,] rule 56 or rule 56A, as the case may be·

1. Rule 62 omitted by Notifn. No. S.O. 3662, dated the 12th October, 1964.
2. Subs., *ibid.*, for the former sub-rule.
3. Ins. by Notifn. No. S.O. 3450, dated the 9th November, 1966.

(7) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में उपयोग में लाई गई सभी मतपेटियों में अंतर्विष्ट सभी मतपत्रों की गणना खत्म हो जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 20क में परिणामपत्र में प्रविष्टियां करेगा और विशिष्टियां आख्यापित करेगा।

स्पष्टीकरण:— इस नियम के प्रयोजन के लिए, "निर्वाचन-क्षेत्र" अभिव्यक्ति से किसी ससंदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के संबंध में, उसमें समाविष्ट सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है।

57[1. उपयोग में लाए गए मतपत्रों को मुद्राबन्द करना—तत्पश्चात् हर एक अभ्यर्थी के विधिमान्य मतपत्रों को, और प्रतिक्षेपित मतपत्रों को पृथक्-पृथक् बंडलों में बांधा जाएगा और कई बंडलों का पृथक् पैकेट बनाया जाएगा जिसे रिटर्निंग आफिसर की और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की, जो उन पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित किया जाएगा और ऐसे मुद्राबंद पैकेटों पर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी, अर्थात्:—

(क) निर्वाचन-क्षेत्र का नाम, और

(ख) गणना की तारीख]।

60. गणना लगातार की जाएगी—रिटर्निंग आफिसर यावत्साध्य गणना लगातार करता रहेगा और ऐसे किन्हीं अन्तरालों के दौरान जब गणना निलम्बित करनी पड़ती है, निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों, पैकेटों और अन्य कागज-पत्रों को, स्वयं अपनी मुद्रा और ऐसे अभ्यर्थियों या निर्वाचन अभिकर्ताओं की, जो अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित करके रखेगा और ऐसे अन्तरालों के दौरान उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त पूर्वावधानी बरतेगा।

61. नए मतदान के पश्चात् गणना का पुनरारम्भ—(1) यदि धारा 58 के अधीन नया मतदान किया जाता है तो रिटर्निंग आफिसर उस मतदान की समाप्ति के पश्चात् उस तारीख को और उस समय और स्थान में मतों की गणना पुनः आरम्भ करेगा जो उसने उस निमित्त नियत की थी या किया था और जिसकी सूचना अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को पहले दी जा चुकी थी।

(2) नियम 56 और 57 के उपबन्ध ऐसी अपर गणना के संबंध में यावत्शक्य लागू होंगे।

* * *

62. मतों की पुनर्गणना—(1) रिटर्निंग आफिसर गणना की समाप्ति के पश्चात् उन मतों की कुल संख्या प्ररूप 20 म के परिणामपत्र में अभिलिखित करेगा जो हर एक अभ्यर्थी को मतदान में मिले हैं और उसे आख्यापित करेगा।

2[(2) ऐसा आख्यापन किए जाने के पश्चात अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसके गणन अभिकर्ताओं में से कोई मतों की पूर्णतः या भागतः पुनर्गणना के लिए उन आधारों का कथन करने वाला, जिन पर वह ऐसी पुनर्गणना की मांग करता है, लिखित आवेदन रिटर्निंग आफिसर से कर सकेगा।

(3) रिटर्निंग आफिसर ऐसा आवेदन किए जाने पर उस विषय का विनिश्चय करेगा और आवेदन को पूर्णतः या भागतः मंजूर कर सकेगा या उस दशा में जिसमें कि वह उसे तुच्छ या अनुचितयुक्त प्रतीत हो उसे पूर्ण रूप से प्रतिक्षेपित कर सकेगा।

(4) रिटर्निंग आफिसर का उपनियम (3) के अधीन हर विनिश्चय लिखित होगा और उसमें उस विनिश्चय के लिए कारण अन्तर्विष्ट होंगे।

2[(5) यदि रिटर्निंग आफिसर मतों की या तो पूर्णतः या भागतः पुनर्गणना अनुज्ञात करने का उपनियम (3) के अधीन विनिश्चय करता है तो वह—

(क) पुनर्गणना, यथास्थिति 3[नियम 54क,] नियम 56 या नियम 56क के अनुसार करेगा,

1. अधिसूचना सं० का० आ० 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा नियम 62 का लोप किया गया।
2. पूर्वोक्त द्वारा पूर्ववर्ती उपनियम के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं० का० आ० 3450, तारीख 9 नवम्बर, 1966 द्वारा अन्तःस्थापित।

(*b*) amend the result sheet in Form 20 to the extent necessary after such re-count; and

(*c*) announce the amendments so made by him.]

(*6*) After the total number of votes polled by each candidate has been announced under sub-rule (*1*) or sub-rule (*5*), the returning officer shall complete and sign the result sheet in Form 20 and no application for a re-count shall be entertained thereafter:

Provided that no step under this sub-rule shall be taken on the completion of the counting until the candidates and election agents present at the completion thereof have been given a reasonable opportunity to exercise the right conferred by sub-rule (*2*).

[1][64. **Declaration of result of election and return of election.**—The returning officer shall, subject to the provisions of section 65 if and so far as they apply to any particular case, then—

(*a*) declare in Form 21C or Form 21D, as may be appropriate, the candidate to whom the largest number of valid votes have been given, to be elected under section 66 and send signed copies thereof to the appropriate authority, the Election Commission and the chief electoral officer; and

(*b*) complete and certify the return of election in Form 21E and send signed copies thereof to the Election Commission and the chief electoral officer.]

65. Counting at two or more places.—If ballot papers are counted at more places than one, the provisons of [2][rules 53, 54 and 55 to 60] shall apply to the counting at each such place, but the provisions of [3][rules 54A, 63 and 64] shall apply only to the counting at the last of such places.

66. Grant of certificate of election to returned candidate.—As soon as may be after a candidate has been declared by the returning officer under the provisions of section 53, or section 66, to be elected, the returning officer shall grant to such candidate a certificate of election in Form 22 and obtain from the candidate an acknowledgment of its receipt duly signed by him and immediately send the acknowledgment by registered post to the Secretary of the House of the People or, as the case may be, the Secretary of the Legislative Assembly.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 4542, dated the 20th December, 1968 (w.e.f. 1-1-1969).
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 3450, dated the 9th November, 1966, for "rules 53 to 60".
3. Subs., *ibid.*, for "rules 62 to 64".

(ख) प्ररूप 20 में परिणामपत्र को ऐसी पुनर्गणना के पश्चात् आवश्यक विस्तार तक संशोधित करेगा, तथा

(ग) अपने द्वारा ऐसे किए गए संशोधनों को आख्यापित करेगा।

(6) हर एक अभ्यर्थी को मतदान में मिले मतों की कुल संख्या उपनियम (1) या उपनियम (5) के अधीन आख्यापित किए जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 20 वाले परिणामपत्र को पूरा करेगा और हस्ताक्षरित करेगा और पुनर्गणना के लिए कोई आवेदन तत्पश्चात् गृहीत न किया जाएगा :

परन्तु गणना के पूरा होने पर इस उपनियम के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसे पूरा करने में उपस्थित अभ्यर्थियों और निर्वाचन अभिकर्ताओं को उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।

[1][64. **निर्वाचन के परिणाम की घोषणा और निर्वाचन का विवरण**—रिटर्निंग आफिसर धारा 65 के उपबन्धों के उस सूरत में और जहां तक कि वे उस विशिष्ट दशा में लागू होते हों, अध्यधीन रहते हुए:—

(क) प्ररूप 21ग या 21घ में, जो भी समुचित हो, उस अभ्यर्थी को जिसे अधिकतम संख्या में विधिमान्य मत मिले हैं धारा 66 के अधीन निर्वाचित घोषित करेगा और घोषणा की हस्ताक्षरित प्रतियां समुचित प्राधिकारी, निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर को भेजेगा; और

(ख) प्ररूप 21 में निर्वाचन की विवरणी पूरी करेगा और प्रमाणित करेगा तथा उसकी हस्ताक्षरित प्रतियां निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर को भेजेगा।

65. **दो या अधिक स्थानों में गणना**—यदि मतपत्रों की गणना एक से अधिक स्थानों में की जाती है तो [2][नियम 53, 54 और 55 से लेकर 60 तक] के उपबन्ध हर एक स्थान में गणना को लागू होंगे, किन्तु [3][नियम 54क, 63 63 और 64] के उपबन्ध ऐसे स्थानों में से अन्तिम स्थान में गणना को ही लागू होंगे।

66. **निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन के प्रमाणपत्र का अनुदान**—रिटर्निंग आफिसर द्वारा धारा 53 या धारा 66 के उपबन्धों के अधीन अभ्यर्थी के निर्वाचित हो जाने की घोषणा कर दी जाने के पश्चात् यथा शक्यशीघ्र रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 22 में निर्वाचन का प्रमाणपत्र ऐसे अभ्यर्थी को अनुदत्त करेगा और उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति अभ्यर्थी से अभिप्राप्त करेगा और यथास्थिति, लोक सभा के सचिव या विधान सभा के सचिव को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा वह अभिस्वीकृति तुरन्त भेजेगा।

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 3450, तारीख 9 नवम्बर, 1966 द्वारा "नियम 53 से 60 तक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. पूर्वोक्त द्वारा "नियम 62 से 64 तक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][66A. **Counting of votes where electronic voting machines have been used.**—In relation to the counting of votes at a polling station, where voting machine has been used,—

(*i*) the provisions of rules 50 to 54 and in lieu of rules 55, 56 and 57, the following rules shall respectively apply, namely :—

"55C. **Scrutiny and inspection of voting machines**—(1) The returning officer may have the control units of the voting machines used at more than one polling station taken up for scrutiny and inspection and votes recorded in such units counted simultaneously.

(2) Before the votes recorded in any control unit of a voting machine are counted under sub-rule (*1*), the candidate or his election agent or his counting agent present at the counting table shall be allowed to inspect the paper seal and such other vital seals as might have been affixed on the unit and to satisfy themselves that the seals are intact.

(3) The returning officer shall satisfy himself that none of the voting machines has in fact been tampered with.

(4) If the returning officer is satisfied that any voting machine has in fact been tampered with he shall not count the votes recorded in that machine and shall follow the procedure laid down in section 58, or section 58A or section 64A, as may be applicable in respect of the polling or stations where that machine was used.

56C. Counting of votes.—(1) After the returning officer is satisfied that a voting machine has in fact not been tempered with, he shall have the votes recorded therein counted by pressing the appropriate button marked "Result" provided in the control unit whereby the total votes polled and votes polled by each candidate shall be displayed in respect of each such candidate on the display panel provided for the purpose in the unit.

(2) As the votes polled by each candidate are displayed on the control unit, the returning officer shall have,—

(a) the number of such votes recorded separately in respect of each candidate in Part-II of Form-17C;

(b) Part II of Form-17C completed in other respects and signed by the counting supervisor and also by the candidates or their election agents or then counting agents present; and

(c) corresponding entries made in a result sheet in Form-20 and the particulars so entered in the result sheet announced.

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 230(E), dated 24th March, 1992.

[1][66क. **जहां इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग किया गया है मतों की गणना**—जहां मतदान मशीन का प्रयोग किया गया है मतदान केन्द्र पर डाले गए मतों की गणना के संबंध में—

(i) नियम 50 से 54 के उपबंध और नियम 55, 56 और 57 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित नियम लागू होंगे—

"55ग. **मतदान मशीनों की संवीक्षा और निरीक्षण**—(1) रिटर्निंग आफिसर एक से अधिक मतदान केन्द्रों पर उपयोग में लाई गई मतदान मशीनों के नियंत्रण यूनिटों की संवीक्षा और निरीक्षण करवा सकेगा और ऐसे यूनिट में अभिलिखित किए गए मतों की साथ-साथ गणना करवा सकेगा।

(2) इसके पहले कि किसी मतदान मशीन में अभिलिखित किए गए मतों की उप-नियम (1) के अधीन गणना की जाती है अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता जो गणना पटल पर उपस्थित हैं को उस पत्र मुद्रा और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं का जो यूनिट पर लगी हो का निरीक्षण और अपना यह समाधान कि मुद्रा अविकल है, करने दिया जाएगा।

(3) रिटर्निंग आफिसर अपना यह समाधान करेगा कि किसी भी मतदान मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ नहीं की गई है।

(4) यदि रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि किसी मतदान मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ की गई है तो वह उस मशीन में अभिलिखित मतों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान केन्द्र या केन्द्रों की बाबत जहां उस मशीन का प्रयोग किया गया है को यथा लागू धारा 58 या धारा 58 क या धारा 64 क में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा।

56ग. **मतों की गणना**—(1) रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मतदान मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ नहीं की गई है तो वह नियंत्रण यूनिट में लगे "परिणाम" (Result) चिह्नित उपयुक्त बटन को दबा कर उसमें अभिलिखित किए गए मतों की गणना कराएगा जिसके द्वारा यूनिट में इस प्रयोजन के लिए उपबंधित प्रदर्शन पैनल पर मतांकित कुल मत और प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी की बाबत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए मत प्रदर्शित होंगे।

(2) जैसे ही नियंत्रण यूनिट पर प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए मतों का संप्रदर्शन किया जाता है, रिटर्निंग आफिसर—

(क) प्ररूप 17ग के भाग-2 में प्रत्येक अभ्यर्थी की बाबत ऐसे मतों की संख्या अलग-अलग अभिलिखित कराएगा;

(ख) प्ररूप 17ग का भाग-2 अन्य संदर्भ में पूर्ण कराएगा और गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या उनके गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराएगा; और

(ग) परिणाम शीट प्ररूप 20 में तत्स्थानी प्रविष्टियां कराएगा और परिणाम शीट में इस प्रकार दर्ज विशिष्टियों की घोषणा कराएगा।

1. अधिसूचना सं० का०आ० 230(तारीख 24 मार्च, 1992 द्वारा अंतःस्थापित।

57C. Sealing of voting machines.—(*1*) After the result of voting recorded in a control unit has been ascertained candidate-wise and entered in Part II of Form 17C and Form 20 under rule 56C, the returning officer shall reseal the unit with his seal and the seals of such of the candidates or their election agents present who may desire to affix the it seals thereon so however that the result of voting recorded in the unit is not obliterated and the unit retains the memory of such result.

(2) The control unit so sealed shall be kept in specially prepared boxes on which the returning officer shall record the following particulars, namely :—

(a) the name of the constituency;

(b) the particulars of polling station or stations where the control unit has been used;

(c) serial number of the control unit;

(d) date of poll; and

(e) date of counting";

(ii) the provisions of rules 60 to 66 shall, so far as may be, apply in relation to voting by voting machines and any reference in those rules to,—

(a) ballot paper shall be construed as including a reference to such voting machine;

(b) any rule shall be construed as a reference to the corresponding rule in Chapter II of Part IV or, as the case may be, to rule 55C or 56C or 57C].

PART VI

Voting at Elections by Assembly Members and in Council Constituencies

67. Definition—In this Part 'election" means an election by assembly members or an election in a council constituency.

68. Notification as to postal ballot.—The Election Commission may, by notification published in the Official Gazette at any time before the last date for the withdrawal of candidatures at an election, direct that the method of voting by postal ballot shall be followed :—

(a) at that election, if it is an election by assembly members; or

(b) in the whole or any specified parts of the constituency, if it is an election in a council constituency.

[1][69. **Notice to electors at election by assembly members.**—At an election by assembly members where a poll becomes necessary, the returning officer for such election shall, as soon as may be after the last date for the withdrawal of candidatures, send to each elector a notice informing him of the date, time and place fixed for polling.]

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 3662, dated the 12th October, 1964, for rule 69.

57ग. मतदान मशीनों का मुद्राबंद करना—(1) किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतों का परिणाम अभ्यर्थीवार अभिनिश्चित करने और नियम 56ग के अधीन प्ररूप 17ग के भाग 2 और प्ररूप 20 में दर्ज करने के पश्चात्, रिटर्निंग आफिसर अपनी मुद्रा से और उपस्थित ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ता जो उस पर अपनी मुद्रा लगाना चाहें मुद्रा से यूनिट को पुनः मुद्राबन्द करेगा जिससे यूनिट में अभिलिखित मतदान का फल न मिटाया जा सके और यूनिट ऐसे परिणाम की स्मृति प्रतिधारित कर सके।

(2) इस प्रकार मुद्राबन्द किए गए नियंत्रण यूनिट को विशेष रूप से तैयार किए गए बक्सों में रखा जाएगा जिस पर रिटर्निंग आफिसर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित करेगा, अर्थात् :—

(क) निर्वाचन-क्षेत्र का नाम;

(ख) उस मतदान केन्द्र या केन्द्रों की विशिष्टियां जहां नियंत्रण यूनिट को उपयोग में लाया गया है;

(ग) नियंत्रण यूनिट का क्रम संख्यांक;

(घ) मतदान की तारीख; और

(ङ) गणना की तारीख।

(ii) नियम 60 से 66 के उपबंध जहां तक हो सके मतदान मशीनों द्वारा मतदान करने के संबंध में लागू होंगे और उन नियमों में कोई प्रतिनिर्देश,—

(क) मतपत्र को ऐसी मतदान मशीन के प्रतिनिर्देश में सम्मिलित समझा जाएगा;

(ख) कोई नियम भाग 4 के अध्याय 2 के तत्स्थानी नियम या यथास्थिति, नियम 55ग या 56ग अथवा 57ग के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा।]

भाग 6

सभा सदस्यों द्वारा और परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचनों में मतदान

67. परिभाषा—इस भाग में "निर्वाचन" से सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन या परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन अभिप्रेत है।

68. डाकमतपत्र की बाबत अधिसूचना—निर्वाचन आयोग निर्वाचन में अभ्यर्थिताओं से नाम वापिस लेने की अन्तिम तारीख से पूर्व किसी समय शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि डाकमतपत्र द्वारा मत देने की पद्धति का—

(क) उस निर्वाचन में, उस दशा में, जिसमें कि यह सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन है; अथवा

(ख) संपूर्ण निर्वाचन-क्षेत्र या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट भागों में, उस दशा में जिसमें कि यह परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन है,

अनुसरण किया जाएगा।

[1][69. **सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन में निर्वाचकों को सूचना**—सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन में, वहां जहां कि मतदान आवश्यक हो जाता है, ऐसे निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर अभ्यर्थिताओं के वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख के पश्चात् यथा शक्यशीघ्र हर एक निर्वाचक को मतदान के लिए नियत तारीख, समय और स्थान की इत्तिला देते हुए सूचना भेजेगा।]

1. अधिसूचना सं० का०आ० 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा नियम 69 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

70 Rules for conduct of poll.—The provisions of [1][rules 28 to 35 and 36 to 48] shall apply—

(*a*) to every election by assembly members in respect of which no direction has been issued under clause (*a*) of rule 68, and

(*b*) to every election in a council constituency unless voting by postal ballot has been directed in the whole of that constituency under clause (*b*) of rule 68,

subject to the following modifications, namely:—

(*i*) clause (*a*) of sub-rule (*1*) of rule 31 shall not apply to an election by assembly members;

(*ii*) [2][in lieu of rules 37 to 40], the following rules shall apply :—

"37A. *Method of voting.*—(*1*) Every elector has only one vote at an election irrespective of the number of seats to be filled.

[5][(1A) The provisions of sub-rules (1), (2) and (4) of rule 37 shall apply in relation to electors in the graduates 'constituencies and teachers' constituencies as they apply in relation to electors in the Parliamentary constituencies and Assembly constituencies.]

(*2*) An elector in giving his vote–

(*a*) shall place on his ballot paper the figure 1 in the space opposite the name of the candidate for whom he wishes to vote in the first instance; and

(*b*) may, in addition, place on his ballot paper the figure 2 or the figures 2 and 3, or the figures 2, 3 and 4 and so on, in the space opposite the names of the other candidates in the order of his preference.

[3][*Explanation*.—The figures referred to in clauses (*a*) and (*b*) of this sub-rule may be marked in the international form of Indian numerals or in the Roman form or in the form used in any Indian language but shall not be indicated in words.]

[4][38A. *Issue of ballot papers to electors*—(1) Every ballot paper, before it is issued to an elector, and the counterfoil attached thereto shall be stamped on the back with such distinguishing mark as the Election Commission may direct, and every ballot paper, before it is issued, shall be signed in full on its back by the presiding officer.

(*2*) At the time of issuing a ballot paper to an elector, the polling officer shall—

(*a*) record on its counterfoil the electoral roll number of the elector as entered in the marked copy of the electoral roll;

(*b*) obtain the signature of thumb impression of that elector on the said counter-foil; and

(*c*) mark the name of the elector in the marked copy of the electoral roll to indicate that a ballot paper has been issued to him, without however recording therein the serial number of the ballot paper issued to that elector :

Provided that no ballot paper shall be delivered to an elector unless he has put his signature or thumb impression on the counterfoil of that ballot paper.

(*3*) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 2, it shall not be necessary for any presiding officer or polling officer or any other officer to attest the thumb impression of the elector on the counterfoil.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 3450, dated the 9th November, 1966, for "rules 28 to 48".
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 1520, dated the 25th April, 1968.
3. Ins. by Notifn. No. S.O. 3875, dated the 15th December, 1966.
4. Subs. by Notifn. No. S.O. 5573, dated the 23rd December, 1971.
5. Ins. by Notifn. No. S.O. 335(E) dated the 23rd April, 1990.

70. मतदान के संचालन के लिए नियम—[1][नियम 28 से लेकर 35 तक और नियम 36 से लेकर 48 तक] के उपबंध—

(क) सभा सदस्यों द्वारा हुए ऐसे निर्वाचन को, जिसके संबंध में नियम 68 के खंड (क) के अधीन कोई निदेश नहीं दिया गया है, और

(ख) जब तक कि डाक मतपत्र द्वारा मतदान नियम 68 के खंड (ख) के अधीन उस संपूर्ण निर्वाचन-क्षेत्र में निदेशित नहीं किया गया हो, परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र में के हुए निर्वाचन को निम्नलिखित उपांतरों के अध्यधीन लागू होंगे, अर्थात् :—

(i) नियम 31 के उपनियम (1) का खंड (क) सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन को लागू नहीं होगा,

(ii) [2][नियम 37 से लेकर नियम 40 तक के बदले] निम्नलिखित नियम लागू होंगे—

"37क. मत देने की पद्धति—(1) भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अपेक्षतः निर्वाचन में हर निर्वाचक का केवल एक मत होगा।

[5][(1क) नियम 37 के उपनियम (1), (2) और (4) के उपबंध स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र तथा अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचकों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचकों के संबंध में लागू होते हैं।]

(2) निर्वाचक अपना मत देते हुए—

(क) अपने मतपत्र पर उस अभ्यर्थी के नाम के सामने वाले रिक्त स्थान में, जिसके लिए वह प्रथमतः मत देना चाहता है, अंक 1 अंकित करेगा; तथा

(ख) इसके अतिरिक्त अपने मतपत्र पर अन्य अभ्यर्थियों के नामों के सामने वाले रिक्त स्थान में अपने अधिमान के अनुसार अंक 2 या अंक 2 और 3 या अंक 2, 3 और 4 और इसी भांति आगे भी अंक अंकित कर सकेगा।

[3][स्पष्टीकरण—इस उपनियम के खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट अंक भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप में या रोमन रूप में या किसी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में अंकित किए जा सकेंगे किंतु शब्दों में उपदर्शित नहीं किए जाएंगे।]

[4][38क. निर्वाचकों को मतपत्रों का दिया जाना—(1) निर्वाचक को दिए जाने से पूर्व, प्रत्येक मतपत्र और उससे संलग्न प्रतिपर्ण, पृष्ठभाग पर ऐसे सुभिन्नक चिह्न से मुद्रांकित किए जाएंगे जैसा निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे, और पीठासीन आफिसर मतपत्र दिए जाने से पूर्व उसके पृष्ठ भाग पर पूरे हस्ताक्षर करेगा।

(2) निर्वाचक को मतपत्र देने के समय मतदान आफिसर—

(क) उसके प्रतिपर्ण पर निर्वाचक की वह निर्वाचक नामावली संख्या अभिलिखित करेगा जो निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में प्रविष्ट है;

(ख) उस निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठा-निशान उक्त प्रतिपर्ण पर अभिप्राप्त करेगा; और

(ग) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में निर्वाचक का नाम यह उपदर्शित करने के लिए चिह्नित करेगा कि उसे मतपत्र दिया गया है किन्तु वह उस निर्वाचक को दिए गए मतपत्र की क्रम संख्या उसमें अभिलिखित नहीं करेगा:

परन्तु कोई भी मतपत्र तब तक किसी निर्वाचक को परिदत्त नहीं किया जाएगा जब तक उसने उस मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अपने हस्ताक्षर न कर दिए हों या अंगूठे का निशान न लगा दिया हो।

(3) नियम 2 के उपनियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर या किसी अन्य आफिसर के लिए यह आवश्यक न होगा कि वह प्रतिपर्ण पर लगे निर्वाचक के अंगूठा-निशान को अनुप्रमाणित करे।

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 3450, तारीख 9 नवम्बर, 1966 द्वारा "नियम 28 से 48 तक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 1520, तारीख 25 अप्रैल, 1968 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं० का० आ० 3875, तारीख 15 दिसम्बर, 1966 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. अधिसूचना सं० का० आ० 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना सं० का० आ० 335(अ) तारीख 23-4-1990 द्वारा अन्तःस्थापित।

(*4*) No person in the polling station shall note down the serial numbers of the ballot papers issued to particular electors.

(*5*) Before any ballot paper is delivered to an elector at an election by assembly members or in a local authorities' constituency, the serial number of the ballot paper shall be effectively concealed in such manner as the Election Commission may direct.]

[1][39A. *Maintenance of secrecy of voting by electors within polling station and voting procedure.*—(*1*) Every elector, to whom a ballot paper has been issued under rule 38A or under any other provision of these rules, shall maintain secrecy of voting within the polling station and for that purpose observe the voting procedure hereinafter laid down.

(*2*) The elector on receiving the ballot paper shall forthwith—

(*a*) proceed to one of the voting compartments;

(*b*) record his vote in accordance with sub-rule (*2*) of rule 37A with the article supplied for the purpose;

(*c*) fold the ballot paper so as to conceal his vote;

[2][(*d*) if required, show to the presiding officer, the distinguishing mark on the ballot paper;]

[3][(*e*)] insert the folded paper into the ballot box; and

[3][(*f*)] quit the polling station.

(*3*) Every elector shall vote without undue delay.

(*4*) No elector shall be allowed to enter a voting compartment when another elector is inside it.

(*5*) If an elector to whom a ballot paper has been issued, refuses, after warning given by the presiding officer to observe the procedure as laid down in sub-rule (*2*), the ballot paper issued to him shall, whether he has recorded his vote thereon or not, be taken back from him by the presiding officer or a polling officer under the direction of the presiding officer.

(*6*) After the ballot paper has been taken back, the presiding officer shall record on its back the words "Cancelled : voting procedure violated" and put his signature below those words.

(*7*) All the ballot papers on which the words "Cancelled : voting procedure violated" are recorded, shall be kept in a separate cover which shall bear on its face the words "Ballot papers : voting procedure violated".

(*8*) Without prejudice to any other penalty to which an elector, from whom a ballot paper has been taken back under sub-rule (*5*), may be liable, vote, if any, recorded on such ballot paper shall not be counted.]

[4][40A. *Recording of votes of illiterate, blind or infirm electors.*—(*1*) If an elector is unable to read the ballot paper or to record his vote thereon in accordance with rule 37A by reason of illiteracy, blindness or other infirmity, the presiding officer shall, on being

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 286(E), dated the 8th May, 1974.
2. Ins. by Notifn. No. S.O. 340(E), dated the 4th June 1986.
3. Cls. (d) and (e) relettered as cls. (*e*) and (*f*) respectively, *ibid.*
4. Ins. by Notifn. No. S.O. 1520, dated the 25th April, 1968.

(4) मतदान केन्द्र में कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी निर्वाचकों को दिए गए मतपत्रों के क्रम संख्यांकों को नोट नहीं करेगा।

(5) सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन में या स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र में किसी निर्वाचन में किसी निर्वाचक को कोई मतपत्र परिदत्त किए जाने से पूर्व मतपत्र का क्रम संख्यांक प्रभावी रूप से ऐसी रीति में छिपाया जाएगा, जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।]

[1][39क. **निर्वाचकों द्वारा मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया**—(1) हर वह निर्वाचक, जिसे नियम 38क या इन नियमों के किसी अन्य उपबंध के अधीन मतपत्र दिया गया है, मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और उस प्रयोजन के लिए इसमें इसके पश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(2) निर्वाचक मतपत्र प्राप्त होने पर तत्क्षण,—

(क) मतदान कोष्ठों में से एक में जाएगा;

(ख) नियम 37क के उपनियम (2) के अनुसार अपना मत, उस प्रयोजन के लिए दिए गए उपकरण से, अभिलिखित करेगा;

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाए;

[2][(घ) उस दशा में, जिसमें कि उससे यह अपेक्षा की जाए, मतपत्र पर लगा सुभिन्नक चिह्न पीठासीन आफिसर दर्शित करेगा]।

[3][(ङ)] मुड़े मतपत्र को मतपेटी में डालेगा; और

[3][(च)] मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा।

(3) हर निर्वाचक असम्यक् विलंब के बिना मत देगा।

(4) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक है तब अन्य किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

(5) यदि कोई निर्वाचक जिसे मतपत्र दिया गया है, उपनियम (2) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने से, पीठासीन आफिसर द्वारा चेतावनी दिए जाने के पश्चात् भी, इंकार करे तो उसे दिया गया मतपत्र, चाहे उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं, पीठासीन आफिसर द्वारा या पीठासीन आफिसर के निदेश से मतदान आफिसर द्वारा उससे वापस ले लिया जाएगा।

(6) मतपत्र वापस लिए जा चुकने के पश्चात् पीठासीन आफिसर उसके पृष्ठ भाग पर "रद्द किया गया: मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया" शब्द अभिलिखित करेगा और उन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा।

(7) ऐसे सब मतपत्र जिन पर "रद्द किया गया: मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया" शब्द अभिलिखित हों, एक पृथक् लिफाफे में रखे जाएंगे जिसके ऊपर "मतपत्र: मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया" शब्द अभिलिखित होंगे।

(8) ऐसी अन्य किसी भी शास्ति पर, जिससे कि ऐसा निर्वाचक, जिससे उपनियम (5) के अधीन मतपत्र वापस ले लिया गया है, दंडनीय हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसका मत, यदि ऐसे मतपत्र पर अभिलिखित किया गया है, संगणित नहीं किया जाएगा।]

[4][40क. **निरक्षर, अंधे या शिथिलांग निर्वाचकों के मतों का अभिलेखन**—(1) यदि कोई निर्वाचक निरक्षरता, अंधेपन या अन्य अंगशैथिल्य के कारण नियम 37क के अनुसार मतपत्र पढ़ने या उस पर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन आफिसर, ऐसी निरक्षरता, अंधेपन या अन्य

1. अधिसूचना सं० का० आ० 286(अ), तारीख 8 मई, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 340(अ), तारीख 4 जून, 1986 द्वारा अंतःस्थापित।
3. पूर्वोक्त द्वारा खंड (घ) और (ङ) क्रमशः खंड (ङ) और (च) के रूप में पुनःअक्षरांकित
4. अधिसूचना सं० का० आ० 1520, तारीख 25 अप्रैल, 1968 द्वारा अन्तःस्थापित।

satisfied about such illiteracy, blindness or infirmity, permit the elector to take with him a companion of not less than [4][eighteen] years of age who is able to read the ballot paper and record the vote thereon on behalf of, and in accordance with the wishes of, the elector and, if necessary, to fold the ballot paper so as to conceal the vote and insert it into the ballot box:

Provided that no person shall be permitted to act as the companion of more than one elector at any polling station on the same day·

Provided further that before any person is permitted to act as the companion of an elector on any day under this rule, the person shall be required to declare that he will keep secret the vote recorded by him on behalf of the elector and that he has not already acted as the companion of any other elector at any polling station on that day:

[1][Provided also that at an election by assembly members no such companion shall be an elector at that election.]

(*2*) The presiding officer shall keep a record in Form 14A of all the cases under this rule.

(*3*) The presiding officer shall, when he is so requested by the companion of an elector, explain to him the instructions for the recording of votes.]";

(*iii*) in lieu of rule 44, the following rule shall apply:—

"44B. *Sealing of ballot box after poll.*—As soon as practicable after the close of the poll, the [2][presiding officer] shall, in the presence of any polling agents who may be present, close the slit for insertion of ballot papers of each ballot box or where the box does not contain any mechanical device for closing the slit, seal up the slit and secure the ballot box:

Provided that it shall not be necessary to seal the slit or secure the ballot box if the counting of votes is to begin immediately after the close of the poll.";

[3][(*iv*) in rule 46, in sub-rule (*1*), in lieu of clauses (*b*) and (*c*), the following clauses shall apply:—

"(*b*) the ballot papers signed in full by the presiding officer under sub-rule (*1*) of rule 38A but not issued to the voters;

(*c*) the ballot papers cancelled for violation of voting procedure under rule 39A."].

PART VII

Counting of votes at Ele ons by Assembly Members or in Council Constituencies

71. Definitions.—In this Part,—

(*1*) "continuing candidate" means any candidate not elected and not excluded from the poll at any given time;

(*2*) "count" means—

(*a*) all the operations involved in the counting of the first preferences recorded for candidates; or

(*b*) all the operations involved in the transfer of the surplus of an elected candidate; or

---

1. Added by Notifn. No. S.O. 5573, dated the 23rd December, 1971.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 2912, dated the 21st August, 1964.
3. Subs. by Notifn. No. S.O. 286(E), dated the 8th May, 1974.
4. Subs. by Notifn. No. S.O. 542(E), dated 13.7.1989.

अंगशैथिल्य के संबंध में अपना समाधान हो जाने पर, निर्वाचक को मतपत्र पर उसकी ओर से और उसकी इच्छाओं के अनुसार मत अभिलिखित करने के लिए और यदि आवश्यक हों तो मतपत्र के ऐसे मोड़ने के लिए कि मत छिप जाए और उसे मतपेटी में घुसाने के लिए, अपने साथ [4][अठारह] वर्ष से अन्यून आयु का एक साथी, जो मतपत्र पढ़ने में समर्थ हो, मतदान कोष्ठों में ले जाने की अनुज्ञा देगा :

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही दिन किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक निर्वाचकों के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात करने से पहले उस व्यक्ति से यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह निर्वाचक की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र में किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है :

[1][परन्तु यह और भी कि सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचन में ऐसा कोई भी साथी उस निर्वाचन में निर्वाचक नहीं होगा।]

(2) पीठासीन आफिसर इस नियम के अधीन सभी मामलों का अभिलेख प्ररूप 14क में रखेगा।

(3) पीठासीन आफिसर, यदि किसी निर्वाचक का कोई साथी उससे वैसा अनुरोध करे तो, मत अभिलिखित करने संबंधी अनुदेश उसे समझाएगा।];

(iii) नियम 44 के स्थान पर निम्नलिखित नियम लागू होगा—

"**44ख. मतदान के पश्चात् मतपेटी का बन्द किया जाना**—मतदान बन्द होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से [2][पीठासीन आफिसर] किन्हीं ऐसे मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में, जो उपस्थित हों, मतपत्रों के घुसाने के लिए हर एक मतपेटी के छेद को बन्द करेगा या जहां छेद को बन्द करने के लिए कोई यांत्रिक युक्ति पेटी में नहीं है वहां छेद को मुद्राबन्द करेगा और मतपेटी को सुरक्षित करेगा :

परन्तु यदि मतदान के बन्द होने के अव्यवहित पश्चात् ही मतों की गणना प्रारम्भ होनी है तो छेद को मुद्राबंद करने या मतपेटी को सुरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होगी।";

[3][(iv) नियम 46 के उपनियम (1) में, खंड (ख) और (ग) के बदले, निम्नलिखित खंड लागू होंगे :—

"(ख) नियम 38क के उपनियम (1) के अधीन पीठासीन आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित किन्तु मतदाताओं को जारी न किए गए मतपत्र;

(ग) नियम 39क के अधीन मतदान की प्रक्रिया के उल्लंघनस्वरूप रद्द किए गए मतपत्र।"]।

भाग 7

सभा सदस्यों द्वारा या परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचनों में मतों की गणना

71. परिभाषाएं—इस भाग में—

(1) "बने रहने वाला अभ्यर्थी" से कोई ऐसा अभ्यर्थी अभिप्रेत है जो निर्वाचित नहीं हुआ है और किसी दिए गए समय पर मतदान से अपवर्जित नहीं किया गया है;

(2) "गणना" से—

(क) अभ्यर्थियों के लिए अभिलिखित प्रथम अधिमानों की गणना में अन्तर्वेलित सब क्रियाएं; अथवा

(ख) निर्वाचित अभ्यर्थी के अधिशेष के अन्तरण में अन्तर्वेलित सब क्रियाएं; अथवा

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 2912, तारीख 21 अगस्त, 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं० का० आ० 286(अ), तारीख 8 मई, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं० का०आ० 542(अ) तारीख 13-7-1989 द्वारा प्रतिस्थापित।

(*c*) all the operations involved, in the transfer of the total value of votes of an excluded candidate;

(*3*) "exhausted paper" means a ballot paper on which no further preference is recorded for a continuing candidate, provided that a paper shall also be deemed to have become exhausted whenever—

(*a*) the names of two or more candidates, whether continuing or not, are marked with the same figure and are next in order of preference; or

(*b*) the name of the candidate next in order of preference, whether continuing or not, is marked by a figure not following consecutively after some other figure on the ballot paper or by two or more figures;

(*4*) "first preference" means the figure 1 set opposite the name of a candidate; "second preference" means the figure 2 set opposite the name of a candidate; "third preference" means the figure 3 set opposite the name of a candidate, and so on;

(*5*) "original vote", in relation to any candidate, means a vote derived from a ballot paper on which a first preference is recorded, for such candidate;

(*6*) "surplus" means the number by which the value of the votes, original and transferred, of any candidate exceeds the quota;

(*7*) "transferred vote", in relation to any candidate, means a vote the value or the part of the value of which is credited to such candidate and which is derived from a ballot paper on which a second or a subsequent preference is recorded for such candidate; and

(*8*) "unexhausted paper" means a ballot paper on which a further preference is recorded for a continuing candidate.

72. Application of certain rules.—The provisions of rules 51 to 54 shall apply to the counting of votes at any election by assembly members or in a council constituency as they apply to the counting of votes at an election in a parliamentary or assembly constituency.

73. Scrutiny and opening of ballot boxes and packets of postal ballot papers.—(*1*) The returning officer shall—

[1][(*a*) first deal with the covers containing the postal ballot papers, if any, in the manner provided in sub-rules (*2*) to (*7*) of rule 54A;

(*b*) then open the ballot boxes, take out from each box and count the ballot papers contained therein, and record their number in a statement;]

(*c*) scrutinise the ballot papers taken out of the ballot boxes as well as the postal ballot papers taken out from the covers; and

(*d*) separate the ballot papers which he deems valid from those which he rejects endorsing on each of the latter the word "Rejected" and the ground of rejection.

(*2*) A ballot paper shall be invalid on which—

(*a*) the figure 1 is not marked; or

(*b*) the figure 1 is set opposite the name of more than one candidate or is so placed as to render it doubtful to which candidate it is intended to apply; or

(*c*) the figure 1 and some other figures are set opposite the name of the same candidate; or

---

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 3662, dated the 12th October, 1964, for cls. (*a*) and (*b*).

(ग) अपवर्जित अभ्यर्थी के मतों के कुल मूल्यांक के अन्तरण में अन्तर्वलित सब क्रियाएं, अभिप्रेत हैं;

(3) "निःशेषित पत्र" से वह मतपत्र अभिप्रेत है जिस पर बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए आगे और अधिमान अभिलिखित नहीं है, परन्तु किसी पत्र की बाबत तभी यह समझा जाएगा कि वह निःशेषित है, जब कभी—

(क) दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम, चाहे वे बने रहने वाले हों या न हों एक ही अंक से चिह्नित हैं, और अधिमान के क्रम में अगले हैं, अथवा

(ख) अधिमान के क्रम में अगले अभ्यर्थी का नाम चाहे वह बने रहने वाला हो या न हो, ऐसे अंक से, जो मतपत्र पर किसी अन्य अंक का क्रमवर्ती अनुगामी अंक नहीं है या दो या अधिक अंकों से, चिह्नित है;

(4) "प्रथम अधिमान" से अंक 1 अभिप्रेत है जो किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने लिखा है, "द्वितीय अधिमान" से अंक 2 अभिप्रेत है जो किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने लिखा है; और "तृतीय अधिमान" से अंक 3 अभिप्रेत है जो किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने लिखा है और इसी भांति आगे भी अभिप्रेत है;

(5) "मूल मत" से किसी अभ्यर्थी के संबंध में वह मत अभिप्रेत है जो ऐसे मतपत्र से व्युत्पन्न है जिसमें ऐसे अभ्यर्थी के लिए प्रथम अधिमान अभिलिखित है;

(6) "अधिशेष" से वह संख्या अभिप्रेत है जितनी से किसी अभ्यर्थी के मूल और अन्तरित मतों का मूल्यांक कोटे के आधिक्य में है;

(7) "अन्तरित मत" से किसी अभ्यर्थी के संबंध में वह मत अभिप्रेत है जिसका मूल्यांक या जिसके मूल्यांक का भाग ऐसे अभ्यर्थी के नाम आकलित है और जो ऐसे मतपत्र से व्युत्पन्न है जिस पर ऐसे अभ्यर्थी के लिए द्वितीय या पश्चात्वर्ती अधिमान अभिलिखित है; तथा

(8) "अनिःशेषित पत्र" से वह मतपत्र अभिप्रेत है जिस पर बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए आगे और अधिमान अभिलिखित है।

72. **कुछ नियमों का लागू होना**—नियम 51 से लेकर नियम 54 तक के उपबन्ध सभा सदस्यों द्वारा या परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र में हुए किसी निर्वाचन में मतों की गणना को ऐसे लागू होंगे जैसे वे संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचन में मतों की गणना को लागू होते हैं।

73. **मतपेटियों और डाक मतपत्रों के पैकेटों की संवीक्षा और उनका खोला जाना**—(1) रिटर्निंग आफिसर—

[1][(क) डाक मतपत्रों को, यदि कोई हों, अन्तर्विष्ट रखने वाले लिफाफों पर प्रथमतः उस रीति से कार्यवाही करेगा जो नियम 54क के उपनियम (2) से लेकर उपनियम (7) तक में उपबन्धित है;

(ख) तब मतपेटियों को खोलेगा, हर एक पेटी के अन्दर जो मतपत्र अन्तर्विष्ट हैं, उन्हें उसमें से निकालेगा और उनकी गणना करेगा और उनकी संख्या एक विवरणी में अभिलिखित करेगा;]

(ग) मतपेटियों में से निकाले गए मतपत्रों और लिफाफों में से निकाले गए डाक-मतपत्रों की संवीक्षा करेगा; तथा

(घ) जिन मतपत्रों को वह विधिमान्य समझता है उन्हें उन मतपत्रों से, जिन्हें वह प्रतिक्षेपित करता है, पृथक् करेगा और पश्चात् कथित हर एक मतपत्र पर "प्रतिक्षेपित" शब्द और ऐसे प्रतिक्षेपण के आधार पृष्ठांकित करेगा।

(2) वह मतपत्र अविधिमान्य होगा जिस पर—

(क) अंक 1 चिह्नित नहीं है, अथवा

(ख) अंक 1 से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने लिखा है या ऐसे स्थान पर है जिससे यह शंकास्पद हो जाता है कि किस अभ्यर्थी को लागू होने के लिए वह आशयित है; अथवा

(ग) अंक 1 और कुछ अन्य एक ही अभ्यर्थी के नाम के सामने लिखे हैं; अथवा

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा खंड (क) और (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(*d*) there is any mark or writing by which the elector can be identified; [1][or]

[2][(*e*) there is any figure marked otherwise than with the article supplied for the purpose:

Provided that this clause shall not apply to a postal ballot paper:

Provided further that where the returning officer is satisfied that any such defect as is mentioned in this clause has been caused by any mistake or failure on the part of a presiding officer or polling officer, the ballot paper shall not be rejected, merely on the ground of such defect.]

[3][*Explanation*.—The figures referred to in clauses (*a*), (*b*) and (*c*) of this sub-rule may be marked in the international form of Indian numerals or in the Roman form or in the form used in any Indian language, but shall not be indicated in words.]

74. Arrangement of valid ballot papers in parcels.—After rejecting the ballot papers which are invalid, the returning officer shall—

(*a*) arrange the remaining ballot papers in parcels according to the first preference recorded for each candidate;

(*b*) count and record the number of papers in each parcel and the total number; and

(*c*) credit to each candidate the value of the papers in his parcel.

75. Counting of votes where only one seat is to be filled.—(*1*) At any election where only one seat is to be filled, every valid ballot paper shall be deemed to be of the value of 1 at each count, and the quota sufficient to secure the return of a candidate at the election shall be determined as follows:—

(*a*) add the values credited to all the candidates under clause (*c*) of rule 74;

(*b*) divide the total by 2; and

(*c*) add 1 to the quotient ignoring the remainder, if any and the resulting number is the quota.

(*2*) If, at the end of the first or any subsequent count, the total value of the ballot papers credited to any candidate is equal to, or greater than, the quota or there is only one continuing candidate, that candidate shall be declared elected.

(*3*) If, at the end of any count, no candidate can be declared elected, the returning officer shall—

(*a*) exclude from the poll the candidate who up to that stage has been credited with the lowest value;

(*b*) examine all the ballot papers in his parcels and sub-parcels, arrange the unexhausted papers in sub-parcels according to the next available preferences recorded thereon for the continuing candidates, count the number of papers in each such sub-parcel and credit it to the candidate for whom such preference is recorded, transfer the sub-parcel to that candidate, and make a separate sub-parcel of all the exhausted papers; and

(*c*) see whether any of the continuing candidates has, after such transfer and credit, secured the quota.

---

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 286(E), dated the 8th May, 1974.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 795(E), dated the 14th December, 1976.
3. Ins. by Notifn. No. S.O. 3662, dated the 12th October, 1964.

(घ) कोई ऐसा चिह्न या ऐसी लिखावट है जिससे निर्वाचक पहचाना जा सकता है; [1][या]

[2][(ङ) कोई ऐसा अंक है जिससे चिह्न लगाने के प्रयोजन के लिए परिदत्त वस्तु से भिन्न किसी वस्तु से चिह्नित किया गया है :

परन्तु यह खण्ड किसी डाक मतपत्र को लागू नहीं होगा :

परन्तु यह और कि जहां रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि इस खण्ड में उल्लिखित किसी किस्म की कोई त्रुटि पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर की गलती या चूक से हुई है वहां मात्र ऐसी त्रुटि के आधार पर मतपत्र अस्वीकृत नहीं किया जाएगा]।

[3][स्पष्टीकरण—इस उपनियम के खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट अंक भारतीय अंकों के अन्तरराष्ट्रीय रूप में या रोमन रूप में या किसी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में अंकित किए जा सकेंगे किन्तु शब्दों में उपदर्शित नहीं किए जाएंगे।]

74. विधिमान्य मतपत्रों का पार्सलों में रखना—जो मतपत्र अविधिमान्य हैं उनको प्रतिक्षेपित करने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर—

(क) शेष मतपत्रों को हर एक अभ्यर्थी के लिए अभिलिखित प्रथम अधिमान के अनुसार पार्सलों में रखेगा;

(ख) हर एक पार्सल में के मतपत्रों की गणना करेगा और उनकी संख्या तथा कुल संख्या अभिलिखित करेगा; तथा

(ग) हर एक अभ्यर्थी के नाम उसके पार्सल के मतपत्रों के मूल्यांक आकलित करेगा।

75. जहां कि केवल एक स्थान भरा जाना है वहां मतों की गणना—(1) ऐसे किसी निर्वाचन में, जिसमें केवल एक स्थान भरा जाना है, हर विधिमान्य मतपत्र हर एक गणना में मूल्यांक 1 का समझा जाएगा और निर्वाचन के अभ्यर्थी का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कोटा निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा:—

(क) नियम 74 के खण्ड (ग) के अधीन सभी अभ्यर्थियों के नाम आकलित मूल्यांकों को जोड़िए ;

(ख) जोड़ को 2 से भाग दीजिए; तथा

(ग) यदि कुछ शेष बचता है तो उसका ध्यान न रखते हुए भागफल में 1 जोड़िए और फलस्वरूप जो संख्या निकलेगी वही कोटा है।

(2) यदि प्रथम या किसी पश्चात्वर्ती गणना के खत्म होने पर किसी अभ्यर्थी के नाम आकलित मतपत्रों का कुल मूल्यांक कोटे के बराबर है या कोटे से ज्यादा है या बना रहने वाला अभ्यर्थी केवल एक ही है तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।

(3) यदि किसी गणना के खत्म होने पर कोई अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता है तो रिटर्निंग आफिसर—

(क) उस अभ्यर्थी को, जिसके नाम उस प्रक्रम तक न्यूनतम मूल्यांक आकलित हैं, मतदान से अपवर्जित कर देगा;

(ख) उसके पार्सल और उप-पार्सलों में के सब मतपत्रों की पड़ताल करेगा, उप-पार्सलों में के अनिःशेषित पत्रों को, उन पर अभिलिखित निकटतम अनुगामी अधिमानों के अनुसार बने रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए रखेगा; ऐसे हर एक उप-पार्सल में के पत्रों की संख्या गिनेगा और उसे उस अभ्यर्थी के नाम आकलित करेगा जिसके लिए ऐसा अधिमान अभिलिखित है, वह उप-पार्सल उस अभ्यर्थी को अन्तरित कर देगा और सभी निःशेषित पत्रों का एक पृथक् उप-पार्सल बनाएगा; और

(ग) यह देखेगा कि क्या बने रहने वाले किसी अभ्यर्थी ने ऐसे अन्तरण और मूल्यांक के उसके नाम लिखे जाने के पश्चात् कोटा प्राप्त कर लिया है।

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 286(अ), तारीख 8 मई, 1974 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 795(अ), तारीख 14 दिसम्बर, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना [illegible] 3C 2, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा अन्तःस्थापित।

(*4*) If, when a candidate has to be excluded under clause (*a*) of sub-rule (*3*), two or more candidates have been credited with the same value and stand lowest on the poll, the candidate for whom the lowest number of original votes are recorded shall be excluded, and if this number also is the same in the case of two or more candidates, the returning officer shall decide by lot which of them shall be excluded.

Counting of votes when more than one seat is to be filled

76. Ascertainment of quota.—At any election where more than one seat is to be filled, every valid ballot paper shall be deemed to be of the value of 100, and the quota sufficient to secure the return of a candidate at the election shall be determined as follows:—

(*a*) add the values credited to all the candidates under clause (*c*) of rule 74;

(*b*) divide the total by a number which exceeds by 1 the number of vacancies to be filled; and

(*c*) add 1 to the quotient ignoring the remainder, if any, and the resulting number is the quota.

77. General instruction.—In carrying out the provisions of rules 78 to 82, the returning officer shall disregard all fractions and ignore all preferences recorded for candidates already elected or excluded from the poll.

78. Candidates with quota elected.—If at the end of any count or at the end of the transfer of any parcel or sub-parcel of an excluded candidate the value of ballot papers credited to a candidate is equal to or greater than the quota, that candidate shall be declared elected.

79. Transfer of surplus.—(*1*) If at the end of any count the value of the ballot papers credited to a candidate is greater than the quota, the surplus shall be transferred, in accordance with the provisions of this rule, to the continuing candidates indicated on the ballot papers of that candidate as being next in order of the elector's preference.

(*2*) If more than one candidate have a surplus, the largest surplus shall be dealt with first and the others in order of magnitude:

Provided that every surplus arising on the first count shall be dealt with before those arising on the second count and so on.

(*3*) Where there are more surpluses than one to distribute and two or more surpluses are equal, regard shall be had to the original votes of each candidate and the candidate for whom most original votes are recorded shall have his surplus first distributed; and if the values of their original votes are equal, the returning officer shall decide by lot which candidate shall have his surplus first distributed.

(*4*) (*a*) If the surplus of any candidate to be transferred arises from original votes only, the returning officer shall examine all the papers in the parcel belonging to that candidate, divide the unexhausted papers into sub-parcels according to the next preferences recorded thereon and make a separate sub-parcel of the exhausted papers.

(*b*) He shall ascertain the value of the papers in each sub-parcel and of all the unexhausted papers.

(*c*) If the value of the unexhausted papers is equal to or less than the surplus, he shall transfer all the unexhausted papers at the value at which they were received by the candidate whose surplus is being transferred.

(4) यदि उस समय जब कोई अभ्यर्थी उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन अपवर्जित किया जाना है, दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम समान मूल्यांक आकलित हैं और वे मतदान में निम्नतम हैं, तो जिस अभ्यर्थी को न्यूनतम संख्या में मूल मत मिले हैं, उसे अपवर्जित कर दिया जाएगा, और यदि यह संख्या भी दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में समान है तो रिटर्निंग आफिसर लाट द्वारा विनिश्चय करेगा कि उनमें से किसे अपवर्जित किया जाए।

जब एक से अधिक स्थान भरे जाने हैं तब मतों की गणना

76. कोटे का अभिनिश्चयन—ऐसे किसी निर्वाचन में, जिसमें एक से अधिक स्थान भरे जाने हैं, हर विधिमान्य मतपत्र मूल्यांक 100 का समझा जाएगा और अभ्यर्थी का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कोटा निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा :—

(क) नियम 74 के खंड (ग) के अधीन सभी अभ्यर्थियों के नाम आकलित मूल्यांकों को जोड़िए;

(ख) जोड़ को उस संख्या से विभाजित कीजिए जो भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से एक अधिक है; तथा

(ग) यदि कुछ शेष बचता है तो उसका ध्यान न रखते हुए भागफल में 1 जोड़िए और फलस्वरूप जो संख्या निकलेगी वही कोटा है।

77. साधारण अनुदेश—नियम 78 से नियम 82 तक के उपबन्ध को कार्यान्वित करने में रिटर्निंग आफिसर सभी भिन्नों की अवहेलना करेगा और निर्वाचित हो चुके या मतदान से अपवर्जित अभ्यर्थियों के लिए अभिलिखित सभी अधिमानों की उपेक्षा करेगा।

78. जिन अभ्यर्थियों को कोटा प्राप्त हो गया है, वे निर्वाचित हो जाएंगे—यदि किसी गणना के खत्म होने पर या अपवर्जित अभ्यर्थी के किसी पार्सल या उप-पार्सल के अन्तरण के पश्चात् अभ्यर्थी के नाम आकलित मतपत्रों का मूल्यांक कोटे के बराबर है या कोटे से ज्यादा है तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।

79. अधिशेष का अन्तरण—(1) यदि किसी गणना के खत्म होने पर अभ्यर्थी के नाम आकलित मतपत्रों का मूल्यांक कोटे से ज्यादा है तो अधिशेष उन बने रहने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में इस नियम के उपबन्धों के अनुसार अन्तरित कर दिया जाएगा जो कि उस अभ्यर्थी के मतपत्रों में निर्वाचक के अधिमान क्रम में निकटतम अनुगामी के रूप में उपदर्शित हैं।

(2) यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को अधिशेष प्राप्त है तो अधिकतम अधिशेष से पहले बरता जाएगा और दूसरों से उनके परिमाण-क्रम के अनुसार बरता जाएगा :

परन्तु प्रथम गणना में उद्भूत हर अधिशेष से दूसरी गणना में उद्भूत अधिशेष के मुकाबले में पहले बरता जाएगा और इसी क्रम में अनुवर्ती अधिशेषों से बरता जाएगा।

(3) जहां कि वितरण के लिए एक से अधिक अधिशेष हैं और दो या अधिक अधिशेष समान हैं वहां हर एक अभ्यर्थी के मूल मतों को ध्यान में रखा जाएगा और जिस अभ्यर्थी को सर्वाधिक मूल मत मिले हैं उसका अधिशेष सर्वप्रथम वितरित किया जाएगा और यदि उनके मूल मतों का मूल्यांक समान है तो रिटर्निंग आफिसर लाट द्वारा यह विनिश्चय करेगा कि किस अभ्यर्थी का अधिशेष सर्वप्रथम वितरित किया जाए।

(4) (क) यदि किसी अभ्यर्थी का वह अधिशेष, जो अन्तरित किया जाना है, केवल मूल मतों से ही उद्भूत हुआ है, तो रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी के पार्सल में के सब मतपत्रों की पड़ताल करेगा, अनिःशेषित पत्रों को उनमें अभिलिखित निकटतम अनुगामी अधिमान के अनुसार उप-पार्सलों में विभाजित करेगा और अनिःशेषित पतपत्रों का एक पृथक् उप-पार्सल बनाएगा।

(ख) वह हर एक उप-पार्सल में के मतपत्रों का और सब अनिःशेषित मतपत्रों का मूल्यांक अभिनिश्चित करेगा।

(ग) यदि अनिःशेषित मतपत्रों का मूल्यांक अधिशेष के बराबर है या उससे कम है तो वह सब अनिःशेषित मतपत्रों को उस मूल्यांक पर, जिस पर वे उस अभ्यर्थी को प्राप्त हुए थे जिसका अधिशेष अन्तरित किया जा रहा है अन्तरित करेगा।

(*d*) If the value of the unexhausted papers is greater than the surplus, he shall transfer the sub-parcels of unexhausted papers and the value at which each paper shall be transferred shall be ascertained by dividing the surplus by the total number of unexhausted papers.

(*5*) If the surplus of any candidate to be transferred arises from transferred as well as original votes, the returning officer shall re-examine all the papers in the sub-parcel last transferred to the candidate, divide the unexhausted papers into sub-parcels according to the next preferences recorded thereon, and then deal with the sub-parcels in the same manner as is provided in the case of sub-parcels referred to in sub-rule (*4*).

(*6*) The papers transferred to each candidate shall be added in the form of a sub-parcel to the papers already belonging to such candidate.

(*7*) All papers in the parcel or sub-parcel of an elected candidate not transferred under this rule shall be set apart as finally dealt with.

80. Exclusion of candidates lowest on the poll.—(*1*) If after all surpluses have been transferred as hereinbefore provided, the number of candidates elected is less than the required number, the returning officer shall exclude from the poll the candidate lowest on the poll and shall distribute his unexhausted papers among the continuing candidates according to the next preferences recorded thereon; and any exhausted papers shall be set apart as finally dealt with.

(*2*) The papers containing original votes of an excluded candidate shall first be transferred, the transfer value of each paper being one hundred.

(*3*) The papers containing transferred votes of an excluded candidate shall then be transferred in the order of the transfers in which, and at the value at which, he obtained them.

(*4*) Each of such transfers shall be deemed to be a separate transfer but not a separate count.

(*5*) If, as a result of the transfer of papers, the value of votes obtained by a candidate is equal to or greater than the quota, the count then proceeding shall be completed but no further papers shall be transferred to him.

(*6*) The process directed by this rule shall be repeated on the successive exclusions one after another of the candidates lowest on the poll until such vacancy is filled either by the election of a candidate with the quota or as hereinafter provided.

(*7*) If at any time it becomes necessary to exclude a candidate and two or more candidates have the same value of votes and are the lowest on the poll, regard shall be had to the original votes of each candidate and the candidate for whom fewest original votes are recorded shall be excluded; and if the values of their original votes are equal the candidates with the smallest value at the earliest count at which these candidates had unequal values shall be excluded.

(*8*) If two or more candidates are lowest on the poll and each has the same value of votes at all counts the returning officer shall decide by lot which candidate shall be excluded.

81. Filling the last vacancies.—(*1*) When at the end of any count the number of continuing candidates is reduced to the number of vacancies remaining unfilled, the continuing candidates shall be declared elected.

(*2*) When at the end of any count only one vacancy remains unfilled and the value of the papers of some one candidate exceeds the total value of the papers of all the other continuing candidates together with any surplus not transferred, that candidate shall be declared elected.

(घ) यदि अनिःशेषित मतपत्रों का मूल्यांक अधिशेष से अधिक है तो वह अनिःशेषित मतपत्रों के उप-पार्सलों का अन्तरण करेगा और वह मूल्यांक जिस पर हर एक मतपत्र अन्तरित किया जाएगा, अधिशेष को अनिःशेषित मतपत्रों की कुल संख्या से विभक्त करके अभिनिश्चित किया जाएगा ।

(5) यदि किसी अभ्यर्थी का वह अधिशेष, जो अन्तरित किया जाना है, अन्तरित और मूल मतों से उद्भूत हुआ है तो, रिटर्निंग आफिसर अभ्यर्थी को सबसे अन्त में अन्तरित उप-पार्सल में के सब मतपत्रों की पुनः पड़ताल करेगा, अनिःशेषित मतपत्रों को उन पर अभिलिखित निकटतम अनुगामी अधिमानों के अनुसार उप-पार्सलों में विभाजित करेगा और तब उप-पार्सलों से उसी रीति में बरतेगा जैसी उपनियम (4) में निर्दिष्ट उप-पार्सलों की दशा में के लिए उपबंधित है ।

(6) हर अभ्यर्थी को अन्तरित मतपत्र ऐसे अभ्यर्थी के पहले से ही मतपत्रों में उप-पार्सल के रूप में मिला दिए जाएंगे ।

(7) निर्वाचित अभ्यर्थी के पार्सल या उप-पार्सल में के वे सब मतपत्रों, जो इस नियम के अधीन अन्तरित नहीं किए गए हैं, अन्तिमरूपेण बरते गए के रूप में अलग रख दिए जाएंगे ।

80. मतदान में के निम्नतम अभ्यर्थियों का अपवर्जन—(1) यदि सब अधिशेष के ऐसे अन्तरित कर दिए जाने के पश्चात्, जैसे एतस्मिनपूर्व उपबन्धित है, निर्वाचित अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षित संख्या से कम है तो रिटर्निंग आफिसर मतदान में के निम्नतम अभ्यर्थी को मतदान से अपवर्जित कर देगा और उसके अनिःशेषित मतपत्रों को बने रहने वाले अभ्यर्थियों के बीच उन निकटतम अनुगामी अधिमानों के अनुसार वितरित कर देगा जो उन पर अभिलिखित हैं, और किन्हीं निःशेषित मतपत्रों को अन्तिमरूपेण बरते गए के रूप में अलग रखा जाएगा ।

(2) अपवर्जित अभ्यर्थी के मूल मतों को अन्तर्विष्ट रखने वाले मतपत्र सर्वप्रथम अन्तरित किए जाएंगे और हर एक मतपत्र का अन्तरण मूल्यांक एक सौ होगा ।

(3) अपवर्जित अभ्यर्थी के अन्तरित मतों को अन्तर्विष्ट रखने वाले मतपत्र तब अन्तरण के उस क्रम में, जिसमें और उस मूल्यांक पर, जिसमें उसने उन्हें अभिप्राप्त किया था, अन्तरित किए जाएंगे ।

(4) ऐसे हर एक अन्तरण की बाबत यह समझा जाएगा कि वह पृथक् अन्तरण है किन्तु पृथक् गणना नहीं है।

(5) यदि मतों के अन्तरण के फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा अभिप्राप्त मतों का मूल्यांक कोटे के बराबर है या उससे ज्यादा हो जाता है तो उस समय चलने वाली गणना पूरी की जाएगी किन्तु कोई अन्य मतपत्र उसे अन्तरित न किए जाएंगे ।

(6) इस नियम द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया मतदान में निम्नतम अभ्यर्थियों में से एक के पश्चात् दूसरे के उत्तरोत्तर अपवर्जनों में तब तक बार-बार बरती जाएगी जब तक ऐसी रिक्ति या तो कोटे सहित अभ्यर्थी के निर्वाचन द्वारा या एतस्मिन्पश्चात् उपबंधित रूप में भर न जाए ।

(7) यदि किसी समय अभ्यर्थी का अपवर्जन करना आवश्यक हो जाता है और दो या अधिक अभ्यर्थियों के मतों का मूल्यांक एक ही है और वे मतदान में निम्नतम हैं तो हर एक अभ्यर्थी के मूल मतों को विचार में लिया जाएगा और जिस अभ्यर्थी को न्यूनतम मूल मत मिले हैं उसे अपवर्जित कर दिया जाएगा और यदि उनके मूल मतों का मूल्यांक बराबर है तो उस सबसे पहले वाली गणना में, जिसमें इन अभ्यर्थियों के असमान मूल्यांक थे सबसे थोड़े मूल्यांक वाला अभ्यर्थी अपवर्जित किया जाएगा ।

(8) यदि मतदान में दो या अधिक अभ्यर्थी निम्नतम हैं और सब गणनाओं में हर एक के मतों का मूल्यांक बराबर है तो रिटर्निंग आफिसर लाट द्वारा विनिश्चय करेगा कि कौन सा अभ्यर्थी अपवर्जित किया जाए ।

81. अन्तिम रिक्तियों की पूर्ति—(1) जब कि किसी गणना के खत्म होने पर बने रहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या घट कर न भरी गई शेष रिक्तियों की संख्या के बराबर हो जाती है तब बने रहने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित किया जाएगा ।

(2) जब कि किसी गणना के खत्म होने पर केवल एक रिक्ति बिना भरी रह जाती है और किसी एक अभ्यर्थी के मतपत्रों का मूल्यांक किसी अन्तरित न किए गए अधिशेष सहित अन्य बने रहने वाले अभ्यर्थियों के मतपत्रों के कुल मूल्यांक से आधिक्य में है तब वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किया जाएगा ।

(*3*) When at the end of any count only one vacancy remains unfilled and there are only two continuing candidates and each of them has the same value of votes and no surplus remains capable of transfer, the returning officer shall decide by lot which of them shall be excluded; and after excluding him in the manner aforesaid, declare the other candidate to be elected.

82. Provision for re-counts.—(*1*) Any candidate or, in his absence, his election agent or counting agent may, at any time during the counting of the votes either before the commencement or after the completion of any transfer of votes (whether surplus or otherwise) request the returning officer to re-examine and re-count the papers of all or any candidates (not being papers set aside at any previous transfer as finally dealt with), and the returning officer shall forthwith re-examine and re-count the same accordingly.

(*2*) The returning officer may in his discretion re-count the votes either once or more than once in any case in which he is not satisfied as to the accuracy of any previous count:

Provided that nothing in this sub-rule shall make it obligatory on the returning officer to re-count the same votes more than once.

83. Illustration of the procedure as to the counting of votes under rules 76 to 81.—An illustration of the procedure as to the counting of votes in accordance with the provisions of [1][rules 76 to 81] is given in the Schedule to these rules.

84. [2][**Declaration of result and return by returning officers.**—(*1*) Upon the completion of counting, the returning officer shall, subject to the provisions of sub-rule (*3*) of rule 81,—

(*a*) declare the result under section 66 in Form 23 or Form 23A as may be appropriate, and send signed copies thereof to the appropriate authority, the Election Commission and the chief electoral officer;

(*b*) prepare and certify a return of the election in Form 23B and after reporting the result of the election under section 67, send signed copies of the said Form to the Election Commission and the chief electoral officer; and

(*c*) permit any candidate or his election agent or counting agent to take a copy of, or extract from, such return in Form 23B.]

[1][(*2*) The returning officer shall thereafter—

(*a*) place the valid ballot papers in one packet and the rejected ballot papers in another;

(*b*) seal with the seals of the returning officer and of such of the candidates, their election agents or counting agents as may desire to affix their seals, each of the packets referred to in clause (*a*) and the packet containing the declarations by electors and attestations of their signatures; and

(*c*) record on each of the sealed packets the description of its contents and the date of election.]

[3]* * * * *

85. Grant of certificate of election to returned candidate.—As soon as may be after a candidate has been declared to be elected the returning officer shall grant to such candidate a certificate of

---

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 3662, dated the 12th October, 1964.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 4542, dated the 20th December, 1968 (w.e.f. 1-1-1969).
3. Sub. rule (3) omitted by Notifn. No. S.O. 4542, dated the 20th December, 1968 (w.e.f. 1-1-1969).

(3) जब कि किसी गणना के खत्म होने पर केवल एक रिक्ति बिना भरी रह जाती है और बने रहने वाले अभ्यर्थी दो ही रह गए हैं और उनमें से हर एक के मतों का मूल्यांक एक बराबर हैं और कोई अन्तरण के योग्य अधिशेष नहीं रहा है तब रिटर्निंग आफिसर लाट द्वारा यह विनिश्चित करेगा कि उनमें से कौन सा अपवर्जित किया जाए और उसको पूर्वोक्त रीति में अपवर्जित करने के पश्चात दूसरे अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करेगा ।

82. **पुनर्गणना के लिए उपबन्ध**—(1) कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन या गणन अभिकर्ता मतों की गणना के दौरान या तो मतों के (चाहे वे अधिशेषित हों या अन्य प्रकार के हों) किसी अन्तरण के प्रारम्भ के पूर्व या समाप्ति के पश्चात् किसी समय रिटर्निंग आफिसर से प्रार्थना कर सकेगा कि वह सब अभ्यर्थियों या किन्हीं अभ्यर्थियों के मतपत्रों को (जो ऐसे मतपत्र नहीं है जिन्हें इस आधार पर कि उनकी बाबत अंतिमरूपेण कार्रवाई कर दी गई है किसी पूर्वतन अन्तरण में अलग नहीं रख दिया गया है) पुनः पड़ताल और पुनर्गणना करे और रिटर्निंग आफिसर तदनुसार उनकी तत्क्षण पुनः पड़ताल और पुनर्गणना करेगा ।

(2) रिटर्निंग आफिसर ऐसी किसी दशा में, जिसमें किसी पूर्वतन गणना की विशुद्धता की बाबत उसका समाधान नहीं हुआ है, मतों की पुनर्गणना या तो एक बार या एक से अधिक बार स्वविवेकानुसार कर सकेगा :

परन्तु इस उपनियम की किसी बात से रिटर्निंग आफिसर के लिए यह आबद्धकर न हो जाएगा कि वह उन्हीं मतों की पुनर्गणना एक से अधिक बार कराए ।

83. **नियम 76 से लेकर 81 तक के अधीन मतों की गणना के बारे में प्रक्रिया का दृष्टांत**—[1][नियम 76 से 81 तक] के उपबन्धों के अनुसार मतों की गणना के बारे में प्रक्रिया का दृष्टांत इन नियमों की अनुसूची में दिया हुआ है ।

84. [2][**रिटर्निंग आफिसरों द्वारा परिणाम की घोषणा और विवरण**—(1) गणना की समाप्ति पर रिटर्निंग आफिसर नियम 81 के उपनियम (3) के उपबन्धों के अध्यधीन,—

(क) प्ररूप 23 या प्ररूप 23क में, जो भी समुचित हो, धारा 66 के अधीन परिणाम घोषित करेगा और उसकी हस्ताक्षरित प्रतियां समुचित प्राधिकारी, निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर को भेजेगा;

(ख) प्ररूप 23ख में निर्वाचन की विवरणी तैयार और प्रमाणित करेगा और धारा 67 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की रिपोर्ट भेजने के पश्चात् उक्त प्ररूप की हस्ताक्षरित प्रतियां निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर को भेजेगा; और

(ग) किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता को प्ररूप 23ख में की ऐसी विवरणी की प्रति या उसमें से उद्धरण लेने की अनुज्ञा देगा ।]

[1][(2) तत्पश्चात् रिटर्निंग आफिसर—

(क) विधिमान्य मतपत्रों को एक पैकेट में और प्रतिक्षेपित मतपत्रों को दूसरे में रखेगा;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट पैकेटों में से हर एक को और निर्वाचकों द्वारा की गई घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन को अन्तर्विष्ट रखने वाले पैकेट को रिटर्निंग आफिसर की और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की, जो अपनी मुद्राएं लगाना चाहे, मुद्राओं से मुद्रांकित करेगा, तथा

(ग) मुद्राबन्द पैकेटों में से हर एक पर उसकी अन्तर्वस्तुओं का वर्णन और निर्वाचन की तारीख अभिलिखित करेगा ।]

[3]* * * * * *

85. **निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन के प्रमाणपत्र का अनुदान**—अभ्यर्थी के निर्वाचित हो जाने की घोषणा कर दिए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 24 में निर्वाचन का प्रमाणपत्र ऐसे अभ्यर्थी को अनुदत्त

1. अधिसूचना सं० का० आ० 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) प्रतिस्थापित ।
3. अधिसूचना सं० का० आ० 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) लोप किया गया ।

election Form 24 and obtain from the candidate an acknowledgment of its receipt duly signed by him and immediately send the acknowledgment by registered post to the Secretary of the Council of States or, as the case may be, the Secretary of the Legislative Council.

PART VIII

Election Expenses

86. **Particulars of account of election expenses.**—(*1*) The account of election expenses to be kept by a candidate or his election agent under section 77 shall contain the following particulars in respect of each item of expenditure from day to day, namely:—

(*a*) the date on which the expenditure was incurred or authorised;

(*b*) the nature of the expenditure (as for example, travelling, postage or printing and the like);

(*c*) the amount of the expenditure—

(*i*) the amount paid;

(*ii*) the amount outstanding;

(*d*) the date of payment;

(*e*) the name and address of the payee;

(*f*) the serial number of vouchers, in case of amount paid;

(*g*) the serial number of bills if any, in case of amount outstanding;

(*h*) the name and address of the person to whom the amount outstanding is payable.

(*2*) A voucher shall be obtained for every item of expenditure unless from the nature of the case, such as postage, travel by rail and the like, it is not practicable to obtain a voucher.

(*3*) All vouchers shall be lodged along with the account of election expenses, arranged according to the date of payment and serially numbered by the candidate or his election agent and such serial numbers shall be entered in the account under item (*f*) of sub-rule (*1*).

(*4*) It shall not be necessary to give the particulars mentioned in item (*e*) of sub-rule (*1*) in regard to items of expenditure for which vouchers have not been obtained under sub-rule (*2*).

87. **Notice by [1][district election officer] for inspection of accounts.**—The [1][district election officer] shall, within two days from the date on which the account of election expenses has been lodged by a candidate under section 78, cause a notice to be affixed to his notice board, specifying—

(*a*) the date on which the account has been lodged;]

(*b*) the name of the candidate; and

(*c*) the time and place at which such account can be inspected.

88. **Inspection of account and the obtaining of copies thereof.**—Any person shall on payment of a fee of one rupee be entitled to inspect any such account and on payment of such fee as may be fixed by the Election Commission in this behalf be entitled to obtain attested copies of such account or of any part thereof.

89. **Report by the [1][district election officer] as to the lodging of the account of election expenses and the decision of the Election Commission thereon.**—(*1*) As soon as may be after the expiration of the time specified in section 78 for the lodging of the accounts of election expenses at any election, the [1][district election officer] shall report to the Election Commission—

(*a*) the name of each contesting candidate;

---

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 3875, dated the 15th December, 1966, for "returning officer".

करेगा और उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति अभ्यर्थी से अभिप्राप्त करेगा, और यथास्थिति, राज्य सभा के सचिव या विधान परिषद के सचिव को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा वह अभिस्वीकृति तुरन्त भेजेगा।

भाग 8

निर्वाचन व्यय

86. निर्वाचन व्ययों के लेखा की विशिष्टियां—(1) अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जो निर्वाचन व्ययों का लेखा धारा 77 के अधीन रखा जाना है उसमें दिन प्रतिदिन के व्यय की हर एक मद की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् :—

(क) वह तारीख जिसको व्यय उपगत या प्राधिकृत किया गया था;

(ख) व्यय की प्रकृति (उदाहरण के लिए यात्रा, डाक या मुद्रण और तत्समान व्यय);

(ग) व्यय की रकम—

(i) संदत्त रकम;

(ii) परादेय रकम;

(घ) संदाय की तारीख;

(ङ) पाने वाले का नाम और पता;

(च) संदाय की गई रकम की दशा में वाउचरों का क्रम संख्यांक;

(छ) परादेय रकम की दशा में विपत्रों में का यदि कोई हो क्रम संख्यांक;

(ज) उस व्यक्ति का नाम और पता, जिससे परादेय रकम देय है।

(2) व्यय की हर मद के लिए वाउचर तब के सिवाय अभिप्राप्त किया जाएगा जब कि डाक व्यय या रेल द्वारा यात्रा और तद्रूप मामलों जैसे मामले की प्रकृति के कारण वाउचर अभिप्राप्त करना साध्य नहीं है।

(3) सब वाउचर अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा संदाय की तारीख के क्रम से रखे जाकर और क्रम संख्यांकित किए जाकर निर्वाचन व्ययों के लेखे के साथ दाखिल किए जाएंगे और ऐसे क्रम संख्यांक उपनियम (1) में के लेखे में मद (च) के अन्तर्गत दर्ज किए जाएंगे।

(4) उपनियम (1) की मद (ङ) में वर्णित विशिष्टियां व्यय की उन मदों की बाबत देनी आवश्यक न होंगी जिनके लिए उपनियम (2) के अधीन वाउचर अभिप्राप्त नहीं किए गए हैं।

87. लेखाओं के निरीक्षण के लिए [1][जिला निर्वाचन आफिसर द्वारा सूचना]—[1][जिला निर्वाचन आफिसर] उस तारीख से जिसको निर्वाचन व्ययों का लेखा अभ्यर्थी द्वारा धारा 78 के अधीन दाखिल किया गया है, दो दिन के अन्दर एक सूचना जिसमें—

(क) वह तारीख जिसको लेखा दाखिल किया गया है;

(ख) अभ्यर्थी का नाम; तथा

(ग) वह समय और स्थान, जिसमें ऐसे लेखा का निरीक्षण किया जा सकेगा,

विनिर्दिष्ट होंगी, अपने सूचना फलक पर लगवाएगा।

88. लेखाओं का निरीक्षण और उनकी प्रतियां अभिप्राप्त करना—कोई व्यक्ति एक रुपए की फीस का संदाय करके ऐसे किसी लेखा का निरीक्षण करने का हकदार होगा और ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी निर्वाचन आयोग इस निमित्त नियत करे, ऐसे लेखा या उसके किसी भाग की अनुप्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने का हकदार होगा।

89. निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत [1][जिला निर्वाचन आफिसर] द्वारा रिपोर्ट और निर्वाचन आयोग का उस पर विनिश्चय—(1) किसी निर्वाचन मे निर्वाचन व्ययों के लेखाओं के दाखिल करने के लिए धारा 78 में विनिर्दिष्ट समय के अवसान के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र [1][जिला निर्वाचन आफिसर]—

(क) हर एक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के नाम की;

1. अधिसूचना सं० का० आ० 3875, तारीख 15 दिसम्बर, 1966 द्वारा "रिटर्निंग आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(*b*) whether such candidate has lodged his account of election expenses and if so, the date on which such account has been lodged; and

(*c*) whether in his opinion such account has been lodged within the time and in the manner required by the Act and these rules.

(*2*) Where the [1][district election officer] is of the opinion that the account of election expenses of any candidate has not been lodged in the manner required by the Act and these rules, he shall with every such report forward to the Election Commission the account of election expenses of that candidate and the vouchers lodged along with it.

(*3*) Immediately after the submission of the report referred to in sub-rule (*1*) the [1][district election officer] shall publish a copy thereof by affixing the same to his notice board.

(*4*) As soon as may be after the receipt of the report referred to in sub-rule (*1*) the Election Commission shall consider the same and decide whether any contesting candidate has failed to lodge the account of election expenses within the time and in the manner required by the Act and these rules.

[2][(*5*) Where the Election Commission decides that a contesting candidate has failed to lodge his account of election expenses within the time and in the manner required by the Act and these rules it shall by notice in writing call upon the candidate to show cause why he should not be disqualified under section 10A for the failure.

(*6*) Any contesting candidate who has been called upon to show cause under sub-rule (*5*) may within twenty days of the receipt of such notice submit in respect of the matter a representation in writing to the Election Commission, and shall at the same time send to the district election officer a copy of his representation together with a complete account of his election expenses if he had not already furnished such an account.

(*7*) The district election officer shall, within five days of the receipt thereof, forward to the Election Commission the copy of the representation and the account (if any) with such comments as he wishes to make thereon.

(*8*) If, after considering the representation submitted by the candidate and the comments made by the district election officer and after such inquiry as it thinks fit, the Election Commission is satisfied that the candidate has no good reason or justification for the failure to lodge his account, it shall declare him to be disqualified under section 10A for a period of three years from the date of the order, and cause the order to be published in the Official Gazette.]

[3][**90. Maximum election expenses.**—The total of the expenditure of which account is to be kept under section 77 and which is incurred or authorized in connection with an election in a State or Union territory mentioned in column 1 of the Table below shall not exceed—

(*a*) in any one parliamentary constituency of that State or Union territory, the amount specified in the corresponding column 2 of the said Table; and

(*b*) in any one assembly constituency, if any, of that State or Union territory, the amount specified in the corresponding column 3 of the said Table—

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 3875, dated 15th December, 1966, for "returning officer".
2. Subs., *ibid.*, for sub-rules (*5*) to (*9*).
3. Subs. by Notifn. No. S.O. 767(E), dated the 29th November, 1979, for rule 90.

(ख) इस बात की कि क्या ऐसे अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल कर दिया है या नहीं और यदि किया है तो उस तारीख की, जिसको ऐसा लेखा दाखिल किया गया है, तथा

(ग) इस बात की कि क्या उसकी राय में ऐसा लेखा उतने समय के अन्दर और उस रीति में, जो अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित हैं, दाखिल किया गया है या नहीं,

रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को देगा।

(2) जहां कि [1][जिला निर्वाचन आफिसर] की यह राय है कि किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों का लेखा इस अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित रीति में दाखिल नहीं किया गया है वहां वह हर ऐसी रिपोर्ट के साथ उस अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों के लेखाओं और उसके साथ दाखिल वाउचरों को निर्वाचन आयोग को भेजेगा।

(3) जिला निर्वाचन आफिसर उपनियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट भेजी जाने के अव्यवहित पश्चात् उसकी प्रति अपने सूचना फलक पर लगाकर उसका प्रकाशन करेगा।

(4) निर्वाचन आयोग उपनियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उस पर विचार करेगा और यह विनिश्चय करेगा कि क्या कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के अन्दर और उस रीति में, जो कि अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है या नहीं।

[2][(5) जहां कि निर्वाचन आयोग का यह विनिश्चय है कि निर्वाचन लड़ने वाला कोई अभ्यर्थी निर्वाचन व्ययों का अपना लेखा उस समय के अन्दर और उस रीति में, जो अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है वहां वह लिखित सूचना द्वारा अभ्यर्थी से अपेक्षा करेगा कि वह हेतुक दर्शित करे कि उसे असफलता के लिए धारा 10क के अधीन क्यों निरर्हित नहीं किया जाना चाहिए।

(6) ऐसा कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी, जिससे उपनियम (5) के अधीन हेतुक दर्शित करने के लिए अपेक्षा की गई है, ऐसी सूचना की प्राप्ति के बीस दिन के भीतर उस विषय की बाबत लिखित अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग को निवेदित कर सकेगा और उसी समय अभ्यावेदन की एक प्रति और यदि उसने पहले ही ऐसा नहीं कर दिया है तो निर्वाचन व्ययों का पूरा लेखा भी जिला निर्वाचन आफिसर को भेजेगा।

(7) जिला निर्वाचन आफिसर उसकी प्राप्ति के पांच दिन के अन्दर अभ्यावेदन की प्रति और यदि कोई लेखा हो तो ऐसा लेखा ऐसी टिप्पणियों सहित, जैसी वह उन पर करना चाहे, निर्वाचन आयोग को भेजेगा।

(8) यदि अभ्यर्थियों द्वारा भेजे गए अभ्यावेदन पर और जिला निर्वाचन आफिसर द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थी के पास अपना लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो वह उसे आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए धारा 10क के अधीन निरर्हित घोषित करेगा और आदेश को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराएगा।]

[3][90. **अधिकतम निर्वाचन व्यय**—उस व्यय का योग, जिसका धारा 77 के अधीन हिसाब रखा जाएगा और जो नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में वर्णित किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचन के सम्बन्ध में उपगत या प्राधिकृत किए जाएंगें, निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा, अर्थात् :—

(क) उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए उक्त सारणी के तत्स्थानी स्तम्भ में विनिर्दिष्ट रकम ; और

(ख) उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी एक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र, यदि कोई हो, के लिए उक्त सारणी के तत्स्थानी स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट रकम—

---

1 अधिसूचना सं०का०आ० 387[illegible] तारीख 15 दिसम्बर, 1966 द्वारा "रिटर्निंग आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. पूर्वोक्त द्वारा उपनियम ([illegible] से (9) तक के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचनाओं सं० का० आ० [illegible]7(अ), तारीख 29 नवम्बर, 1979 द्वारा नियम 90 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)
[1][TABLE

Name of State or Union territory	Maximum limit of election expenses in any one Parliamentary constituency	Assembly constituency
1	2	3
I. STATES	Rs.	Rs.
1. Andhra Pradesh	4,50,000	1,50,000
2. Arunachal Pradesh	1,50,000	10,000
3. Assam	4,15,000	1,30,000
4. Bihar	4,50,000	1,50,000
5. Goa	1,90,000	50,000
6. Gujarat	4,50,000	1,35,000
7. Haryana	4,50,000	1,35,000
8. Himachal Pradesh	4,15,000	75,000
9. Jammu & Kashmir	3,75,000	—
10. Karnataka	4,50,000	1,35,000
11. Kerala	4,50,000	1,35,000
12. Madhya Pradesh	4,50,000	1,35,000
13. Maharashtra	4,50,000	1,50,000
14. Manipur	3,75,000	50,000
15. Meghalaya	3,00,000	30,000
16. Mizoram	1,90,000	20,000
17. Nagaland	4,15,000	20,000
18. Orissa	4,50,000	1,35,000
19. Punjab	4,50,000	1,35,000
20. Rajasthan	4,50,000	1,35,000
21. Sikkim	1,50,000	10,000
22. Tamil Nadu	4,50,000	1,50,000
23. Tripura	4,15,000	50,000
24. Uttar Pradesh	4,50,000	1,50,000
25. West Bengal	4,50,000	1,35,000
II. UNION TERRITORIES		
1. Andamana and Nicobar Islands	1,50,000	—
2. Chandigarh	1,90,000	—
3. Dadra and Nagar Heveli	95,000	—
4. Daman and Diu	95,000	—
5. Delhi	4,15,000	95,000
6. Lakshadweep	60,000	—
7. Pondicherry	3,00,000	30,000

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 758(E), dated the 21st October, 1994.

[1][सारणी

राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम	इनमें से किसी एक में निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र
1	2	3
I. राज्य	रु०	रु०
1. आंध्र प्रदेश	4,50,000	1,50,000
2. अरुणाचल प्रदेश	1,50,000	10,000
3. असम	4,15,000	1,30,000
4. बिहार	4,50,000	1,50,000
5. गोवा	1,90,000	50,000
6. गुजरात	4,50,000	1,35,000
7. हरियाणा	4,50,000	1,35,000
8. हिमाचल प्रदेश	4,15,000	75,000
9. जम्मू-कश्मीर	3,75,000	—
10. कर्नाटक	4,50,000	1,35,000
11. केरल	4,50,000	1,35,000
12. मध्य प्रदेश	4,50,000	1,35,000
13. महाराष्ट्र	4,50,000	1,50,000
14. मणिपुर	3,75,000	50,000
15. मेघालय	3,00,000	30,000
16. मिजोरम	1,90,000	20,000
17. नागालैंड	4,15,000	20,000
18. उड़ीसा	4,50,000	1,35,000
19. पंजाब	4,50,000	1,35,000
20. राजस्थान	4,50,000	1,35,000
21. सिक्किम	1,50,000	10,000
22. तमिलनाडु	4,50,000	1,50,000
23. त्रिपुरा	4,15,000	50,000
24. उत्तर प्रदेश	4,50,000	1,50,000
25. पश्चिमी बंगाल	4,50,000	1,35,000
II. संघ राज्य क्षेत्र		
1. अंडमान और निकोबार द्वीप	1,50,000	—
2. चण्डीगढ़	1,90,000	—
3. दादरा और नागर हवेली	95,000	—
4. दमण और दीव	95,000	—
5. दिल्ली	4,15,000	95,000
6. लक्षद्वीप	60,000	—
7. पांडिचेरी	3,00,000	30,000

1. अधिसूचना सं० का० आ० 758(अ), तारीख 21 अक्तूबर, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

PART IX

Miscellaneous

91. Resignation of seats in case of election to more seats than one in a House.—(*1*) The time within which a person may resign all but one of the seats in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State, to which he has been elected shall be—

(*a*) fourteen days from the date of his election under section 67A; or

(*b*) where the dates of his election are different in respect of different seats, fourteen days from the last of those dates.

(*2*) Such resignation shall be addressed—

(*a*) to the Speaker or the Chairman of the House concerned; or

(*b*) where the office of the Speaker or Chairman is for the time being vacant or is, or is deemed to be, in abeyance, to the Deputy Speaker or the Deputy Chairman of the House concerned; or

(*c*) where the post of the Deputy Speaker or Deputy Chairman is also for the time being vacant or is, deemed to be, in abeyance, to the Election Commission.

(*3*) Where the resignation has been addressed to the Election Commission under sub-rule (2) the Election Commission shall, as soon as may be after the receipt of the resignation, send a copy thereof to the Secretary of the House concerned.

92. Custody of ballot boxes and papers relating to election.—(*1*) All ballot boxes used at an election shall be kept in such custody as the chief electoral officer may direct.

[1][(*1A*) All voting machines used at an election shall be kept in the custody of the concerned district election officer]

[2][(*2*) The district election officer shall keep in safe custody—

(a) the packets of unused ballot papers with counterfoils attached thereto;

(b) the packets of used ballot papers whether valid tendered or rejected;

(c) the packets of the counterfoils of used ballot papers;

(d) the packets of the marked copy of the electoral roll or, as the case may be, the list maintained under sub-section (*1*) or sub-section (*2*) of section 152;

[1][(*dd*) the packets containing registers of voters in Form-17A]

(e) the packets of the declarations by electors and the attestation of their signatures; and

(f) all other papers relating to the election :

Provided that in the case of an election in an assembly constituency or a parliamentary constituency or a council constituency which extends over more districts that one, the said papers shall be kept in the custody of such one of the district election officers having jurisidiction over the constituency as the Election Commission may direct :

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 230(E), dated the 24th March, 1992.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 5573, dated the 23rd December, 1971.

भाग 9

प्रकीर्ण

91. **सदन में के एक से अधिक स्थानों के लिए निर्वाचन की दशा में स्थानों से त्यागपत्र**--(1) वह समय, जिसके अन्दर व्यक्ति संसद् के दोनों सदनों में से किसी सदन में या राज्य के विधान-मण्डल के सदन या दोनों सदनों में से किसी सदन में के स्थानों में से, जिनके लिए वह निर्वाचित हो गया है, एक को छोड़कर सब स्थानों से त्यागपत्र दे सकेगा—

(क) धारा 67क के अधीन उसके अपने निर्वाचन की तारीख से चौदह दिन का होगा, अथवा

(ख) उस दशा में, जिसमें की विभिन्न स्थानों की बाबत उसके निर्वाचन को तारीखें विभिन्न हैं उन तारीखों में से अन्तिम तारीख से चौदह दिन का होगा।

(2) ऐसा त्यागपत्र—

(क) सम्पृक्त सदन के अध्यक्ष या सभापति को; अथवा

(ख) उस दशा में जिसमें कि अध्यक्ष या सभापति का पद तत्समय रिक्त है या अनिहितावस्था में है या अनिहितावस्था में समझा जाता है सम्पृक्त सदन के उपाध्यक्ष या उपसभापति को; अथवा

(ग) उस दशा में, जिसमें कि उपाध्यक्ष या उपसभापति का पद भी तत्समय रिक्त है या अनिहितावस्था में है या अनिहितावस्था में समझा जाता है, निर्वाचन आयोग को, सम्बोधित होगा।

(3) जहां कि त्यागपत्र निर्वाचन आयोग को उपनियम (2) के अधीन सम्बोधित किया गया है वहां निर्वाचन आयोग त्यागपत्र की प्राप्ति से यथाशक्य-शीघ्र पश्चात् उसकी प्रति सम्पृक्त सदन के सचिव को भेजेगा।

92. **मतपेटियों और निर्वाचन संबंधी कागज-पत्रों की अभिरक्षा**--(1) निर्वाचन में उपयोग में लाई गई सब मतपेटियां ऐसी अभिरक्षा में रखी जाएंगी जैसी मुख्य निर्वाचन आफिसर निर्दिष्ट करे।

[1][(1क) किसी निर्वाचन में उपयोग में लाई गई सभी मतदान मशीनों को संबंधित जिला निर्वाचन आफिसर की अभिरक्षा में रखा जाएगा।]

[2] (2) जिला निर्वाचन आफिसर—

(क) अप्रयुक्त मतपत्रों के उनसे संलग्न प्रतिपर्णों के साथ पैकेट;

(ख) अप्रयुक्त मतपत्रों के चाहे वे विधिमान्य हों या निविदत्त या प्रतिक्षेपित पैकेट;

(ग) प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों के पैकेट;

(घ) यथास्थिति, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति या धारा 152 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन रखी गई सूची के पैकेट;

[1][(घघ) प्ररूप 17क में के मतदाता रजिस्टरों वाले पैकेट।]

(ङ) निर्वाचकों द्वारा की गई घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन के पैकेट; और

(च) निर्वाचन से संबंधित सभी अन्य कागज-पत्र;

सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा :

परन्तु किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र या किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र या किसी परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन की दशा में, जिसका विस्तार एक से अधिक जिलों में हो, उक्त कागज-पत्र उस निर्वाचन-क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले जिला निर्वाचन आफिसरों में से ऐसे किसी एक आफिसर की अभिरक्षा में रखे जाएंगे जिसका निदेश निर्वाचन आयोग करे :

---

1. अधिसूचना सं० का०आ० 230(अ), तारीख 24 मार्च, 1992 द्वारा अंतःस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का०आ० 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा प्रतिस्थापित।

Provided further that in the case of an election by assembly members the said papers shall be kept in the custody of the returning officer.]

[1][**93. Production and inspection of election papers.**—(*1*) While in the custody of the district election officer or, as the case may be, the returning officer—

(a) the packets of unused ballot papers with counterfoils attached thereto;

(b) the packets of used ballot papers whether valid, tendered or rejected;

(c) the packets of the counterfoils of used ballot papers;

(d) the packets of the marked copy of the electoral roll or, as the case may be, the list maintained under sub-section (*1*) or sub-section (*2*) of section 152; and

[2][(dd) the packets containing registers of voters in Form 17-A]

(e) the packets of the declarations by electors and the attestation of their signatures;

Shall not be opened and their contents shall not be inspected by, or produced before, any person or authority except under the order of a competent court.

[2][1A) The control units sealed under the provisions of rule 57C and kept in the custody of the district election officer shall not be opened and shall not be inspected by, or produced before, any person or authority except under the orders of a competent court]

(2) Subject to such conditions and to the payment of such fee as the Election Commission may direct,—

(a) all other papers relating to the election shall be open to public inspection; and

(b) copies thereof shall on application be furnished.

(3) Copies of the returns by the returning officer forwarded under rule 64, or as the case may be, under clause (*b*) of sub-rule (*1*) of rule 84 shall be furnished by the returning officer, district election officer, chief electoral officer or the Election Commission on payment of a fee of two rupees for each copy.]

94. Disposal of election papers.—Subject to any direction to the contrary given by the Election Commission or by a competent court or tribunal—

[1][(a) the packets of unused ballot papers shall be retained for a period of six months and shall thereafter be destroyed in such manner as the Election Commission may direct;]

[2][(aa) the voting machines kept in the custody of the district election officer under sub-rule (*1A*) of rule 92 shall be retained intact for such period as the Election Commission may direct and shall not be used at any subsequent election without the previous approval of the Election Commission;]

(b) the other packets referred to in sub-rule (*1*) or rule 93 shall be retained for a period of one year and shall thereafter be destroyed :

[3][Provided that packets containing the counterfoils of used ballot papers shall not be destroyed except with the previous approval of the Election Commission;]

(c) all other papers relating to the election shall be retained for such period as the Election Commission may direct.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 5573, dated the 23rd December, 1971.
2. Ins. by Notifn. No. S.O. 230(E), dated the 24th March, 1992.
3. Added by Notifn. No. S.O. 5573, dated the 23rd December, 1971.

परन्तु यह और भी कि विधान सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन की दशा में उक्त कागज-पत्र रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा में रखे जाएंगे।]

[1][93. निर्वाचन कागज-पत्रों का पेश करना और उनके निरीक्षण—(1) जब—

(क) अप्रयुक्त मतपत्रों के, उनसे संलग्न प्रतिपर्णों के साथ, पैकेट;

(ख) प्रयुक्त मतपत्रों के, चाहे वे विधिमान्य हों या निविदत्त या प्रतिक्षेपित, पैकेट

(ग) प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों के पैकेट;

(घ) यथास्थिति, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति, या धारा 152 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन रखी गई सूची के पैकेट; और

[2][(घघ) प्ररूप 17क में के मतदाता रजिस्टरों वाले पैकेट;]

(ङ) निर्वाचकों द्वारा की गई घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन के पैकेट,

यथास्थिति, जिला निर्वाचन आफिसर या रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा में हों, तब वे किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो खोले जाएंगे और न उनकी अन्तर्वस्तुओं का निरीक्षण किया जाएगा और न ही वे वस्तुएं उसके समक्ष पेश की जाएंगी।

[2][(1क) नियम 57ग के उपबंधों के अधीन मुद्राबन्द की गई और जिला निर्वाचन आफिसर की अभिरक्षा में रखे गए नियंत्रण यूनिटों को किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अधीन के सिवाय खोला नहीं जाएगा और किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण या उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।]

(2) ऐसी शर्तों और ऐसी फीस के संदाय के अध्यधीन रहते हुए, जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे:—

(क) निर्वाचन से संबंधित सभी अन्य कागज-पत्र जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे; और

(ख) उनकी प्रतियां, आवेदन करने पर, दी जाएंगी।

(3) यथास्थिति, नियम 64 या नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन रिटर्निंग आफिसर द्वारा भेजी गई विवरणियों की प्रतियां प्रत्येक प्रति के लिए दो रुपए की फीस के संदाय पर रिटर्निंग आफिसर, जिला निर्वाचन आफिसर, मुख्य निर्वाचन आफिसर या निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाएंगी।]

94. निर्वाचन कागज-पत्रों का व्ययन—निर्वाचन आयोग द्वारा या सक्षम न्यायालय या अधिकरण द्वारा इसके प्रतिकूल दिए गए किसी निदेश के अध्यधीन रहते हुए:—

[1][(क) अप्रयुक्त मतप्रत्रों के पैकेट, छह मास की कालावधि के लिए प्रतिधृत रखे जाएंगे और तत्पश्चात् ऐसी रीति से नष्ट कर दिए जाएंगे जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।]

[2][(कक) नियम 92 के उपनियम (1क) के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई मतदान मशीनें, ऐसी कालावधि के लिए अखंड रूप से प्रतिधृत रखी जाएंगी जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे और उनका किसी पश्चात्‌वर्ती निर्वाचन में निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रयोग नहीं किया जाएगा।]

(ख) नियम 93 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट अन्य पैकेट एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिधृत रखे जाएंगे और तत्पश्चात् नष्ट कर दिए जाएंगे:

[3][परन्तु प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों को अन्तर्विष्ट करने वाले पैकेट निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, नष्ट नहीं किए जाएंगे;]

(ग) निर्वाचन संबंधी सब अन्य कागज-पत्र ऐसी कालावधि के लिए प्रतिधृत रखे जाएंगे जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का०आ० 230(अ), तारीख 24 मार्च, 1992 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. अधिसूचना सं० का०आ० 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा जोड़ा गया।

(Statutory Rules and Order)

[1][**94A. Form of affidavit to be filed with election petition.**—The affidavit referred to in the proviso to sub-section (*1*) of section 83 shall be sworn before a magistrate of the first class or a notary or a commissioner of oaths and shall be in Form 25.]

[2][**95. Power of the Election Commission to issue directions.**—Subject to the other provisions of these rules, the Election Commission may issue such directions as it may consider necessary to facilitate the proper use and operation of the voting machines.]

96. List of Members of State Assemblies and electoral colleges.—(*1*) The returning officer for an election by the members of the Legislative Assembly of a State, to fill a seat or seats in the Council of States or in the Legislative Council of a State, shall maintain a list of members of that Assembly with their addresses corrected up-to-date in such form as the Election Commission may direct.

Explanation.—In this sub-rule any reference to the members of the Legislative Assembly of a State shall, in relation to an election to the Council of States, be construed as a reference to the elected members of that Legislative Assembly.

(2) The returning officer for an election by the members of the electoral college of a Union territory to fill a seat or seats in the Council of States shall maintain a list of members of that electoral college with their addresses corrected up-to-date in such form as the Election Commission may direct.

97. Number of votes sufficient to secure the return of a candidate in relation to return of forfeiture of deposits in certain cases.—For the purpose of the proviso to sub-section (*4*) of section 158—

(*a*) a candidate who is not elected shall be deemed to get,—

(*i*) if he is a continuing candidate, the votes obtained by him at the end of the final count, and

(*ii*) if he is a candidate excluded from the poll, the votes obtained by him at the end of the count immediately preceding his exclusion;

(*b*) the quota referred to in rule 75 or rule 76 shall be deemed to be the number of votes sufficient to secure the return of a candidate.

98. Manner of serving the order of requisition of premises, vehicles, etc.—An order of requisition under section 160 shall be served—

(*a*) where the person to whom such order is addressed is a corporation or firm, in the manner provided for the service of summons in rule 2 of Order XXIX or rule 3 of Order XXX, as the case may be, in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908); and

(*b*) where the person to whom such order is addressed is an individual—

(*i*) personally by delivering or tendering the order, or

(*ii*) by registered post, or

(*iii*) if the person cannot be found, by leaving an authentic copy of the order with any adult member of his family or by affixing such copy to some conspicuous part of the premises in which he is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain.

99. Time for application for reference to arbitration under section 161.—The time within which any person interested who is aggrieved by the amount of compensation determined under sub-section (*1*) of section 168 or within which the owner of a vehicle, vessel or animal who is aggrieved by the amount of compensation determined under sub-section (*2*) of that section may make an application for referring the matter to arbitration shall be fourteen days from the date of determination of the amount of such compensation or where the amount of such compensation has been determined in the absence of the person interested or, as the case may be, the owner, fourteen days from the date on which the intimation of such determination is sent to that person or owner.

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 597, dated the 27th February, 1962.
2. Ins. by Notifn. No. S.O. 230(E); dated the 24th March, 1992.

[1][94क. निर्वाचन अर्जी के साथ फाइल किए जाने वाले शपथपत्र का प्ररूप—धारा 83 की उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट शपथपत्र प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट या नोटरी या शपथ आयुक्त के समक्ष शपथगृहीत किया जाएगा और प्ररूप 25 में होगा।]

[2][95. निदेश जारी करने की निर्वाचन आयोग की शक्ति—इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचन आयोग मतदान मशीनों के समुचित उपयोग और प्रचालन को सुकर बनाने के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे।]

96. राज्य विधान सभाओं और निर्वाचकगणों के सदस्यों की सूची—(1) राज्य सभा में के या राज्य की विधान परिषद् में के, स्थान या स्थानों को भरने के लिए राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ग्राफिसर उस विधान सभा के सदस्यों की सूची उनके अद्यतन शुद्धिकृत पतों सहित ऐसे प्ररूप में बना रखेगा जैसा निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम में राज्य सभा के निर्वाचन के संबंध में राज्य की विधान सभा के सदस्यों के प्रति किसी निर्देश का अर्थ ऐसे लगाया जाएगा मानो वह उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के प्रति निर्देश है।

(2) राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर उस निर्वाचकगण के सदस्यों की सूची उनके अद्यतन शुद्धिकृत पतों के सहित ऐसे प्ररूप में बना रखेगा जैसा निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

97. उन मतों की संख्या जो कुछ मामलों में समपहृत निक्षेपों की वापसी के संबंध में अभ्यर्थी का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समझे जाएंगे—धारा 158 की उपधारा (4) के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए:—

(क) ऐसे अभ्यर्थी के बारे में जो निर्वाचित नहीं हुआ है, यह समझा जाएगा कि:—

(i) यदि वह बना रहने वाला अभ्यर्थी है तो, उसे वे मत मिले हैं जो उसने अन्तिम गणना के अन्त में अभिप्राप्त किए थे तथा

(ii) यदि वह मतदान से अपवर्जित अभ्यर्थी है, तो उसे वे मत मिले हैं जो उसने अपने अपवर्जन से अव्यवहित पूर्व वाली गणना के अन्त में अभिप्राप्त किए थे।

(ख) नियम 75 या नियम 76 में निर्दिष्ट कोटे के बारे में यह समझा जाएगा कि वह अभ्यर्थी का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मत संख्या है।

98. परिसर, यानों, आदि के अधिग्रहण के आदेश की तामील की रीति—धारा 160 के अधीन वाले अधिग्रहण आदेश की तामील—

(क) उस दशा में जिसमें कि वह व्यक्ति, जिसे कि ऐसा आदेश सम्बोधित है निगम या फर्म है सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची में, यथास्थिति, आदेश 29 के नियम 2 या आदेश 30 के नियम 3 में समनों की तामील के लिए उपबन्धित रीति में की जाएगी, तथा

(ख) उस दशा में, जिसमें कि वह व्यक्ति, जिसे ऐसा आदेश सम्बोधित है, एक व्यष्टि है—

(i) आदेश को उस वैयक्तिक रूप से परिदत्त या निविदत्त करके, अथवा

(ii) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, अथवा

(iii) तब जबकि उस व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता आदेश की अधिप्रमाणीकृत प्रति उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य के पास छोड़कर या उस परिसर के, जिसकी बाबत यह ज्ञात है कि उसने जब पिछली बार उसमें निवास किया था या कारबार चलाया था या स्वयं अभिलाभ के लिए काम किया था किसी सहजदृश्य भाग में ऐसी प्रति को लगाकर की जाएगी।

99 धारा 161 के अधीन माध्यस्थम् के वास्ते निर्देशनार्थ आवेदन के लिए समय—वह समय जिसके अन्दर कोई हितबद्ध व्यक्ति, जो धारा 168 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित प्रतिकर की रकम की बाबत व्यथित है, या जिसके अन्दर यान, जलयान या जीवजन्तु का ऐसा कोई स्वामी जो उस धारा की उपधारा (2) के अधीन अवधारित प्रतिकर की रकम की बाबत व्यथित है उस विषय को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा, ऐसे प्रतिकर की रकम के अवधारण की तारीख से चौदह दिन का या जहां कि ऐसे प्रतिकर की रकम, यथास्थिति, हितबद्ध व्यक्ति या स्वामी की अनुपस्थिति में अवधारित की गई है वहां उस तारीख से, जिसको उस व्यक्ति या स्वामी को ऐसे अवधारण की प्रज्ञापना भेजी जाती है, चौदह दिन का होगा।

1. अधिसूचना सं० का० आ० 597, तारीख 27 फरवरी, 1962 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 230(अ), तारीख 24 मार्च, 1992 द्वारा अन्तःस्थापित।

(Statutory Rules and Order)

[1][FORM 1

(*See* rule 3)

NOTICE OF ELECTION

Notice is hereby given that :—

(1) an election is to be held of a member to the House of the People/..Legislative Assembly/...................................Legislative Council in the.. .. ..constituency;

[or

(1) an election is to be held of a member(s) to the Council of States/.. ..legislative Council/.. ....by the elected members of the ....Legislative Assembly;]

(2) nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the Returning Officer or to..Assistant Returning Officer, at..between 11 A.M. and 3 P.M. on any day (other than public holiday) not later than the................. .. ..;

(3) forms of nomination paper may be obtained at the place and times aforesaid;

(4) the nomination papers will be taken up for scrutiny at...................................on...at.. .. .. ..

(5) notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer or his election agent [2][who has been authorised in writing by the candidate to deliver it] to either of the officers specified in paragraph (2) above at his office before 3 P.M. on the........................... .. ..

(6) in the event of the election being contested, the poll will be taken on......................................between the hours of... . . ..and.................. ....

Place...................................

Date...................................

Returning Officer.]

1. Subs. by Notifn. No S.O. 3450, dated the 9th November, 1966, for Form 1.
2. Ins. by Notifn. No. S.O. 565, dated the 4th August, 1984.

[1][प्ररूप 1

(नियम 3 देखिए)

निर्वाचन की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि—

(1) ································ निर्वाचन-क्षेत्र में लोक सभा/ ······················ विधान सभा/ ·························· विधान परिषद् के सदस्य का निर्वाचन होना है;]

अथवा

(1) ······················ विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा/ ························ विधान परिषद् ························ के सदस्य (सदस्यों) का निर्वाचन होना है।

(2) नामनिर्देशन-पत्र रिटर्निंग आफिसर को या ························ सहायक रिटर्निंग आफिसर को अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापक द्वारा ························ से अपश्चात् (लोक अवकाश दिन से भिन्न) किसी दिन 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच.................में परिदत्त किए जा सकेंगे;

(3) नामनिर्देशन-पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समयों पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे;

(4) नामनिर्देशन-पत्र संवीक्षा के लिए ···················· में ···················· को ···················· बजे लिए जाएंगे;

(5) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापक या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा [2][जो अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया हो] ऊपर पैरा (2) में विनिर्दिष्ट आफिसरों में से किसी को उसके कार्यालय में....... को 3 बजे अपराह्न से पूर्व परिदत्त की जा सकेगी;

(6) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में ························ को ·············· बजे और ··················· .... बजे के बीच मतदान होगा।

स्थान ···················

तारीख ·················

रिटर्निंग आफिसर]

1. अधिसूचना सं० का०आ० 3450, तारीख 9 नवम्बर, 1966 द्वारा प्ररूप 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का०आ० 565 (अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अंतःस्थापित।

[1][FORM 2A

(*See* rule 4)

NOMINATION PAPER

Election to the House of the People

I nominate as a candidate for election to the House of the People from the..
....Parliamentary constituency.

[2][Candidate's name .... [3]["father's/mother's/husband's name]..]

His postal address...
....

His name is entered at S. No.................................in Part No...of the electoral roll for...[4][Assembly constituency comprised within]...Parliamentary constituency.

My name is...and it is entered at S. No...............................
....in Part No.................................... .of the electoral rolls for..........................
[4][Assembly constituency comprised within]—..Parliamentary constituency.

Date........................ (Signature of proposer).

I, the above-mentioned candidate, assent to this nomination and hereby declare—

(a) that I have completed...years of age;

*(b) that I am [4][set up] at this election by the..party;

(c) that the symbols I have chosen are in order of preference (i)...................... (ii)...............................
....and (iii)..

[5][(d) that my name and my [father's mother's husband's name] have been correctly spelt out above in...(name of the language).]

[6][(e) that to the best of my knowledge and belief, I am qualified and not also disqualified for being chosen to fill the seat in the House of the People.]

†I further declare that I am a member of the.................................. **caste/tribe which is a scheduled **caste/tribe of the State of.. in relation to .... (area) in that State.

Date.......................... (Signature of candidate).

---

*Score out this paragraph, if not applicable.

**Score out the word not applicable.

[7][Score out the words "assembly constituency comprised within" in the case of Jammu and Kashmir, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Delhi [8][and Lakshadweep].

(To be filled by the Returning Officer)

Serial No. of nomination paper...............................

This nomination was delivered to me at my office at......................................(hour) on..................................
....(date) by the *candidate/proposer.

Date.......................... Returning Officer :

---

*Score out the words not applicable.

---

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 3662, dated the 12th October, 1964, for Forms 2A to 2E.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 124(E), dated 24th February, 1993 for Certain words.
3. Subs. by Notifn. No. S.O. 565(E), dated the 4th August, 1984.
4. Subs. by Notifn. No. S.O. 2362, dated the 3rd July, 1970.
5. Ins. by Notifn. No. S.O. 565 (E), dated the 4th August, 1984.
6. Ins. by Notifn. No. S.O. 961(E), dated the 29th December, 1986.
7. Ins. by Notifn. No. S.O. 2362, dated the 3rd July, 1970.
8. Subs. by Notifn. No. S.O. 565(E), dated the 4th August, 1984.

प्ररूप 2क

[1](नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए.............................संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूं।

[2][अभ्यर्थी का नाम..........................[3][पिता/माता/पति का नाम]................] उसका डाक पता.................... उसका नाम.............................संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [4][में समाविष्ट.............................. *विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं०..............................में क्रम सं०.......... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम..............है जो..............................संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [3][में समाविष्ट.............................. *विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं०.............................. में क्रम सं०..............................पर प्रविष्ट है।

तारीख.................. (प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

मैं, उपरिवर्णित, अभ्यर्थी, इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं और एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि--

(क) मैंने..............................वर्ष की आयु पूरी कर ली है,

*(ख) मैं इस निर्वाचन में..................पार्टी द्वारा [4][खड़ा किया गया] हूं,

(ग) मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i)..................(ii)..............................और (iii)..............................हैं।

[5][(घ) मेरा नाम और मेरे [3][पिता/माता/पति का नाम] ऊपर..............................(भाषा का नाम) में सही रूप में लिखा गया है]

[6][(ङ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, मैं लोक सभा के स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूं और साथ ही निरर्हित नहीं हूं।]

†मैं यह अतिरिक्त घोषणा करता हूं कि मैं..............................**जाति/जनजाति का सदस्य हूं, जो..............................राज्य की उस राज्य में के..............................(क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ‡जाति/जनजाति है।

तारीख.................. (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

---

* यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

** लागू न होने वाला शब्द काट दीजिए।

[7][†जम्मू-कश्मीर, अण्डमान और निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दिल्ली [8][और लक्षद्वीप की दशा में] "में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।]

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम सं..............................

यह नामनिर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में..................(तारीख) को..............................(बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख.................. रिटर्निंग आफिसर

---

*लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

---

1. अधिसूचना सं० का०आ० 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा प्ररूप 2क से 2ङ के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 124(अ), तारीख 24 फरवरी, 1993 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं० का०आ० 565(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं० का०आ० 2362, तारीख 3 जुलाई, 1970 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना सं० का०आ० 565(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अंतःस्थापित।
6. अधिसूचना सं० का०आ० 961(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1986 द्वारा अंतःस्थापित।
7. अधिसूचना सं० का०आ० 2362, तारीख 3 जुलाई, 1970 द्वारा अंतःस्थापित।
8. अधिसूचना सं० का०आ० 565(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

Decision of Returning Officer Accepting or Rejecting the Nomination Paper

I have examined this nomination paper in accordance with section 36 of the Representation of the People Act, 1951 and decide as follows :—

Date.......................... Returning Officer.

(Perforation)..

Receipt for Nomination Paper and Notice of Scrutiny

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

Serial No. of nomination paper..

The nomination paper of..a candidate for election from the..............................
..........................Parliamentary constituency was delivered to me at my office at..
(hour) on..(date) by the *candidate/proposer. All nomination papers will be taken up for scrutiny at...................................(hour) on..(date) a...................................(place).

Date.......................... Returning Officer.

*Strike out the word not applicable.

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं:—

तारीख .... रिटर्निंग आफिसर

(छिद्रण) ....

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम सं० .... का, जो .... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हैं, नामनिर्देशन-पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में .... (तारीख) को .... (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया। सब नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा .... (तारीख) को .... (बजे) .... (स्थान) में की जाएगी।

तारीख .... रिटर्निंग आफिसर

* लागू न होने वाला शब्द काट दीजिए।

FORM 2B

(*See* rule 4)

NOMINATION PAPER

Election to the Legislative Assembly of..(*State*).

I nominate as a candidate for election to the Legislative Assembly from the..assembly constituency.

[1][Candidate's name...............................[2][father's/mother's/husband's name]..............................]

His postal address..

His name is entered at S. No.......................in Part No...........................of the electoral roll for the..assembly constituency.

My name is.. and it is entered at S. No..............................in Part No.............................of the electoral roll for the...............................assembly constituency.

Date............................ (Signature of proposer).

I, the above-mentioned candidate, assent to this nomination and hereby declare—

(a) that I have completed.......................................years of age;

*(b) that I am [3][set up] at this election by the...................................party;

(c) that the symbols I have chosen are, in order of preference (i)........................ (ii).......................... and (iii)...

[4][(d) that my name and my [2][father's/mother's/husband's name] have been correctly spelt out above in ....(Name of the language).]

[5][(e) that to the best of my knowledge and belief, I am qualified and not also disqualified for being chosen to fill the seat in the Legislative Assembly of...]

*I further declare that I am a member of the...**caste/tribe which is a scheduled **caste/tribe of the State of.. in relation to...(area) in that State.

Date.......................... (Signature of candidate).

---

*Score out this paragraph, if not applicable.
**Score out the word not applicable.

(*To be filled by the Returning Officer*)

Serial No. of nomination paper..

This nomination was delivered to me at my office at...(hour) on...(date) by the *candidate/proposer.

Date............................ Returning Officer.

---

*Score out the word not applicable.

---

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 565(E), dated the 4th August, 1984.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 124(E), dated the 24th February, 1993, for Certain words.
3. Subs. by Notifn. No. S.O. 2362, dated the 3rd July, 1970.
4. Ins. by Notifn. No. S. 565(E), dated the 4th August, 1984.
5. Ins. by Notifn. No. S.O. 961(E), dated the 29th December, 1986.

प्ररूप 2ख

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

....(राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

मैं विधान सभा के निर्वाचन के लिए .... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नाम-निर्दिष्ट करता हूं।

[1][अभ्यर्थी का नाम .... [2][पिता/माता/पति का नाम] ....]

उसका डाक पता ....

उसका नाम .... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० .... में क्रम सं० .... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम .... है जो .... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० .... में क्रम सं० .... पर प्रविष्ट है।

तारीख .... (प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

मैं, उपरिवर्णित अभ्यर्थी, इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं और एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि—

(क) मैंने .... वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

*(ख) मैं इस निर्वाचन में .... पार्टी द्वारा [3][खड़ा किया गया] हूं।

(ग) मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) .... (ii) .... और (iii) .... है।

[4][(घ) मेरा नाम और मेरे [2][पिता/माता/पति का नाम] ऊपर .... (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।]

[5][(ङ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, मैं .... को विधान सभा के स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूं और साथ ही निरर्हित नहीं हूं।]

*मैं यह अतिरिक्त घोषणा करता हूं कि मैं .... **जाति/जनजाति का सदस्य हूं जो .... राज्य की उस राज्य में के .... (क्षेत्र) के सम्बन्ध में **अनुसूचित जाति/जनजाति है।

तारीख .... (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

---

*यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।
**लागू न होने वाला शब्द काट दीजिए।

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं* ....

यह नामनिर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में .... (तारीख) को .... (बजे) **अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख .... रिटर्निंग आफिसर

---

1. अधिसूचना सं० का०आ० 565(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का आ 124(अ), तारीख 24 फरवरी, 1993 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं० का०आ० 2362, तारीख 3 जुलाई, 1970 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं० का०आ० 565(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अन्तःस्थापित।
5. अधिसूचना सं० का०आ० 961(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1986 द्वारा अंतःस्थापित।

Decision of Returning Officer Accepting or Rejecting the Nomination Paper

I have examined this nomination paper in accordance with section 36 of the Representation of the People Act, 1951, and decide as follows :—

Date.......................... Returning Officer.

*Score out the word not applicable.

(Perforation)..

Receipt for Nomination Paper and Notice of Scrutiny

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

Serial No. of nomination paper.................................

The nomination paper of.. .. ..a candidate for election from the...assembly constituency was delivered to me at my office at................................ ....(hour) on............................ ....(date) by the *candidate/proposer. All nomination papers will be taken up for scrutiny at. ....(hour) on..........................(date) at.......................... ....(place).

Date.. Returning Officer.

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या प्रति क्षेपित करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं--

तारीख······················ रिटर्निंग आफिसर

---

*लागू न होने वाला शब्द काट दीजिए।

(छिद्रण)···

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना
(नामनिर्देशन-पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को देने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं.···
······················का जो······················विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन-पत्र मुझे मेरे कार्यालय में··························(तारीख) को························(बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया।

सब नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा························(तारीख) को················(बजे)··············
······································(स्थान) में की जाएगी।

तारीख.................. रिटर्निंग आफिसर

[1][Form 2C]

(*See* rule 4)

NOMINATION PAPER

Election to the Council of States

We hereby nominate as a candidate for election to the Council of States:

Candidate's Name..[2][father's/mother's/husband's name]...

His postal Address ....
....
....
....

His name is entered at S. No. ....in Part No.................of the electoral roll for the........ assembly/ *Parliamentary Constituency.

We declare that we are elected members of the Legislative Assembly of...............electoral college for............and our names are entered as indicated below in the list maintained under section 152 and we append our signatures below in token of subscribing to his nomination :

Particulars of the proposers and their signatures.

S. No.	S. No. as entered in the list maintained under section 152	Full name	Signature	Date
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.**				

*For Delhi only.

**There should be ten per cent. of the elected members of the Legislative Assembly or ten per cent. of the members of the electoral college or ten members concerned, whichever is less, as proposers.

I, the above-mentioned candidate, assent to this nomination and hereby declare.

(a) that I have completed........................years of age ;

(b) that I am set up at this election by the........................party;

(c) that my name and my [2][father's/mother's/husband's name] have been correctly spelt out above in................................ (name of the language); and

(d) that to the best of my knowledge and belief, I am qualified and not also disqualified for being chosen to fill the seat in the Council of States.

Date.............................. (Signature of the candidate)

(To be filled by the Returning Officer)

Serial No. of Nomination Paper..............................

This nomination was delivered to me at my office at.................... (hours) on..........................(date) by the candidates/ proposer..(Name).

Date.............................. Returning Officer.

Note : Wherever alternative is provided score out the word(s) not applicable.

1. Subs. by Notification No S.O. 364 (E) dated the 18th May, 1989 for existing Forms 2C, 2D and 2E.

2. Subs. by Notifi. No. S.O. 124(E), dated the 24th February, 1993 for certain words.

[1]प्ररूप 2ग

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

राज्य सभा के लिए निर्वाचन

हम एतद्द्वारा राज्य सभा के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करते हैं :

अभ्यर्थी का नाम .... [2][पिता/माता/पति का नाम] ....

उसका डाक पता ....

....

उसका नाम .... विधान सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र* की निर्वाचक नामावली के भाग सं० .... में क्रम सं० .... पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते हैं कि हम .... विधान सभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचकगण के सदस्य हैं और हमारे नाम धारा 152 के अधीन रखी गई सूची में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट हैं और इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम संख्या	धारा 152 के अधीन रखी गई सूची में प्रविष्टि क्रम संख्यांक	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.**				

*केवल दिल्ली के लिए

**प्रस्थापक विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में से दस प्रतिशत या निर्वाचकगण के सदस्यों में से दस प्रतिशत या संबंधित दस सदस्य, जो भी कम हों, होने चाहिएं ।

मैं, उपरिवर्णित अभ्यर्थी, इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/देती हूं और एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि—

(क) मैंने .... वर्ष की आयु पूरी करली है,

(ख) मैं इस निर्वाचन में .... पार्टी द्वारा खड़ा किया गया हूं/खड़ी की गई हूं;

(ग) मेरा नाम और मेरे [2][पिता/माता/पति का नाम] ऊपर .... (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है; और

(घ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं राज्य सभा में रिक्त स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूं और निरर्हित नहीं हूं ।

तारीख .... (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम संख्या ....

यह नामनिर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में .... (तारीख) को .... (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक .... (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख .... (रिटर्निंग आफिसर)

टिप्पण : जहां अनुकल्प दिया गया है, वहां लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए ।

1. अधिसूचना सं० का०आ० 364(अ), तारीख 18 मई, 1989 द्वारा विद्यमान प्ररूप 2क, 2ख और 2ग के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. अधिसूचना सं० का०आ० 124 (अ), तारीख 24 फरवरी, 1993 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

Decision of Returning Officer accepting or rejecting the Nomination Paper.

I have examined this nomination paper in accordance with section 36 of the Representation of the People Act, 1951, and decide as follows:

Date.............................. Returning Officer.

Perforation

Receipt for Nomination Paper and Notice of Scrutiny

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

Serial No. of nomination paper..............................

The nomination paper of.....................a candidate for election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of.........................(State)/Members of the Electoral College of.....................(State) was delivered to me at my office at.....................(hour) on.. .. ..(date) by the candidate/proposer..................... (Name). All nomination papers will be taken up for scrutiny at........ .. .. .. (hour) on..................(date)at......... ....(place).

Date........................ .. Returning Officer.

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं--

तारीख............... (रिटर्निंग आफिसर)

छिद्रण..........................

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम संख्यांक..............................का, जो ....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों/..........................(राज्य) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन-पत्र मुझे मेरे कार्यालय में........................(तारीख) को......................(बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक.........................(नाम) द्वारा परिदत्त किया गया है। सभी नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा........ (तारीख) को...............(बजे)..........................(स्थान) में की जाएगी।

तारीख.................. रिटर्निंग आफिसर

FORM 2D

(*See* rule 4)

NOMINATION PAPER

Election to the Legislative Council of..........................(State) by the Members of the Legislative Assembly.

We hereby nominate as a candidate for the above election :

Candidate's name............................[1][father's/mother's/husband's name]........................ .. ..

His postal address ....
....
....
....

His name is entered at S. No...... ....in Part No.................... of the electoral roll for the.................. ....assembly constituency.

We declare that we are members of Legislative Assembly of................ .... and our names are entered as indicated below in the list maintained under section 152 and we append our signatures below in token of subscribing to this nomination.

Particulars of the proposers and their signatures.

Sl. No.	S. No. as indicated in the list maintained under section 152	Full Name	Signature	Date
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.*				

*There should be ten per cent. of the members of the Legislative Assembly or ten members concerned, whichever is less as proposers.

I, the above-mentioned candidate, assent to this nomination and hereby declare:—

(a) that I have completed............. .. .. years of age;

(b) that I am set up at this election by the.. .. .. party;

(c) that my name and my [1][father's/mother's/husband's name] have been correctly spelt out above in ....(name of the language); and

(d) that to the best of my knowledge and belief, I am qualified and not also disqualified for being chosen to fill the seat in the Legislative Council of............................ .....(State) by the members of the Legislative Assembly.

Date............ ....

(Signature of the candidate)

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 124(E), dated the 24th February, 1993 for Certain words.

प्ररूप 2घ

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

विधान सभा के सदस्यों द्वारा ....(राज्य) की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन

हम एतद्द्वारा उपरवर्णित निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम .... [1][पिता/माता/पति का नाम] ....

उसका डाक पता ....
....
....

उसका नाम ....निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० ....में क्रम संख्या ....पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम ....विधान सभा के सदस्य हैं और हमारे नाम धारा 152 के अधीन रखी गई सूची में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट हैं और इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं:—

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	धारा 152 के अधीन रखी गई सूची में उपदर्शित क्रम संख्यांक	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.*				

*प्रस्थापक विधान सभा के सदस्यों में से दस प्रतिशत या संबंधित दस सदस्य, जो भी कम हों, होने चाहिएं।

मैं, उपरिवर्णित अभ्यर्थी, इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/देती हूं और एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि—

(क) मैंने ....वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(ख) मैं इस निर्वाचन में ....पार्टी द्वारा खड़ा किया गया हूं/खड़ी की गई हूं।

(ग) मेरा नाम और मेरे [1][पिता/माता/पति का नाम] ऊपर ....(भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है; और

(घ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं ....(राज्य) की विधान परिषद् में रिक्त स्थान को भरने के लिए विधान सभा के सदस्यों द्वारा, चुने जाने हेतु अर्हित हूं और निरर्हित नहीं हूं।

तारीख .... (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

1. अधिसूचना सं० का०आ० 124(अ), तारीख 24 फरवरी, 1993 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(Statutory Rules and Order)

(To be filled by the Returning Officer)

Serial No. of Nomination Paper..... ....

This nomination was delivered to me at my office at.......... .. ..(hour) on........ ....(date) by the candidate/proposer............ .. ..(Name).

Date.......................... Returning Officer.

Decision of Returning Officer accepting or rejecting the Nomination Paper

I have examined this nomination paper in accordance with section 36 of the Representation of the People Act, 1951, and decide as follows :--

Date .... Returning Officer.

(Perforation) ....

Receipt for Nomination Paper and Notice of Scrutiny

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

Serial No. of nomination paper..........................

The nomination paper of..a candidate for election to the Legislative Council of ....(State) by the Members of Legislative Assembly was delivered to me at my office at.. (hour) on.................................... ....(date) by the candidate/proposer......................... ....(Name). All nomination papers will be taken up for scrutiny at..................................(hour) on........................ ....(date) at.......................... .. ..(place).

Date.......................... Returning Officer.

Note :—Wherever alternative is provided score out the word(s) not applicable.

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम सं०..................

यह नामनिर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में.................... (तारीख) को..................... (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख.............. (रिटर्निंग आफिसर)

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं—

तारीख............ रिटर्निंग आफिसर

(छिद्रण)..

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय
(नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना)

नामनिर्देशन पत्र का क्रम संख्यांक...............

.......................का, जो....................(राज्य) की विधान परिषद् के लिए विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन-पत्र मुझे मेरे कार्यालय में...............(तारीख) को.......... (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक........................(नाम) द्वारा परिदत्त किया गया है। सभी नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा........... (तारीख) का.................... ...(बजे)......................(स्थान) में की जाएगी।

तारीख.................. रिटर्निंग आफिसर

---

*टिप्पण:—जहां अनुकल्प दिया गया है वहां लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

FORM 2E

(*See* rule 4)

NOMINATION PAPER

Election to the Legislative Council of..................(State) from a Council constituency

....

We hereby nominate as candidate for election to the Legislative Council of.... ....(State) from the constituency.

Candidate's name.......................... . . ...[1][father's/mother's/husband's name] ....

His postal address ....

....

....

His name is entered at Sl. No...in Part No.... . . ..

of the electoral roll for the... ....assembly constituency.

We declare that we are electors and our names entered in the electoral roll for....................(Council) constituency as indicated below and we append our signatures below in token of subscribing to this nomination :—

Particulars of the proposers and their signatures.

Sl. No.	Electoral Roll No. of proposer		Full Name	Signature	Date
	Part No. of electoral roll	S. No. in that part			
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.*					

*There should be ten per cent. of the electors of the constituency or ten such electors, whichever is less, as proposers.

I, the above-mentioned candidate, assent to this a nomination and hereby declare :

(a) that I have completed.................................years of age;

(b) that I am set up at this election by the........ ....party;

(c) that my name and my [1][father's/mother's/husband's name] has been correctly spelt out above in...............................(name of the language);

(d) that to the best of my knowledge and belief. I am qualified and not also disqualified for being chosen to fill the seat in the Legislative Council of........... ....(State) from............................ Council Constituency.

Date.................... (Signature of the candidate)

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 124(E) dated the 24th February, 1993 for certain words.

प्ररूप 2 ङ

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से............................(राज्य) की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन

हम एतद्द्वारा...................(राज्य) की विधान परिषद् के निर्वाचन के लिए.............निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करते हैं :

अभ्यर्थी का नाम.........................[1][पिता/माता/पति का नाम]........................

उसका डाक पता ....

....

....

उसका नाम....................विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं०...............में

क्रम सं०..............................पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदाता हैं और हमारे नाम.........................परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट है और इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं:

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम० सं०	प्रस्थापक की निर्वाचक नामावली सं० निर्वाचक नामावली की भाग सं०	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.*					

*प्रस्थापक निर्वाचन-क्षेत्र के दस प्रतिशत मतदाता या दस ऐसे मतदाता, जो भी कम हों, होने चाहिएं।

मैं, उपरिवर्णित अभ्यर्थी, इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/देती हूं और एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि—

(क) मैंने..................वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(ख) मैं इस निर्वाचन में.................पार्टी द्वारा खड़ा किया गया हूं/खड़ी की गई हूं।

(ग) मेरा नाम और मेरे [1][पिता/माता/पति का नाम] ऊपर.................(भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं....................................परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से........(राज्य) की विधान परिषद् में रिक्त स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूं और निरर्हित नहीं हूं।

तारीख................ (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

1. अधिसूचना सं० का० आ० 124(अ), तारीख 24 फरवरी, 1993 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(To be filled by the Returning Officer)

Serial No. of Nomination Paper................

This nomination was delivered to me at my office at ....(hour) on..................(date) by the candidate/proposer..(Name).

Date.....................   Returning Officer.

Decision of Returning Officer accepting or rejecting the Nomination Paper

I have examined this nomination paper in accordance with section 36 of the Representation of the People Act, 1951 and decide as follows :—

Date...................   Returning Officer.

Receipt for Nomination Paper and Notice of Scrutiny

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

Serial No. of nomination paper....................

The nomination paper of..a candidate for election to the Legislative Council of.. (State) from the... ....Graduates' (Teachers'/Local Authorities' constituency was delivered to me at my office at.........................(hour) on............................(date) by the candidate/proposer...(Name). All nomination papers will be taken up for scrutiny at...................(hour) on.....................(date) at............. ....(place)

Date...................   Returning Officer.

Note : Wherever alternative is provided score out the word(s) not applicable.]

रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम सं०.................

यह नामनिर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में.......................(तारीख) को.....................(बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक ....(नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख..............

(रिटर्निंग ऑफिसर)

(नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय)

मैंने इस नाम निर्देशन-पत्र की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं—

तारीख.................

रिटर्निंग ऑफिसर

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना
(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम संख्यांक...........

.............का, जो...............(राज्य) की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन हेतु............स्नातकों/अध्यापकों/स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन-पत्र मुझे मेरे कार्यालय में....................(तारीख) को.........(बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक........................ (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया है। सभी नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा.......(तारीख) को....................(बजे)...................(स्थान) में की जाएगी।

तारीख.................

रिटर्निंग ऑफिसर

टिप्पण :—जहां अनुकल्प दिया गया है वहां लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

FORM 3A

(*See* rule 7)

NOTICE OF NOMINATION

*Election to the *House of the People/Legislative Assembly from the..constituency.*

Notice is hereby given that the following nominations in respect of the above election have been received up to 3 P.M. today :—

Serial number of nomination paper	Name of candidate	Name of *[1][father/ *mother/husband]	Age of candidate	Address	[2][Party affiliation]	Particulars of castes, or tribes for candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes.	Electoral roll number of candidate	Name of proposer	Electoral roll number of proposer
1	2	3	4	5	6	[3][7]	[3][8]	[3][9]	[3][10]

Place........................

Date...........................

Returning Officer.

*Strike off the inappropriate alternative

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 124(E) dated the 24th February, 1993 for certain words.
2. Ins. by Notifn. No. S.O. 961(E), dated the 29th December, 1986.
3. Column Nos. 6, 7, 8 and 9 renumbered as column Nos. 7, 8, 9 and 10, *ibid*.

प्ररूप 3क

(नियम 7 देखिए)

नामनिर्देशन की सूचना

.... निर्वाचन-क्षेत्र से *लोक सभा/विधान सभा के लिए निर्वाचन

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरिवर्णित निर्वाचन की बाबत निम्नलिखित नामनिर्देशन आज 3 बजे अपराह्न तक प्राप्त हुए हैं—

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	[1][*पिता/माता/पति] का नाम	अभ्यर्थी की आयु	पता	[2][पार्टी सहबद्धता]	अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए जाति या जनजाति की विशिष्टियां	अभ्यर्थी का निर्वाचक नामावली संख्यांक	प्रस्थापक का नाम	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक
1	2	3	4	5	6	[3][7]	[3][8]	[3][9]	[3][10]

तारीख......................

स्थान......................

रिटर्निंग आफिसर

*जो अनुकल्प समुचित न हो उसे काट दीजिए।

1. अधिसूचना सं० का० आ० 124(अ), तारीख 24 फरवरी, 1993 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का०आ० 961(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1986 द्वारा अंतःस्थापित।
3. उपरोक्त द्वारा स्तम्भ 6, 7, 8 और 9 को स्तम्भ 7, 8, 9 और 10 के रूप में पुनःसंख्यांकित।

[1]FORM 3B

(*See* rule 7)

NOTICE OF NOMINATION

Election to the Council of States/Legislative Council by the elected members of the Legislative Assembly/Electoral College of ....

Notice is hereby given that the following nominations in respect of the above election have been received up to 3 p.m. today :—

Serial number of nomination paper	Name of candidate	Name of [2][father/mother/husband]	Age of candidate	Address	Party affiliation	Electoral roll number of candidate	Names of proposers	Serial numbers of proposers in the list maintained under section 152
1	2	3	4	5		7	8	9

Place..........................

Date.......................... Returning Officer.

Note : Wherever alternative is provided score out the word(s) not applicable.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 364(E), dated the 18th May, 1989, for the existing Forms 3B and 3C.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 124(E), dated the 24th February, 1993, for certain words.

[1]प्ररूप 3ख

(नियम 7 देखिए)

नामनिर्देशन की सूचना

.................................की विधान सभा/.................................के निर्वाचकगण के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा/विधान परिषद् के लिए निर्वाचन

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि अपरिवर्णित निर्वाचन की बाबत निम्नलिखित नामनिर्देशन आज 3 बजे अपराह्न तक प्राप्त हुए हैं—

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	[2][पिता/माता/पति] का नाम	अभ्यर्थी की आयु	पता	किस पार्टी से संबंधित हैं	अभ्यर्थी का निर्वाचक नामावली संख्यांक	प्रस्थापकों के नाम	धारा 152 के अधीन रखी जाने वाली सूची में प्रस्थापकों के क्रम संख्यांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान.................

तारीख.................

रिटर्निंग आफिसर

टिप्पण:—जहां अनुकल्प दिया गया है वहां लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

1. अधिसूचना सं० का०आ० 364(अ), तारीख 18 मई, 1989 द्वारा प्ररूप 3ख और 3ग के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का०आ० 124(अ), तारीख 24 फरवरी, 1993 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

FORM 3C

(*See* rule 7)

NOTICE OF NOMINATION

Election to the Legislative Council of.. (State) from the........ .... constituency

Notice is hereby given that the following nominations in respect of the above election have been received up to 3 p.m. today:—

Serial number of nomination paper	Name of candidate	Name of [1][father/mother/ husband]	Age of candidate	Address	Party affiliation	Electoral roll numbers of candidate in assembly constituency	Name of proposers	Electoral roll numbers of proposers in the Council constituency
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Place..........................

Date..........................

Returning Officer.]

Note : Wherever alternative is provided score out the word(s) not applicable

1. Subs. by Notifn. No: S.O. 124(E), dated the 24th February, 1993 for certain words.

प्ररूप 3ग

(नियम 7 देखिए)

नामनिर्देशन की सूचना

……………………………………निर्वाचन-क्षेत्र से……………………………(राज्य) की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरिवर्णित निर्वाचन की बाबत निम्नलिखित नामनिर्देशन आज 3 बजे अपराह्न तक प्राप्त हुए—

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	[1][पिता/माता/पति] का नाम	अभ्यर्थी की आयु	पता	किस पार्टी से संबंधित है	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में अभ्यर्थी की निर्वाचक नामावली संख्यांक	प्रस्थापकों के नाम	परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों में प्रस्थापकों के निर्वाचक नामावली संख्यांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान……………… रिटर्निंग आफिसर]

तारीख………………

टिप्पण :—जहां अनुकल्प दिया गया है वहां लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए ।

1. अधिसूचना सं० का० आ० 124(अ), तारीख 24 फरवरी, 1993 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

FORM 4

(*See* rule 8)

List of Validity Nominated Candidates

*Election to the** ....

Serial number	Name of candidate	Name of** [1][father/mother/husband]	Address of candidate	[2][Party affiliation
1	2	3	4	5]

Place..............

Date.............

Returning Officer.

*Appropriate particulars of the election to be inserted here.

**Strike off the inappropriate alternative.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 124(E), dated the 24th February, 1993, for certain words.

2. Ins. by Notifn. No. S.O. 961(E), dated the 29th December, 1986.

प्ररूप 4

(नियम 8 देखिए)

विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची

.................*के लिए निर्वाचन

क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	**[1][पिता/माता/पति का नाम	अभ्यर्थी का पता	[2][पार्टी सहबद्धता]
1	2	3	4	5]

स्थान...................

तारीख..................

रिटर्निंग आफिसर

*निर्वाचन संबंधी समुचित विशिष्टियां यहां लिखिए।

**जो अनुकल्प समुचित न हो, उसे काट दीजिए।

1. अधिसूचना सं० का०आ० 124(अ), तारीख 24 फरवरी, 1993 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. अधिसूचना सं० का० आ० 961(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1986 द्वारा अंतःस्थापित।

FORM 5

[*See* Rule 9(1)]

Notice of withdrawal of Candidature

*Election to tne**.................

The Returning Officer,

I,..., a [1][candidate validly nominated] at the above election do hereby give notice that I withdraw my candidature.

Place..........................

Date..........................

Signature of [1][validly nominated candidate].

This notice was delivered to me at my office at ....(hour) on.. .. .. .. (date) by ....(name), the † ....

Date.................... .. ...

Returning Officer

Receipt for Notice of Withdrawal

(To be handed over to the person delivering the notice)

The notice of withdrawal of candidature by ...., a [1][validly nominated candidate] at the election to the*.. .. ..was delivered to me by the†.............. at my office at ....(hour) on ....(date).

Returning Officer.

---

*Here insert one of the following alternatives as may be appropriate:—

(1) House of the People from the...constituency.

(2) Legislative Assembly from the ....constituency.

(3) Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of .... (State).

(4) Council of States by the members of the electoral college of.. (Union territory).

(5) Legislative Council by the members of the Legislative Assembly.

(6) Legislative Council from the ....constituency.

†Here insert one of the following alternatives as may be appropriate:—

(1) Candidate.

(2) Candidate's proposer who has been authorised in writing by the candidate to deliver it.

(3) Candidate's election agent who has been authorized in writing by the candidate to deliver it.

---

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 565(E), dated the 4th August, 1984.

प्ररूप 5

[नियम 9(1) देखिए]

अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना

...........*के लिए निर्वाचन

प्रेषिती—

रिटर्निंग आफिसर,

मैं,......................जो उपरिवर्णित निर्वाचन में [1][विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी] हूं, एतद्द्वारा सूचना देता हूं कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूं।

स्थान..................

तारीख..................

[1][विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी] के हस्ताक्षर

यह सूचना......................(नाम) द्वारा, जो..............................है,....................(तारीख) को..................................(बजे) मुझे/मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई।

तारीख................ रिटर्निंग आफिसर

अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना के लिए रसीद

(सूचना परिदत्त करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

......................की, जो कि.........................*के लिए निर्वाचन में [1][विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी] है, अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना..................†द्वारा............(तारीख) को.............. (बजे) मुझे/मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई।

रिटर्निंग आफिसर

---

*यहां निम्नलिखित विकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए—

(1) ....निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।

(2) ....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।

(3) ....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(4) ....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।

(6) ....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

†यहां निम्नलिखित विकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए—

(1) अभ्यर्थी।

(2) अभ्यर्थी का प्रस्थापक जिसे अभ्यर्थी ने इसे परिदत्त करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया है।

(3) अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता जिसे अभ्यर्थी ने इसे परिदत्त करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया है।

---

1. अधिसूचना सं० का०आ० 565(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।

FORM 6

[*See* rule 9(2)]

Notice of withdrawal of Candidatures

*Election to the** ....

Notice is hereby given that the following [1][validly nominated †candidate]/candidates at the above election withdrew †his candidature/their candidatures today.

Name of [1][validly nominated candidate]	Address of [1][validly nominated candidate]	Remarks
1.		
2.		
3.		
etc.		

Date...........................

Returning Officer,

*Appropriate particulars of the election to be inserted here.

†Strike off the inappropriate alternative.

FORM 7A

[*See* rule 10(1)]

List of Contesting Candidates

Election to the House of the People/Legislative Assembly from the ....*constituency*

Serial number	Name of candidate	Address of candidate	[2][Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4]	5
1.				
2.				
3.				
4.				
etc.				

Place...........................

Date...........................

Returning Officer.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 565(E), dated the 4th August, 1984.
2. Ins., *ibid.*

प्ररूप 6

[नियम 9(2) देखिए]

अभ्यर्थिताएं वापस लिए जाने की सूचना

............के लिए निर्वाचन*

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उपरिवर्णित निर्वाचन में निम्नलिखित [1][विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट †अभ्यर्थी]/अभ्यर्थियों ने †अपनी अभ्यर्थिता/अभ्यर्थिताएं आज वापस ले ली है/हैं।

[1][विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी] का नाम	[1][विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी] का पता	टिप्पणियां
1.		
2.		
3.		
आदि		

तारीख.................. रिटर्निंग आफिसर

*निर्वाचन संबंधी समुचित विशिष्टियां यहां लिखिए।
†जो अनुरूप समुचित न हो, उसे काट दीजिए।

प्ररूप 7क

[नियम 10(1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

........................निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा/विधान सभा के लिए निर्वाचन

क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	[2][संबद्ध पार्टी	आबंटित प्रतीक
1	2	3	4]	5
1.				
2.				
3.				
4.				
आदि				

स्थान.................. रिटर्निंग आफिसर

तारीख..................

1. अधिसूचना सं० का०आ० 565(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. पूर्वोक्त द्वारा अंतःस्थापित।

FORM 7B
[*See* rule 10 (1)]
List of Contesting Candidates

*Election to the**..................................

Serial number	Name of candidate	Address of candidate	[1][Party affiliation
1	2	3	4]
1.			
2.			
3.			
4.			
etc.			

Place......................
Date...................

Returning Officer

*Here insert one of the following alternatives as may be appropriate :—

(1) Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of.................................. (State).

(2) Council of States by the members of the electoral college.. (Union territory).

(3) Legislative Council of.......................................(State) by the members of the Legislative Assembly.

(4) Legislative Council of...(State), from the...................... constituency.

FORM 8
[*See* rule 12(1)]
Appointment of Election Agent
*Election to the** ......

To
The Returning Officer,

I,.., of...............................a candidate at the above election do hereby appoint....................of..................as my election agent from this day at the above election.

Place.......................

Signature of candidate.

Date....................

I accept the above appointment.

Place....................

Date....................

Signature of election agent.

[2][Approved.

Signature and Seal of the Returning Officer.]

*Here insert one of the following alternatives as may be appropriate :—

(1) House of the People from the..................constituency.

(2) Legislative Assembly from the ....constituency.

(3) Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of.................(State).

(4) Council of States by the members of the electoral college of....................(Union territory).

(5) Legislative Council by the members of the Legislative Assembly.

(6) Legislative Council from the ....constituency.

1. Added by Notifn. No. S.O. 565 (E), dated the 4th August, 1984.
2. Ins. *Ibid.*

प्ररूप 7ख

[नियम 10 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

. . . . *के लिए निर्वाचन

क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	[1][सम्बद्ध पार्टी
1	2	3	4]
1.			
2.			
3.			
4.			
आदि			

स्थान . . . .

तारीख . . . . रिटर्निंग आफिसर

*यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए—

(1) . . . . (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(2) . . . . (संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(3) विधान सभा के सदस्यों द्वारा . . . . (राज्य) की विधान परिषद्।

(4) . . . . निर्वाचन-क्षेत्र से . . . . (राज्य) की विधान परिषद्।

प्ररूप 8

[नियम 12(1) देखिए]

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

. . . . *के लिए निर्वाचन

प्रेषिती—

रिटर्निंग आफिसर,

मैं, ... जो . . . . का हूं और ऊपरवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, एतद्द्वारा . . . . के . . . . को ऊपरवर्णित निर्वाचन में आज से अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता हूं।

स्थान . . . .

तारीख . . . . अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं ऊपरवर्णित नियुक्ति को प्रतिगृहीत करता हूं।

स्थान . . . .

तारीख . . . . निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

[2][अनुमोदित रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर और मुद्रा]

*यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए—

(1) . . . . निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।

(2) . . . . निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा।

(3) . . . . (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(4) . . . . (संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।

(6) . . . . निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

1. अधिसूचना सं० का०आ० 565(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा जोड़ा गया।
2. पूर्वोक्त द्वारा अंतःस्थापित।

FORM 9
[*See* rule 12(2)]

Revocation of Appointment of Election Agent

Election to the......................

To

The Returning Officer,

I,...................................... ,a candidate at the above election, hereby revoke the appointment of.............................my election agent.

Place................

Date................

Signature of candidate.

---

*Here insert one of the following alternatives as may be appropriate :—

(1) House of the People from the....................constituency.

(2) Legislative Assembly from the........................constituency.

(3) Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of.............................. (State).

(4) Council of States by the members of the electroral college of....... ....(Union territory).

(5) Legislative Council by the members of the Legislative Assembly.

(6) Legislative Council from the.................constituency.

प्ररूप 9

[नियम 12 (2) देखिए]

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

.............*के लिए निर्वाचन

प्रेषिती—

रिटर्निंग आफिसर,

मैं, ..., जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, एतद्द्वारा अपने निर्वाचन अभिकर्ता,............. ... की नियुक्ति प्रतिसंहृत करता हूँ।

स्थान....................

तारीख....................

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

---

*यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए--

(1) ....निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।
(2) ....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।
(3) ....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
(4) ....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
(5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।
(6) ....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

FORM 10

[*See* rule 13(2)]

**Appointment of Polling Agent*

*Election to the***.............................

I,.................... †a candidate/the election agent of..........................who is a candiate at the above election do hereby [1][appoint......................(Name and address)]..................as a polling agent to attend† polling station No..........................at/place fixed for the poll............at..............

Place.........................

Date......................

Signature of† candidate/election agent.

I agree to act as such polling agent.

Place.........................

Date......................

Signature of polling agent.

Declaration of polling agent to be signed before Presiding Officer

I hereby declare that at the above election I will not do anything forbidden by section 128†† of the Representation of the People Act, 1951, which † I have read/has been read over to me.

Date........................

Signature of polling agent.

Signed before me.

Date......................

Presiding Officer

---

*To be handed over to the polling agent for production at the polling station or at the place fixed for the poll.

**Here insert one of the following alternatives as may be appropriate :—

(1) House of the People from the ....constituency.

(2) Legislative Assembly from the.................. constituency.

(3) Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of............................... (State).

(4) Council of States by the members of the electoral college of......................(Union territory).

(5) Legislative Council by the members of the Legislative Assembly.

(6) Legislative Council from the.............................constituency.

†Strike off the inappropriate alternative.

††Section 128 of the Representation of the People Act, 1951 :—

"128. *Maintenance of secrecy of voting.*—(1) Every officer, clerk, agent or other person who performs any duty in connection with the recording or counting of votes at an election shall maintain, and aid in maintaining, the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorised by or under any law) communicate to any person any information calculated to violate such secrecy.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine or with both.".

---

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 565(E), dated the 4th August, 1984.

प्ररूप 10

[नियम 13 (2) देखिए]

*मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति

.............**के लिए निर्वाचन

मैं,............, जो उपरिवर्णित निर्वाचन में† अभ्यर्थी हूं/...............का, जो उपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी है, निर्वाचन अभिकर्ता हूं, एतद्द्वारा ....[1][................(नाम और पता) को] ....में..... ....संख्यांक वाले †मतदान केन्द्र में/मतदान के लिए नियत स्थान ....में हाजिर रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं ।

स्थान......................

तारीख......................

†अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं ।

स्थान......................

तारीख......................

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

पीठासीन आफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरिवर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128†† द्वारा, * जो मैंने पढ़ ली है/जो मुझे पढ़कर सुना दी गई है, निषिध कोई बात न करूंगा ।

तारीख......................

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख......................

पीठासीन आफिसर

---

*मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए नियत स्थान में पेश किए जाने के लिए मतदान अभिकर्ता को दे दिया जाए ।

**यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए:—

(1) ....निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा ।

(2) ....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा ।

(3) ....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।

(4) ....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।

(5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद् ।

(6) ....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद् ।

†जो अनुकल्प समुचित न हो उसे काट दीजिए ।

††लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128—

"128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना—(1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा ।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।"

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 565(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।

FORM 11

[*See* rule 14(1)]

Revocation of Appointment of Polling Agent

Election to the*........................

To

The Presiding Officer,

I,..................[the election agent of..................] a candidate at the above election, hereby revoke the appointment of ....my/his polling agent.

Place..................

Date........... ....

Signature of person revoking

---

*Here insert one of the following alternatives as may be appropriate :—

(1) House of the People from the........................constituency.

(2) Legislative Assembly from the........................constituency.

(3) Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of..................(State).

(4) Council of States by the members of the electoral college of..................(Union territory).

(5) Legislative Council by the members of the Legislative Assembly.

(6) Legislative Council from the..................................constituency.

N.B.—Omit the words marked [ ] as necessary.

---

[1][FORM 12

(*See* rules 19 and 20)

Letter of intimation to Returning Officer

To

The Returning Officer for

Assembly/Parliamentary constituency.

Sir,

I intend to cast my vote by post at the ensuing election to the $\frac{\text{Legislative Assembly}}{\text{House of the people}}$ from the..................

......................................$\frac{\text{Assembly}}{\text{Parliamentary}}$ constituency.

My name is entered at S. No........................in Part No......................of the electoral roll for ....assembly constituency comprised within............................Parliamentary constituency.

The ballot paper may be sent to me at the following address :—

....

....

....

Yours faithfully,

Place....................

Date....................

................]

1Subs. by Notifn. No. S.O. 3662, dated the 12th October, 1964, for Form 12.

प्ररूप 11

[नियम 14(1) देखिए]

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

.............*के लिए निर्वाचन

प्रेषिती
पीठासीन आफिसर,

मैं, ..., जो उपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी [........................ का निर्वाचन अभिकर्ता]], अपने/उसके मतदान अभिकर्ता ....की नियुक्ति एतद्द्वारा प्रतिसंहृत करता हूं।

स्थान.......................
तारीख.......................   प्रतिसंहरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

---

*यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए—

(1) ....निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।
(2) ....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।
(3) ....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
(4) ....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
(5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।
(6) ....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

विशेष टिप्पण—[ ] से चिह्नित शब्द, यदि उन्हें छोड़ देना आवश्यक हो तो, छोड़ दीजिए।

---

[1][प्ररूप 12

[नियम 19 और 20 देखिए]

रिटर्निंग आफिसर को प्रज्ञापना पत्र

प्रेषिती—

............सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए

रिटर्निंग आफिसर

महोदय,

मैं........................ विधान सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा/लोक सभा के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना मत डाक द्वारा देना चाहता हूं।

मेरा नाम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र .... में समाविष्ट .... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० .... में क्रम सं० .... पर प्रविष्ट है।

मुझे मतपत्र निम्नलिखित पते पर भेजा जाए—

....
....
....

स्थान..............
तारीख..............

भवदीय

....

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 3602, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा प्ररूप 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][FORM 12A

[*See* rule 20(2)]

Application for Election Duty Certificate

To

The Returning Officer,

Assembly
..................——————constituency.
Parliamentary

Sir,

Legislative Assembly
I intend to cast my vote in person at the ensuing election to the——————————from the................
House of the people
constituency.

I have been posted on election duty within the constituency at............(No. and name of the polling station) but my name is entered at Serial No..........................Part No.........................of the electoral rolls for....................................assembly constituency comprised within............Parliamentary constituency.

I request that an Election Duty Certificate in Form 12B may be issued to enable me to vote at the polling station where I may be on duty on the polling day. It may be sent to me at the following address :—

....

....

....

....

Yours faithfully,

Place....................

Date....................

............]

FORM 12B

[*See* rules 20(2) and 35A]

Election Duty Certificate

Certified that.................................is an elector in the.....................................
Assembly
————————constituency, his electoral roll number being..................................that by reason of
Parliamentary
his being on election duty he is unable to vote at the polling station where he is entitled to vote and that the he is therefore hereby authorised to vote at any polling station [2][in the said constituency where] he may be on duty on the date of poll.

Signature................

Place..........

Date....................

SEAL

Returning Officer.

---

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 565(E), dated the 4th August, 1984.
2. Ins., *ibid.*

[1][प्ररूप 12क

[नियम 20(2) देखिए]

निर्वाचन कर्तव्य प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

प्रेषिती—

रिटर्निंग आफिसर,

विधान सभा
————निर्वाचन-क्षेत्र।
संसदीय

महोदय,

विधान सभा
मैं ....निर्वाचन-क्षेत्र से———————————के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना मत
लोक सभा
स्वयं देना चाहता हूं।

मुझे निर्वाचन-क्षेत्र में ....(मतदान केन्द्र का सं० और नाम) में निर्वाचन-कर्तव्य पर नियुक्त किया गया है किन्तु मेरा नाम ....संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट ....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० ....में क्रम सं० ....पर प्रविष्ट है।

मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे प्ररूप 12ख में एक निर्वाचन-कर्तव्य प्रमाणपत्र, उस मतदान केन्द्र से जहां मतदान के दिन मैं कर्तव्यारूढ़ रहूंगा, मत देने के लिए दिया जाए।

यह प्रमाणपत्र मुझे निम्नलिखित पते पर भेजा जाए:—

....
....
....

भवदीय,
....

स्थान..............
तारीख.............

प्ररूप 12ख

निर्वाचन-कर्तव्य प्रमाणपत्र

[नियम 20(2) और 35क देखिए]

विधान सभा
प्रमाणित किया जाता है कि ....——————...
संसदीय
निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक है, उनका निर्वाचक नामावली संख्यांक ....है, उसके निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ होने के कारण वह उस मतदान केन्द्र में, जहां वह मत देने का हकदार है, मत देने में असमर्थ है और इसलिए उसे [2][उक्त निर्वाचन-क्षेत्र में] किसी भी मतदान केन्द्र में, जहां मतदान के दिन वह कर्तव्यारूढ़ हो, मत देने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

हस्ताक्षर ....

स्थान ....
तारीख ....

रिटर्निंग आफिसर

मुद्रा

1. अधिसूचना सं० का० आ० 585(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अंतःस्थापित।
2. पूर्वोक्त द्वारा अन्तःस्थापित।

FORM 13A

[*See* rule 23(1)(a)]

Declaration by Elector

*Election to the** ....

(*This side is to be used only when the elector signs the declaration himself*)

I hereby declare that I am the elector to whom the postal ballot paper bearing serial number........................has been issued at the above election.

Signature of elector.

Date.....................................

Address...................

Attestation of signature

The above has been signed in my presence by.....................(elector) who** is personally known to me/has been identified to my satisfaction by............................(identifier) who is personally known to me.

Signature of Attesting Officer.

Signature of identifier, if any................................

Designation..........................

Address ....

Address... ....

Date ....

(*This side is to be used when the elector cannot sign himself*)

I hereby declare that I am the elector to whom the postal ballot paper bearing serial number............................ has been issued at the above election.

Signature of Attesting Officer on behalf of elector.

Date ....

Address of Elector.................

CERTIFICATE

I hereby certify that—

(1) the above named elector** is personally known to me/has been identified to my satisfaction by................. (identifier) who is personally known to me;

(2) I am satisfied that the elector** is illiterate/suffers from.................(infirmity) and is unable to record his vote himself or sign his declaration;

(3) I was requested by him to mark the ballot paper and to sign the above declaration on his behalf; and

(4) the ballot paper was marked and the declaration signed by me on his behalf in his presence and in accordance with his wishes.

Signature of Attesting Officer..............

Signature of identifier, if any............................

Designation ....

Address ....

Address ....

Date...

---

*Here insert one of the following alternatives as may be appropriate :—

(1) House of the People from the...constituency.

(2) Legislative Assembly from the ....constituency.

(3) Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of........................(State).

(4) Council of States by the members of the electoral college of..............................(Union territory).

(5) Legislative Council by the members of the Legislative Assembly.

(6) Legislative Council from the..............................constituency.

**Strike off the inappropriate alternative.

प्ररूप 13क

[नियम 23(1)(क) देखिए]

निर्वाचक द्वारा घोषणा

.............*के लिए निर्वाचन

(यह तरफ तभी उपयोग में लाई जाए जब निर्वाचक स्वयं घोषणा को हस्ताक्षरित करे)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं वह निर्वाचक हूं जिसे.......................... क्रम संख्यांक वाला डाक मतपत्र उपरिवर्णित निर्वाचन में जारी किया गया है।

तारीख.......................

निर्वाचक के हस्ताक्षर

पता.....................

हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन

उपरिवर्णित पर, ... (निर्वाचक) ने, जिसे **मैं स्वयं जानता हूं/या जिसे.............................. (पहचानने वाले) ने, जिसे मैं स्वयं जानता हूं, मेरे समाधानप्रद रूप में पहचाना है, मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं।

यदि कोई पहचानने वाला है तो उसके हस्ताक्षर..........................

पता.....................

अनुप्रमाणनकर्ता आफिसर
हस्ताक्षर
पदाभिधान.............
पता................
तारीख...............

(यह तरफ तब उपयोग में लाई जाए जब निर्वाचक स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकता)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं वह निर्वाचक हूं जिसे.................................क्रम संख्यांक वाला डाक मतपत्र उपरिवर्णित में जारी किया गया है।

तारीख..................

निर्वाचक की ओर से अनुप्रमाणनकर्ता आफिसर के हस्ताक्षर
निर्वाचक का पता..............

प्रमाणपत्र

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि—

(1) उपरिनामांकित निर्वाचक को ** मैं स्वयं जानता हूं/.................. (पहचानने वाले) ने, जिसे मैं स्वयं जानता हूं, मेरे समाधानप्रद रूप में पहचाना है।

(2) मेरा समाधान हो गया है कि निर्वाचक **निरक्षर है........................... (अंग-शैथिल्य) से ग्रस्त है और अपना मत स्वयं अभिलिखित करने में या अपनी घोषणा हस्ताक्षरित करने में असमर्थ है;

(3) उसने मुझसे प्रार्थना की थी कि उसकी ओर से मैं मतपत्र चिह्नित कर दूं और उपर्युक्त घोषणा पर हस्ताक्षर कर दूं; तथा

(4) मैंने उसकी उपस्थिति में और उसकी इच्छा के अनुसार उसकी ओर से मतपत्र चिह्नित किया है और घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।

यदि कोई पहचानने वाला है तो उसके हस्ताक्षर
....
पता..........................

अनुप्रमाणनकर्ता आफिसर के हस्ताक्षर...........
पदाभिधान....................
पता.........................
तारीख........................

*यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए—

(1) ....निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।

(2) ....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।

(3) ....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(4) ....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।

(6) ....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

**जो अनुकल्प लागू न हो, उसे काट दीजिए।

FORM 13B

See rule 23(1)(b)]

[1][*Cover A*]

A NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING
ELECTION

to the*..............................

POSTAL BALLOT PAPER

Serial number of ballot paper........................

*Appropriate particulars of the election to be inserted here.

FORM 13C

[*See* rule 23(1)(c)]

[1][*Cover B*]

(*To be used at an election to the House of the People for the Legislative Assembly of a State*)

COVER 'B'

["Every officer under whose care or through whom a postal ballot paper is sent shall ensure its delivery to the addressee without delay—Rule 23(4) of the Conduct of Elections Rules, 1961"]

[2][***SERVICE UNPAID]

ELECTION—IMMEDIATE

POSTAL BALLOT PAPER

For*..Constituency

(NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING)

To

The Returning Officer

Signature**...................................

of sender................ ....

*Returning Officer to insert here the name of the appropriate Parliamentary/Assembly Constituency.

**Returning Officer to mention here his full postal address.

[2][***Strike off in the case of an elector who is employed under the Government of India in a post outside India.]

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 565 (E), dated the 4th August, 1984.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 2362, dated 3rd July, 1970,

प्ररूप 13ख

[नियम 23(1)(ख) देखिए]

[1][लिफाफा क]

गणना से पूर्व न खोला जाए

क

..........................*के लिए

निर्वाचन

डाक मतपत्र

मतपत्र का क्रम संख्यांक.........

*निर्वाचन की समुचित विशिष्टियां यहां लिखिए।

प्ररूप 13ग

[नियम 23(1)(ग) देखिए]

[1][लिफाफा ख]

(लोक सभा या राज्य की विधान सभा के निर्वाचन में उपयोग में लाया जाए)

लिफाफा ख

["हर आफिसर, जिसकी देखरेख में या जिसके द्वारा डाक मतपत्र भेजा जाता है, यह सुनिश्चित करेगा कि वह पत्र सम्बोधित व्यक्ति को अविलम्ब परिदत्त कर दिया जाए--निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 23(4)"]

[2][***सरकारी बिना टिकट]

निर्वाचन-अविलम्ब

डाक मतपत्र

....*निर्वाचन पत्र के लिए

गणना से पूर्व न खोला जाए

प्रेषित—

रिटर्निंग आफिसर

**भेजने वाले के हस्ताक्षर

*रिटर्निंग आफिसर यहां पर समुचित संसदीय/विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम लिखें।

**रिटर्निंग आफिसर यहां पर अपना डाक का पता लिखें।

[2][***ऐसे निर्वाचक की दशा में, जो भारत से बाहर किसी पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित है, काट दीजिए।

1. अधिसूचना सं० का० आ० 565 (अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 2362, तारीख 3 जुलाई, 1970 द्वारा प्रतिस्थापित।

FORM 13C

[*See* rule 23(1)(c)]

[1][*Cover B*]

(*To be used at an election to the Council of States or to the Legislative Council of a State*)

B NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING

ELECTION —IMMEDIATE *...............

POSTAL BALLOT PAPER

The Returning Officer ....

**..

....

....

*Insert here Council of States or name of the Legislative Council or the appropriate Electoral College.

**Full postal address of the Returning Officer to be inserted here.

[1] Subs. by Notifn. No. S.O. 565(E), dated the 4th August, 1984.

प्ररूप 13ग

[नियम 23(1) (ग) देखिए]

[1][लिफाफा ख]

(राज्य सभा के लिए या राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन में उपयोग में लाया जाए)

गणना से पूर्व न खोला जाए

ख
निर्वाचन अविलम्ब *________
डाक मत पत्र
रिटर्निंग आफिसर ________
**........................
....
....
....

*यहां पर राज्य सभा या विधान परिषद् या समुचित निर्वाचकगण का नाम लिखिए।
**यहां पर रिटर्निंग आफिसर का पूरा पता लिखा जाए।

1. अधिसूचना सं० का० आ० 565(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][FORM 13D

[*See* rule 23(1)(d)]

INSTRUCTIONS FOR GUIDANCE OF ELECTORS

(To be used at an election to the House of the People or to the Legislative Assembly of a State)

Election to the*..................................from the..

The persons whose names are printed on the ballot paper sent herewith are candidates at the above election. Record your vote by placing clearly a mark opposite the name of the candidate to whom you wish to give your vote. The mark should be so placed as to indicate clearly and beyond doubt to which candidate you are giving your vote. If the mark is so placed as to make it doubtful to which candidate you have given your vote, your vote will be invalid.

The number of members to be elected is one. Please remember that you have only one vote. Accordingly you should not vote for more than one candidate. If you do so, your ballot paper will be rejected.

Do not put your signature or write any word or mark any mark, sign or writing whatsoever on the ballot paper other than the mark required to record your vote.

After you have recorded your vote on the ballot paper, place the ballot paper in the smaller cover marked 'A' sent herewith. Close the cover and secure it by seal or otherwise.

(1) You may then sign the declaration in Form 13A also sent herewith in the presence of a stipendiary magistrate and obtain the attestation of your signature by such stipendiary magistrate.

(2) If you are a member of the armed forces of the Union or of an armed police force of a State but is serving outside that State, the attestation may be obtained by such officer as may be appointed in this behalf by the Commanding Officer of the Unit, ship or establishment in which you or your husband, as the case may be, are employed.

(3) If you are employed under the Government of India in a post outside India the attestation may be obtained by such officer as may be appointed in this behalf by the diplomatic or consular representative of India in the country in which you are resident.

(4) If you hold an office like the office of the (i) President, (ii) Vice-President, (iii) Governors of States, (iv) Cabinet Ministers of the Union or of any State, (v) The Deputy Chairman and Members of the Planning Commission, (vi) The Ministers of State of the Union or of any State, (vii) Deputy Ministers of the Union of any State, (viii) The Speaker of the House of the People or of any State Legislative Assembly, (ix) The Chairman of any State Legislative Council, (x) Lieutenant Governors of Union territories, (xi) The Deputy Speaker of the House of the People or of any State legislative Assembly, (xii) The Deputy Chairman of the Council of States or of any State Legislative Council, (xiii) Parliamentary Secretaries of the Union or of any State, the attestation may be obtained by an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of the Union or the State, as the case may be.

(5) If you are on an election duty, attestation may be obtained by any gazetted officer or by the Presiding Officer of the polling station in which you are on election duty.

(6) If you are under preventive detention, the attestation may be obtained by the Superintendent of the jail or the Commandant of the detention camp in which you are under detention.

In all the above cases you may take the declaration to the authorised officer and sign it in his presence after he has satisfied himself about your identity. The officer will attest your signature and return the declaration to you. You must not show your ballot paper to the attesting officer nor tell him how you have voted.

If you are unable to mark the ballot paper and sign the declaration yourself in the manner indicated above by reason of illiteracy, blindness or other infirmity, you are entitled to have your vote marked and declaration signed on your behalf by any of the authorised officer mentioned above. Such an officer will, at your request mark the ballot paper in your presence and in accordance with your wishes. He will also complete the necessary certificate in this behalf.

After your declaration has been signed and your signature has been attested, place the declaration in Form 13A as also the smaller cover marked 'A' containing the ballot paper in the larger cover marked 'B'. After closing the larger cover, send it to the returning officer by post or by messenger. You have to give your full signature in the space provided on the

---

*Appropriate particulars of the election to be inserted here.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 961(E), dated the 29th December, 1986, for Form 13D.

[1][प्ररूप 13घ

[नियम 23(1)(घ) देखिए]

निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश

(लोक सभा या राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में उपयोग में लाया जाए)

.... मे ....के लिए निर्वाचन*

इसके साथ भेजे गए मतपत्र पर जिन व्यक्तियों के नाम मुद्रित हैं वे ऊपरवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं। आप जिस अभ्यर्थी को अपना मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने स्पष्ट रूप से चिह्न लगाकर अपना मत अभिलिखित करें। चिह्न इस प्रकार लगाएं जिससे स्पष्टतः और किसी शंका के बिना यह उपदर्शित हो जाए कि किस अभ्यर्थी को आपने अपना मत दिया है। यदि चिह्न इस प्रकार लगाया गया है जिससे यह शंका हो गई है कि किस अभ्यर्थी को आपने अपना मत दिया है तो आपका मत अविधिमान्य हो जाएगा।

निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है। कृपया यह भी याद रखें कि आपका केवल एक मत है। तदनुसार आपको एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए मत नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा करें तो आपका मतपत्र नामंजूर कर दिया जाएगा।

उस चिह्न के सिवाय, जिसे मतपत्र पर आपसे अपना मत अभिलिखित करने की अपेक्षा की गई है, उस पर आप न तो हस्ताक्षर करें, न कोई शब्द लिखें न कोई चिह्न या संकेत लगाएं और न कोई बात लिखें।

मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् मतपत्र को आप इसके साथ भेजे गए "क" चिह्नित छोटे लिफाफे मे रखें। लिफाफे को बंद कर दें और उसे मुद्रा लगाकर या अन्यथा सुनिश्चित रूप से बंद कर दें।

(1) तब आप प्ररूप 13क में की घोषणा को, जो इसके साथ भेजी जा रही है, किसी सांबलिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हस्ताक्षरित करें और अपने हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन ऐसे सांबलिक मजिस्ट्रेट से कराएं।

(2) यदि आप संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य हैं या राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य है किन्तु उस राज्य के बाहर सेवा कर रहे हैं तो अनुप्रमाणन उस आफिसर से कराएं जिसे उस यूनिट, पोत या स्थापन का कमान आफिसर इस निमित्त नियुक्त करे, जिसमें, यथास्थिति, आप या आपका पति नियोजित है।

(3) यदि आप भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित हैं तो ऐसे आफिसर से कराएं जिसे उस देश में जिसमें आप निवासी हैं, भारत का राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि इस निमित्त नियुक्त करें।

(4) यदि आप निम्नलिखित कोई पद धारण करते हैं, अर्थात्:—(i) राष्ट्रपति, (ii) उपराष्ट्रपति, (iii) राज्यों के राज्यपाल, (iv) संघ या किसी राज्य के मंत्रिमंडल के मंत्री, (v) योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य, (vi) संघ या किसी राज्य के राज्य मंत्री, (vii) संघ या किसी राज्य के उप मंत्री, (viii) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष, (ix) किसी राज्य विधान परिषद् का सभापति, (x) संघ राज्यक्षेत्र के उपराज्यपाल, (xi) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का उपाध्यक्ष, (xii) राज्य सभा या किसी राज्य विधान परिषद् का उपसभापति, (xiii) संघ या किसी राज्य के संसदीय सचिव, तो अनुप्रमाणन ऐसे आफिसर से कराएं जो, यथास्थिति, संघ या राज्य की सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का नहीं है।

(5) यदि आप निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ हैं तो अनुप्रमाणन किसी राजपत्रित आफिसर से या उस मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर से कराएं, जिसमें आप निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ हैं।

(6) यदि आप निवारक निरोध के अधीन हैं तो अनुप्रमाणन उस जिले के अधीक्षक से या उस निरोध शिविर के समादेशक से कराएं जिसमें आप निरोधाधीन हैं।

उपरोक्त सभी मामलों में आप घोषणा को प्राधिकृत आफिसर के पास ले जाएं और आपकी अनन्यता के बारे में जब उसका समाधान हो जाए तब उसकी उपस्थिति में उसे हस्ताक्षरित करें। आफिसर आपके हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित करेगा और घोषणा आपको लौटा देगा। आपको अपना मतपत्र अनुप्रमाणनकर्ता आफिसर को नहीं दिखाना चाहिए और न उसे यह बताना चाहिए कि आपने किसके पक्ष में मत दिया है।

यदि आप निरक्षरता, अन्धेपन या अन्य अंग शैथिल्य के कारण उस रीति से, जो ऊपर उपदर्शित है, स्वयं मतपत्र चिह्नित करने और घोषणा हस्ताक्षरित करने में असमर्थ हैं तो आप ऊपरलिखित किसी प्राधिकृत आफिसर द्वारा, अपनी ओर से अपना मत चिह्नित कराने और अपनी घोषणा हस्ताक्षरित कराने के लिए हकदार हैं। ऐसा आफिसर आपकी प्रार्थना पर आपकी उपस्थिति में और आपकी इच्छा के अनुसार मतपत्र चिह्नित करेगा। वह इस निमित्त आवश्यक प्रमाणपत्र भी भर कर पूरा कर देगा।

आपकी घोषणा हस्ताक्षरित किए जाने और आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित किए जाने के पश्चात आप प्ररूप 13क वाली घोषणा और साथ ही मतपत्र अन्तर्विष्ट करने वाला "क" चिह्नित छोटा लिफाफा, "ख" चिह्नित बड़े लिफाफे में रखें। बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात् आप उसे रिटर्निंग आफिसर को डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा भेज दें। आपको "ख" चिह्नित लिफाफे में उपबंधित स्थान पर पूरे हस्ताक्षर करने

---

*निर्वाचन की समुचित विशिष्टियां यहां अंतःस्थापित करें।

1. अधिसूचना सं० का० आ० 961(अ), तारीख 29 दिसम्बर 1986 द्वारा प्ररूप 13घ के स्थान पर प्रतिस्थापित।

cover marked 'B'. No postage stamp need be affixed by you, if the cover is posted in India. If, however, you are an elector employed under the Government of India in a post outside India, you should return the cover to the returning officer concerned direct by air mail service after the requisite postage stamp is duly affixed thereon by the office in which you are serving except where it is sent by diplomatic bag.

You must ensure that the cover reaches the returning Officer before*..

*on ....

Please note that:—

(i) if you fail to get your declaration attested or certified in the manner indicated above, your ballot paper will be rejected; and

(ii) if the cover reaches the returning officer after*..

on the* ....

your vote will not be counted.

---

*(Here specify the hour and date fixed for the commencement of counting of votes).

FORM 13 D

[*See* rule 23(1) (d)]

INSTRUCTIONS FOR THE GUIDANCE OF ELECTORS

(To be used at an election to the Council of States or to the Legislative Council of a State)

Election to the Council of States.......................................Legislative Council.

The persons whose names are printed on the ballot paper sent herewith are candidates at the above election. Record your vote by placing the figure 1 in the space opposite the name of the candidate to whom you want to vote. Place the figure 1 opposite the name of one candidate only *(although there are more members than one to be elected). You may indicate your relative preference for the other candidates by placing in the spaces opposite their names the figures 2,3, 4, etc., in order of such preference. Do not place more than one figure opposite the name of any candidate and do not place the same figure opposite the names of more candidates than one.

The number of members to be elected is..

After you have recorded your vote on the ballot paper, place the ballot paper in the smaller cover marked 'A' sent herewith. Close the cover and secure it by seal or otherwise.

You have then to sign the declaration in Form 13A also sent herewith in the presence of an officer competent to attest your signature. If you are under preventive detention the attestation of your signature on the declaration in Form 13A shall be obtained by the Superintendent of the jail or the Commandant of the detention camp in which you are under such detention. If you are not under preventive detention, the attestation may be obtained by a stipendiary magistrate to whom you are personally known or to whose satisfaction you have been identified, or in the case of an election to a Council Constituency by any of the following categories of officers who have been notified in this behalf by the Election Commission, namely:—

____

____

Take the declaration to any such officer and sign it in his presence after he has been satisfied about your identity. The officer will attest your signature and return the declaration to you. You must not show your ballot paper to the attesting officer nor tell him how you have voted.

If you are unable to mark the ballot paper and sign the declaration yourself in the manner indicated above by reason of illiteracy, blindness or other infirmity, you are entitled to have your vote marked and the declaration signed on your behalf by an officer competent to attest your signature. Such an officer will, at your request, mark the ballot paper in your presence and in accordance with your wishes. He will also complete the necessary certificate in this behalf.

After the declaration has been signed and your signature has been attested, place the declaration in Form 13A as also the smaller cover marked 'A' containing the ballot paper in the larger cover marked 'B'. After closing the larger cover, send it to the Returning Officer by registered post or by mesenger.

---

*To be deleted when only one member is to be elected.

हैं। यदि लिफाफा भारत में डाक से भेजा जाता है तो कोई भी डाक टिकट आपके द्वारा लगाया जाना आवश्यक नहीं है। किन्तु यदि आप ऐसे निर्वाचक हैं जो भारत के बाहर किसी पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित हैं तो उस दशा को छोड़कर, जिसमें यह लिफाफा राजनयिक डाक-थैले में भेजा जाता है, आपको चाहिए कि जिस कार्यालय में आप सेवा कर रहे हैं उसके द्वारा उस पर अपेक्षित डाक टिकट लगवाने के बाद उसे हवाई डाक से सीधे सम्बद्ध रिटर्निंग आफिसर को लौटा दें।

आप यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास ....*को ....*बजे से पूर्व पहुंच जाए।

कृपया यह भी ध्यान रखें कि—

(i) यदि आप अपनी घोषणा ऊपर उपदर्शित रीति से अनुप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा, तथा

(ii) यदि लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास ....*को ....*बजे के पश्चात् पहुंचेगा तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी।

---

*(यहां मतगणना के प्रारम्भ के लिए नियत समय और नियत तारीख विनिर्दिष्ट कीजिए)।

प्ररूप 13घ

[नियम 23 (1) (घ) देखिए]

निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश

(राज्य सभा के लिए या राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन में उपयोग में लाया जाए)

राज्य सभा/———————विधान परिषद् के लिए निर्वाचन।

इसके साथ भेजे गए मतपत्र पर जिन व्यक्तियों के नाम मुद्रित हैं उपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं। आप जिस अभ्यर्थी को मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने वाले स्थान में अंक 1 लगाकर अपना मत अभिलिखित करें *(यद्यपि एक से अधिक सदस्य निर्वाचित किए जाने हैं) अंक 1 केवल एक अभ्यर्थी के नाम के सामने लगाएं। अन्य अभ्यर्थियों के लिए अपने क्रमिक अधिमान का उपदर्शन आप उनके नाम के सामने वाले स्थान में ऐसे अधिमान के क्रमानुसार अंक 2, 3, 4 आदि लगाकर कर सकते हैं। किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने एक से अधिक अंक न लगाएं और एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने वही अंक न लगाए।

निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या ....

मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् मतपत्र को इसके साथ भेजे गए "क" चिह्नित छोटे लिफाफे में रखें। लिफाफे को बंद कर दें और उसे मुद्रा लगाकर या अन्यथा मजबूती से बंद कर दें।

अब आपको प्ररूप 13क में की घोषणा भी, जो इसके साथ भेजी जा रही है, ऐसे आफिसर की उपस्थिति में जो आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिए सक्षम है, हस्ताक्षरित करना है। यदि आप निवारक निरोध के अधीन हैं तो आप प्ररूप 13क में की घोषणा पर अपने हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन उसे जिले के अधीक्षक से या उस निरोध शिविर के समादेशक से कराएं जिसमें आप निरोधाधीन हैं। यदि आप निवारक निरोध के अधीन नहीं हैं तो अनुप्रमाणन ऐसे सांबलिक मजिस्ट्रेट से कराएं जो आपको स्वयं जानता है या जिसको समाधान करने वाले रूप में आपकी पहचान करा दी गई है या परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचन की दशा में निम्नलिखित कोटियों के आफिसरों में से किसी से कराएं जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए गए हैं, अर्थात्:—

घोषणा को किसी ऐसे आफिसर के पास ले जाइए और आपकी अनन्यता के बारे में जब उसने अपना समाधान कर लिया हो तब, उसकी उपस्थिति में उसे हस्ताक्षरित कीजिए। आफिसर आपके हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित करेगा और घोषणा आपको लौटा देगा। आपको अपना मतपत्र अनुप्रमाणकर्ता आफिसर को नहीं दिखाना चाहिए और न उसे यह बताना चाहिए कि आपने किसके पक्ष में मत दिया है।

यदि आप निरक्षरता, अंधेपन या अन्य अंग शैथिल्य के कारण उस रीति से, जो ऊपर उपदर्शित है, स्वयं मतपत्र चिह्नित करने और घोषणा हस्ताक्षरित करने में असमर्थ हैं तो आप किसी ऐसे आफिसर द्वारा जो आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिए सक्षम है, अपनी ओर से अपना मत चिह्नित कराने और अपनी घोषणा हस्ताक्षरित कराने के लिए हकदार हैं। ऐसा आफिसर आपकी प्रार्थना पर आपकी उपस्थिति में और आपकी इच्छा के अनुसार मतपत्र चिह्नित करेगा। वह इस निमित्त आवश्यक प्रमाणपत्र भी भर कर पूरा कर देगा।

आपकी घोषणा हस्ताक्षरित किए जाने और आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित किए जाने के पश्चात् आप प्ररूप 13क वाली घोषणा और साथ ही मतपत्र अंतर्विष्ट करने वाला "क" चिह्नित छोटा लिफाफा "ख" चिह्नित बड़े लिफाफे में रखें। बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात् आप उसे रिटर्निंग आफिसर को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा भेज दें।

---

*जब केवल एक सदस्य निर्वाचित होना है तब इसे काट दीजिए।

You must ensure that the cover reaches the returning officer before*.................................. ....
on the ....*.

Please note that—

(i) If you fail to get your declaration attested or certified in the manner indicated above your ballot paper will be rejected; and

(ii) if the cover reaches the returning officer after*...
on the ....*your vote will not be counted.

Any ballot paper on which the figure 1 is not marked or on which the figure 1 is set opposite the name of more than one candidate, or is so placed as to render it doubtful to which candidate it is intended to apply, or on which the figure 1 and some other figures are set opposite the name of the same candidate or on which the same figure is set opposite the name of more candidates than one or on which the signature of the elector is not duly attested or the number of which does not agree with the number of the ballot paper entered on the cover in which it is placed, will be rejected.]

---

*Here specify the hour and date fixed for the commencement of counting of votes.

आप यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास ....*को .... *बजे अपराह्न से पूर्व पहुंच जाए ।

कृपया यह भी ध्यान रखें कि—

(i) यदि आप अपनी घोषणा ऊपर उपदर्शित रीति से अनुप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहेंगे तो आपका मतपत्र प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा, तथा

(ii) यदि लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास ....*को ....*बजे अपराह्न के पश्चात् पहुंचेगा तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी ।

कोई मतपत्र, जिस पर अंक 1 चिह्नित किया गया है या जिस पर अंक एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने लगाया गया है या ऐसे लगाया गया है जिससे शंका हो जाती है कि वह किस अभ्यर्थी के लिए आशयित है, या जिस पर अंक 1 और कोई अन्य अंक उसी अभ्यर्थी के नाम के सामने लगाए गए हैं, या जिस पर वही अंक एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने लगाया गया है या जिस पर निर्वाचक के हस्ताक्षर सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित नहीं है, या जिसका संख्यांक उस लिफाफे में, जिसमें वह रखा गया है, प्रविष्ट मतपत्र के संख्यांक से मेल नहीं खाता है, प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा।]

*यहां मतगणना के प्रारम्भ के लिए नियत समय और नियत तारीख विनिर्दिष्ट कीजिए ।

FORM 14

List of Challenged Votes

(*See* rule 36(2)(c))

Election to the...................................from the..................constituency.*

[1][Polling Station Number and Name of Polling Station............... ......in...................Assembly constituency/Name of place of poll ....]

Serial Number of entry	Name of electoral	Serial Number of		Signature or thumb impression of the person challenged	Address of the person challenged	Name of identifier, if any	Name of challenger	Order of Presiding Officer	Signature of challenger on receving refund of deposit
		Part of roll	Elector's name in that part						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

Date..........

....

Signature of Presiding Officer.

*Appropriate particulars of the election to be inserted here.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 565 (E), dated the 4th August, 1984.

प्ररूप 14

प्रत्याक्षेपित मतों की सूची

[नियम 36 (2) (ग) देखिए]

······················ निर्वाचन-क्षेत्र से* ······················ के लिए निर्वाचन

1[······················ समूह निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम ······················ /मतदान के स्थान का नाम ······················]

प्रविष्टि का क्रम संख्या	निर्वाचक का नाम	नामावली के भाग का क्रम संख्यांक	उस भाग में निर्वाचक के नाम का क्रम संख्यांक	जिस व्यक्ति के खिलाफ प्रत्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	जिस व्यक्ति के खिलाफ प्रत्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का पता	यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम	प्रत्याक्षेप कर्ता का नाम	पीठासीन आफिसर का आदेश	निक्षेप का प्रतिदाय प्राप्त करने पर प्रत्याक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

तारीख ······················

······················
पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर

*निर्वाचन समुचित विशिष्टियां यहां लिखिए।

1. अधिसूचना सं० का० आ० 565 (अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][FORM 14A

[*See* rule 40(2) and rule 40A(2)]

List of Illiterate, Blind and Infirm Voters

Election to the..**..*from the ....constituency*/by the elected members**/members of the Legislative Assembly of.................. ....(State).

[2][Number and Name of Polling Station.. in ....Assembly constituency/Name of place of poll................]

Part No. & Serial No. of elector	Full name of elector	Full name of companion	Address of companion	Signature of companion

Date.......... ....

Signature of Presiding Officer.

†The word "illiterate" not applicable in the case of election from Assembly/Parliamentary constituency.

*Strike off whichever is inapplicable.

**Strike off whichever is inapplicable.]

---

1. [illegible] No. S.O. 2362, dated the 3rd July, 1970.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 565 (E), dated the 4th August, 1984

[1][प्ररूप 14क

[नियम 40(2) और नियम 40क(2) देखिए]

†निरक्षर, अन्धे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची

.... निर्वाचन-क्षेत्र से* .... (राज्य)

विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों/की सदस्यों द्वारा .... के लिए निर्वाचन ।

[2][.................... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम ....
मतदान के स्थान पर नाम ....]

निर्वाचक का भाग सं० और क्रम सं०	निर्वाचक का पूरा नाम	साथी का पूरा नाम	साथी का पूरा पता	साथी के हस्ताक्षर

तारीख ....

पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर]

†"निरक्षर" शब्द सभा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में लागू नहीं हैं ।

*जो लागू न हो, उसे काट दीजिए ।

**जो लागू न हो, उसे काट दीजिए ।

FORM 15

[*See* rule 42(2)]

List of Tendered Votes

Election to the*... .. .. from the...constituency.
[1][Number and Name of Polling Station...in...Assembly constituency/Name of place of poll..]

Part number, serial number and name of elector	Address of elector	Serial number of tendered ballot paper	Serial number of ballot paper issued to the person who has already voted	Signature or thumb impression of person tendering vote
1	2	3	4	5

Date.. Signature of Presiding officer

*Appropriate particulars of the election to be inserted here.
[1]Subs. by Notifn. No. S.O. 565(E), dated the 4th August, 1984.

प्ररूप 15

[नियम 42(2) देखिए]]

निविदत्त मतों की सूची

..................................निर्वाचन-क्षेत्र से...........................*के लिए निर्वाचन

[1][..........विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम ....]

निर्वाचक का भाग संख्यांक, क्रम संख्यांक और नाम	निर्वाचक का पता	निविदत्त मतपत्र का क्रम संख्यांक	जिस व्यक्ति ने पहले ही मतदान कर दिया है उसको दिए गए मतपत्र का क्रम संख्यांक	मत निविदत्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5

तारीख.......................

पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर

*निर्वाचन की समुचित विशिष्टियां यहां लिखिए।

1. अधिसूचना सं० का० आ० 565(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][FORM 16

[*See* rules 45, 56(7) and 56A(7)]

PART I.—*Ballot Paper Account*

Election to the........................ from the........................constituency.
Name of Assembly Segment ....
(in the case of election from a Parliamentary constituency)

No. and Name of Polling Station ....

	Serial Nos. From	Serial Nos. To	Total No.
1. Ballot papers received			
2. Ballot papers unused (*i.e.* not issued to voters)—			
(a) With the signature of Presiding Officer .			
(b) Without the signature of Presiding Officer			
*Total : (a+b)			
3. *Ballot papers used at the Polling Station (1—2=3)			
4. *Ballot papers used at the polling station but NOT INSERTED INTO THE BALLOT BOX:			
(a) Ballot papers cancelled for violation of voting procedure under rule 39 . . .			
(b) Ballot papers cancelled for other reasons .			
(c) Ballot papers used as tendered ballot papers			
*Total : (a+b+c)			
5. *Ballot papers to be found in the ballot box (3—4=5)			

*(Serial numbers need not be given)

Date..............................

Signature of the Presiding Officer.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 518(E), dated the 7th September, 1979.

[1][प्ररूप 16

[नियम 45, 56(7) और 56क(7) देखिए]

भाग 1—मतलेखा

.................................निर्वाचन-क्षेत्र से ....के लिए निर्वाचन

सभा खंड का नाम.................................

(संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में)

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम.........................

	क्रम संख्या से	क्रम संख्या तक	कुल संख्या
1. प्राप्त मतपत्र.................................			
2. उपयोग में न लाए गए मतपत्र (अर्थात् जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं):—			
(क) जिन पर पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर हैं			
(ख) जिन पर पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर नहीं हैं			
*जोड़ (क+ख)			
3. *मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए गए मतपत्र (1—2=3)			
4. *मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाए गए किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र :			
(क) नियम 39 के अधीन मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र			
(ख) अन्य कारणों से रद्द किए गए मतपत्र			
(ग) निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतपत्र			
*जोड़ (क+ख+ग)			
5. *मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र (3—4=5)			

*क्रम संख्यांक देने की आवश्यकता नहीं है ।

तारीख.........................

पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर

1. अधिसूचना सं० का० आ० 518(अ), तारीख 7 सितम्बर, 1979 द्वारा प्रतिस्थापित ।

PART II.—*Result of Counting*

I.	Name of candidate	Number of valid votes cast.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
etc.		
II. Rejected Ballot Papers		
III. TOTAL		
Whether the total number of ballot papers shown against item No. III above tallies with the total shown against item No. 5 of Part I or any discrepancy noticed between these two totals.		

Place..............................

Date.............................. Signature of the Counting Supervisor.

Place..............................

Date.............................. Signature of the Returning Officer.]

FORM 16A.—[*Omitted by Notifn. No. S.O. 518(E), dated 7th September,* 1979.]

(भाग 2 —गणना का परिणाम)

I. अभ्यर्थी का नाम	दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
आदि	
II. प्रतिक्षेपित म. ··	
III. कुल	

ऊपर मद संख्या III के सामने वर्णित मतपत्रों की कुल संख्या, भाग I की मद सं० 5 के सामने वर्णित कुल संख्या से मेल खाती है या नहीं अथवा क्या इन दोनों योगफलों के बीच कोई फर्क पाया गया है।

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

स्थान······················
तारीख·····················

(रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर)]

स्थान······················
तारीख·····················

[प्ररूप 16क—[अधिसूचना सं० का० आ० 518(अ), तारीख 7 सितम्बर, 1979 द्वारा लोप किया गया।]

[1][FORM 16

[*See* rules 45 and 55B(1)]

(To be used in constituencies specified under rule 59A)

Election to the..from the..constituency
Name of Assembly Segment ....
(in the case of election from a
Parliamentary constituency)
No. and Name of Polling Station ....

	Serial Nos. From	Serial Nos. To	Total No.
1. Ballot papers received			
2. Ballot papers unused (i.e. not issued to voters)—			
(a) With the signature of Presiding Officer			
(b) Without the signature of Presiding Officer			
*Total : (a+b)			
3. *Ballot papers used at the Polling Station (1−2=3)			
4. *Ballot papers used at the polling station but NOT INSERTED INTO THE BALLOT BOX:			
(a) Ballot papers cancelled for violation of voting procedure under rule 39			
(b) Ballot papers cancelled for other reasons			
(c) Ballot papers used as tendered ballot papes			
*Total : (a+b+c)			
5. *Ballot papers to be found in the ballot box (3−4=5)			

*(Serial numbers need not be given)

Date.......................................

Signature of the Presiding Officer

Part — II Result of Initial counting

1. Total number of ballot papers found in the ballot box(es) used at the polling station. . . . .
2. Discrepancy, if any, between the total number as shown against item 1 in this Part and the total number of ballot papers to be found in the ballot box(es) shown in item 5 of Part I . . . .

Date . . . .

Signature of Counting Supervisor

Signature of the Returning Officer]

1. Form 16A, ins by Notfn. No. S.O. 958(E), dt. 17-11-1989.

[1][प्ररूप 16क

[नियम 45 और 55ख(1) देखिए]

(नियम 59क के अधीन विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाए)

.... निर्वाचन-क्षेत्र से............................के लिए निर्वाचन

(सभा क्षेत्र का नाम ....

(संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में)

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम..

	क्रम संख्या		कुल संख्या
	से	तक	
1. प्राप्त मतपत्र__________			
2. उपयोग में न लाए गए मतपत्र (अर्थात् जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं):—			
(क) जिन पर पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर हैं			
(ख) जिन पर पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर नहीं हैं			
*जोड़ (क + ख)			
3. *मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए गए मतपत्र (1-2=3)			
4. *मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाए गए किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र:			
(क) नियम 39 के अधीन मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र			
(ख) अन्य कारणों से रद्द किए गए मतपत्र			
(ग) निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतपत्र			
*जोड़ (क + ख + ग)			
5. मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र (3-4=5)			

*(क्रम संख्यांक देने की आवश्यकता नहीं है)

तारीख............................ पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर

भाग 2

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी (मतपेटियों) में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या............................

2. इस भाग में मद 1 के सामने दर्शित कुल संख्या और भाग 1 की मद 5 में दर्शित [illegible] मतपत्रों की [illegible], यदि कोई हो।

तारीख.................. [illegible]

[illegible]]।

1. प्ररूप 16क अधिसूचना सं०का०आ० 958(अ), [illegible] 17-11-1989 द्वारा अंतःस्थापित।

Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)

FORM 17

[*See* rule 49(3)(f)]

Tendered Ballot Paper

Election to the*.. .. from the..constituency
....Serial number of Ballot paper................ .. ..
Polling Station.......................... .. ..
Name of elector..
Serial number of elector..in Part number.............. .. ..of the electoral roll
Address of elector ....
Name of candidate in whose favour vote is tendered..
Date..................................

*Appropriate particulars of the election to be inserted here.

प्रारूप 17

[नियम 49(3)(च) देखिए]

निविदत्त मतपत्र

................................निर्वाचन-क्षेत्र से ....*के लिए निर्वाचन।

मतपत्र का क्रम संख्यांक ....

मतदान केन्द्र ....

निर्वाचक का नाम ....

निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक .... में निर्वाचक का क्रम संख्यांक ....

निर्वाचक का पता ....

जिस अभ्यर्थी के पक्ष में मत निविदत्त किया गया है उसका नाम ....

तारीख ....

---

*निर्वाचन की समुचित विशिष्टियां यहां लिखिए।

[1][FORM—17A
(*See* Rule 49L)

REGISTER OF VOTERS

Election to the House of the People/Legislative Assembly of the State/Union territory..from...............................Constituency No. and Name of Polling Station..Part No. of Electoral Roll.........................
....

Sl. No.	Sl. No. of elector in the electoral roll	Signature/Thumb impression of elector	Remarks
1.			
2.			
3.			
4.			
etc.			

Signature of the Presiding Officer

FORM-17B
(*see* Rule 49P)
LIST OF TENDERED VOTES.

Election to the House of the People/Legislative Assembly of the State/Union territory..............
from ....
Constituency.
No. and Name of Polling Station...
Part No. of Electoral Roll...

Sl. No.	Name of elector	Sl. No. of elector in electoral roll	Sl. No. in Register of voters (Form 17A) of the person who has already voted in place of elector	Signature/Thumb impression of elector
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Date

Signature of the Presiding Officer

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 230(E), dated the 24th March, 1992.

[1] [प्ररूप 17क

(नियम 49ठ देखिए)

मतदाता रजिस्टर

______________ निर्वाचन क्षेत्र से ______________ लोक सभा/राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभा ______________ के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम ______________

निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक ______________

क्रम संख्यांक	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक	निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	टिप्पणियां
1.			
2.			
3.			
4.			

आदि

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 17ख

(नियम 49त देखिए)

निविदत्त मतों की सूची

______________ निर्वाचन क्षेत्र से ______________ लोक सभा/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम ______________

निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक ______________

क्रम संख्यांक	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक	उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में (प्ररूप 17क) क्रम संख्यांक जिसने निर्वाचक के बदले में पहले ही मतदान कर दिया है।	निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान
1				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9				
10.				

तारीख

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

1. अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 230(अ), तारीख 24 मार्च, 1992 द्वारा अंतःस्थापित।

FORM-17C

[*See* rule 49S and 56C (2)]

PART I-ACCOUNT OF VOTES RECORDED

Election to House of the People/Legislative Assembly of the State/Union territory..................
from ....
Constituency.
No. and Name of Polling Station ....
Identification No. of Voting Control Unit ....
Machine used at the Polling Station balloting Unit

1. Total No. of electors assigned to the Polling Station

2. Total No. of voters as entered in the Register for Voters (Form 17A)

3. No. of voters deciding not to record votes under rule 49 O

4. No of voters not allowed to vote under rule 49M

5. Total No. of votes recorded as per voting machine.

6. Whether the total No. of votes as shown against item 5 tallies with the total No. of voters as shown against item 2 minus Nos. of voters deciding not to record votes as against item 3 minus No. of Voters as against item 4 (2-3-4) or any discrepancy noticed.

7. No. of voters to whom tendered ballot papers were issued under rule 49P.

8. No. of tendered ballot papers.

Sl. No.
From to

(a) received for use ____________________
(b) issued to electors ____________________
(c) not used and returned ____________________

9. Account of papers seals
Sl. Nos.
From To

		Signature of Polling agents.
1.	Serial Numbers of paper seals Supplied From..............................to...........................	1. ____________ 2. ____________
2.	Total numbers supplied	3. ____________
3.	Number of paper seals used	4. ____________
4.	Number of unused paper seals return to Returning Officer (Deduct item 3 from item 2)	5. ____________ 6. ____________
5.	Serail number of damaged paper Seal, if any	

Date
Place

Signature of Presiding Officer
Polling Station No...........................

प्ररूप 17ग
[नियम 49भ और 56ग (2) देखिए]
भाग—1 अभिलिखित मतों का लेखा

....निर्वाचन क्षेत्र से...लोक सभा/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र संख्यांक और नाम ______________________________

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान नियंत्रण यूनिट
मतदान यूनिट

मशीन का पहचान संख्यांक

1. मतदान केन्द्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या
2. मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17क) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या
3. नियम 49(■) के अधीन मतदान अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या
4. नियम 49ड के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या
5. मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या
6. क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या
   घटा—मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या
   घटा—मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2-3-4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है
7. उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49त के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किए गए
8. निविदत्त मतपत्रों की संख्या

   क्रम संख्या
   ______________ से ______________ तक

   (क) प्रयोग के लिए प्राप्त ______________
   (ख) निर्वाचकों को जारी किए गए ______________
   (ग) प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए ______________
9. कागज की सीलों का लेखा

   क्रम संख्यांक
   ______________ से ______________ तक

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

1.	प्रदाय की गई कागज की सीलों के क्रम संख्यांक	1.
	से तक	2
2.	प्रदाय की गई सीलों की कुल संख्या	3
3.	प्रयुक्त कागज की सीलों की संख्या	4.
4.	रिटर्निंग आफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज की	5
	सीलों की संख्या (मद 3 में से मद 2 घटाइए)	6.
5.	नष्ट हुई कागजों की सीलों का क्रम संख्यांक, यदि कोई है	

तारीख
स्थान

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
मतदान केन्द्र सं० ______________

PART II- RESULT OF COUNTING

Sl No.	Name of Candidate	No. of Votes recorded
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
Total		

Whether the total nos. of votes shown above tallies with the total No. of votes shown aganist item 5 of Part I or any discrepancy noticed between the two totals.

Place..........
Date..........

Signature of Counting Supervisor
Name of candidate/election agent/counting agent
Full signature

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Place ....
Date ....

Signature of Returning Officer.]

भाग—2 मतगणना का परिणाम

क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	अभिलिखित मतों की संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
योग		

क्या ऊपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग 1 की मद 5 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल करती है या उनके दोनों कोणों में कोई फर्क दर्षित होता है।

स्थान ....

तारीख ....

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता का नाम
पूरे हस्ताक्षर

1.
2.
3.
4.
5.
6.

स्थान

तारीख

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर]

FORM 18

[*See* rule 52(2)]

Appointment of Counting Agents

Election to the.................................. .. ..from the ....constituency.

To

The Returning Officer,

I.....................*a candidate/the election agent of..who is a candidate at the above election, do hereby appoint the following persons as my counting agents to attend the counting of votes at... :

Name of the counting agent — Address of the counting agent

1.

2.

3.

etc.

We agree to act as such counting agents — Signature of *candidate/election agent.

1.

2.

3.

etc.

Place........................

Signature of counting agents.

Date........................

Declaration of Counting Agents

(*To be signed before the Returning Officer*)

We hereby declare that at the above election we will not do anything forbidden by section 128† of the Representation of the People Act, 1951, which *we have read /has been read over to us.

1.

2.

3.

etc.

Date..........................

Signature of counting agents.

Signed before me.

Date......................

Returning Officer.

---

*Strike off the inappropriate alternative.

†Section 128 of the Representation of the People Act, 1951 :—

"128. *Maintenance of secrecy of voting.*—(1) Every officer, clerk, agent or other person who performs any duty in connection with the recording or counting of votes at an election shall maintain and aid in maintaining, the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorised by or under any law) communicate to any person any information calculated to violate such secrecy.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine or with both.".

प्ररूप 18
[नियम 52(2) देखिए]
गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति

........................निर्वाचन-क्षेत्र से ....के लिए निर्वाचन ।

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

मैं ....*जो ऊपरवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं/........................
का, जो ऊपरवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी है, निर्वाचन अभिकर्ता हूं ....पर मतों की गणना में हाजिर रहने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को एतद्द्वारा अपने गणन अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त करता हूं।

गणन अभिकर्ता का नाम	गणन अभिकर्ता का पता
1.	
2.	
3.	
आदि	

*अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

हम ऐसे गणन अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं ।

1.
2.
3.
आदि

स्थान........................
तारीख........................

गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

गणन अभिकर्ताओं की घोषणा
(रिटर्निंग आफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाए)

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हम ऊपरवर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128† द्वारा, जिसे* हमने पढ़ लिया है/जो हमें पढ़कर सुना दी गई, निषिद्ध है कोई बात न करेंगे ।

1.
2.
3.
आदि

तारीख........................

गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई
तारीख........................

रिटर्निंग आफिसर

---

*जो अनुकल्प समुचित न हो उसे काट दीजिए ।

†लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128:—

"128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना—(1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को किसी (विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा ।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।"

FORM 19

[*See* rule 5[illegible]4)]

Revocation of Appointment of Counting Agent

Election to the ....*

To

The Returning Officer,

I, ... [the election agent of ....] a candidate at the above election hereby revoke the appointment of .... my/his counting agent.

Place ....

Date ....

Signature of person revoking.

---

*Here insert one of the following alternatives as may be appropriate :—

(1) House of the People from the .... constituency.

(2) Legislative Assembly from the .... constituency.

(3) Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of .... (State).

(4) Council of States by the members of the electoral college of .... (Union territory).

(5) Legislative Council by the members of the Legislative Assembly.

(6) Legislative Council from the .... constituency.

N.B.—Omit the words [ ] as necessary.

प्ररूप 19

[नियम 52(4) देखिए]

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

——————*के लिए निर्वाचन

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर

मैं ——————जो ऊपरवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी [——————————————का निर्वाचन अभिकर्ता] हूं, अपने/उसके गणन अभिकर्ता——————————की नियुक्ति एतद्द्वारा प्रतिसंहृत करता हूं।

स्थान————————————

तारीख————————————

————————————
प्रतिसंहरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

---

*यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए—

(1) ———————————— निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।

(2) ———————————— निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।

(3) ————————————(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(4) ————————————(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।

(6) ....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

ध्यान दीजिए—[ ] में निहित शब्द आवश्यकतानुसार छोड़ दीजिए।

[1][FORM 20

[*See* rule 56(7)]

Final Result Sheet

(*To be used for recording the result of voting at polling stations other than notified polling stations*)

Election to the ....

from the ....constituency.

PART I

(*To be used both for Parliamentary and Assembly elections*)

Name of the Assembly segment (in the case of election from a Parliamentary constituency).................................... Total No. of electors in Assembly constituency/segment........

Serial No. of Polling Station	No. of valid votes cast in favour of A	B	C	Total of valid votes	No. of rejected votes	Total	No. of tenderd votes
(1)							
(2)							
(3)							
etc.							
Total No. of votes recorded at Polling Stations.							
No. of votes recorded on postal ballot papers. (To be filled in the case of election from an Assembly constituency.)							
Total votes polled.							

Place......................

Date.....................

Returning Officer,

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 518(E), dated the 7th September, 1979.

[1][प्ररूप 20]

[नियम 56(7) देखिए]

अन्तिम परिणाम-पत्र

(अधिसूचित मतदान केन्द्रों से भिन्न मतदान केन्द्रों पर मतदान का परिणाम अभिलिखित करने के लिए उपयोग में लाया जाए)

——————————————निर्वाचन-क्षेत्र में

——————————————के लिए निर्वाचन

भाग 1

(संसदीय और विधान सभा दोनों निर्वाचनों के लिए उपयोग में लाया जाए)

सभा निर्वाचन-क्षेत्र खंड में निर्वाचकों की कुल संख्या ········ ·········

सभा खंड का नाम (संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में)····

मतदान केन्द्र की क्रम सं०	निम्नलिखित के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या क	ख	ग	कुल विधिमान्य मत	प्रतिक्षेपित मतों की संख्या	योग	निविदत्त मतों की संख्या
(1)							
(2)							
(3)							
आदि							
मतदान केन्द्रों पर अभिलिखित मतों की कुल संख्या							
डाक मतपत्रों पर अभिलिखित मतों की संख्या (सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में भरा जाए)							
डाले गए कुल मत							

स्थान························

तारीख························

रिटर्निंग आफिसर]

1. अधिसूचना सं० का० आ० 518(अ), तारीख 7 सितम्बर, 1979 [illegible]

PART II

(*To be used for a Parliamentary election only*)

Name of Assembly segment	No. of valid votes cast in favour of A	B	C	Total of valid votes	No. of rejected votes	Total	No. of tendered votes
1.							
2.							
3.							
etc.							
TOTAL							
No. of votes recorded on postal ballot papers.							
GRAND TOTAL							

Place........................

Date........................

Returning Officer.

भाग 2

(केवल संसदीय निर्वाचन के लिए उपयोग में लाया जाए)

सभा खण्ड का नाम	निम्नलिखित के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या			कुल विधिमान्य मत	प्रतिक्षेपित मतों की संख्या	योग	निविदत्त मतों की संख्या
	क	ख	ग				
1.							
2.							
3.							
आदि							
कुल							
डाक मतपत्रों पर अभिलिखित मतों की संख्या							
कुल जोड़							

स्थान————

तारीख————

रिटर्निंग आफिसर

[1][FORM 20A
[See rule 56A(7)]
Final Result Sheet

(To be used for recording the result of voting at polling stations in constituencies specified under Rule 59A)

Election to the ....
from the.. constituency.

following Station No.	Total votes found in the ballot box(es)	No. of tendered votes
(1)	....	....
(2)	....	....
(3)	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
Total		

1. Total number of valid votes recorded for candidates and of rejected ballot papers	Candidate's valid votes				Valid Votes Total	Number of rejected ballot papers	Valid and rejected votes Total
	A	B	C	D			
1st round	....	....	....	....	....	....	....
2nd round	....	....	....	....	....	....	....
3rd round	....	....	....	....	....	....	....
4th round	....	....	....	....	...	....	....
5th round	....	....	....	....	....	....	....
....							
....							
....							
TOTAL							
2. Total number of valid votes recorded on postal ballot papers for candidates and of rejected postal ballot papers ..	...	...	..	..	...	..	..
GRAND TOTAL							

Place.......................
Date........................

Returning Officer

(For Parliamentary elections only)

Name of assembly constituency	Candidates' valid votes				Valid Votes Total	Number of rejected ballot papers	Valid and rejected votes Total
	A	B	C	D			
I. 1	..	..	..	..	..	...	..
2	..	..	..	..	..	..	..
3 etc.	..	..	..	..	..	.	..
TOTAL							

1. Ins. by Noti. No. S.O. 958(E), dated 17-11-1989.

[1][प्ररूप 20क

अन्तिम परिणामपत्र

[नियम 56ख(7) देखिए]

(नियम 59क के अधीन विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर मतदान का परिणाम अभिलिखित करने के लिए उपयोग में लाया जाए)

......................निर्वाचन-क्षेत्र से
......................के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र सं०	मतपेटी (मतपेटियों) में पाए गए कुल मत	निविदत्त मतों की संख्या
(1)	.....	.....
(2)	.....	.....
(3)	.....	.....
....		
....	.....	.....
....	.....	.....
	.....	.....
जोड़		

1. अभ्यर्थियों के पक्ष में अभिलिखित विधिमान्य मतों और प्रतिपेक्षित मतपत्रों की कुल संख्या	अभ्यर्थियों के विधिमान्य मत				कुल विधिमान्य मत	प्रतिपेक्षित मतपत्रों की संख्या	कुल विधिमान्य और प्रतिक्षेपित मत
	क	ख	ग	घ			
पहला दौर	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
दूसरा दौर	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
तीसरा दौर	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
चौथा दौर	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
पांचवां दौर	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
जोड़							
2. अभ्यर्थियों के पक्ष में डाक मतपत्रों पर... अभिलिखित विधिमान्य मतों पर और प्रतिक्षेपित डाक मतपत्रों की कुल संख्या		...	...	...	...	...	
कुल जोड़							

स्थान................
तारीख...................

रिटर्निंग आफिसर

(केवल संसदीय निर्वाचन के लिए)

सभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	अभ्यर्थियों के विधिमान्य मत				कुल विधिमान्य मत	प्रतिक्षेपित मतपत्रों की संख्या	कुल विधिमान्य और प्रतिक्षेपित मत
	क	ख	ग	घ			
I. 1.	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....
3. आदि	....	....	....	....	....	....	....
जोड़							

1. अधिसूचना सं० का० आ० 958(अ), तारीख 17-11-1989 द्वारा अन्तःस्थापित।

II. Total number of valid votes recorded on postal ballot papers for candidates and of rejected postal ballot papers	..	..	..	..	..	..	..
GRAND TOTAL							

Place ....
Date ....

Returning Officer.]

II. अभ्यर्थियों के पक्ष में डाक मतपत्रों पर... ... ...
अभिलिखित विधिमान्य मतों और प्रतिक्षेपित
डाक मतपत्रों की कुल संख्या —

कुल जोड़

स्थान...............
तारीख.............. रिटर्निंग आफिसर]

FORM 20

(*See* rule 59)

Final Result Sheet

(*To be used for recording the result of voting at notified polling stations*)

Election to the*..................................

from the.......................................constituency.

Polling Station		Number of the ballot papers found in the ballot box of								Total for polling station			Number of tendered votes
Serial No.	Name	A		B		C		D					
		Valid	Rejected	Valid	Rejected	Valid	Rejected	Valid	Rejected	Valid	Rejected	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TOTAL													

Number of valid votes polled by					
	A	B	C	D	Total
Recorded at polling stations					
Recorded on postal ballot papers					
Total Votes polled					

Place......................

Date-.......................

Returning Officer.

*Appropriate particulars of the election to be inserted here.

प्ररूप 20

(नियम 59 देखिए)

अन्तिम परिणाम-पत्र

(अधिसूचित मतदान केन्द्रों पर मतदान का परिणाम अभिलिखित करने के लिए उपयोग में ला...)

.................................निर्वाचन-क्षेत्र से.................... ....*के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र		निम्नलिखित की मतपेटियों में पाए गए मतपत्रों की संख्या								मतदान केन्द्र के लिए जोड़			
क्रम संख्यांक	नाम	क	ख		ग		घ						निविदत्त मतों की संख्या
		विधिमान्य	प्रतिक्षेपित	विधिमान्य	प्रतिक्षेपित	विधिमान्य	प्रतिक्षेपित	विधिमान्य	प्रतिक्षेपित	विधिमान्य	प्रतिक्षेपित	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	11	12	13	14
जोड़ :													

निम्नलिखित को दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या

	क	ख	ग	घ	जोड़
मतदान केन्द्रों में अभिलिखित					
डाक-मतपत्रों पर अभिलिखित					
दिए गए कुल मत					

स्थान.......................

तारीख.......................

रिटर्निंग आफिसर

*निर्वाचन की समुचित विशिष्टियां यहां लिखिए।

[1][FORM 20A

[See rule 56A(7)]

Final Result Sheet

(To be used for recording the result of voting at polling stations in constituencies specified under Rule 59A)

Election to the ....

from the .... constituency.

following Station No.	Total votes found in the ballot box(es)	No. of tendered votes
(1)	....	....
(2)	....	....
(3)	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
Total		

1. Total number of valid votes recorded for candidates and of rejected ballot papers	Candidate's valid votes				Valid Votes Total	Number of rejected ballot papers	Valid and rejected votes Total
	A	B	C	D			
1st round	....	....	....	....	....	....	....
2nd round	....	....	....	....	....	....	....
3rd round	....	....	....	....	....	....	....
4th round	....	....	....	....	....	....	....
5th round	....	....	....	....	....	....	....
....							
....							
....							
TOTAL							
2. Total number of valid votes recorded on postal ballot papers for candidates and of rejected postal ballot papers ..	...	...	..	..	...	..	..
GRAND TOTAL							

Place.......................

Date.......................

Returning Officer

(For Parliamentary elections only)

Name of assembly constituency	Candidates' valid votes				Valid Votes Total	Number of rejected ballot papers	Valid and rejected votes Total
	A	B	C	D			
1. 1 ..	..	..	..	..	..	..	
2 ..	..	..	..	..	..	..	
3 etc. ..	..	..	..	..	..	..	
TOTAL							

1. Ins. by Notfn. No. S.O. 958(E), dated 17-11-1989.

[प्ररूप 20क

अन्तिम परिणामपत्र

[नियम 56ख(7) देखिए]

(नियम 59क के अधीन विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर मतदान का परिणाम अभिलिखित करने के लिए उपयोग में लाया जाए)

......................निर्वाचन-क्षेत्र से

......................के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र सं॰	मतपेटी (मतपेटियों) में पाए गए कुल मत	निविदत्त मतों की संख्या
(1)	.....	.....
(2)	.....	.....
(3)	.....	.....
....		
....	.....	.....
....	.....	.....
	.....	.....
जोड़		

1. अभ्यर्थियों के पक्ष में अभिलिखित विधिमान्य मतों और प्रतिपेक्षित मतपत्रों की कुल संख्या	अभ्यर्थियों के विधिमान्य मत				कुल विधिमान्य मत	प्रतिपेक्षित मतपत्रों की संख्या	कुल विधिमान्य और प्रतिक्षेपित मत
	क	ख	ग	घ			
पहला दौर	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
दूसरा दौर	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
तीसरा दौर	.....	.....	......	.....	.....	.....	.....
चौथा दौर	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
पांचवां दौर	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
जोड़							
2. अभ्यर्थियों के पक्ष में डाक मतपत्रों पर... अभिलिखित विधिमान्य मतों पर और प्रतिक्षेपित डाक मतपत्रों की कुल संख्या——	...	...	...	...	...		
कुल जोड़							

स्थान................

तारीख...................

रिटर्निंग आफिसर

(केवल संसदीय निर्वाचन के लिए)

सभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	अभ्यर्थियों के विधिमान्य मत				कुल विधिमान्य मत	प्रतिक्षेपित मतपत्रों की संख्या	कुल विधिमान्य और प्रतिक्षेपित मत
	क	ख	ग	घ			
I. 1.	....	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....	....
3. आदि	....	....	....	....	....	....	....
जोड़							

1. अधिसूचना सं॰ का॰ आ॰ 958(अ), तारीख 17-11-1989 द्वारा अन्तःस्थापित।

II. Total number of valid votes recorded on postal ballot papers for candidates and of rejected postal ballot papers	..	..	..	..	..	..	..
GRAND TOTAL							

Place ....
Date ....

Returning Officer.]

II. अभ्यर्थियों के पक्ष में डाक मतपत्रों पर.. अभिलिखित विधिमान्य मतों और प्रतिक्षेपित डाक मतपत्रों की कुल संख्या	...	...	...	...	...	...
कुल जोड						

स्थान................
तारीख..............

रिटर्निंग अधिकारी

[1][FORM 21]

(*See* rule 11(1))]

(*For use in General Election when seat is uncontested*

Declaration of the result of Election under sub-section (2)*/sub section (3)* of section 53 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the† :............

In pursuance of the provisions contained in sub-section (2)*/sub-section (3)* of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

.... (Name) [2][sponsored by ....

.... (Address) (name of the recognised/registered political party)]

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place.............. Signature.................

Date .... Returning Officer.

---

*Score out, if inappropriate.

†Here insert one of the following alternatives as may be appropriate:—

(1) House of the People from the...Parliamentary constituency in the State/Union territory of ....

(2) Legislative Assembly of the State/Union territory of.. from the ....Assembly constituency.

(3) Metropolitan Council of the Union territory of Delhi from the ....Metropolitan Council constituency.

---

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 4542, dated the 20th December, 1968 (w.e.f. 1-1-1969).
2. Ins. by Notifn. No. S.O. 565(E), dated the 4th August, 1984.

[[1]प्ररूप 21]

[नियम 11(1) देखिए]

साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान निर्विरोध हो

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2)*/उपधारा (3)* के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।
------------------------------†के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961, के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) */उपधारा (3)* में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि--

श्री/श्रीमती------------------------(नाम)
------------------------------(पता) [2][जो--------------(मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए थे/की गई थी उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान---------------------

तारीख- -------------------------

हस्ताक्षर---------

रिटर्निंग आफिसर

---

*जो समुचित न हो उसे काट दीजिए।

†यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए:--

(1)-------------------------राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के------------------संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।

(2)-------------------------विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा।

(3) -------------------------महानगर परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र की महानगर परिषद्।

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 4542, तारीख 20 दिसंबर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 565(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अन्तःस्थापित।

FORM 21A

[*See* rule 11(1)]

(*For use in General Election when seat is uncontested*)

Declaration of the result of Election under sub-section (2)*/sub-section (3)* of section 53 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the† ....

In pursuance of the provisions contained in sub-section (2)*/sub-section (3)* of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

.... (Name) [1][sponsored by ....(name of the

.... (Address) recognised/registered political party)]

.... (Name) [1][Sponsored by ....(name of the

.... (Address) recognised/registered Roltical party)]

has been/have been duly elected to fill the seat(s) in that House of ....**

.... member(s) retiring on ....

(date, month and year) on the expiration of their term of office.

Place........................ Signature ... .

Date .... Returning Officer,

*Score out, if inappropriate.

†Here insert one of the following alternatives as may be appropriate:—

(1) Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of ....
............................(State).

(2) Council of States by the members of the electoral college of ....
..........................(Union territory).

(3) Legislative Council of ....(State) by the members of the Legislative Assembly.

(4) Legislative Council of ....(State) from the ....(Local Authorities'/Graduates'/Teachers') constituency

**Fill up the number of members retiring.

[1] Ins. by Notifn. No. S.O. 555(E), dated the 4th August, 1984.

प्ररूप 21क

[नियम 11(1) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में प्रयोग के लिए जब स्थान निर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) */उपधारा (3)* के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।
—————————— †के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) */उपधारा (3) * में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं, कि—

श्री/श्रीमती————————————(नाम)

————————————————(पता) [1][जो——————(मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई है]

श्री/श्रीमती————————————(नाम)

————————————————(पता) [1][जो——————[1][मान्यताप्राप्त (रजिस्ट्रीकृत पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई है];

उस सदन में———— **सदस्य (सदस्यों) के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर————(तारीख, मास और वर्ष) को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान (स्थानों) को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं/हो गई हैं।

स्थान————————————

तारीख————————————

हस्ताक्षर————————————
रिटर्निंग आफिसर

---

*जो समुचित न हो उसे काट दीजिए।

†यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए।

(1) ————————————(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(2) ————————————(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(3) विधान सभा के सदस्यों द्वारा————————(राज्य) की विधान परिषद्।

(4) ————————————(स्थानीय प्राधिकारी/स्नातक/शिक्षक) निर्वाचन-क्षेत्र से————(राज्य) की विधान परिषद्।

**निवृत्त हो रहे सदस्यों की संख्या भरिए।

1. अधिसूचना सं० का० आ० [illegible] तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अंतःस्थापित।

FORM 21B

[*See* rule 11(*1*)]

(*For use in Election to fill a casual vacancy when seat is uncontested*)

Declaration of the result of Election under sub-section (2)*/sub-section (3)* of section 53 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the† ....

In pursuance of the provisions contained in sub-section (2)*/sub-section (3)* of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

.... (Name)

.... (Address) [1][sponsored by ....(name of the recognised registered political party)] has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the

*resignation of ....

*death of ....

*election of..having been declared void

*having become

*seat of...—————vacant.

*having been declared

Place.................. Signature ....

Date .... Returning Officer.

*Score out, if inappropriate.

†Here insert one of the following alternatives as may be appropriate:—

(1) House of the People from the ....Parliamentary constituency in the State/Union territory of ....

(2) Legislative Assembly of the State/Union territory of .... from the ....Assembly constituency.

(3) Metropolitan Council of Delhi from the..Metropolitan Council constituency.

(4) Council of States by the elected members of the Legislative Assembly..(State).

(5) Council of States by the members of the electoral college of..(Union territory)

(6) Legislative Council of .... (State) by the members of the Legislative Assembly.

(7) Legislative Council of .... (State) from the.............. ....(Local Authorities'/Graduates'/Teachers') constituency.

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 565(E), dated the 4th August, 1984.

प्ररूप 21ख

[नियम 11(1) देखिए]

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान निर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2)*/उपधारा (3)* के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

....†के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 1 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) */उपधारा (3)* से अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि:—

श्री/श्रीमती.......................(नाम)

...........................(पता) [1][जो ....(मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई हैं] उस सदन में,

श्री/श्रीमती..........................के पदत्याग के कारण*

श्री/श्रीमती.........की मृत्यु के कारण*

श्री/श्रीमती..........................का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिए जाने के कारण*

हो जाने के कारण*

श्री/श्रीमती..........................का स्थान रिक्त———————————

घोषित कर दिए जाने के कारण*

हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान............

तारीख............

हस्ताक्षर........................

रिटर्निंग आफिसर

---

*जो समुचित न हो उसे काट दीजिए।

†यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए—

(1) ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में.................संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में लोक सभा।

(2) ....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा।

(3) ....महानगर परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से दिल्ली की महानगर परिषद्।

(4) ....(राज्य) विधान सभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा राज्य सभा।

(5) ....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(6) विधान सभा के सदस्यों द्वारा..................(राज्य) की विधान परिषद्।

(7) ....(स्थानीय प्राधिकारी/स्नातक/शिक्षक) निर्वाचन-क्षेत्र से........राज्य की विधान सभा।

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 565(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अंतःस्थापित।

FORM 21C

(*See* rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the House of the People from the ....
Parliamentary constituency in ....(State/Union territory).

---

*Election to the Legislative Assembly of ....
State/Union territory) from..Assembly constituency.

---

*Election to the Metropolitan Council of Delhi from..
Metropolitan Council constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I delcare that—

.. ..(Name)

.... (Address) [1][sponsored by ....(name of the recognised/ registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place.................................. Signature ....

Date .... Returning Officer.

---

*Score out, if inappropriate.

---

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 565 (E), dated the 4th August, 1984.

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान अविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

*........................ (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) के ....

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन।

---

*.................. .... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से................................. (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

---

*............महानगर परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से दिल्ली की महानगर परिषद् के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि—

श्री/श्रीमती........................ (नाम)

....(पता) [1][जो......................(मान्यताप्राप्त रजिस्ट्रीकृत पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई।)

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान ....

तारीख ....

हस्ताक्षर ....
रिटर्निंग आफिसर

---

*जो समुचित न हो, उसे काट दीजिए।

---

1. अधिसूचना सं॰ का॰ आ॰ 565(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अंतःस्थापित।

FORM 21D

(*See* rule 64)

(*For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested*)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the House of the People from the..
Parliamentary constituency in..
(State/Union territory).

---

*Election to the Legislative Assembly of.. ..(State/Union territory)
from.. ....Assembly constituency.

---

*Election to the Metropolitan Council of Delhi from.... .. ..
Metropolitan Council constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

.... (Name)

....(Address) [1][sponsored by .. ..(name of the recognised/registered political party] has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the

*resignation of ....

*death of ....

*election of.. .. ..having been declared void.

*seat of .... *having become / *having been declared vacant.

Place......................................

Date ....

Signature ....

Returning Officer.

*Score out, if inappropriate.

---

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 565(E), dated the 4th August, 1984.

प्ररूप 21घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

.......................................(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) के............................संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन।

---

*...........विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से..........................(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

---

*..महानगर परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से दिल्ली की महानगर परिषद् के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि--

श्री/श्रीमती..........................(नाम)

..................................(पता) [1][जो........(मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई हैं।]

उस समय में

श्री/श्रीमती..........................के पद त्याग के कारण*

श्री/श्रीमती..........................की मृत्यु के कारण*

श्री/श्रीमती..........................का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिए जाने के कारण*

श्री/श्रीमती..........................का स्थान रिक्त हो जाने के कारण*/घोषित कर दिए जाने के कारण*

हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान............

तारीख..........

हस्ताक्षर...........

रिटर्निंग आफिसर

*जो समुचित न हो उसे काट दीजिए।

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 565(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अंतःस्थापित।

[1][FORM 21E]
(*See* rule 64)
Return of Election

[illegible] ....from the..............................constituency

Return of Election

[illegible]	Name of candidate	Party affiliation	Number of votes polled]

[3][Total number of electors..]
Total number of valid votes polled................................
Total number of rejected votes....................................
Total number of tendered votes....................................

I declare that—

....(name)

of..(address)

has been duly elected to fill the seat.

Place......................................

Date......................................

Returning Officer.

---

1. Renumbered by Notifn. No. S.O. 4542, dated the 20th December, 1968 (w.e.f. 1-1-1969).
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 565(E), dated the 4th August, 1984.
3. Ins., *ibid*.

[1][प्ररूप 21ङ]

(नियम 64 देखिए)

(निर्वाचन की विवरणी)

.... निर्वाचन-क्षेत्र से .... के लिए

निर्वाचन की विवरणी

[2][क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	संबद्ध पार्टी	डाले गए मतों की संख्या
....	....	....	
....	....	....	
....	....	....	
....	....	....	
....	....	....	
....	....	....	

*[मतदाताओं की कुल संख्या ....]

डाले गए विधिमान्य मतों की कुल संख्या ....

प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या ....

निविदत्त मतों की कुल संख्या ....

....

मैं घोषित करता हूं कि---

.... (नाम)

.... (पता)

....

उक्त स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान ....

तारीख ....

रिटर्निंग आफिसर

1. अधिसूचना सं० का०आ० 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) पुनःसंख्यांकित।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 565(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।
* पूर्वोक्त द्वारा अंतःस्थापित।

FORM 22

(*See* rule 66)

Certificate of Election

I, Returning Officer for the...Parliamentary/Assembly constituency in the State of...hereby certify that I have on the ....day of..............................19..........declared Shri..............................of................[1][Sponsored by.................(name of the recognised/ registered political party)] to have been duly elected by the said constituency [2][in the General Election/Bye-election] to be a member of the House of the People/Legislative Assembly and that in token thereof I have granted to him this certificate of election.

Place..

Date:..

....

Returning Officer,

for the.............................. Parliamentary

Assembly constituency.

SEAL

---

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 961(E), dated the 29th December, 1986.
2. Ins. by Notifn. No S.O. 565(E), dated the 4th August, 1984.

प्ररूप 22

(नियम 66 देखिए)

निर्वाचन का प्रमाण-पत्र

मैं,..................................(राज्य का नाम) राज्य के..................................संसदीय/विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने 19........................ के...के.............................में दिन को घोषित कर दिया है कि..................के..............[1][श्री/श्रीमती...................जो............ (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई ....है]..........[2][साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में] उक्त निर्वाचन-क्षेत्र द्वारा लोक सभा/विधान सभा के सदस्य सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं और इसके साक्ष्य-स्वरूप मैंने उनको यह निर्वाचन का प्रमाणपत्र अनुदत्त किया है।

...............संसदीय/विधान सभा
निर्वाचन-क्षेत्र के लिए

स्थान ....

....

तारीख..........

रिटर्निंग आफिसर

मुद्रा

1. अधिसूचना सं० का०आ० 961(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1986 द्वारा अंतःस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का०आ० 565(अ), तारीख 4 अगस्त 1984 द्वारा अंतःस्थापित।

[1][FORM 23

[*See* rule 84(1)(*a*)]

(For use in Biennial Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the*..

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

....(Name)
....(Address) [2][sponsored by........ (name of the recognised/registered political party)]

....(Name)
....(Address) [2][sponsored by................(name of the recognised/registered political party)]

**has been / **have been duly elected to fill the seat(s) in that House of a.............................†member(s) retiring on................................(date, month and year) on the expiration of their term of office.

Place........................ Signature................
Returning Officer]

Date.....................

*Here insert one of the following alternatives as may be appropriate :—

(1) Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of........................(State).

(2) Council of States by the members of the electoral college of.. (Union territory).

(3) Legislative Council of....................................(State) by the members of the Legislative Assembly.

(4) Legislative Council of.......................................(State) from the.................... (Local Authorities'/Graduates'/Teachers') constituency.

**Score out, if inappropriate.
†Fill up the number of members retiring.

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 4542, dated the 20th December, 1968 (w.e.f. 1-1-1969).
2. Ins. by Notifn. No. S.O. 565(E), dated, the 4th August, 1984.

[1][प्ररूप 23

[नियम 84(1)(क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

....*के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि--

श्री/श्रीमती........................(नाम)

........................(पता) [2][जो................(मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई हैं]

श्री/श्रीमती........................(नाम)

........................(पता) [2][जो................(मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई हैं।]

उस सदन में..†सदस्य (सदस्यों) के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर..(तारीख, मास और वर्ष) को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान (स्थानों) को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/हो गई हैं**।

स्थान...........

तारीख..........

हस्ताक्षर.............

[रिटर्निंग आफिसर]

---

*यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए--

(1) ....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(2)....................(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(3) विधान सभा के सदस्यों द्वारा ....(राज्य) की विधान परिषद

(4)....................(स्थानीय प्राधिकारी/स्नातक/शिक्षक) निर्वाचन-क्षेत्र से........................। ....(राज्य) की विधान परिषद्।

**जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

†निवृत्त हो रहे सदस्यों की संख्या भरिए।

---

1. अधिसूचना सं० का०आ० 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का०आ० 565(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अन्तःस्थापित।

FORM 23A

[*See* rule 84(1)(a)]

(*For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested*)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the†...

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

..............................(Name)

..................(Address) [1][sponsored by..........(name of the recognised/registered political party)] has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the

*resignation of...

*death of..............................

*election of...having been declared void.

*seat of..................*having become / *having been declared—vacant.

Place.....................................

Date........................

Signature.......................
Returning Officer.

†Here insert one of the following alternatives as may be appropriate :—

(1) Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of.................................(State).

(2) Council of States by the members of the electoral college of..(Union territory).

(3) Legislative Council of...................................(State) by the members of the Legislative Assembly.

(4) Legislative Council of...(State) from the...................., (Local Authorities*/Graduates*/Teachers*) constituency.

*Score out, if inappropriate.]

1. Ins. by Notfn. No. S.O. 565(E), dated the 4th August, 1984.

प्ररूप 23क

[नियम 84(1) (क) देखिए]

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

....†के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि--

श्री/श्रीमती................... (नाम)

.................................पता [1][जो.................(मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई हैं।]

उस सदन में

श्री/श्रीमती........................के पदत्याग के कारण*

श्री/श्रीमती...................की मृत्यु के कारण*

श्री/श्रीमती...................का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिए जाने के कारण*

श्री/श्रीमती......................घोषित कर दिए जाने के कारण/का स्थान रिक्त हो जाने के कारण*

हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं

स्थान............ हस्ताक्षर.............

तारीख........... रिटर्निंग आफिसर

---

†यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए--

(1) ....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(2) ....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(3) विधान सभा के सदस्यों द्वारा..................(राज्य) की विधान परिषद्।

(4) ....(स्थानीय प्राधिकारी/स्नातक/शिक्षक) निर्वाचन-क्षेत्र से.............राज्य की विधान परिषद्।

*जो समुचित न हो, उसे काट दीजिए।

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 565(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अंतःस्थापित।

[1][FORM 23B]

[2][*See* rule 84 (1)(b)]

Return of Election

Election to the Council of States.

Election to the Legislative Council by Members of Assembly/.. constituency.

The result of the poll and of the transfer of votes is as follows :—

Number of valid votes..

Number of members to be elected...

Quota (number of votes sufficient to secure the election of a candidate)........................

Names of candidates	First Count	Second Count		Third Count		Fourth Count		Name of elected candidates and order of election
	Votes polled by each candidate	Transfer of	Result	Transfer of	Result	Transfer of	Result	
Non-transferable papers								
Loss due to fractions								
TOTAL								

I declare that—

(1) (Name).......................................

(Address).......................

[3][Sponsored by...................(name of the recognised/registered political party)]

(2) (Name).......................

(Address)...............................

etc...has/have been duly elected.

(Signature)
Returning Officer

Dated the....................................day of..19 .

1. Renumbered by Notifn. No. S.O. 4542, dated the 20th December, 1968 (w.e.f. 1-1-1969).

2. Subs., *ibid*.

3. Ins. by Notifn. No. S.O. 961(E), dated the 29th December, 1986.

[1][प्ररूप 23ख]

[2][नियम 84(1) (ख) देखिए]

निर्वाचन की विवरणी

राज्य सभा के लिए निर्वाचन

विधान सभा के सदस्यों/..................... निर्वाचन-क्षेत्र द्वारा विधान परिषद् के लिए निर्वाचन।

मतदान और मतों के अन्तरण का परिणाम निम्नलिखित हैं--

विधिमान्य मतों की संख्या.............................

निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या...................

कोटा (अभ्यर्थी का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मतों की संख्या)...............

अभ्यर्थियों के नाम	प्रथम गणना	द्वितीय गणना	तृतीय गणना	चतुर्थ गणना	निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम और निर्वाचन क्रम
	हर एक अभ्यर्थी को मिले मत	निम्नलिखित का अन्तरण परिणाम	निम्नलिखित का अन्तरण परिणाम	निम्नलिखित का अन्तरण परिणाम	
अनन्तरणीय कागज-पत्रों के कारण हुई हानि					
जोड़					

मैं घोषणा करता हूं कि--

(1) श्री/श्रीमती................ (नाम)

.... (पता)

[3][जो... (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई है।]

(2) श्री/श्रीमती.............. (नाम)

.... (पता)

..................आदि सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं/हो गई हैं।

हस्ताक्षर..............

तारीख...................... 19.....

रिटर्निंग आफिसर

1. अधिसूचना सं० का०आ० 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) पुनःसंख्यांकित।
2. पूर्वोक्त द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं० का०आ० 961(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1986 द्वारा अंतःस्थापित।

FORM 24

(*See* rule 85)

Certificate of Election

I, Returning Officer for the election to the.. Council of States / Legislative Council

by the elected members of the..Legislative Assembly

.... Local Authorities' / Graduates' / Teachers' constituency/members of the.. Legislative Assembly

hereby certify that I have on the.. ....day of................... ...19.........

declared Shri..[1][Sponsored by............ ....

(name of the recognised/registered political party)] to have been duly elected to be a member

of the Council of States / Legislative Council and that in token thereof I have granted to him this certificate of election.

Place.....................................

Date.. .. ..

....

Returning Officer.

for the election to the Council of States/
Legislative Council.

Seal

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 96?(E), dated the 29th December, 1986.

प्ररूप 24

(नियम 85 देखिए)

निर्वाचन का प्रमाणपत्र

मैं,·································· विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों / स्थानीय प्राधिकारी

········ ····················निर्वाचन-क्षेत्र/···················विधान सभा के सदस्यों

स्नातक / शिक्षक

द्वारा राज्य सभा/································विधान परिषद् के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने 19··········के················के··················वें दिन यह घोषित कर दिया है कि [1][श्री/श्रीमती······························जो·························(मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ किए गए/की गई हैं]·······························राज्य सभा/विधान परिषद् के सदस्य सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं और इसके साक्ष्यस्वरूप मैंने उन्हें यह निर्वाचन का प्रमाणपत्र प्रदत्त किया है।

स्थान···················

तारीख·················

···············

रिटर्निंग आफिसर
राज्य सभा/विधान परिषद् के
निर्वाचन के लिए

मुद्रा

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 961(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1986 द्वारा अंतःस्थापित।

[1][FORM 25

(*See* rule 94A)

Affidavit

I,.. .. .., the petitioner in the accompanying election petition calling in question the election of Shri/Shrimati.......................... .. .. (respondent No. .. .. in the said petition) make solemn affirmation/oath and say—

(a) that the statements made in paragraphs.. .. .. of the accompanying election petition about the commission of the corrupt practice of*................. .. .. and the particulars of such corrupt practice mentioned in paragraphs ....of the same petition and in paragraphs.. ....of the Schedule annexed thereto are true to my knowledge;

(b) that the statements made in paragraphs................. ......of the said petition about the commission of the corrupt practice of*...................................... and the particulars of such corrupt practice given in paragraphs ....of the said petition and in paragraphs............................ .. ..of the Schedule annexed thereto are true to my information;

(c)

(d)

etc.

Signature of deponent.

Solemnly affirmed/sworn by Shri/Shrimati...
at...,this..day of..................19 .

Before me,

Magistrate of the first class/Notary/
Commissioner of Oaths.]

*Here specify the name of the corrupt practice.]

1. Added by [illegible] 592, dated the 27th [illegible] 1962.

[1][प्ररूप 25

[नियम 94क देखिए]

शपथ-पत्र

मैं, ...साथ भेजी जा रही निर्वाचन अर्जी में जो श्री/श्रीमती .... (उक्त अर्जी में प्रत्यर्थी संख्यांक ....) के निर्वाचन को प्रश्नगत करती है, का अर्जीदार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/शपथ लेता हूं और कहता हूं कि—

(क) साथ भेजी जा रही निर्वाचन अर्जी के पैरा .... में ....*के भ्रष्ट आचरण के करने की बाबत किए गए कथन और उसी अर्जी के पैरा .... में और उसके साथ उपाबद्ध अनुसूची के पैरा .... में बाबत ऐसे भ्रष्ट आचरण की विशिष्टियां मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य हैं;

(ख) उक्त अर्जी के पैरा .... में ....*के भ्रष्ट आचरण के करने की बाबत किए गए कथन और उक्त अर्जी के पैरा .... में और उसके साथ उपाबद्ध अनुसूची के पैरा... .... में दी गई भ्रष्ट आचरण की विशिष्टियां मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं;

(ग) ....

(घ) ....

आदि,

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

श्री/श्रीमती .... ने .... में 19... के आज ....वें दिन मेरे समक्ष उपर्लिखित प्रतिज्ञान किया/शपथ ग्रहण की।

प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/नोटरी/शपथ आयुक्त]

*यहां भ्रष्ट आचरण का नाम विनिर्दिष्ट कीजिए।

---

1. अधिसूचना सं० का० आ० 597, तारीख 27 जनवरी, 1962 द्वारा जोड़ा गया।

SCHEDULE

(*See* rule 83)

[1][Illustration of the procedure as to the counting of votes at an election on the single transferable vote system when more than one seat is to be filled.]

Assume that there are seven members to be elected, sixteen candidates, and one hundred and forty electors.

The valid ballot papers are arranged in separate parcels according to the first preference recorded for each candidate, and the papers in each parcel counted.—

Let it be assumed that the result is as follows :—

A	12
B	8
C	6
D	9
E	10
F	7
G	4
H	19
I	13
J	5
K	14
L	8
M	10
N	6
O	4
P	5
TOTAL	140

Each valid ballot paper is deemed to be of the value of one hundred and the values of the votes obtained by the respective candidates are as shown in the first column of the result sheet.

The values of all the papers are added together and the total 14,000 is divided by eight (*i.e.* the number which exceeds by one the number of vacancies to be filled) and 1,751 (*i.e.* the quotient 1,750 increased by one) is the number sufficient to secure the return of a member and is called the quota.

The operation may be shown thus :—

$$\text{Quota} = \frac{14,000}{8} + 1 = 1,750 + 1 = 1,751$$

The candidate H, the value of whose votes exceeds the quota, is declared elected.

As the value of the papers in H's parcel exceeds the quota, his surplus must be transferred. His surplus is 149, *i.e.*, 1,900 less 1,751.

The surplus arises from original votes, and therefore, the whole, of H's papers are divided into sub-parcels according to the next preferences recorded thereon, a separate parcel of the exhausted papers being also made. Let it be assumed that the result is as follows :—

	Papers
B is marked as next available preference on	7
D is marked as next available preference on	4
E is marked as next available preference on	4
F is marked as next available preference on	3
Total of unexhausted papers	18
No. of exhausted papers	1
Total of papers	19

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 3662, dated the 12th October, 1964.

अनुसूची

(नियम 83 देखिए)

[1][जब एक से अधिक स्थान भरे जाने हों तब निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से मतों की गणना के लिए प्रक्रिया का दृष्टांत ।]

मान लीजिए कि सात सदस्य निर्वाचित होने हैं, सोलह अभ्यर्थी हैं और एक सौ चालीस निर्वाचक हैं ।

विधिमान्य मतपत्र हर एक अभ्यर्थी के लिए अभिलिखित प्रथम अधिमान्य क्रम से पृथक्-पृथक् पार्सलों में रखे गए हैं और हर पार्सल में के मतपत्रों की गणना कर ली गई है ।

मान लिया जाए कि परिणाम निम्नलिखित रूप में है—

क	12
ख	8
ग	6
घ	9
ङ	10
च	7
छ	4
ज	19
झ	13
ञ	5
ट	14
ठ	8
ड	10
ढ	6
ण	4
त	5
जोड़	140

हर एक विधिमान्य मतपत्र की बाबत यह समझा जाता है कि उसका मूल्यांकन एक सौ है और क्रमागत अभ्यर्थियों द्वारा अभिप्राप्त मतों के मूल्यांकन वे हैं जो कि परिणामपत्र के प्रथम स्तम्भ में दर्शित हैं ।

सब मतपत्रों का मूल्यांकन एक साथ जोड़ा जाता है और 14,000 जोड़ को आठ से (अर्थात् उस संख्या से जो कि भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से एक अधिक है) भाग दिया जाता है और 1,751 (अर्थात् भागफल 1,750 में जोड़कर वह संख्या है जो सदस्य का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है और उसे कोटा कहा जाता है ।

यह प्रक्रिया ऐसे दर्शित की जा सकती है—

$$\text{कोटा} = \frac{14,000}{8} + 1 = 1,750 + 1 = 1,751$$

अभ्यर्थी ज, जिसके मतों का मूल्यांक कोटा से अधिक है, निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है ।

क्योंकि ज के पार्सल में के मतपत्रों का मूल्यांकन कोटा से अधिक है इसलिए उसके अधिशेष मत अन्तरित किए जाने चाहिए । उसका अधिशेष 149, अर्थात् 1,900 में से 1,751 घटाकर है ।

यह अधिशेष मूलमतों से पैदा होता है और इसलिए ज के सब मतपत्र उन पर अभिलिखित अगले अधिमानों के अनुरूप उप-पार्सलों में विभाजित किए जाते हैं और निश्शेषित मतपत्रों का एक पृथक् पार्सल भी बनाया जाता है ।

मान लिया जाए कि परिणाम निम्नलिखित है—

ख अगले उपलब्ध अधिमान के रूप में	7 मतपत्रों पर चिह्नित है
घ अगले उपलब्ध अधिमान के रूप में	4 मतपत्रों पर चिह्नित है
ङ अगले उलभ्य अधिमान के रूप में	4 मतपत्रों पर चिह्नित है
च अगले उपलब्ध अधिमान के रूप में	3 मतपत्रों पर चिह्नित है
अनिश्शेषित मतपत्रों का जोड़	18
निश्शेषित मतपत्रों की संख्या	1
मतपत्रों का जोड़	19

1. अधिसूचना सं० का० आ० [illegible]2, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा प्रतिस्थापित ।

The values of the papers in the sub-parcels are as follows :—

B	700
D	400
E	400
F	300
Total value of unexhausted papers	1,800
Value of exhausted papers	100
TOTAL VALUE	1,900

The value of the unexhausted papers is 1,800 and is greater than the surplus. This surplus is, therefore, transferred as follows :—

All the unexhausted papers are transferred, but at a reduced value, which is ascertained by dividing the surplus by the number of unexhausted papers.

The reduced value of all the papers, when added together, with the addition of any value lost as the result of the neglect of fractions, equals the surplus. In this case the new value of each paper transferred is

$$\frac{149 \text{ (the surplus)}}{18 \text{ (the number of unexhausted papers)}}$$

the residue of the value of each paper (100—8=92), being required by H for the purpose of constituting his quota, *i.e.*, one exhausted paper value (100) *plus* the value (1,656) of 18 unexhausted papers.

These values of the sub-parcels transferred are :—

B=56 (*i.e.*, seven papers at the value of 8);
D=32 (*i.e.*, four papers at the value of 8);
E=32 (*i.e.*, four papers at the value of 8);
F=24 (*i.e.*, three papers at the value of 8);

These operations can be shown on a transfer sheet as follows :

Transfer Sheet

Value of surplus (H's) to be transferred	149
Number of papers in H's parcel	19
Value of each paper in parcel	100
Number of unexhausted papers	18
Value of unexhausted papers	1,800

New value of each paper transferred

$$\frac{\text{Surplus}}{\text{number of unexhausted papers}} \quad \frac{149}{18} = 8$$

उप-पार्सलों में के मतपत्रों का मूल्यांकन निम्नलिखित रूप में है :—

ख	700
घ	400
ङ	400
च	300
अनिश्शेषित मतपत्रों का कुल मूल्यांक	1,800
निश्शेषित मतपत्रों का मूल्यांक	100
कुल मूल्यांक	1,900

अनिश्शेषित मतपत्रों का मूल्यांक 1,800 है और अधिशेष से अधिक है इसलिए यह अधिशेष निम्नलिखित रूप में अन्तरित किया जाता है :—

सब अनिश्शेषित मतपत्र अन्तरित किए जाते हैं, किन्तु अन्तरित किए जाते हैं न्यूनीकृत मूल्यांकन पर जो मूल्यांक अधिशेष को अनिश्शेषित मतपत्रों की संख्या से भाग देकर अभिनिश्चित किया जाता है।

जब सब मतपत्रों का न्यूनीकृत मूल्यांक एक साथ जोड़ा जाता है तब वह भिन्नों की उपेक्षा के फलस्वरूप जाते रहे किसी मूल्यांक के साथ जोड़े जाने पर अधिशेष के बराबर होता है। इस अवस्था में हर एक अन्तरित मतपत्र का नया मूल्यांक—

$$\frac{149 \text{ (अधिशेष)}}{18 \text{ (अनिश्शेषित मतपत्रों की संख्या)}}$$

हर एक मतपत्र के मूल्यांकन का शेष अर्थात् (100–8=92) जो अपना कोटा गठित करने के लिए ज द्वारा अपेक्षित है, अर्थात् एक निश्शेषित मतपत्र का मूल्यांक (100)+18 अनिश्शेषित मतपत्रों का मूल्यांक (1,656) है।

अन्तरित उप-पार्सलों के ये मूल्यांक:—

ख—56 (अर्थात् 8 मूल्यांक की दर से सात मतपत्र),

घ—32 (अर्थात् 8 मूल्यांक की दर से चार मतपत्र),

ङ—32 (अर्थात् 8 मूल्यांक की दर से चार मतपत्र),

च—24 (अर्थात् 8 मूल्यांक की दर से तीन मतपत्र),

ये क्रियाएं अन्तरण पत्र पर निम्नलिखित रूप में दर्शित की जा सकती हैं :—

अन्तरण-पत्र

अन्तरित किए जाने वाले ज के अधिशेष का मूल्यांक	149
ज के पार्सलों में मतपत्रों की संख्या	19
पार्सलों में हर एक मतपत्र का मूल्यांक	100
अनिश्शेषित मतपत्रों की संख्या	18
अनिश्शेषित मतपत्रों का मूल्यांक	1,800

हर एक अन्तरित मतपत्र का नया मूल्यांक = $\frac{\text{अधिशेष}}{\text{अनिश्शेषित मतपत्रों की संख्या}} = \frac{149}{18} = 8$

Names of Candidates marked as the next available preference	Number of papers to be transferred	Value of sub-parcels to be transferred
B	7	56
D	4	32
E	4	32
F	3	24
TOTAL	18	144
Number of exhausted papers	1	..
Loss of value owing to neglect of fractions	..	5
TOTAL	19	149

The values of the sub-parcels are added to the values of the votes already credited to the candidates B, D, E and F. This operation is shown on the result sheet.

There being no further surplus the candidate lowest on the poll has now to be excluded. G and O both have 400.

The Returning Officer casts lots and G is chosen to be excluded.

Being original votes, G's papers are transferred at the value of 100 each. A who was marked as next preference on two papers receives 200, while D and E were each next preference on one paper and receiving 100 each. O now being lowest is next excluded and his 400 is similarly transferred to I, B and K, I receiving 200 and B and K 100 each.

This leaves J and P lowest with 500 each and J is chosen by lot for exclusion first. His papers are transferred at the value of 100 each to A, B, D and I, the three first named receiving 100 each, and I who had the next preference on two papers receiving 200. P is then excluded and his papers are transferred to E, L and K, the two first named receiving 100 each, and K, who had the next preference on three papers, receiving 300.

K now exceeds the quota and is declared elected.

Prior to further exclusion, K's surplus of 49 has to be distributed.

The sub-parcel last transferred to K consisted of 3 votes transferred at the value of 100 each. This sub-parcel is examined; there are no exhausted papers and B, F, and I are each next preference on one paper and one paper is transferred to each of them at a reduced value determined by dividing the surplus (49) by the number of unexhausted papers (3), B, F and I accordingly receive 16 each.

अगले उपलभ्य अधिमान के रूप में चिह्नित अभ्यर्थियों के नाम		अन्तरित किए जाने वाले मतपत्रों की संख्याएं	अन्तरित किए जाने वाले उप-पार्सलों का मूल्यांकन
ख		7	56
घ		4	32
ङ		4	32
च		3	24
	जोड़	18	144
निश्शेषित मतपत्रों की संख्या		1	..
भिन्नों की उपेक्षा करने से जाते रहे मूल्यांक		..	5
	जोड़	19	149

उप-पार्सलों के मूल्यांक अभ्यर्थी ख, घ, ङ और च के नाम पहले से ही जमा किए गए मतों के मूल्यांक के साथ जोड़े जाते हैं। यह क्रिया परिणामपत्र पर दर्शित की जाती है।

अतिरिक्त अधिशेष न होने पर अब उस अभ्यर्थी को, जो मतदान में निम्नतम स्थान रखता है, अपवर्जित किया जाता है। छ और ण दोनों के 400 मूल्यांक हैं।

रिटर्निंग आफिसर लाट डालता है और छ अपवर्जित किए जाने के लिए चुना जाता है।

मूल मत होने के कारण छ के मतपत्र प्रति मतपत्र 100 मूल्यांक से अन्तरित किए जाते हैं। क, जो दो मतपत्रों में अगले अधिमान के रूप में चिह्नित किया गया था, 200 मूल्यांक प्राप्त करता है जबकि घ और ङ को जो दोनों एक मतपत्र पर अगले अधिमान के रूप में चिह्नित किए गए हैं, हर एक को 100 मूल्यांक प्राप्त होते हैं। अब निम्नतम होने के कारण ण आगे अपवर्जित किया जाता है और उसके 400 मूल्यांक इसी प्रकार झ, ख और ट को अन्तरित किए जाते हैं, झ को 200 मूल्यांक प्राप्त होते हैं और ख और ट में से हर एक को 100 मूल्यांक प्राप्त होते हैं।

परिणामस्वरूप ञ और त में से हर एक को 500 मूल्यांक मिलते हैं और वे निम्नतम रह जाते हैं और लाट द्वारा पहले ञ अपवर्जन के लिए चुना जाता है। उसके मतपत्र 100 मूल्यांक प्रति मतपत्र से क, ख, घ और झ को अन्तरित किए जाते हैं, पहले नामांकित तीन व्यक्तियों में से हर एक को 100 मूल्यांक प्राप्त होते हैं और झ को, जो दो मतपत्रों पर अगले अधिमान के रूप में चिह्नित है, 200 मूल्यांक प्राप्त होते हैं। त्र अपवर्जित कर दिया जाता है और उसके मतपत्र ङ, ठ और ट को अन्तरित किए जाते हैं, पहले नामांकित दो व्यक्तियों में से हर एक को 100 मूल्यांक प्राप्त होते हैं और ट को, जो तीन मतपत्रों पर अगले अधिमान के रूप में चिह्नित है, 300 मूल्यांक प्राप्त होते हैं।

ट अब कोटा पार कर गया है और इसलिए यह निर्वाचित घोषित किया जाता है।

आगे अपवर्जन के पूर्व ट का अधिशेष 49 वितरित किया जाता है।

ट को अन्तिम बार अन्तरित उप-पार्सल में प्रति मतपत्र 100 मूल्यांक से अन्तरित 3 मत हैं। इस उप-पार्सल की परीक्षा की जाती है। उसमें कोई निश्शेषित मतपत्र नहीं है और ख, च और झ में से हर एक मतपत्र पर अगले अधिमान के रूप में चिह्नित है और उनमें से हर एक को एक मतपत्र उस न्यूनीकृत मूल्यांक, जो कि अधिशेष (49) को अनिश्शेषित मतपत्र (3) की संख्या से भाग देकर अवधारित किया जाता है, अन्तरित किया जाता है। ख, च और झ में से हर एक को तदनुसार 16 प्राप्त होते हैं।

The process of exclusion is now proceeded with.

C and N have 600 each, and C is chosen by lot for exclusion first. He has 6 original votes; B, D and E are each next preference on two papers, and each receives 200. N is then excluded, A is next preference on 3 of his papers, and receives 300; F, I and L are each next preference on one paper and receive 100 each.

This brings A and I above the quota and they are declared elected. Their surplus have now to be distributed and I's surplus which is the larger, 65, is dealt with first.

The last sub-parcel transferred to I consisted of one paper transferred at the value of 100, D is next preference on this paper, and receives the whole surplus of 65.

A's surplus of 49 is then dealt with. The last sub-parcel transferred to him consisted of 3 papers transferred at the value of 100 each. B was next preference on two of these papers and E on one, and the papers are transferred accordingly. The value to be transferred is 16 per paper, *i.e*, the surplus (49), divided by the number of the unexhausted (3). B accordingly receives 32 and E 16.

No other candidate having reached the quota, the process of exclusions is proceeded with, and F who is now lowest with 840, is excluded.

His seven original votes are transferred first. B, D and E are next preference on three, two and two papers, respectively, and receive respectively 300, 200 and 200.

The transferred votes are next transferred in the order of their transfers to F. The 3 votes received at the value of eight each at the distribution of H's surplus are transferred at the same value to L who was next preference on all 3 papers.

The vote valued at sixteen received by F at the distribution of K's surplus, goes at the same value to M, who was next preference on that paper. The vote transferred at the value of 100 on the exclusion of N is then transferred at the same value to D, who thus received a total of 300.

No continuing candidate having reached the surplus, N, who is now lowest with 1016 is excluded.

His ten original votes are transferred first. B and D are first preference on three papers each and E and L on two each. B and D accordingly receive 300 each, and E and L 200 each. This brings B, D and E above the quota and they are declared elected. The requisite number of candidates having now been elected, the election is at an end, and it is unnecessary to proceed to the transfer of M's transferred votes.

Full details are shown in the result sheet.

अपवर्जन की प्रक्रिया अब आगे चलाई जाती है।

ग और ढ में से हर एक के 600 मूल्यांक हैं, और ग लाट द्वारा पहले अपवर्जित किए जाने के लिए चुना जाता है। उसके 6 मूल मत हैं, इसमें से दो मतपत्रों पर ख, घ और ङ में से हर एक अगले अधिमान के रूप में चिह्नित है और हर एक 200 मूल्यांक प्राप्त करता है। ढ तब अपवर्जित किया जाता है; क उसके मतपत्रों में से 3 पर अगले अधिमान के रूप में चिह्नित है और 300 मूल्यांक प्राप्त करता है, ख, झ और ढ में से प्रत्येक एक मतपत्र पर अगले अधिमान के रूप में चिह्नित है और हर एक 100 मूल्यांक प्राप्त करता है।

परिणामस्वरूप क और झ कोटा से ऊपर पहुंच जाते हैं और वे निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। उनके अधिशेष को अब वितरित किया जाना है और अधिक होने के कारण झ के अधिशेष 65 की बाबत पहले कार्यवाही की जाती है।

झ को अन्तरित अन्तिम उप-पार्सल में एक मतपत्र है जो 100 मूल्यांक पर अन्तरित किया जाता है, ख इस मतपत्र पर अगले अधिमान के रूप में चिह्नित है और उसे 65 का सारा अधिशेष प्राप्त हो जाता है।

तब क के अधिशेष 49 की बाबत कार्यवाही की जाती है। उसे अन्तरित अन्तिम उप-पार्सल में प्रति मतपत्र 100 मूल्यांक से अन्तरित 3 मतपत्र हैं। इन मतपत्रों में से दो पर ख अगले अधिमान के रूप में चिह्नित है और ङ एक पर है और तदनुसार ये मतपत्र अन्तरित किए जाते हैं। अन्तरित किए जाने वाले मूल्यांक प्रति मतपत्र 16 है, अर्थात् अधिशेष (49) को अनिश्शेषित मतपत्र (3) की संख्या द्वारा विभक्त करके ख को तदनुसार 32 मूल्यांक प्राप्त होते हैं और ङ को 16 मूल्यांक।

किसी अन्य अभ्यर्थी के कोटा तक न पहुंचने के कारण अपवर्जन की प्रक्रिया आगे चलाई जाती है और च जो 840 मूल्यांक के कारण अब निम्नतम है अपवर्जित किया जाता है।

उसके 7 मूल मत पहले अन्तरित किए जाते हैं। तीन, दो और दो मतपत्रों पर क्रमश: ख, घ और ङ के अगले अधिमान के रूप में चिह्नित हैं और क्रमश: 300, 200 और 200 मूल्यांक प्राप्त करते हैं।

अन्तरित मत अपने अन्तरित किए जाने के क्रम में च को अन्तरित किए जाते हैं। ज के अधिशेष के वितरण में प्रति मतपत्र आठ मूल्यांक से प्राप्त 3 मत उसी मूल्यांक पर ठ को अन्तरित किए जाते हैं। जो सभी तीन मतपत्रों पर अगले अधिमान के रूप में चिह्नित था।

ट के अधिशेष के वितरण में च द्वारा सोलह मूल्यांक वाले प्राप्त मत उसी मूल्यांक पर ङ को जाते हैं जो उस मतपत्र पर अगले अधिमान के रूप में चिह्नित था। द के अपवर्जन पर 100 के मूल्यांक पर अन्तरित मत उसी मूल्यांक पर घ को अन्तरित किया जाता है जो इस प्रकार कुल 300 मूल्यांक प्राप्त करता है।

किसी बने रहने वाले अभ्यर्थी द्वारा अभी तक अधिशेष तक न पहुंचने के कारण ढ, जो अब 1016 मूल्यांक के कारण निम्नतम है, अपवर्जित किया जाता है।

उसके दस मूल मत पहले अन्तरित किए जाते हैं। ख और घ में से हर एक तीन मतपत्रों पर प्रथम अधिमान के रूप में चिह्नित है और ङ और ठ में से हर एक दो मतपत्रों पर ख और घ में से हर एक को तदनुसार 300 मूल्यांक प्राप्त होते हैं और ठ में से हर एक को 200 मूल्यांक प्राप्त होते हैं। परिणामस्वरूप ख, घ और ङ कोटा से ऊपर पहुंच जाते हैं और वे निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या के अब निर्वाचित हो जाने पर निर्वाचन समाप्ति पर है और ङ के अन्तरित मतों के अन्तरण के लिए आगे कार्यवाही करना आवश्यक है।

परिणाम पत्र में पूरे-पूरे ब्यौरे दर्शित किए गए हैं।

Value of votes : 14,000

RESULT SHEET

Quota = $\frac{14,000}{8} + 1 = 1,751$

Name of candidates	Value of votes at first count	Distribution of H'S' surplus	Result	Distribution of votes of G and O	Result	Distribution of votes of J and P	Result	Distribution of K's surplus
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	1,200	..	1,200	+200	1,400	+100	1,500	..
B	800	+56	856	+100	956	+100	1,056	+16
C	600	..	600	..	600	..	600	..
D	900	+32	932	+100	1,032	+100	1,132	..
E	1,000	+32	1,032	+100	1,132	+100	1,232	..
F	700	+24	724	..	724	..	724	+16
G	400	..	400	—400	..	..	..	..
H	1,900	—149	1,751	..	1,751	..	1,751	..
I	1,300	..	1,300	+200	1,500	+200	1,700	+16
J	500	..	500	..	– 500	500	..	..
K	1,400	..	1,400	+100	1,500	+300	1,800	—49
L	800	..	800	..	800	+100	900	..
M	1,000	..	1,000	..	1,000	..	1,000	..
N	600	..	600	..	600	..	600	..
O	400	..	400	—400	..	..	..	..
P	500	..	500	..	—500	500	..	..
Loss of value by neglect of fraction	..	+5	5	..	5	..	5	+1
TOTAL . ..	14,000	..	14,000	..	14,000	..	14,000	..

परिणाम-पत्र

मतों का मूल्यांक 14,000

कोटा $= \frac{14,000}{8} + 1 = 1,751$

अभ्यर्थी का नाम	पहली गणना में मतों का मूल्यांक	ज के अधिशेष का वितरण	परिणाम	छ और ण के मतों का वितरण	परिणाम	ञ और त के मतों का वितरण	परिणाम	ट के अधिशेष का वितरण
1.	2	3	4	5	6	7	8	
क	1,200	—	1,200	+200	1,400	+100	1,500	—
ख	800	+56	856	+100	956	+100	1,056	+19
ग	600	—	600	—	600	—	600	—
घ	900	+32	932	+100	1,032	+100	1,132	—
ङ	1,000	+32	1,032	+100	1,132	+100	1,232	—
च	700	+24	724	—	724	—	724	+16
छ	400	—	400	+400	—	—	—	—
ज	1,900	—149	1,751	—	1,751	—	1,751	—
झ	1,300	—	1,300	+200	1,500	+200	1,700	+16
ञ	500	—	500	—	500	—500	—	—
ट	1,400	—	1,400	+100	1,500	+300	1,800	—49
ठ	800	—	800	—	800	+100	900	—
ड	1,000	—	1,000	—	1,000	—	1,000	—
ढ	600	—	600	—	600	—	600	—
ण	400	—	—400	—400	—	—	—	—
त	500	—	500	—	500	—500	—	—
भिन्नों की उपेक्षा से जाते रहे मूल्यांक	—	+5	5	—	5	—	5	+1
जोड़	14,000	—	14,000	—	14,000	—	14,000	—

Value of votes : 14,000

RESULT SHEET—*contd.*

$$\text{Quota} = \frac{14,000}{8} + 1 = 1,751$$

Result	Distribution of votes of C and N	Result	Distribution of surplus of I and A	Result	Distribution of F's votes	Result	Distribution of M's votes	Result	Result of Election
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1500	+300	1,800	+49	1,751	..	1,751	..	1,751	Elected
1,072	+200	1,272	+32	1,304	+300	1,604	+300	1,904	Elected
600	—600	..	..	..	..	..	..	..	Not Elec
1,132	+200	1,332	+65	1,397.	+300	1,697	+ C0	1,99	Elected
1,232	+200	1,432	+16	1,448	+200	1,648	+200	1,848	Elected
740	+100	840	..	840	—840	..	..	..	Not Elected
..	..	...	..	..	..	..	..	..	Not Elected
1,751	..	1,751	..	1,751	..	1,751	..	1,751	Elected
1,716	+100	1,816	—65	1,751	..	1,751	..	1,751	Elected
..	..	..	..	..	..	..	..	..	Not Elected
1,751	..	1,751	..	1,751	..	1,751	..	1,751	Electeced
900	+100	1,000	..	1,000	+24	1,024	+200	1,224	Not Elected
1,000	..	1,000	..	1,000	+16	1,016	1,000	+16	Not Elected
600	—600	..	..	..	..	..	..	..	Not Elected
..	..	..	..	..	..		..	..	Not Elected
..	..	..	..	..	..	..	..	..	Not Elected
6	..	6	+1	7	..	7	..	7	
14,000	..	14,000	..	14,000	..	14,000	..	14,000	

परिणाम-पत्र—जारी

मतों का मूल्यांक 14,000

फोटा = $\frac{14,000}{8}$ + 1 = 1,751

परिणाम	ग और ङ के मतों का वितरण	परिणाम	ज और क के अधिशेष का वितरण	परिणाम	च के मतों का वितरण	परिणाम	छ के मतों का वितरण	परिणाम	निर्वाचन
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1,500	+300	1,800	—49	1,751	—	1,751	—	1,751	निर्वाचित
1,072	+200	1,272	+32	1,304	+300	1,604	+300	1904	निर्वाचित
600	—600	—	—	—	—	—	—	—	अनिर्वाचित
1,132	+200	1,332	+65	1,397	+300	1,697	+300	1,997	निर्वाचित
1,232	+200	1,432	+16	1,448	+200	1,648	+200	1,848	[illegible]
740	+100	840	—	840	—840	—	—	—	अनिर्वाचित
—	—	—	—	—	—	—	—	—	अनिर्वाचित
1,751	—	1,751	—	1,751	—	1,751	—	1,751	निर्वाचित
1,716	100	1,816	—65	1,751	—	1,751	—	1,751	निर्वाचित
—	—	—	—	—	—	—	—	—	अनिर्वाचित
1 751	—	1,751	—	1,751	—	1,751	—	1,751	निर्वाचित
900	+100	1,000	—	1,000	+24	1,024	+200	1,224	अनिर्वाचित
1,000	—	1,000	—	1,000	+16	1,016	1,000	+16	अनिर्वाचित
600	—600	—	—	—	—	—	—	—	अनिर्वाचित
—	—	—	—	—	—	—	—	—	अनिर्वाचित
—	—	—	—	—	—	—	—	—	अनिर्वाचित
6	—	6	+1	7	—	7	—	7	
14,000	—	14,000	—	14,000	—	14,000	—	14,000	

APPLICATION OF REGISTRATION OF ELECTORS RULES, 1960 TO THE STATE OF SIKKIM

Notification No. S.O. 425(*E*), *dated the* 23*rd June,* 1976.—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Central Government, in consultation with the Election Commission, hereby makes the following Rules, namely:—

1. **Short title.**—These Rules may be called the Registration of Electors (Amendment) Rules, 1976.

2. **Application of the Registration of Electors Rules, 1960 to Sikkim.**—Subject to the provisions of section 25A of the Representation of the People Act, 1950, the Registration of Electors Rules, 1960, in so far as they relate to the preparation or revision of the electoral roll of an assembly constituency in a State, shall apply in relation to the preparation or revision of the electoral roll of any assembly constituency in the State of Sikkim.

[Gazette of India, Part II, Section 3 (ii), Extraordinary, p. 1389].

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का सिक्किम राज्य को लागू होना

का० ग्रा० 425(अ), तारीख 23 जून, 1976— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम**— इन नियमों का नाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 1976 है।

2. **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का सिक्किम को लागू होना**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 25क के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960, जहां तक उसका सम्बन्ध किसी राज्य में किसी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली को तैयार करने या पुनरीक्षण से है, सिक्किम राज्य में किसी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली को तैयार करने या उसका पुनरीक्षण करने के सम्बन्ध में लागू होगा।

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3 (ii), पृष्ठ 1389]।

THE CONDUCT OF PARLIAMENTARY ELECTIONS (SIKKIM) RULES, 1977

Notification No. S.O. 45 (E), dated the 25th January, 1977.—In exercise of the powers conferred by section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and in supersession of the Conduct of Parliamentary Elections (Sikkim) Rules, 1975, the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following Rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(*1*) These Rules may be called the Conduct of Parliamentary Elections (Sikkim) Rules, 1977.

(*2*) They shall come into force at once.

2. Application of the Conduct of Elections Rules, 1961 to elections to Parliament from Sikkim.—The Conduct of Elections Rules, 1961, in so far as they relate to an election to the House of the People or, as the case may be, to the Council of States, shall apply in relation to any election to the House of the People or, as the case may be, to the Council of States from the State of Sikkim, subject to the modification that in rule 90 of the said Rules, in the Table, under the heading "I. States" after entry 21 relating to West Bengal, the following entry shall be inserted, namely :—

"22. Sikkim..............15,000............ ....

[Gazette of India, Part II, Section 3 (ii), Extraordinary, p. 111]

संसदीय निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1977

का० आ० 45(अ), तारीख 25 जनवरी, 1977— केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संसदीय निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1975 को अधिक्रांत करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का नाम संसदीय निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1977 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. **सिक्किम से संसद् के निर्वाचनों को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का लागू होना**—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 वहां तक जहां तक वे, यथास्थिति, लोक सभा या राज्य सभा के निर्वाचनों से सम्बन्धित हैं, सिक्किम राज्य को, यथास्थिति, लोक सभा या राज्य सभा के लिए किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में, इस उपान्तरण के अधीन रहते हुए, लागू होंगे कि उक्त नियमों के नियम 90 में सारणी में के शीर्ष "1—राज्य" के अंतर्गत, 1 पश्चिमी बंगाल से सम्बन्धित प्रविष्टि 21 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"22. सिक्किम 15,000 .. .."।

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(ii), पृष्ठ 111]

THE CONDUCT OF ASSEMBLY ELECTIONS (SIKKIM) RULES, 1979

Notification No. S.O. 519 (*E*), *dated the 7th September,* 1979.—In exercise of the powers conferred by section 169, read with sub-section (*2*) of section 5A and sub-section (*1*) of section 33 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Conduct of Assembly Elections (Sikkim) Rules, 1976, the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(*1*) These rules may be called the Conduct of Assembly Elections (Sikkim) Rules, 1979.

(*2*) They shall come into force at once.

2. Application of the Conduct of Elections Rules, 1961, for elections to the Legislative Assembly of Sikkim.—The Conduct of Elections Rules, 1961, in so far as they relate to an election to the Legislative Assembly of a State, shall apply to any election to the Legislative Assembly of Sikkim, subject to the following modifications, namely:—

(*i*) in rule 4 of the Conduct of Elections Rules, 1961 (hereinafter referred to as the said rules)—

(*a*) for the words, figures and letters "Forms 2A to 2E", the words, figures and letters "Forms 2F to 2H" shall be substituted;

(*b*) in the proviso, for the words, figures and letters "Form 2A or Form 2B", the words, figures and letters "Form 2F, Form 2G or Form 2H" shall be substituted;

(*ii*) in rule 7 of the said rules, for the words, figures and letters "in such one of the Forms 3A to 3C", the words, figures and letters "in Form 3D or Form 3E" shall be substituted;

(*iii*) in rule 37 of the said rules, after sub-rule (*2*), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(*2A*) Notwithstanding anything contained in clause (*b*) of sub-rule (2) and subject to such general or special directions if any, as may be given by the Election Commission in this behalf, the presiding officer may, if an elector is not able to produce his identity card for any valid reason and the presiding officer is otherwise satisfied about the identity of such elector, supply a ballot paper to such elector and allow him to vote.";

(*iv*) for rule 90 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"90. *Maximum election expenses.*—The total of the expenditure of which account is to be kept under section 77 and which is incurred or authorised in connection with an election in any one assembly constituency of the State of Sikkim shall not exceed two thousand five hundred rupees.";

---

1. Published in the Gazette of India, Extraordinary, 1979, part II, Section 3 (ii), pp. 902—906.

विधान सभा निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1979

[1]**का० आ० 519(अ), तारीख 7 सितम्बर, 1979** — केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 5क की उपधारा (2) और धारा 33 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विधान सभा निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1976 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) नियमों का संक्षिप्त नाम विधान सभा निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1979 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. **सिक्किम की विधान सभा के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का लागू होना**—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961, वहां तक जहां तक उनका संबंध राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन से है, सिक्किम की विधान सभा के किसी निर्वाचन को, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, अर्थात्—

(i) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में,—

(क) "प्ररूप 2क से लेकर 2ङ तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "प्ररूप 2च से लेकर 2ञ तक" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) परन्तुक में "प्ररूप 2क या प्ररूप 2ख" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "प्ररूप 2च, प्ररूप 2छ या प्ररूप 2ज" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) उक्त नियमों के नियम 7 में "3क से लेकर 3ग तक के प्ररूपों में से ऐसे प्ररूप में" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "प्ररूप 3घ या प्ररूप 3ङ में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) उक्त नियमों के नियम 37 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2क) उपनियम (2) के खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के, यदि कोई हों, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए जाएं अधीन रहते हुए पीठासीन आफिसर उस दशा में जबकि कोई निर्वाचक अपना अभिज्ञान पत्र किसी विधिमान्य कारण से पेश करने में असमर्थ है और पीठासीन आफिसर का ऐसे निर्वाचक के अभिज्ञान के बारे में अन्यथा समाधान हो गया है, ऐसे निर्वाचक को मतपत्र का प्रदाय कर सकेगा और उसे मतदान करने देगा ।" ;

(iv) उक्त नियमों के नियम 90 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"90 **अधिकतम निर्वाचन व्यय**—उस व्यय का योग जिसका लेखा धारा 77 के अधीन रखा जाना है और जो सिक्किम राज्य के किसी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत किया गया है, दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होगा ।" ;

1. भारत के राजपत्र, असाधारण, 1979 भाग 2, खंड 3 (ii), पृष्ठ 902–906 में प्रकाशित ।

(v) for Forms 2A to 2E appended to the said rules, the following forms shall be substituted, namely:—

"FORM 2F

(*See* rule 4)

NOMINATION PAPER

Election to the Legislative Assembly of Sikkim from a Constituency Reserved for Sikkimese of Bhutia-Lepcha origin

I nominate as a candidate for election to the Legislative Assembly of Sikkim from the.......................... assembly constituency.

Candidate's name ....

His postal address..

His name is entered at S. No... in Part No...........................

of the electoral roll for the...assembly constituency.

My name is... and it is entered at S. No.......................

in Part No...of the electoral roll for the................................ assembly constituency.

Date........................

Signature of proposer.

I, the above mentioned candidate, assent to this nomintion and hereby declare :—

(a) that I have completed..years of age;

*(b) that I am set up at this election by the..party;

(c) that the symbols I have chosen are, in order of preference, (i)......................................

(ii)...and (iii)..

I further declare that I am a Sikkimese of **Bhutia/Lepcha origin.

Date........................ Signature of candidate.

---

*Score out this paragraph, if not, applicable.

**Score out the word not applicable.

(To be filled by Retrning Officer)

Serial No. of nomination paper..

This nomination was delivered to me at my office at................................ (hour) on........................ (date) by the *candidate/proposer (Shri..)

Date........................ Returning Officer.

Decision of Returning Officer accepting or rejecting the Nomination Paper

I have examined this nominaton paper in accordance with section 36 of the Representation of the People Act, 1951 and decide as follows:—

Returning Officer.

---

*Score out the word not applicable.

(Perforation)..

Receipt for Nomination Paper and Notice of Scrutiny

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

Serial No. of nominaion paper..

The nomination paper of .... a candidate for election from the.................. assembly constituency was delivered to me at my office at..(hour) on........................ (date) by the *candidate/proposer (Shri..). All nomination papers will be taken up for scrutiny at...(hour) on..................................(date) at..(place).

Date............................ Returning Officer.

---

*Score out the word not applicable.

(v) उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 2क से लेकर 2ङ तक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"प्ररूप 2च

[नियम 4 देखिए]

नामनिर्देशन-पत्र

भूटिया/लेप्चा मूल के सिक्किमियों के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र से सिक्किम की विधान सभा के लिए निर्वाचन

मैं सिक्किम की .... के निर्वाचन के लिए .... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूं :

अभ्यर्थी का नाम .... है

उसका डाक पता ....

उसका नाम .... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० .... में क्रम सं० .... *पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम .... है और यह .... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० .... में क्रम सं० .... पर प्रविष्ट है।

तारीख .... प्रस्थापक के हस्ताक्षर

मैं, उपरिवर्णित अभ्यर्थी, इस नामनिर्देशन के लिए अनुमति देता हूं और इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि :—

(क) मैंने .... वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

*(ख) मैं इस निर्वाचन में .... पार्टी द्वारा खड़ा किया गया हूं;

(ग) मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) .... (ii) .... और (iii) .... हैं।

मैं यह घोषणा भी करता हूं कि मैं **भूटिया/लेप्चा मूल का सिक्किमी हूं।

तारीख .... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

---

*यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

**लागू न होने वाला शब्द काट दीजिए।

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम सं० .... यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में .... (तारीख) को .... (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक (श्री ....) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख .... रिटर्निंग आफिसर

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं :—

रिटर्निंग आफिसर

---

*लागू न होने वाला शब्द काट दीजिए।

(छिद्रण) ....

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम सं० ....

.... का, जो .... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन-पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में .... (तारीख) को .... (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक (श्री ....) द्वारा परिदत्त किया गया।

सभी नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा .... (तारीख) को .... (बजे) .... (स्थान) में की जाएगी।

तारीख .... रिटर्निंग आफिसर

---

*लागू न होने वाला शब्द काट दीजिए।

FORM 2G

(*See* rule 4)

NOMINATION PAPER

Election to the Legislative Assembly of Sikkim from a General Constituency or a Constituency Reserved for Scheduled Caste

I nominate as a candidate for election to the Legislative Assembly of Sikkim from the.................................... assembly constituency.

Candidate's name ....
His postal address..
His name is entered at S. No..in Part No..............................
of the electoral roll for the...assembly constituency.
My name is..and it is entered at S. No..........................
in Part No....................................of the electoral roll for the..................................
assembly constituency.

Date........................ Signature of proposer

I, the above mentioned candidate, assent to this nomination and hereby declare:—

(a) that I have completed......................................years of age;

*(b) that I am set up at this election by the...........................party;

(c) that the symbols I have chosen are, in order of preference,

(i) ....
(ii) .... and
(iii) ....

*I further declare that I am a member of the.......................................caste which is a Scheduled Caste of the State of Sikkim.

Date.................... Signature of Candidate

---

*Score out this paragraph, if not appilicable.

(To be filled by the Returning Officer)

Serial No. of nomination paper....................
This nomination was delivered to me at my office at......................................(hour) on............
(date) by the *candidate proposer (Shri...).

Date....................

Returning Officer.

Decision of Returning Officer accepting or rejecting the nomination Paper

I have examined this nomination paper in accordance with section 36 of the Representation of the People Act, 1951, and decide as follows:—

Date.................... Returning Officer.

---

*Score out the word not applicable.

(Perforation)..

Receipt for Nomination Paper and Notice of Scrutiny

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

Serial No. of nomination paper...
The nomination paper of.................................a candidate for election from the................
assembly constituency was delivered to me at my office at.....................................(hour on)..........
(date) by the *candidate/proposer (Shri.................................). All nomination papers will be taken up for scrutiny at..(hours) on.............(date)
at...(place).

Date................. Returning Officer.

---

*Score out the word not applicable,

प्ररूप 2छ

[नियम 4 देखिए]

नामनिर्देशन-पत्र

साधारण निर्वाचन-क्षेत्र से या अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र से सिक्किम की विधान सभा के लिए निर्वाचन

मैं सिक्किम की विधान सभा के निर्वाचन के लिए ....

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूं।

अभ्यर्थी का नाम ....

उसका डाक पता ....

उसका नाम ....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० ....में क्रम सं० .... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम ....है और यह ....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० ....में क्रम सं० ....पर *प्रविष्ट है।

तारीख .... प्रस्थापक के हस्ताक्षर

मैं, उपरिवर्णित अभ्यर्थी, इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं और इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि—

(क) मैंने....................वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

*(ख) मैं इस निर्वाचन में........................पार्टी द्वारा खड़ा किया गया हूं।

(ग) मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i)..

(ii) ....और (iii).. हैं

*मैं यह घोषणा भी करता हूं कि मैं ....जाति का सदस्य हूं जो सिक्किम राज्य की अनुसूचित जाति है।

तारीख .... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

---

*यदि लागू न हो तो, इस पैरा को काट दीजिए।

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम सं० ....

यह नामनिर्देशन-पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में ....(तारीख) को....................

(बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक (श्री ....) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख .... रिटर्निंग आफिसर

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षा कर ली है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं :—

तारीख .... रिटर्निंग आफिसर

---

*लागू न होने वाला शब्द काट दीजिए।

(छिद्रण) ....

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम सं० ....का, जो............ सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन-पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में ....

(तारीख) को........................(बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक (श्री....................)

द्वारा परिदत्त किया गया

सभी नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा........................(तारीख) को....................

(बजे)........................(स्थान) में की जाएगी।

तारीख .... रिटर्निंग आफिसर

---

*लागू न होने वाला शब्द काट दीजिए।

FORM 2H
(*See* rule 4)
NOMINATION PAPER

Election to the Legislative Assembly of Sikkim from Sangha Constituency

I nominate as a candidate for election to the Legislative Assembly of Sikkim from Sangha Constituency.

Candidate's name..

His postal address...

His name is entered at S. No..............................in Gonpa/Part No.......................... of the electoral roll for the Sangha constituency.

My name is...and it is entered at S. No............ in Gonpa/Part No..................................of the electoral roll for the Sangha constituency.

Date.................... Signature of Proposer

I, the above-mentioned candidate, assent to the nomination and hereby declare:—

(a) that I have completed...years of age;

*(b) that I am set up at this election by the....................................party;

(c) that the symbols I have chosen are, in order of preference,

(i) ....

(ii) .... and

(iii) ....

I further declare that I am a Sangha.

Date.................... Signature of Candidate.

*Score out this paragraph if not applicable.

(To be filled by the Returning Officer)

S. No. of nomination paper...................................

This nomination was delivered to me at my office at................................(hours) on............. (date) by the *candidate/proposer (Shri..................................)

Date.................... Returning Officer.

Decision of Returning Officer accepting or rejecting the Nomination Paper

I have examined this nomination paper in accordance with section 36 of the Representation of the People Act, 1951, and decide as follows :—

Date........................ Returning Officer.

*Score out the word not applicable.

(Perforation) ....

Receipt for Nomination Paper and Notice of Scrutiny

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

S. No. of nomination paper........................

The nomination paper of...a candidate for election from the Sangha constituency was delivered to me at my office at...............................(hour) on ....(date) by the *candidate/proposer (Shri...)

All nomination papers will be taken up for scrutiny at... (date) at..(Place).

Date.................... Returning Officer.";

*Score out the word not applicable.

प्ररूप 2 ज

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

संघा निर्वाचन-क्षेत्र से सिक्किम की विधान सभा के लिए निर्वाचन

मैं सिक्किम की विधान सभा के निर्वाचन के लिए संघा निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूं :

अभ्यर्थी का नाम......................

उसका डाक पता......................

उसका नाम संघा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के गोंपा/भाग सं०..................में क्रम सं०........पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम........................है और यह संघा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के गोंपा/भाग सं०..................में क्रम सं०..................पर प्रविष्ट है।

तारीख................ प्रस्थापक के हस्ताक्षर

मैं, उपरवर्णित अभ्यर्थी, इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं और इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि:—

(क) मैंने..................वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

*(ख) मैं इस निर्वाचन में......................................पार्टी द्वारा खड़ा किया गया हूं;

(ग) मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i)..

(ii)..................और (iii)..................हैं।

मैं यह घोषणा भी करता हूं कि मैं संघा हूं।

तारीख................................ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

---

*यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम सं०..................................

यह नामनिर्देशन-पत्र मुझे मेरे कार्यालय में..............(तारीख) को............(बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक (श्री.....) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख................ रिटर्निंग आफिसर

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने उस नामनिर्देशन-पत्र की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षा कर ली है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं :—

तारीख..................... रिटर्निंग आफिसर

---

*लागू न होने वाला शब्द काट दीजिए

(छिद्रण)..

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नाम निर्देशन-पत्र का क्रम सं०..........................

..................का, जो संघा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन-पत्र मुझे मेरे कार्यालय में......(तारीख) को...........(बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक (श्री..........) द्वारा परिदत्त किया गया।

सभी नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा..................(तारीख) को.........(बजे)..........(स्थान) में की जाएगी।

तारीख......................... रिटर्निंग आफिसर"

---

*लागू न होने वाला शब्द काट दीजिए।

(vi) for Forms 3A to 3C appended to the said Rules, the following Forms shall be substituted :—

"FORM 3D

(*See* rule 7)

NOTICE OF NOMINATION

(*To be used at an election from a constituency reserved for Sikkimese of Bhutia-Lepcha origin or from the Sangha constituency*)

Election to the Legislative Assembly of Sikkim from the..constituency

Notice is hereby given that the following nominations in respect of the above election have been received up to 3 P.M. today:—

S. No. of nomination paper	Name of candidiate	Name of father/mother/ husband	Age of candidate	Address	Particulars of origin
1	2	3	4	5	6

	Electoral roll No. of candiate			Electoral roll No. of proposer	
Name of assembly constituency	Part No. of electoral roll	Sl. No. of candidate's name in that part	Proposer's name	Part No. of electoral roll	Sl. No. of proposer's name in that part
7	8	9	10	11	12

Place.......................................

Date.......................................

Returning Officer.

(vi) उक्त नियम से उपाबद्ध प्ररूप 3क से लेकर 3ग तक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे:--

"प्ररूप 3 ख

[नियम 7 देखिए]

नामनिर्देशन की सूचना

भूटिया/लेप्चा मूल के सिक्किमियों के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र से या संघ निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन में प्रयोग के लिए

............................निर्वाचन-क्षेत्र से सिक्किम की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरिवर्णित निर्वाचन की बाबत निम्नलिखित नामनिर्देशन आज 3.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त हुए हैं:--

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/माता/पति का नाम	अभ्यर्थी की आयु	पता	मूल की विशिष्टियां
1	2	3	4	5	6

अभ्यर्थी का निर्वाचक नामावली सं०			प्रस्थापक का नाम	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली सं०	
विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग सं०	उस भाग में अभ्यर्थी के नाम का क्रम सं०		निर्वाचक नामावली का भाग सं०	उस भाग में प्रस्थापक के नाम का क्रम सं०
7	8	9	10	11	12

स्थान......................

तारीख......................

रिटर्निंग आफिसर"।

FORM 3E
(*See* rule 7)
NOTICE OF NOMINATION

(To be used at an election from a general constituency or a constituency reserved for the Scheduled Castes)

Election to the Legislative Assembly of Sikkim from the .... constituency.

Notice is hereby given that the following nominations in respect of the above election have been received up to 3 P.M. today :—

S. No. of nomination paper	Name of candidate	Name of father/mother/ husband	Age of candidate	Address	Particulars of caste
1	2	2	4	5	(

Electoral roll No. of candidate			Proposer's name	Electoral roll No. of proposer	
Name of assembly constituency	Part No. of electoral roll	Sl. No. of candidate's name in that part		Part No. of electoral roll	Sl. No. of proposer's name in that part
7	8	9	10	11	12

Place....................
Date....................

Returning Officer."

"प्ररूप 3 ङ

[नियम 7 देखिए]

नामनिर्देशन की सूचना

(साधारण निर्वाचन-क्षेत्र या अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन में प्रयोग के लिए)

....................निर्वाचन-क्षेत्र से सिक्किम की विधान सभा के लिए निर्वाचन

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ऊपरवर्णित निर्वाचन की बाबत निम्नलिखित नामनिर्देशन आज 3.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त हुए हैं :-

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/माता/पति का नाम	अभ्यर्थी की आयु	पता	जाति की विशिष्टियां
1	2	3	4	5	6

अभ्यर्थी का निर्वाचक नामावली सं०			प्रस्थापक का नाम	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली सं०	
विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग सं०	उस भाग में अभ्यर्थी के नाम का क्रम सं०		निर्वाचक नामावली का भाग सं०	उस भाग में प्रस्थापक के नाम का क्रम सं०
7	8	9	10	11	12

स्थान........................

तारीख........................

रिटर्निंग आफिसर"

THE ELECTION SYMBOLS (RESERVATION AND ALLOTMENT) ORDER, 1968

An order to provide for specification, reservation, choice and allotment of symbols at elections in Parliamentary and Assembly Constituencies, for the recognition of political parties in relation thereto and for matters connected therewith.

S.O. 2959, *dated the 31st August,* 1968.—Whereas, the Superintendence, direction and control of all elections to Parliament and to the Legislature of every State are vested by the Constitution of India in the Election Commission of India:

AND WHEREAS, it is necessary and expedient to provide in the interest of purity of elections to the House of the People and the Legislative Assembly of every State and in the interest of the conduct of such elections in a fair and efficient manner, for the specification, reservation choice and allotment of symbols for the reognition of political parties in relation thereto and for matters connected therewith:

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Article 324 of the Constitution [1][read with section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and rules 5 and 10] of the Conduct of Elections Rules, 1961, and all other powers enabling it in this behalf, the Election Commission of India hereby makes the following Order :—

1. *Short title, extent, application and commencement.*—(*1*) This Order may be called the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968.

(*2*) It extends to the whole of India and applies in relation to election in all Parliamentary and Assembly Constituencies other than Assembly Constituencies in the State of Jammu and Kashmir.

(*3*) It shall come into force on the date of its publication in the Gazette of India which date is hereinafter referred to as the commencement of this Order.

2. *Definitions and interpretation.*—(1) In this Order, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "clause" means a clause of the paragraph or sub-paragraph in which the word occurs;

(*b*) "Commission", means the Election Commission of India constituted under Article 324 of the Constitution;

(*c*) "constituency" means a parliamentary constituency or an assembly constituency;

(*d*) "contested election" means an election in a parliamentary or an assembly constituency where a poll is taken;

(*e*) "election" means an election to which this Order applies;

(*f*) "general election" means any general election held after the commencement of this Order for the purposes of constituting the House of the People or the Legislative Assembly of a State and includes a general election whereby the House of the People or the Legislative Assembly of a State in existence and functioning at such commencement, has been constituted;

(*g*) "paragraph" means a paragraph of this Order;

[2][(*h*) "political party" means an association or body of individual citizens of India registered with the Commission as a political party under section 29A of the Representation of the People Act, 1951;]

1. Subs. by Notifn. No. O.N. 55 (E), dated the 15th June, 1989.
2. Subs. by Notifn. No. S.O. 3301, dated the 10th September, 1970.

निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968

संसदीय तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचनों में प्रतीकों के विनिर्देश, आरक्षण, चयन तथा आबंटन के लिए, उनके संबंध में राजनैतिक दलों को मान्यता देने के निमित्त तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने के लिए आदेश

का० आ० 2959, तारीख 31 अगस्त, 1968 संसद् और हर राज्य के विधान-मंडल के लिए सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण, भारत के संविधान द्वारा भारत निर्वाचन आयोग में निहित है ;

और, लोक सभा तथा हर राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचनों की शुद्धता के हित में तथा ऐसे निर्वाचनों के उचित एवं दक्षतापूर्ण रीति से संचालन के हित में, प्रतीकों के विनिर्देश, आरक्षण, चयन तथा आबंटन के लिए, उनके संबंध में राजनैतिक दलों को मान्यता देने के निमित्त तथा तत्संसक्त विषयों के लिए उपबंध करना आवश्यक और समीचीन है;

अतः भारत निर्वाचन आयोग, [1][लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 और नियम 10 के साथ पठित] संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करता है :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना तथा प्रारम्भ—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से भिन्न सभी संसदीय तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में के निर्वाचनों के संबंध में लागू होता है ।

(3) यह भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ; इस तारीख को इसमें इसके पश्चात् इस आदेश का प्रारम्भ कहा गया ।

2. परिभाषाएं और निर्वचन—(1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "खण्ड" से उस पैरे या उप पैरे का कोई खण्ड अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है;

(ख) "आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन गठित भारत निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "निर्वाचन-क्षेत्र" से संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है;

(घ) "सविरोध निर्वाचन" से किसी संसदीय अथवा सभा निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा निर्वाचन अभिप्रेत है, जिसमें मतदान होता है;

(ङ) "निर्वाचन" से वह निर्वाचन अभिप्रेत है जिसे यह आदेश लागू होता है;

(च) "साधारण निर्वाचन" से कोई ऐसा साधारण निर्वाचन अभिप्रेत है, जो लोक सभा अथवा किसी राज्य की विधान सभा का गठन करने के निमित्त इस आदेश के प्रारम्भ के पश्चात् किया गया हो, और इसके अन्तर्गत वह साधारण निर्वाचन आता है जिसके द्वारा लोक सभा अथवा किसी राज्य की विधान सभा, जो ऐसे प्रारम्भ होने के समय विद्यमान है और कार्य कर रही है, गठित की गई हो;

(छ) "पैरा" से इस आदेश का पैरा अभिप्रेत है;

[2][(ज) "राजनैतिक दल" से भारत के व्यष्टिक नागरिकों का ऐसा संगम या निकाय अभिप्रेत है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में आयोग के पास रजिस्ट्रीकृत है;]

---

1. अधिसूचना सं० आ० अ० 56 (अ), तारीख 15 जून, 1989 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 3001, तारीख 10 सितम्बर, 1970 द्वारा प्रतिस्थापित

[1][(*i*) "State" includes [2]*** a Union territory;]

(*j*) "Sub-paragraph" means a sub-paragraph of the paragraph in which the word occurs; and

(*k*) Words and expressions used but not defined in this Order but defined in the Representation of the People Act, 1950, or the rules made thereunder or in the Representation of the People Act, 1951, or the rules made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts and rules.

(2) The General Clauses Act, 1897 shall, as far as may be, apply in relation to the interpretation of this Order as it applies in relation to the interpretation of a Central Act.

[3]* * * *

4. *Allotment of symbols.*—In every contested election a symbol shall be allotted to a contesting candidate in accordance with the provisions of this Order and different symbols shall be allotted to different contesting candidates at an election in the same constituency.

5. *Classification of symbols.*—(1) For the purpose of this Order symbols are either reserved or free.

(2) Save as otherwise provided in this Order, a reserved symbol is a symbol which is reserved for a recognised political party for exclusive allotment to contesting candidates set up by that party.

(3) A free symbol is a symbol other than a reserved symbol.

6. *Classification of political parties.*—(1) For the purposes of this Order and for such other purposes as the Commission may specify as and when necessity therefor arises, political parties are either recognised political parties or unrecognixed political parties.

(2) A political party shall be treated as a recognised political party in a State, if and only if either the conditions specified in clause (A) are, or the condition specified in clause (B) is, fulfilled by that party and not otherwise, that is to say—

(*A*) that such party—

(*a*) has been engaged in political activity for a continuous period of five years; and

(*b*) has, at the general election in that State to the House of the People, or, as the case may be, to the Legislative Assembly, for the time being in existence and functioning returned —

either (i) at least one member to the House of the People for every twenty-five members of that House or any fraction of that number elected from that State;

or (ii) at least one member to the Legislative Assembly of a that State for every thirty members of that Assembly or any fraction of that number;

(*B*) that the total number of valid votes by all the contesting candidates set up by such party at the general election in the State to the House of the People, or as the case may

1. Subsfn. by Notifn. No. O. N. 56(E), dated the 15th June, 1989.

2. Omitted, *ibid.*

3. Paragraph 3 omitted by Notfn. No. O.N. 21(E), dated the 23rd March, 1992 (w.e.f. 25-3-1992).

[1][(झ) "राज्य" के अन्तर्गत [2]**** संघ राज्यक्षेत्र भी आता है;]

(ञ) "उपपैरा" से उस पैरे का उपपैरा अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है; तथा

(ट) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 या तद्धीन बनाए गए नियमों या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 या तद्धीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों और नियमों में क्रमश: समनुदिष्ट है।

(2) साधारण खंड अधिनियम, 1897, इस आदेश के निर्वाचन के संबंध में यावत्शक्य उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के संबंध में लागू होता है।

[3] * * * * *

4. **प्रतीकों का आबंटन**—निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार हर सविरोध निर्वाचन में एक प्रतीक आबंटित किया जाएगा तथा उसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले भिन्न-भिन्न अभ्यर्थियों को भिन्न-भिन्न प्रतीक आबंटित किए जाएंगे।

5. **प्रतीकों का वर्गीकरण**—(1) इस आदेश के प्रयोजन के लिए प्रतीक या तो आरक्षित है अथवा मुक्त।

(2) इस आदेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, आरक्षित प्रतीक वह प्रतीक है, जो किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के लिए, उस दल के द्वारा खड़े किए गए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को ही अनन्य रूप से आबंटित किए जाने के लिए आरक्षित है।

(3) मुक्त प्रतीक ऐसा प्रतीक है जो आरक्षित प्रतीक से भिन्न है।

6. **राजनैतिक दलों का वर्गीकरण**—(1) इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जिन्हें उनकी आवश्यकता पड़ने पर, आयोग विनिर्दिष्ट करे, राजनैतिक दल या तो मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल होंगे या अमान्यताप्राप्त।

(2) किसी राज्य में राजनैतिक दल को मान्यताप्राप्त दल तभी, और केवल तभी, माना जाएगा जब या तो खंड (क) में विनिर्दिष्ट शर्तें या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तें, उस दल के द्वारा पूरी की जाएं, किन्तु अन्यथा नहीं, अर्थात्:—

(क) ऐसा दल—

(क) लगातार पांच वर्ष से राजनैतिक क्रियाकलाप में संलग्न रहा है, तथा

(ख) यथास्थिति, लोक सभा अथवा विधान सभा के लिए जो तत्समय अस्तित्व में हो और कृत्य कर रही हो उस राज्य में हुए साधारण निर्वाचन में तत्समय विद्यमान रहते और कृत्य करते हुए—

या तो (i) लोक सभा के लिए उस राज्य से निर्वाचित प्रत्येक पच्चीस सदस्यों अथवा उस संख्या की किसी भिन्न के पीछे कम से कम एक सदस्य,

अथवा (ii) उस राज्य की विधान सभा के लिए उस सभा के प्रत्येक तीस सदस्यों या उस संख्या की किसी भिन्न के पीछे कम से कम एक सदस्य,

निर्वाचन द्वारा भेज चुका है।

(ख) यथास्थिति; लोक सभा अथवा विधान सभा के लिए जो तत्समय अस्तित्व में हो और कृत्य कर रही हो, उस राज्य में हुए साधारण निर्वाचन में, उस दल द्वारा खड़े किए गए सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त विधिमान्य मतों की कुल संख्या (किसी निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे हर एक अभ्यर्थी

---

1. अधिसूचना सं॰ आ॰अ॰ 56(अ), तारीख 15 जून, 1989 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. पूर्वोक्त द्वारा लोप किया गया।
3. अधिसूचना सं॰ आ॰अ॰ 21(अ), तारीख 23 मार्च, 1992 द्वारा (25-3-1992 से) पैरा 3 का लोप किया गया।

be, to the Legislative Assembly for the time being in existence and functioning (excluding the valid votes of each such contesting candidate in a constituency as has not been elected and has not polled at least one-twelfth of the total number of valid votes polled by all the contesting candidates in that constituency) is not less than four per cent. of the total number of valid votes polled by all the contesting candidates at such general election in the State (including the valid votes of those contesting candidates who have forefeited their deposits.)

(3) For the removal of doubts it is hereby declared that the condition in clause (A) or(B) of sub-paragraph (2) shall not be deemed to have been fulfilled by a political party if a member of the House of the People or the Legislative Assembly of the State becomes a member of that political party after his election to that House or, as the case may be, that Assembly.

7. *Two categories of recognised political parties.*—(1) If a political party is treated as a recognised political party in accordance with paragraph 6 in four or more States, it shall be known as, and shall have and enjoy the status of, a "National party" throughout the whole of India; and if a political party is treated as a recognised political party in accordance with that paragraph in less than four States, it shall be known as, and shall have and enjoy the status of, a "State party" in the State or States in which it is a recognised political party.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), every political party which immediately before the commencement of this Order is a multi-State party shall, on such commencement, be a National party and shall continue to be so until it ceases to be a National party on the result of any general election held after such commencement.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), every political party which immediately before the commencement of this Order is in a State a recognised political party, other than a multi-State party as aforesaid shall, on such commencement, be a State party in that State and shall continue to be so until it ceases to be a State party in that State on the result of any general election held after such commencement.

8. *Choice of symbols by candidates of National and State parties and allotment thereof.*—(1) A candidate set up by a National party at any election in any constituency in India shall choose, and shall be allotted, the symbol reserved for that party and no other symbol.

(2) A candidate set up by a State party at an election in any constituency in a State in which such party is a State party, shall choose, and shall be allotted the symbol reserved for that party in that State and no other symbol.

(3) A reserved symbol shall not be chosen by, or allotted to, any candidate in any constituency other than a candidate set up by a National arty for whom such symbol, has been reserved or a candidate set up by a State party for whom such symbol has been reserved in the State in which it is a State party even if no candidate has been set up by such National or State party in that constituency.

[1][9. *Restriction on the allotment of Symbols reserved for State parties in States where such parties are not recognised.* —A symbol reserved for a State party may be included in the list of free symbols in any State in which that party is not a State party, and such symbol may be allotted subject to the provisions of paragraphs 10, 11 and 12 either to any candidate set up by any unrecognised political party or to any other candidate not set up by any political party (hereinafter referred to an "independent candidate").]

1. Subs. by the Notifn. of the Election Commission of India, No. S.O. 501 (E) dated the 1st September, 1979 for paragraph 9.

के विधिमान्य मतों को अपवर्जित करते हुए, जो निर्वाचित नहीं हुआ है तथा जिसने उस निर्वाचन-क्षेत्र में के सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त विधिमान्य मतों की कुल संख्या के कम से कम बारहवें भाग जितने मत प्राप्त नहीं किए हैं) उस राज्य में हुए ऐसे साधारण निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त विधिमान्य मतों की कुल संख्या की (निर्वाचन लड़ने वाले उन अभ्यर्थियों के, जिनके निक्षेप समपहृत हो गए हैं, विधिमान्य मतों को सम्मिलित करते हुए) चार प्रतिशत से कम नहीं है।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यदि लोक सभा अथवा उस राज्य की विधान सभा का कोई सदस्य, उस राजनैतिक दल का सदस्य, यथास्थिति, लोक सभा अथवा उस विधान सभा के लिए निर्वाचित हो जाने के बाद बनता है, तो यह नहीं समझा जाएगा कि उपपैरा (2) के खण्ड (क) या (ख) में दी हुई उस शर्त उस राजनैतिक दल ने पूरी कर ली है।

7. मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के दो प्रवर्ग—(1) यदि कोई राजनैतिक दल पैरा 6 के अनुसार चार अथवा उससे अधिक राज्यों में मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल माना जाता है तो वह सारे भारत में "राष्ट्रीय दल" के नाम से ज्ञात होगा और उसी रूप में उसकी प्रास्थिति होगी और वह उसका उपभोग करेगा तथा यदि कोई राजनैतिक दल ने उसी पैरा के अनुसार चार राज्यों से कम में मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल माना जाता है तो वह दल उस राज्य अथवा उन राज्यों में जिसमें/जिनमें वह मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है "राज्यीय दल" के नाम से ज्ञात होगा और उसी रूप में उसकी प्रास्थिति होगी और वह उसका उपभोग करेगा।

(2) उपपैरा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हर एक राजनैतिक दल, जो इस आदेश के प्रारंभ से अव्यवहित पूर्व एक बहुराज्यीय दल है, ऐसे प्रारम्भ पर एक राष्ट्रीय दल हो जाएगा और वह तब तक ऐसे बना रहेगा जब तक कि वह ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् हुए किसी साधारण निर्वाचन के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय दल नहीं रह जाता।

(3) उपपैरा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हर एक राजनैतिक दल, जो इस आदेश के प्रारंभ से अव्यवहित पूर्व किसी राज्य में यथापूर्वक बहुराज्यीय दल से भिन्न कोई मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के ऐसे प्रारम्भ पर उस राज्य में राज्यीय दल बन जाएगा और तब तक ऐसे बना रहेगा जब तक कि वह ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् हुए किसी साधारण निर्वाचन के परिणामस्वरूप राज्यीय दल नहीं रह जाता।

8. राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आबंटन—(1) भारत के किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में के निर्वाचन में किसी राष्ट्रीय दल द्वारा खड़ा किया गया ऐसा कोई अभ्यर्थी उस दल का आरक्षित प्रतीक, न कि कोई अन्य प्रतीक, चुनेगा तथा वही उसे आवंटित किया जाएगा।

(2) किसी ऐसे राज्य में जिसमें ऐसा दल राज्यीय दल है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में के निर्वाचन में उस दल द्वारा खड़ा किया गया कोई अभ्यर्थी उस राज्य में उस दल का आरक्षित प्रतीक न कि कोई अन्य प्रतीक, चुनेगा, तथा वही उसे आबंटित किया जाएगा।

(3) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में आरक्षित प्रतीक का किसी ऐसे अभ्यर्थी द्वारा चयन तथा उसे उसका आबंटन न किया जाएगा जो उस राष्ट्रीय दल द्वारा, जिसके लिए ऐसा प्रतीक आरक्षित किया गया है, या उस राज्यीय दल द्वारा, जिसके लिए उस राज्य में, जिसमें वह राज्यीय दल है, ऐसा प्रतीक आरक्षित किया गया है, खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न हो, भले ही उस निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे राष्ट्रीय अथवा राज्यीय दल द्वारा कोई भी अभ्यर्थी खड़ा न किया गया हो।

[1][9. राज्यीय दलों के लिए आरक्षित प्रतीकों के उन राज्यों के आबंटन पर निर्बन्धन जिनमें ऐसे दल मान्यताप्राप्त नहीं हैं—किसी राज्यीय दल के लिए आरक्षित प्रतीक को, उस राज्य में, जिसमें वह दल राज्यीय दल नहीं है मुक्त प्रतीकों की सूची में ऐसे सम्मिलित किया जा सकेगा कि वह प्रतीक उस राज्य में के किसी निर्वाचन में किसी अन्य मान्यताप्राप्त अथवा अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी को आबंटित नहीं किया जाएगा किन्तु पैरा 10, पैरा तथा पैरा 12 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए किसी ऐसे अभ्यर्थी को आबंटित किया जा सकेगा जो किसी रा क दल द्वारा खड़ा नहीं किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात्, "निर्दलीय अभ्यर्थी" कहा गया है)।]

1. भारत के निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं० का० आ० 501(अ), तारीख 1 सितम्बर, 1969 द्वारा पैरा 9 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

10. *Concessions to candidates set up by State party at elections in other State.*—If a candidate set up by a State party at an election in any constituency in a State in which that party is not a State party, intends to choose or chooses symbol reserved for it in the State or States in which it is a State party, then such candidate shall be allotted that symbol to the exclusion of any other candidate, and no other symbol, on fulfilment of each of the following conditions, namely:—

(*a*) that an application is made to the Commission by the party for exclusive allotment of that symbol to the candidate set up by it not later than the third day after the publication in the Official Gazette of the notification calling the election;

(*b*) if the block for the symbol is not already available, that there is sufficient time for preparing the block;

(*c*) that sufficient time is available to the Commission for sending intimation to the returning officer of the constituency on or before the last date for withdrawal of candidature;

(*d*) that in the opinion of the Commission there is no resasonable ground for refusing the application for such allotment.

11. *Restrictions on the choice and allotment of symbols allotted under paragraph* 10.—Notwithstanding anything contained in any of the foregoing provisions where elections are held simultaneously in a parliamentary constituency and in the assembly constituencies comprised in such parliamentary constituency, then—

(*a*) if a symbol has been exclusively allotted under paragraph 10 to a candidate set up by a political party at any election in the parliamentary constituency, that symbol shall not be allotted to any candidate at any election in any of the said Assembly constituencies unless such candidate is a candidate set up by that political party; and

(*b*) if a symbol has been exclusively allotted under paragraph 10 to a candidate set up by a political party at any election in any of the said Assembly Constituencies, that symbol shall not be allotted to any candidate at the election in the said Parliamentary Constituency unless such candidate is a candidate set up by that political party.

12. *Choice of symbols by other candidates and allotment thereof.*—(1) Any candidate at an election in a constituency in a State other than—

(*a*) a candidate set up by a National party; or

(*b*) a candidate set up by a political party which is a State party in that State; or

(*c*) a candidate referred to in paragraph 10;

shall chose and shall be allotted in accordance with the provisions hereafter set out in this paragraph, one of the symbols specified as free symbols for that State by notification under paragraph 17.

(2) Where any free symbol has been chosen by only one candidate at such election, the returnsing officer shall allot that symbol to that candidate and to no one else.

(3) Where the same free symbol has been chosen by several candidates at such election, then—

10. राज्यीय दल द्वारा अन्य राज्यों में निर्वाचनों में खड़े किए गए अभ्यर्थियों के लिए रियायतें—यदि किसी ऐसे राज्यीय दल द्वारा ऐसे राज्य में, जिसमें वह राज्यीय दल नहीं है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में खड़ा किया गया कोई अभ्यर्थी, उस दल के लिए उस राज्य या उन राज्यों में, जिसमें/जिनमें वह राज्यीय दल है, आरक्षित किए गए प्रतीक को चयन करने का आशय रखता है या उसका चयन करता है, तो निम्नलिखित शर्तों में से हर एक को पूरा करने पर ऐसे अभ्यर्थी को, किसी अन्य अभ्यर्थी का अपवर्जन करते हुए, वह प्रतीक, न कि कोई अन्य प्रतीक, आबंटित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) उस दल ने अपने द्वारा खड़ा किए गए अभ्यर्थी को वह प्रतीक अनन्य रूप से आबंटित करने के लिए आवेदन, निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् उसके तीन दिन के भीतर, आयोग को दे दिया है;

(ख) यदि प्रतीक का ब्लाक पहले से ही उपलब्ध नहीं है तो ब्लाक तैयार करने के लिए पर्याप्त समय हो;

(ग) उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को, अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख को अथवा उससे पूर्व, उक्त प्रज्ञापना भेजने के लिए आयोग के पास पर्याप्त समय उपलब्ध हो; तथा

(घ) आयोग की राय में ऐसे आबंटन के लिए आवेदन नामंजूर करने का कोई उचित आधार न हो।

11. पैरा 10 के अधीन आबंटित प्रतीकों के चयन तथा आबंटन पर निर्बन्धन—जब कभी किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में तथा ऐसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचन साथ-साथ होते हैं, तब पूर्वगामी उपबन्धों में से किसी में भी अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(क) यदि किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में के किसी निर्वाचन में किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी को पैरा 10 के अधीन कोई प्रतीक अनन्य रूप से आबंटित किया गया है तो वह प्रतीक उक्त सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में से किसी में के किसी निर्वाचन में किसी भी अभ्यर्थी को तब तक आबंटित नहीं किया जाएगा जब तक वह अभ्यर्थी उसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी न हो;

(ख) यदि उक्त सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में से किसी में के किसी निर्वाचन में किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी का पैरा 10 के अधीन कोई प्रतीक अनन्य रूप से आबंटित किया गया है तो वह प्रतीक उक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में के किसी निर्वाचन में किसी भी अभ्यर्थी को तब तक आबंटित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अभ्यर्थी उसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी न हो।

12. अन्य अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आबंटन—(1) किसी राज्य में के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन में—

(क) किसी राष्ट्रीय दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी; अथवा

(ख) किसी ऐसे राजनैतिक दल द्वारा, जो उस राज्य में राज्यीय दल है, खड़े किए गए अभ्यर्थी; अथवा

(ग) पैरा 10 में निर्दिष्ट अभ्यर्थी,

से भिन्न कोई अभ्यर्थी इस पैरा में एतत्पश्चात् दिए गए उपबन्धों के अनुसार, पैरा 17 के अधीन अधिसूचना द्वारा उस राज्य के लिए मुक्त प्रतीकों के रूप में विनिर्दिष्ट प्रतीकों में से एक को चुन लेगा तथा वही उसे आबंटित किया जाएगा।

(2) जहां कि ऐसे निर्वाचन में कोई मुक्त प्रतीक केवल एक अभ्यर्थी द्वारा चुना गया है वहां रिटर्निंग आफिसर वह प्रतीक उस अभ्यर्थी को न कि किसी अन्य को, आबंटित करेगा।

(3) जहां कि ऐसे निर्वाचन में कई अभ्यर्थियों द्वारा एक ही मुक्त प्रतीक चुना गया है, वहां—

(*a*) if of those several candidates only one is a candidate set up by an unrecognised political party, and all the rest are independent candidates, the Returning Officer shall allot that free symbol to the candidate set up by the unrecognised political party and to no one else, and if of those several candidates two or more are set up by different unrecognised political parties and the rest are independent candidates, the returning officer shall decide by lot to which of the two or more candidates set up by the different unrecognised political parties that free symbol shall be alloted and allot that free symbol to the candidate on whom the lot falls and to no one else:

[1][Provided that where of two or more such candidates set up by different unrecognised political parties only one is, or was, immediately before such election, a sitting member of the House of the People, or, as the case may be, of the Legislative Assembly (irrespective of the fact as to whether he was allotted that free symbol or any other symbol at the previous election when he was chosen as such member), the returning officer shall allot that free symbol to that candidate and to no one else;]

(*b*) if of those several candidates no one is set up by any unrecognised political party but all are independent candidates and one of the independent candidates is, or was immediately before such election, a sitting member of the House of the People, or as the case may be, of the Legislative Assembly, and was allotted that free symbol at the previous election when he was chosen as such member, the returning officer shall allot that free symbol to that candidate and to no one else; and

(*c*) if of those several candidates being all independent candidates no one is or was a sitting member as aforesaid, the returning officer shall decide by lot to which of those independent candidates that free symbol shall be allotted and allot that free symbol to the candidate on whom the lot falls and to no one else:

13. *When a candidate shall be deemed to be set up by a political party.*—For the purpose of this Order a candidate shall be deemed to be set up by a political party if, and only if,—

(*a*) the candidate has made a declaration to that effect in his nomination paper;

(*b*) a notice in writing to that effect has, not later than 3 P.M. on the last day of withdrawal of candidatures, been delivered to the returning office of the constituency; [2]***

[3][(*c*) the said notice is signed by the President, the Secretary or any other office bearer of the party and the President, Secretary or such other officer bearer is authorised by the party to send such notice; and

[3][(*d*) the name and specimen signature of such authorised person are communicated to the returning officer of the constituency and to the Chief Electoral Officer of the State [4][not later than, 3-00 P.M. on the last date for the withdrawal of candidature].

14. *Power of Commission to issue instructions to unrecognised political parties for their expeditious recognition on fulfilment of conditions specified in paragraph* 6.—The Commission may issue for the benefit of unrecognised political parties such instructions as it may think necessary for their expeditious recognition when they have fulfilled either of the conditions for such recognition specified in sub-paragraph (2) of paragraph 6.

15. *Power of Commission in relation to splinter groups or rival sections of a recognised political party.*—When the Commission is satisfied on information in its possession that there are rival sections or groups of a recognised political party each of whom claims to be that party the Com-

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 446, dated the 18th January 1961.
2. In clause (b) the word "and" omitted and clause (c) subs. by Notfn. No. O. N. 57 (B), dated 22nd September, 1984.
3. Subs. by Notifn. No. O. N. 33(E), dated the 8th January, 1985 for cl. (*d*).
4. Subs. by Notifn. No. O. N. 171(E) dated the 28th October, 1989.

(क) यदि उन कई अभ्यर्थियों में से केवल एक अभ्यर्थी किसी अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, तथा शेष सभी निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, तो रिटर्निंग आफिसर वह मुक्त प्रतीक उस असामान्यतया प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी को, न कि किसी अन्य को, आबंटित करेगा, और यदि उन कई अभ्यर्थियों में से दो या अधिक अभ्यर्थी विभिन्न अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए हैं, तथा शेष निर्दलीय अभ्यर्थी हैं तो, रिटर्निंग आफिसर लाट द्वारा यह विनिश्चय करेगा कि विभिन्न अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उन दो या अधिक अभ्यर्थियों में से किसको वह मुक्त प्रतीत आबंटित किया जाए, तथा जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लाट निकले उसी को, न कि किसी अन्य को, वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा :

[1][परन्तु जहां विभिन्न अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए ऐसे दो या अधिक अभ्यर्थियों में से एक, ऐसे निर्वाचन से, ठीक पूर्व, यथास्थिति, लोक सभा अथवा विधान सभा, का आसीन सदस्य है या था (इस तथ्य पर विचार किए बिना कि पहले निर्वाचन में जब वह ऐसा सदस्य चुना गया था उसे वही मुक्त प्रतीक आबंटित किया गया था अथवा कोई अन्य प्रतीक), वह रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी को, न कि किसी अन्य को, वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा;]

(ख) यदि उन कई अभ्यर्थियों में से कोई भी किसी अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा नहीं किया गया है लेकिन सभी अभ्यर्थी निर्दलीय हैं, तथा उन निर्दलीय अभ्यर्थियों में से एक ऐसे निर्वाचन से ठीक पूर्व, यथास्थिति, लोक सभा अथवा विधान सभा का आसीन सदस्य है, या था, और पहले निर्वाचन में जब वह ऐसा सदस्य चुना गया था तब उसे वही मुक्त प्रतीक आबंटित किया गया था तो रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी को न कि किसी अन्य को, वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा; तथा

(ग) यदि उन कई अभ्यर्थियों में सभी निर्दलीय हैं और कोई भी यथापूर्वोक्त आसीन सदस्य नहीं है या नहीं था तो रिटर्निंग आफिसर लाट द्वारा यह विनिश्चय करेगा कि उन निर्दलीय अभ्यर्थियों में से किसको वह मुक्त प्रतीक आबंटित किया जाए, तथा जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लाट निकले, उसी को, न कि किसी अन्य को, वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा।

13. किसी अभ्यर्थी को किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया कब समझा जाएगा— इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, कोई अभ्यर्थी किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी तभी और केवल तभी समझा जाएगा, जब—

(क) उस अभ्यर्थी ने इस आशय की घोषणा अपने नामनिर्देशन-पत्र में कर दी हो;

(ख) उस आशय की लिखित सूचना अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख को 3 बजे अपराह्न के अपश्चात् निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को परिदत्त कर दी गई हो; [2]***

(ग) उक्त सूचना-दल के अध्यक्ष, सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा ऐसा अध्यक्ष, सचिव अथवा अन्य पदाधिकारी दल द्वारा ऐसी सूचना भेजने के लिए प्राधिकृत हो; और

[3][(घ) ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और नमूना हस्ताक्षर निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का [अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख को 3 बजे अपराह्न तक न कि उसके पश्चात्] से पूर्व सूचित कर दिए गए हों।]

14. पैरा 6 में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरा हो जाने पर अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को उनके शीघ्र मान्यता देने के सम्बन्ध में अनुदेश निकालने की आयोग की शक्ति—आयोग अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा पैरा 6 के उपपैरा (2) में विनिर्दिष्ट मान्यता की शर्तों में से किसी के भी पूरा कर लेने पर उन्हें शीघ्र मान्यता देने के निमित्त उनके फायदे के लिए ऐसे अनुदेश निकाल सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।

15. किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के अलग समूहों अथवा प्रतिद्वन्द्वी गुटों के सम्बन्ध में आयोग की शक्ति— जबकि अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के ऐसे प्रतिद्वन्द्वी गुट अथवा समूह हैं जिनमें से हर एक वह दल होने का दावा करता है तब आयोग उस

1. अधिसूचना सं० का० आ० 446, तारीख 18 जनवरी, 1961 द्वारा अंतःस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 57(अ), तारीख 22 सितम्बर, 1984 द्वारा खंड (ख) में "तथा" शब्द का लोप किया गया और खंड (घ) प्रतिस्थापित किया गया।
3. अधिसूचना सं० का० आ० 33(अ), तारीख 8 जनवरी, 1986 द्वारा खंड (घ) के स्थान पर प्रतिस्थापित
4. अधिसूचना सं० का० आ० 171(अ) तारीख 28 अक्तूबर, 1989 द्वारा प्रतिस्थापित।

mission may, after taking into account all the available facts and circumstances of the case and hearing such representatives of the sections or groups and other persons as desire to be heard decide that one such rival section or group or none of such rival sections or groups is that recognised political party and the decision of the Commission shall be binding on all such rival sections or groups.

16. *Power of Commission in case of amalgamation of two or more political parties.*—(1) When two or more political parties, one or some or all of whom is a recognised political party or are recognised political parties join together to form a new political party, the Commission may, after taking into account all the facts and circumstances of the case, hearing such representatives of the newly formed party and other persons as desire to be heard and having regard to the provisions of this Order, decide—

(*a*) whether such newly formed party should be a National party or a State party; and

(*b*) the symbol to be allotted to it.

(2) The decision of the Commission under sub-paragraph (1) shall be binding on the newly formed political party and all the component units thereof.

[1][16A. **Power of Commission to suspend or withdraw recognition of a recognised political party for its failure to observe Model Code of Conduct or follow lawful directions and instructions of the Commission.**—Notwithstanding anything in this order, if the Commission is satisfied on information in its possession that a political party, recognised either as a National Party or as a State Party under the provisions of this order, has failed or has refused or is refusing or has shown or is showing defiance by its conduct or otherwise (a) to observe the provisions of the 'Model Code of Conduct for Guidance of Political Parties and Candidates" as issued by the Commission in Jan. 1991 or as amended by it from time to time, or (b) follow or carry out the lawful directions and instructions of the Commission given from time to time with a view to furthering the conduct of free, fair and peaceful elections or safeguarding the interests of the general public and the electorate in particular, the Commission may, after taking into account all the available facts and circumstances of the case and after giving the party a reasonable opportunity of showing cause in relation to the action proposed to be taken against it, either suspend, subject to such terms as the Commission may deem appropriate, or withdraw the recognition of such party as the National party or, as the case may be, the State Party.]

17. *Notification containing lists of political parties and symbols.*—(1) The Commission shall by one or more notifications in the Gazette of India publish lists specifying—

(*a*) the National parties and the symbols respectively reserved for them;

(*b*) the State parties, the State or States in which they are State parties and the symbols respectively reserved for them in such State or States;

(*c*) the unrecognised political parties and the State or States in which they function; and

(*d*) the free symbols for each State.

(2) Every such list shall, as far as possible, be kept up-to-date.

18. *Power of Commission to issue instructions and directions.*—The Commission, may issue instructions and directions—

(*a*) for the clarification of any of the provisions of this Order;

(*b*) for the removal of any difficulty which may arise in relation to the implementation of any such provisions; and

(*c*) in relation to any matter with respect to the reservation and allotment of symbols and recognition of political parties, for which this Order makes no provision or makes insufficient provision, and provision is in the opinion of the Commission necessary for the smooth and orderly conduct of elections.

1. Ins. by notifn. No. O.N. 42(E), dated 18th February, 1994.

मामले के समस्त उपलब्ध तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करने तथा उन समूहों अथवा गुटों के ऐसे प्रतिनिधियों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो सुनवाई चाहें सुने जाने के पश्चात् यह विनिश्चय करेगा कि ऐसे प्रतिद्वन्दी गुटों अथवा समूहों में से अमुक गुट अथवा समूह वह राजनैतिक दल है या कोई भी वह राजनैतिक दल नहीं है, तथा आयोग का विनिश्चय ऐसे सभी प्रतिद्वन्दी गुटों अथवा समूहों पर आबद्धकर होगा।

16. दो या अधिक राजनैतिक दलों का समामेलन हो जाने की दशा में आयोग की शक्ति—(1) जब ऐसे दो या अधिक राजनैतिक दल जिनमें से कोई एक मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल हो अथवा कुछ या सभी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल हो, कोई एक नया राजनैतिक दल बनाने के लिए परस्पर मिल जाते हैं, तब आयोग, इस मामले के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करके, नए बने दल के ऐसे प्रतिनिधियों तथा अन्य व्यक्तियों को, जो सुनवाई चाहें, सुनने के पश्चात् तथा इस आदेश के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, यह विनिश्चय कर सकेगा—

(क) कि ऐसा नया बना राष्ट्रीय दल होना चाहिए अथवा राज्यीय दल; तथा

(ख) उसे कौन सा प्रतीक आबंटित किया जाए।

(2) उपपैरा (1) के अधीन किया गया आयोग का विनिश्चय उस नए बने राजनैतिक दल तथा उसकी सभी घटक यूनिटों के लिए आबद्धकर होगा।

[1][**16क. मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा आचरण आदेश संहिता का अनुपालन न करने या आयोग के विधिसम्मत निदेशों और अनुदेशों का पालन न करने पर उसकी मान्यता स्थगित करने या वापस लेने की आयोग की शक्ति**—इस आदेश के होते हुए भी, यदि आयोग का अपने पास उपलब्ध सूचना से समाधान हो जाता है कि इस आदेश के उपबन्धों के अधीन राजनैतिक दल चाहे वे राष्ट्रीय दल या राज्यीय दल के रूप में मान्यताप्राप्त हो, यदि अपने आचरण से असफल रहता है, या अस्वीकार करता है या अस्वीकार कर रहा या अवज्ञा दर्शा रहा है या अन्यथा:—

(क) आयोग द्वारा जनवरी, 1991 में और समय-समय पर जारी "राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गनिर्देश के लिए आदर्श आचरण संहिता" के उपबन्धों का अनुपालन, या

(ख) समय-समय पर आयोग के विधिसम्मत निदेशों और अनुदेशों का पालन और उनका कार्यान्वयन ताकि निष्पक्ष. स्वतंत्र और शान्तिपूर्ण निर्वाचनों को बढ़ावा मिल सके या सर्वसाधारण विशेष रूप से निर्वाचकों के हितों की रक्षा हो सके,

आयोग उपलब्ध तथ्यों और मामले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में दलों को उपयुक्त अवसर देने के बाद आयोग जैसा उपयुक्त समझे, ऐसी शर्तों के अधीन ऐसे दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में या राज्यीय दल, जैसा भी मामला हो, की मान्यता स्थगित कर देगा या वापस ले लेगा।]

17. राजनैतिक दलों तथा प्रतीकों की सूचियों को अन्तर्विष्ट करने वाली अधिसूचना—(1) निर्वाचन आयोग एक या अधिक अधिसूचनाओं के द्वारा भारत के राजपत्र में—

(क) राष्ट्रीय दलों तथा उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीकों;

(ख) राज्यीय दलों, वह राज्य या वे राज्य जिसमें या जिनमें वे राज्यीय दल हैं, तथा ऐसे राज्य या राज्यों में उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीकों;

(ग) अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों तथा वह या वे राज्य जिनमें वे काम कर रहे हैं; तथा

(घ) हर एक राज्य के लिए मुक्त प्रतीकों,

को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचियां प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसी हर एक सूची यथासंभव अद्यतन रखी जाएगी।

18. अनुदेश तथा निदेश निकालने की आयोग की शक्ति—आयोग—

(क) इस आदेश के उपबन्धों में से किसी का स्पष्टीकरण करने के लिए;

(ख) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो किन्हीं ऐसे उपबन्धों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उत्पन्न हो; तथा

(ग) प्रतीकों के आरक्षण तथा आबंटन के किसी मामले तथा राजनैतिक दलों की मान्यता के संबंध में जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबन्ध नहीं है या उपबन्ध अपर्याप्त है, तथा जिसके लिए निर्वाचनों के निर्विघ्न तथा व्यवस्थित संचालन के लिए आयोग की राय में उपबन्ध करना आवश्यक है, अनुदेश तथा निदेश निकाल सकेगा।

---

1. अधिसूचना सं० आ०आ० 42(अ), तारीख 18 फरवरी, 1994 द्वारा अन्तःस्थापित।

[1][19. *Special transitional provision.*—(1) Every political party, which, immediately before the 15th day of June, 1989, [being the date appointed by the Central Government under sub-section (2) of section 1 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1988 (1 of 1989) as the date on which sections 3 and 6 of that Act shall come into force] is a National party under this Order, shall continue to be so, for a period of sixty days from that date and if such party makes an application to the Commission for its registration as a political party under section 29A of the Representation of the People Act, 1951 within the said period of sixty days, till the disposal of such application by the Commission.

(2) Every political party, which, immediately before the 15th day of June, 1989, is a State party under this Order, shall continue to be so, for a period of sixty days from that date and if such party makes an application to the Commission for its registration as a political party under section 29A of the Representation of the People Act, 1951 within the said period of sixty days, till the disposal of such application by the Commission.

(3) Every political party, which, immediately before the 15th day of June, 1989, is an unrecognised political party under this Order, shall continue to be so, for a period of sixty days from that date and if such party makes an application to the Commission for its registration as a political party under section 29A of the Representation of the People Act, 1951 within the said period of sixty days, till the disposal of such application by the Commission.]

LISTS OF POLITICAL PARTIES AND SYMBOLS IN RELATION TO ELECTIONS IN ALL PARLIAMENTARY AND ASSEMBLY COSNTITUENCIES OTHER THAN ASSEMBLY CONSTITUENCIES IN THE STATE OF JAMMU AND KASHMIR.—THESE LISTS ARE BEING PUBLISHED SEPARATELY BY THE ELECTION COMMISSION.

LIST OF SYMBOLS IN RELATION TO ELECTIONS IN AN ASSEMBLY, LOCAL AUTHORITIES' OR PANCHAYATS' CONSTITUENCIES IN THE STATE OF JAMMU AND KASHMIR.—THIS LIST IS BEING PUBLISHED SEPARATELY BY THE ELECTION COMMISSION.

---

1. Sub. by Notifn. No. O.N. 56(E), dated the 15th June, 1989.

[1][19. **विशेष संक्रमणकालीन उपबंध**—(1) प्रत्येक राजनैतिक दल, जो 15 जून, 1989 के ठीक पूर्व [जो लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की गई वह तारीख है जिसको उस अधिनियम की धारा 3 और धारा 6 प्रवृत्त होगी] इस आदेश के अधीन एक राष्ट्रीय दल है, उस तारीख से साठ दिन की अवधि के लिए और यदि ऐसा दल, साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में अपने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है तो आयोग द्वारा ऐसे आवेदन के निपटाए जाने तक, उसी प्रकार बना रहेगा।

(2) प्रत्येक राजनैतिक दल, जो 15 जून, 1989 के ठीक पूर्व इस आदेश के अधीन एक राज्यीय दल है, उस तारीख से साठ दिन की अवधि के लिए और यदि ऐसा दल, साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में अपने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है तो आयोग द्वारा ऐसे आवेदन के निपटाए जाने तक, उसी प्रकार बना रहेगा।

(3) प्रत्येक राजनैतिक दल, जो इस आदेश के अधीन जून, 1989 के 15वें दिन से ठीक पूर्व अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है, उस तारीख से साठ दिनों की अवधि के लिए और यदि उक्त अवधि के साठ दिनों के भीतर ऐसा दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में अपने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करता है तो आयोग द्वारा ऐसे आवेदन के निपटान होने तक वैसे ही बना रहेगा।]

जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से भिन्न सभी संसदीय और विधान सभाओं के निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचनों के संबंध में राजनैतिक दलों और प्रतीकों की सूची—ये सूचियां निर्वाचन आयोग द्वारा पृथक् रूप से प्रकाशित की जा रही हैं।

जम्मू-कश्मीर राज्य में विधान सभा, स्थानीय प्राधिकरणों या पंचायतों के निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचनों के संबंध में प्रतीकों की सूची—यह सूची निर्वाचन आयोग द्वारा पृथक् रूप से प्रकाशित की जा रही है।

---

1. अधिसूचना सं० आ०अ० 56(अ), तारीख 15 जून, 1989 से प्रतिस्थापित।

भाग 2

कानूनी आदेश

PART II

Statutory Orders

STATUTORY ORDERS

[1]THE DELIMITATION OF COUNCIL CONSTITUENCIES (BIHAR) ORDER, 1951

In pursuance of section 11 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the President is pleased to make the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Delimitation of Council Constituencies (Bihar) Order, 1951.

2. The constituencies into which the State of Bihar shall be divided for the purpose of elections to the Legislative Council of the State from (a) the graduates' constituencies, (b) the teachers' constituencies, and (c) the local authorities' constituencies in the said State, the extent of each such constituency and the number of seats allotted to each such constituency shall be as shown in the following Table :—

[2][TABLE

Name of constituency	Extent of constituency	Number of seats
1	2	3
	Graduates' Constituencies	
1. Patna	Patna, Nalanda and Nawada district	1
[3][2. Gaya	Gaya, Jahanabad, Aurangabad, Rohtas and Bhojpur districts	1]
3. Saran	West Champaran, East Champaran, Saran, Siwan and Gopalganj districts	1
4. Tirhut	Muzaffarpur, Vaishali and Sitamarhi districts	1
5. Darbhanga	Darbhanga, Madhubani, Samastipur and Begusarai districts	1
[3][6. Kosi	Saharsa, Madhepura, Purnea, Arariya, Kishanganj, Katihar and Khagaria districts	1]
[4][7. Bhagalpur-cum-North Chota Nagpur	Bhagalpur, Godda, Sahebganj, Deoghar, Dumka, Monghyr, Giridih, Dhanbad and Hazaribagh districts	1
[3][8. South Chota Nagpur	Palamau, Ranchi, Lohardaga, Gumla, East Singhbhum and West Singhbhum districts	1]]
	Teachers' Constituencies	
1. Patna	Patna, Nalanda and Nawada districts	1
[3][2. Gaya	Gaya, Jahanabad, Aurangabad, Rohtas and Bhojpur districts	1]
3. Saran	West Champaran, East Champaran, Saran, Siwan and Gopalganj districts	1
4. Tirhut	Muzaffarpur, Vaishali and Sitamarhi districts	1
5. Darbhanga	Darbhanga, Madhubani, Samastipur and Begusarai districts	1
[3][6. Kosi	Saharsa, Madhepura, Purnea, Arariya, Kishanganj, Katihar and Khagaria districts	1]
[4][7. Bhagalpur-cum-North Chota Nagpur	Bhagalpur, Godda, Sahebganj, Deoghar, Dumka, Monghyr, Giridih, Dhanbad and Hazaribagh districts	1]
[3][8. South Chota Nagpur	Palamau, Ranchi, Lohardaga, Gumla, East Singhbhum and West Singhbhum districts	1]

1. See Notifn. No. S.R.O. 1410, dated the 19th September, 1951 and Notifn. No. S.R.O. 1595, dated the 15th October, 1951

2. Subs. by the Delimitation of Council Constituencies (Bihar) Amendment Order, 1983 [*Vide* Notifn. No. G.S.R. 468(E), dated the 7th June, 1983], for the Table.

3. Subs. by the Delimitation of Council Constituencies (Bihar) Amendment Order, 1991 [*Vide* Notifn. No. S.O. 277(E), dated the 23rd April, 1991], for certain items.

4. Subs. by the Delimitation of Council Constituencies (Bihar) Amendment Order, 1984 [*Vide* Notifn. No. S.O. 566(E), dated the 4th August, 1984], for items 7 and 8.

भाग 2

कानूनी आदेश

[1]परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (बिहार) आदेश, 1951

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 11 के अनुसरण में राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (बिहार) आदेश, 1951 कहा जा सकेगा।

2. बिहार राज्य में के (क) स्नातक निर्वाचन-क्षेत्रों, (ख) शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों, और (ग) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों से राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए बिहार राज्य को जिन निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा वे निर्वाचन-क्षेत्र, हर एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार और हर एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र को आवंटित स्थानों की संख्या वह होगी जो निम्नलिखित सारणी में दी गई है :—

[2][सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार	स्थानों की संख्या
1	2	3
	स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र	
1. पटना	पटना, नालन्दा और नवादा जिले	1
[3][2. गया	गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास और भोजपुर जिले	1]
3. सारण	पश्चिम चम्पारण, पूर्व चम्पारण, सारण, सिवान और गोपालगंज जिले	1
4. तिरहुत	मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी जिले	1
5. दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले	1
[3][6. कोसी	सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और खगरिया जिले	1]
[4][7. भागलपुर और उत्तरी छोटा नागपुर	भागलपुर, गोड्डा, साहबगंज, देवघर, दुमका, मुंगेर, गिरिडीह, धनबाद और हजारीबाग जिले	1
[3][8. दक्षिणी छोटा नागपुर	पलामू, रांची, लोहरडागा, गुमला,पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले	1]]
	शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र	
1. पटना	पटना, नालन्दा और नवादा जिले	1
[3][2. गया	गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास और भोजपुर जिले	1]
3. सारण	पश्चिम चम्पारण, पूर्व चंपारण, सारण, सिवान और गोपालगंज जिले	
4. तिरहुत	मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी जिले	1
5. दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले	1
[3][6. कोसी	सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और खगरिया जिले	1]
[4][7. भागलपुर और उत्तरी छोटा नागपुर	भागलपुर, गोड्डा, साहबगंज, देवघर, दुमका, मुंगेर, गिरिडीह, धनबाद और हजारीबाग जिले	1
[3][8. दक्षिणी छोटा नागपुर	पलामू, रांची, लोहरडागा, गुमला,पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले	1]]

1. देखिए अधिसूचना सं॰का॰नि॰आ॰ 1410, तारीख 19 सितम्बर, 1951 और अधिसूचना सं॰ का॰नि॰आ॰ 1595, तारीख 15 अक्तूबर, 1951।
2. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (बिहार) संशोधन आदेश, 1983 [देखिए अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 468(अ), तारीख 7 जून, 1983] द्वारा सारणी के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (बिहार) संशोधन आदेश, 1991 [देखिए अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 277(अ), तारीख 23 अप्रैल, 1991 द्वारा कुछ मदों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (बिहार) संशोधन आदेश, 1984 [देखिए अधिसूचना सं॰ का॰आ॰नि॰ 566(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984] द्वारा मद 7 और 8 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

1	2	3
	Local Authorities' Constituencies	
1. Patna	Patna district	1
2. Nalanda	Nalanda district	1
[1][3. Gaya-cum-Jahanabad . . .	Gaya and Jahanabad Districts	1]
4. Aurangabad . . .	Aurangabad district	1
5. Nawada	Nawada district	1
6. Bhojpur	Bhojpur district	1
7. Rohtas	Rohtas district	1
8. Saran	Saran district	1
9. Siwan	Siwan district	1
10. Gopalganj	Gopalganj district	1
11. West Champaran . .	West Champaran district	1
12. East Champaran . .	East Champaran district	1
13. Muzaffarpur . . .	Muzaffarpur district	1
14. Vaishali	Vaishali district	1
15. Sitamarhi	Sitamarhi district	1
16. Darbhanga . . .	Darbhanga district	1
17. Madhubani . . .	Madhubani district	1
18. Samastipur . . .	Samastipur district	1
19. Monghyr	Monghyr district	1
20. Begusarai-cum-Khagaria .	Begusarai and Khagaria districts	1
21. Saharsa-cum-Madhepura .	Saharsa and Madhepura districts	1
22. Bhagalpur	Bhagalpur district	1
[1][23. Purnea-cum-Arariya-cum-Kishanganj . . .	Purnea, Arariya and Kishanganj districts	1]
24. Katihar	Katihar district	1
[2][25. Santhal Parganas . .	Godda, Sahebganj, Deoghar and Dumka districts	2]
26. Hazaribagh . . .	Hazaribagh district	1
27. Giridih	Giridih district	1
[3][28. Ranchi	Ranchi, Lohardaga and Gumla districts	2]
29. Palamau	Palamau district	1
30. Dhanbad	Dhanbad district	1
[1][31. East Singhbhum-cum-West Singhbhum . .	East Singhabhum and West Singhbhum districts	2]

[1][3. Any reference in this Order to a district shall be construed as a reference to the area comprised within that district on the 1st day of February, 1990.]

[4]THE DELIMITATION OF COUNCIL CONSTITUENCIES (MADHYA PRADESH) ORDER, 1957

In pursuance of sub-section (*3*) of section 33 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956), the President, after consultation with the Election Commission, is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Delimitation of Council Constituencies (Madhya Pradesh) Order, 1957.

1. Subs. by the Delimitation of Council Constituencies (Bihar) Amendment Order, 1991 [*Vide* Notifn. No. S.O. 277(E), dated the 23rd April, 1991], for certain items and paragraph 3.
2. Subs. by the Delimitation of Council Constituencies (Bihar) Amendment Order, 1984 [*Vide* Notifn. No. S.O. 566(E), dated the 4th August, 1984], for item 25.
3. Subs. *ibid.*, for item 28.
4. *See* Notifn. No. S.R.O. 3901, dated the 3rd December, 1957.

1	2	3
	स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र	
1. पटना	पटना जिला	1
2. नालन्दा	नालन्दा जिला	1
1[3. गया एवं जहानाबाद	गया और जहानाबाद जिले	1]
4. औरंगाबाद	औरंगाबाद जिला	1
5. नवादा	नवादा जिला	1
6. भोजपुर	भोजपुर जिला	1
7. रोहतास	रोहतास जिला	1
8. सारण	सारण जिला	1
9. सिवान	सिवान जिला	1
10. गोपालगंज	गोपालगंज जिला	1
11. पश्चिम चम्पारण	पश्चिम चम्पारण जिला	1
12. पूर्वी चम्पारण	पूर्वी चम्पारण जिला	1
13. मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर जिला	1
14. वैशाली	वैशाली जिला	1
15. सीतामढ़ी	सीतामढ़ी जिला	1
16. दरभंगा	दरभंगा जिला	1
17. मधुबनी	मधुबनी जिला	1
18. समस्तीपुर	समस्तीपुर जिला	1
19. मुंगेर	मुंगेर जिला	1
20. बेगुसराय एवं खगरिया	बेगुसराय और खगरिया जिले	1
21. सहरसा एवं मधेपुरा	सहरसा और मधेपुरा जिले	1
22. भागलपुर	भागलपुर जिला	1
1[23. पूर्णिया एवं अररिया एवं किशनगंज	पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिले	1]
24. कटिहार	कटिहार जिला	1
2[25. संथाल परगना	गोड्डा साहबगंज, देवघर और दुमका जिले	2]
26. हजारीबाग	हजारीबाग जिला	1
27. गिरिडीह	गिरिडीह जिला	1
3[28. रांची	रांची, लोहारदागा और गुमला जिले	2]
29. पलामू	पलामू जिला	1
30. धनबाद	धनबाद जिला	1
1[31. पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम	पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले	2]

1[3. इस आदेश में जिलों के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस जिले के अन्दर 1 फरवरी, 1990 को समाविष्ट क्षेत्र के प्रति निर्देश है।]

4[परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मध्य प्रदेश) आदेश, 1957

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 33 की उपधारा (3) के अनुसरण में राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मध्य प्रदेश) आदेश, 1957 कहा जा सकेगा।

1. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (बिहार) संशोधन आदेश, 1991 [देखिए अधिसूचना सं० का० आ० 277(अ), तारीख 23 अप्रैल, 1991] द्वारा कुछ मदों और पैरा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (बिहार) संशोधन आदेश, 1984 [देखिए अधिसूचना सं० का० आ० 566(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984] द्वारा मद 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. पूर्वोक्त द्वारा मद 28 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. देखिए अधिसूचना सं० का० नि० आ० 3901 तारीख 3 दिसम्बर 1957।

2. The constituencies into which the State of Madhya Pradesh shall be divided for the purpos of elections to the Legislative Council of the State from (a) the graduates' constituencies, (b) the teachers' constituencies, and (c) the local authorities' constituencies in the said State, the extent of each such constituency and the number of seats allotted to each such constituency shall be as shown in the following Table :—

TABLE

Name of Constituency	Extent of Constituency	Number of seats
1	2	3
	Graduates' Constituencies	
Madhya Pradesh West (Graduates)	Bhopal, Gwalior and Indore Divisions	4
Madhya Pradesh East (Graduates)	Jabalpur, Rewa, Bilaspur and Raipur Divisions	4
	Teachers' Constituencies	
Madhya Pradesh West (Teachers)	Bhopal, Gwalior and Indore Divisions	4
Madhya Pradesh East (Teachers)	Jabalpur, Rewa, Bilaspur and Raipur Divisions	4
	Local Authorities' Constituencies	
Bhopal (Local Authorities) . .	Bhopal Division	6
Gwalior (Local Authorities) .	Gwalior Division	3
Indore (Local Authorities) . .	Indore Division	7
Jabalpur (Local Authorities) .	Jabalpur Division	7
Raipur (Local Authorities) . .	Raipur and Bilaspur Divisions	7
Rewa (Local Authorities) . .	Rewa Division	1

[1][*Note.*—Any reference in column 2 of this Table to Indore Division shall be taken to mean the area comprised within that Division on the 1st day of October, 1959.]

1 Ins. by the Rajasthan and Madhya Pradesh (Transfer of Territories) Act 1959 (47 of 1959), s. 5 and Sch. II.

2. मध्य प्रदेश राज्य में के (क) स्नातक निर्वाचन-क्षेत्रों, (ख) शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों, और (ग) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र से राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए मध्य प्रदेश राज्य को जिन निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा वे निर्वाचन-क्षेत्र, हर एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार और हर एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटित स्थानों की संख्या वह होगी जो निम्नलिखित सारणी में दी गई है :—

सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार	स्थानों की संख्या
1	2	3
	स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र	
मध्य प्रदेश पश्चिम (स्नातक)	भोपाल, ग्वालियर और इन्दौर खण्ड	4
मध्य प्रदेश (पूर्व) (स्नातक)	जबलपुर, रीवा, बिलासपुर और रायपुर खण्ड	4
	शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र	
मध्य प्रदेश पश्चिम (शिक्षक)	भोपाल, ग्वालियर और इन्दौर खण्ड	4
मध्य प्रदेश पूर्व (शिक्षक)	जबलपुर, रीवा, बिलासपुर और रायपुर खण्ड	4
	स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र	
भोपाल (स्थानीय प्राधिकारी)	भोपाल खण्ड	6
ग्वालियर (स्थानीय प्राधिकारी)	ग्वालियर खण्ड	3
इन्दौर (स्थानीय प्राधिकारी)	इन्दौर खण्ड	7
जबलपुर (स्थानीय प्राधिकारी)	जबलपुर खण्ड	7
रायपुर (स्थानीय प्राधिकारी)	रायपुर और बिलासपुर खण्ड	7
रीवा (स्थानीय प्राधिकारी)	रीवा खण्ड	1

[1][**टिप्पणी**—इस सारणी के स्तम्भ 2 में इन्दौर खण्ड के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस खण्ड के अन्दर 1 अक्तूबर, 1959 को समाविष्ट क्षेत्र के प्रति निर्देश है ।]

1. राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1959 (1959 का 47) की धारा 5 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।

[1]THE DELIMITATION OF COUNCIL CONSTITUENCIES (BOMBAY) ORDER, 1951

In pursuance of section 11 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the President is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Delimitation of Council Constituencies (Bombay) Order, 1951.

2. The constituencies into which the State of [2][Maharashtra] shall be divided for the purpose of elections to the Legislative Council of the State from (a) the graduates' constituencies, (b) the teachers' constituencies, and (c) the local authorities' constituencies in the said State, the extent of each such constituency and the number of seats allotted to each such constituency shall be as shown in the following Table:—

[3][TABLE

Name of Constituency	Extent of Constituency	Number of seats
1	2	3
	Graduates' Constituencies	
1. Bombay Graduates . . .	Bombay City and Bombay Suburban districts	1
2. Konkan Division Graduates .	Thane, Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg districts	1
3. Pune Division Graduates .	Pune, Solapur, Satara, Sangli, Kolhapur districts	1
4. Nashik Division Graduates .	Nashik, Ahmednagar, Dhule, Jalgaon districts	1
5. Aurangabad Division Graduates	Aurangabad, Jalna, Beed, Nanded, Osmanabad, Latur, Parbhani districts	1
6. Amravati Division Graduates	Amravati, Akola, Buldhana, Yavatmal districts	1
7. Nagpur Division Graduates .	Nagpur, Bhandara, Wardha, Chandrapur, Gadhchiroli districts.	1
	Teachers' Constituencies	
1. Bombay Teachers . . .	Bombay City and Bombay Suburban districts	1
2. Konkan Division Teachers .	Thane, Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg districts	1
3. Pune Division Teachers .	Pune, Solapur, Satara, Sangli, Kolhapur districts	1
4. Nashik Division Teachers .	Nashik, Ahmednagar, Dhule, Jalgaon districts	1
5. Aurangabad Division Teachers	Aurangabad, Jalna, Beed, Nanded, Osmanabad, Latur, Parbhani districts	1
6. Amravati Division Teachers .	Amravati, Akola, Buldhana, Yavatmal districts	1
7. Nagpur Division Teachers .	Nagpur, Bhandara, Wardha, Chandrapur, Gadhchiroli districts.	1
	Local Authorities' Constituencies	
1. Bombay Local Authorities .	Bombay City and Bombay Suburban districts	2
2. Dhule Local Authorities .	Dhule district	1

1. *See* Notifn. No. S.R.O. 1411, dated the 19th September, 1951 and Notifn. No. S.R.O. 1595, dated the 18th October, 1951.
2. Subs. by the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), s. 22 and Sch. V, for "Bombay" (w.e.f. 1-5-1960).
3. Subs. by the Delimitation of Council Constituencies (Bombay) Amendment Order, 1983 [*vide* Notifn. No. S.O. 517(E), dated the 22nd July, 1983], for the Table.

[1]परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मुम्बई) आदेश, 1951

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 11 के अनुसरण में राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मुम्बई) आदेश, 1951 कहा जा सकेगा।

2. [2][महाराष्ट्र] राज्य में के (क) स्नातक निर्वाचन-क्षेत्रों, (ख) शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों, और (ग) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों में राज्य को विधान परिषद् के लिए निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र राज्य को जिन निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा वे निर्वाचन-क्षेत्र हुए, ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार और हर एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र को आवंटित स्थानों की संख्या वह होगी जो निम्नलिखित सारणी में दी गई है :—

[3][सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार	स्थानों की संख्या
1	2	3
	स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र	
1. मुम्बई स्नातक	मुम्बई शहर और मुम्बई उपनगरीय जिले	1
2. कोंकण खंड स्नातक	ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग जिले	1
3. पुणे खंड स्नातक	पुणे, सोलापुर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर जिले	1
4. नासिक खंड स्नातक	नासिक, अहमदनगर, धुले, जलगांव जिले	1
5. औरंगाबाद खंड स्नातक	औरंगाबाद, जालना, बीड, नानदेड, उस्मानाबाद, लातूर, परभनी जिले	1
6. अमरावती खंड स्नातक	अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाल जिले	1
7. नागपुर खंड स्नातक	नागपुर, भंडारा, वर्धा, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली जिले	1
	शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र	
1. मुम्बई शिक्षक	मुम्बई शहर और मुम्बई उपनगरीय जिले	1
2. कोंकण	ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग जिले	1
3. पुणे खंड शिक्षक	पुणे, सोलापुर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर जिले	1
4. नासिक खंड शिक्षक	नासिक, अहमदनगर, धुले, जलगांव जिले	1
5. औरंगाबाद खंड शिक्षक	औरंगाबाद, जालना, बीड, नानदेड, उस्मानाबाद, लातूर, परभनी जिले	1
6. अमरावती खंड शिक्षक	अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाल जिले	1
7. नागपुर खंड शिक्षक	नागपुर, भंडारा, वर्धा, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली जिले	1
	स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र	
1. मुम्बई स्थानीय प्राधिकारी	मुम्बई शहर और मुम्बई उपनगरीय जिले	2
2. धुले स्थानीय प्राधिकारी	धुले जिला	1

1. देखिए अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1411, तारीख 19 सितम्बर, 1951 और अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1595, तारीख 18 अक्तूबर, 1951।

2. मुम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 22 और पांचवी अनुसूची द्वारा "मुम्बई" के स्थान पर (1-5-1960 से) प्रतिस्थापित।

3. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मुम्बई) संशोधन आदेश, 1983 [देखिए अधिसूचना सं० का० आ० 517(अ), तारीख 22 जुलाई, 1983] द्वारा सारणी के स्थान पर प्रतिस्थापित।

1	2	3
3. Jalgaon Local Authorities .	Jalgaon district	1
4. Nashik Local Authorities .	Nashik district	1
5. Ahmednagar Local Authorities	Ahmednagar districts	1
6. Thane Local Authorities .	Thane district	1
7. Raigad-cum-Ratnagiri-cum-Sindhudurg Local Authorities	Raigad, Ratnagiri and Sindhudurg districts	1
8. Pune Local Authorities .	Pune district	1
9. Kolhapur Local Authorities .	Kolhapur district	1
10. Sangli-cum-Satara Local Authorities	Sangli, Satara districts	1
11. Solapur Local Authorities .	Solapur district	1
12. Osmanabad-cum-Latur-cum-Beed Local Authorities	Osmanabad, Latur, Beed districts	1
13. Aurangabad-cum-Jalna Local Authorities	Aurangabad and Jalna districts	1
14. Parbhani Local Authorities .	Parbhani district	1
15. Nanded Local Authorities .	Nanded district	1
16 Akola-cum-Buldhana Local Authorities	Akola and Buldhana districts	1
17. Amravati Local Authorities .	Amravati district	1
18. Yavatmal Local Authorities	Yavatmal district	1
19. Nagpur Local Authorities .	Nagpur district	1
20. Bhandara Local Authorities .	Bhandara district	1
21. Wardha-cum-Chandrapur-cum-Gadhchiroli Local Authorities	Wardha, Chandrapur, Gadhchiroli districts	1

[Any reference in this Order to a district shall be construed as a reference to the area comprised within that district on the 1st day of April, 1983.]

1	2	3
3. जलगांव स्थानीय प्राधिकारी	जलगांव जिला	1
4. नासिक स्थानीय प्राधिकारी	नासिक जिला	1
5. अहमदनगर स्थानीय प्राधिकारी	अहमदनगर जिला	1
6. थाणे स्थानीय प्राधिकारी	ठाणे जिला	1
7. रायगढ़ एवं रत्नगिरि एवं सिंधुदुर्ग स्थानीय प्राधिकारी	रायगढ़, रत्नगिरि और सिंधुदुर्ग जिले	1
8. पुणे स्थानीय प्राधिकारी	पुणे जिला	1
9. कोल्हापुर स्थानीय प्राधिकारी	कोल्हापुर जिला	1
10. सांगली एवं सतारा स्थानीय प्राधिकारी	सांगली, सतारा जिले	1
11. शोलापुर स्थानीय प्राधिकारी	शोलापुर जिला	1
12. उस्मानाबाद एवं लातुर एवं बीड स्थानीय प्राधिकारी	उस्मानाबाद, लातुर, बीड जिले	1
13. औरंगाबाद एवं जलना स्थानीय प्राधिकारी	औरंगाबाद और जलना जिले	1
14. परभनी स्थानीय प्राधिकारी	परभनी जिला	1
15. नानदेड स्थानीय प्राधिकारी	नानदेड जिला	1
16. अकोला एवं बुलढाणा स्थानीय प्राधिकारी	अकोला और बुलढाणा जिले	1
17. अमरावती स्थानीय प्राधिकारी	अमरावती जिला	1
18. यवतमाल स्थानीय प्राधिकारी	यवतमाल जिला	1
19. नागपुर स्थानीय प्राधिकारी	नागपुर जिला	1
20. भंडारा स्थानीय प्राधिकारी	भण्डारा जिला.	1
21. वर्धा एवं चन्द्रपुर एवं गढ़चिरोली जिले स्थानीय प्राधिकारी	वर्धा, चन्द्रपुर गढ़चिरोली जिले	1

2 इस आदेश में जिले के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि यह उस के अन्दर 1 अप्रैल 1983 का समाविष्ट क्षेत्र के प्रति निर्देश है ।

[1]THE DELIMITATION OF COUNCIL CONSTITUENCIES (MYSORE) ORDER, 1951

In pursuance of section 11 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the President is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Delimitation of Council Constituencies (Mysore) Order, 1951.

2. The constituencies into which the State of [2][Karnataka] shall be divided for the purpose of elections to the Legislative Council of the State from (a) the graduates, constituencies, (b) the teachers' constituencies, and (c) the local authorities' constituencies in the said State, the extent of each such constituency and the number of seats allotted to each such constituency shall be as shown in the following Table:—

[3][TABLE

Name of Constituency	Extent of Constituency	Number of seats
(1)	(2)	(3)
	Graduates' Constituencies	
1. Karnataka North-East Graduates	Bidar, Gulbarga, Raichur and Bellary districts	1
2. Karnataka North-West Graduates	Bijapur and Belgaum districts	1
3. Karnataka West Graduates	Dharwad and Uttara Kannada districts	1
4. Karnataka South-East Graduates	Chitradurga, Tumkur and Kolar districts	1
5. Karnataka South-West Graduates	Shimoga, Dakshina Kannada, Chikmagalur and Kodagu districts	1
6. Karnataka South Graduates	Mysore, Mandya and Hassan districts	1
7. Bangalore Graduates	Bangalore and Bangalore Rural districts	1
	Teachers' Constituencies	
1. Karnataka North-East Teachers	Bidar, Gulbarga, Raichur and Bellary districts	1
2. Karnataka North-West Teachers	Bijapur and Belgaum districts	1
3. Karnataka West Teachers	Dharwad and Uttara Kannada districts	1
4. Karnataka South-East Teachers	Chitradurga, Tumkur and Kolar districts	1
5. Karnataka South-West Teachers	Shimoga, Dakshina Kannada, Chikmagalur and Kodagu districts	1
6. Karnataka South Teachers	Mysore, Mandya and Hassan districts	1
angalore Teachers	Bangalore and Bangalore Rural districts	1
	Local Authorities' Constituencies	
1. Bidar Local Authorities	Bidar district	1
2. Gulbarga Local Authorities	Gulbarga district	1
3. Bijapur Local Authorities	Bijapur district	2
4. Belgaum Local Authorities	Belgaum district	2
5. Uttara Kannada Local Authorities	Uttara Kannada district	1
6. Dharwad Local Authorisies	Dhawsad district	2

1. *See* Notifn. No. S.R.O. 1416, dated the 19th September, 1951.
2. Subs. by the Mysore State (Alteration of Name) (Adaptation of Laws on Union Subjects) Order, 1974, for "Mysore" (w.e.f. 1-11-1973).
3. Subs. by the Delimitation of Council Constituencies (Mysore) Amendment Order, 1988 [*vide* Notifn. No. S. O. 418(E), dated 12th April, 1988], for the Table.

[1]परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मैसूर) आदेश, 1951

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 11 के अनुसरण में राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश परिषद निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मैसूर) आदेश, 1951 कहा जा सकेगा।

2. [2][कर्नाटक] राज्य में के (क) स्नातक निर्वाचन-क्षेत्रों, (ख) शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों, और (ग) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों से राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए राज्य को जिन निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा वे निर्वाचन हर एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार और हर एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र के आबंटित स्थानों की संख्या वह होगी जो निम्नलिखित सारणी में दी गई है :—

[3][सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार	स्थानों की संख्या
1	2	3
	स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र	
1. कर्नाटक उत्तर-पूर्व स्नातक	बीदर, गुलबर्ग, रायचूर और बेलारी जिले	1
2. कर्नाटक उत्तर-पश्चिम स्नातक	बीजापुर और बेलगांव जिले	1
3. कर्नाटक पश्चिम स्नातक	धारवाड़ और उत्तर कन्नड जिले	1
4. कर्नाटक दक्षिण-पूर्व स्नातक	चित्रदुर्ग, तुमकुर और कोलार जिले	1
5. कर्नाटक दक्षिण पश्चिम स्नातक	शिमोगा, दक्षिण कन्नड, चिकमगलूर और कोडागु जिले	1
6. कर्नाटक दक्षिण स्नातक	मैसूर, मंडया और हसन जिले	1
7. बंगलौर स्नातक	बंगलौर और बंगलौर ग्रामीण जिले	1
	शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र	
1. कर्नाटक उत्तर-पूर्व शिक्षक	वीदर, गुलबर्ग, रायचूर और बेलारी जिले	1
2. कर्नाटक उत्तर-पश्चिम शिक्षक	बीजापुर और बेलगांव जिले	1
3. कर्नाटक पश्चिम शिक्षक	धारवाड़ और उत्तर कन्नड जिले	1
4. कर्नाटक दक्षिण-पूर्व शिक्षक	चित्रदुर्ग, तुमकुर और कोलार जिले	1
5. कर्नाटक दक्षिण-पश्चिम शिक्षक	शिमोगा, दक्षिण कन्नड, चिकमगलूर और कोडागू जिले	1
6. कर्नाटक दक्षिण शिक्षक	मैसूर, मंडया और हसन जिले	1
7. बंगलौर शिक्षक	बंगलौर और बंगलौर ग्रामीण जिले	1
	स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र	
1. बीदर स्थानीय प्राधिकारी	बीदर जिला	1
2. गुलबर्ग स्थानीय प्राधिकारी	गुलबर्ग जिला	1
3. बीजापुर स्थानीय प्राधिकारी	बीजापुर जिला	2
4. बेलगांव स्थानीय प्राधिकारी	बेलगांव जिला	2
5. उत्तर कन्नड स्थानीय प्राधिकारी	उत्तर कन्नड जिला	1
6. धारवाड़ स्थानीय प्राधिकारी	धारवाड़ जिला	2

1. देखिए—अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1416, तारीख 19 सितम्बर, 1951।
2. मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 द्वारा "मैसूर" के स्थान पर (1-11-1973 से) प्रतिस्थापित।
3. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मैसूर) संशोधन आदेश, 1988 [देखिए अधिसूचना सं० का० आ० 448(अ), तारीख 12 अप्रैल, 1988] द्वारा सारणी के स्थान पर प्रतिस्थापित।

1	2	3
7. Raichur Local Authorities	Raichur district	1
8. Bellary Local Authorities	Bellary district	1
9. Chitradurga Local Authorities	Chitradurga district	1
10. Shimoga Local Authorities	Shimoga district	1
11. Dakshina Kannada Local Authorities.	Dakshina Kannada district	2
12. Chikmagalur Local Authorities	Chikmagalur district	1
13. Hassan Local Authorities	Hassan district	1
14. Tumkur Local Authorities	Tumkur district	1
15. Mandya Local Authorities	Mandya district	1
16. Bangalore Local Authorities	Bangalore district	1
17. Bangalore Rural Local Authorities	Bangalore Rural district	1
18. Kolar Local Authorities	Kolar district	1
19. Kodagu Local Authorities	Kodagu district	1
20. Mysore Local Authorities	Mysore district	2]

3. Any reference in this Order to a district shall be construed as a reference to the area comprised within that district on the [1][1st day of December, 1987].

1. Subs. by the Delimitation of Council Constituencies (Mysore) Amendment Order, 1988 [*vide* Ntfn. No. S. O. 448(E), dated 12th April, 1988], for "1st day of March, 1983".

1	2	3
7. रायचूर स्थानीय प्राधिकारी	रायचूर जिला	1
8. बेलारी स्थानीय प्राधिकारी	बेलारी जिला	1
9. चित्रदुर्ग स्थानीय प्राधिकारी	चित्रदुर्ग जिला	1
10. शिमोगा स्थानीय प्राधिकारी	शिमोगा जिला	1
11. दक्षिण कन्नड स्थानीय प्राधिकारी	दक्षिण कन्नड जिला	2
12. चिकमगलूर स्थानीय प्राधिकारी	चिकमगलूर जिला	1
13. हसन स्थानीय प्राधिकारी	हसन जिला	1
14. तुमकुर स्थानीय प्राधिकारी	तुमकुर जिला	1
15. मंड्या स्थानीय प्राधिकारी	मंड्या जिला	1
16. बंगलौर स्थानीय प्राधिकारी	बंगलौर जिला	1
17. बंगलौर ग्रामीण स्थानीय प्राधिकारी	बंगलौर ग्रामीण जिला	1
18. कोलार स्थानीय प्राधिकारी	कोलार जिला	1
19. कोडागू स्थानीय प्राधिकारी	कोडागू जिला	1
20. मैसूर स्थानीय प्राधिकारी	मैसूर जिला	2]

3. इस आदेश में जिले के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस जिले के अन्दर [1][1 दिसम्बर, 1987] को समाविष्ट क्षेत्र के प्रति निर्देश है ।

1. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मैसूर) संशोधन आदेश, 1988 [देखिए अधिसूचना सं० का०आ० 448(अ), तारीख 12 अप्रैल, 1988] द्वारा, "1 मार्च, 1983" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1]THE DELIMITATION OF COUNCIL CONSTITUENCIES (UTTAR PRADESH) ORDER, 1951

In pursuance of section 11 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the President is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Delimitation of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Order, 1951.

2. The constituencies into which the State of Uttar Pradesh shall be divided for the purpose of elections to the Legislative Council of the State from : (*a*) the graduates' constituencies, (*b*) the teachers' constituencies, and (*c*) the local authorities' constituencies in the said State, the extent of each such constituency and the number of seats allotted to each such constituency shall be as shown in the following Table :—

[2][TABLE

Name of Constituency	Extent of Constituency	Number of seats
1	2	3
	Graduates' Constituencies	
1. Garhwal-Kumaon Division Graduates	Uttar Kashi, Chamoli, Pithoragarh, Almora, Nainital, Garhwal, Tehri Garhwal and Dehra Dun districts	1
2. Bareilly-Moradabad Division Graduates	Bareilly, Pilibhit, Shahjahanpur, Budaun, Rampur, Moradabad and Bijnor districts	1
3. Lucknow Division Graduates	Lucknow, Hardoi, Kheri, Sitapur, Barabanki, Rae Bareli and Partapgarh districts	1
[3][4. Gorakhpur-Faizabad Division Graduates	Bahraich, Gonda, Basti, Siddharth Nagar, Gorakhpur, Maharajganj, Deoria, Azamgarh, Mau, Sultanpur and Faizabad districts	1]
[4][5. Varanasi Division Graduates	Ballia, Gazipur, Jaunpur, Varanasi, Mirzapur and Sonbhadra districts	1]
6. Allahabad-Jhansi Division Graduates	Allahabad, Fatehpur, Banda, Hamirpur, Jalaun, Jhansi and Lalitpur districts	1
7. Kanpur Graduates	Kanpur Nagar and Kanpur Dehat and Unnao districts	1
[4][8. Agra Division Graduates	Agra, Firozabad, Mathura, Aligarh, Etah, Mainpuri, Etawah and Farrukhabad districts	1]
[4][9. Meerut Division Graduates	Bulandshahr, Ghaziabad, Meerut, Muzaffarnagar, Saharanpur and Haridwar districts	1]
	Teachers' Constituencies	
1. Garhwal, Kumaon Division Teachers	Uttar Kashi, Chamoli, Pithoragarn, Almora, Nainital, Garhwal, Tehri Garhwal and Dehra Dun districts	1
2. Bareilly Division Teachers	Bareilly, Pilibhit, Shahjahanpur, Badaun, Rampur, Moradabad and Bijnor districts	1

1. *See* Notifn. No. S.R.O. 1414, dated the 19th September, 1951 and Notifn. No. S.R.O. 1595, dated the 18th October, 1951.
2. Subs. by the Delimitation of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Amendment Order, 1983 [*vide* Notifn. No. S.O. 524(E), dated the 25th July, 1983], for the Table.
3. Subs. by the Delimitation of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Amendment Order, 1991 [*vide* Notifn. No S.O. 332(E), dated 15th May, 1991 for item No. 4.
4. Subs. by the Delimitation of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Amendment Order, 1989 [*Vide* Notifn. No S.O. dated 30th June, 1989] for the existing entries relating to serial numbers 4, 5, 8 and 9 under "Graduates' Constituencies" serial numbers 4, 5, 8 and 9 under "Teachers' Constituencies" and serial numbers 19, 22, 27, 33 and 38 under "Local Authorities' Constituencies".

[1]परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1951

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 11 के अनुसरण में राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश परिषद निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1951 कहा जा सकेगा।

2. उत्तर प्रदेश राज्य में के (क) स्नातक निर्वाचन-क्षेत्रों, (ख) शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों, और (ग) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों से राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को जिन निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा वे निर्वाचन-क्षेत्रों, हर एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार और हर एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटित स्थानों की संख्या वह होगी जो निम्नलिखित सारणी में दी गई है :—

[2]सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार	स्थानों की संख्या
1	2	3
	स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र	
1. गढ़वाल कुमाऊं 'ख' स्नातक	उत्तर काशी, चमोली, पिथोरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल, टिहरी-गढ़वाल और देहरादून जिले	1
2. बरेली-मुरादाबाद खंड स्नातक	बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर जिले	1
3. लखनऊ खंड स्नातक	लखनऊ, हरदोई, खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और प्रतापगढ़ जिले	1
[3][4. गोरखपुर-फैजाबाद खंड स्नातक	बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर और फैजाबाद जिले	1]
[4][5. वाराणसी खंड स्नातक	बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी मिर्जापुर और सोनभद्रा जिले	1]
6. इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक	इलाहाबाद, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर,, जालौन, झांसी और ललितपुर जिले	1
7. कानपुर स्नातक	कानपुर नगर और कानपुर देहात और उन्नाव जिले	1
[4][8. आगरा खंड स्नातक	आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा और फरुखाबाद जिले	1]
[4][9. मेरठ खंड स्नातक	बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हरिद्वार जिले	1]
	शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र	
1. गढ़वाल-कुमाऊं खंड शिक्षक	उत्तर काशी, चमोली, पिथोरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल, टिहरी-गढ़वाल, और देहरादून जिले	1
2. बरेली खंड शिक्षक	बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर जिले	1

1. देखिए—अधिसूचना सं० का०नि०आ० 1414, तारीख 19 सितम्बर, 1951 और अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1595, तारीख 18 अक्तूबर, 1951।
2. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 1983 [देखिए अधिसूचना सं० का० आ० 524(अ), तारीख 25 जुलाई, 1983] द्वारा सारणी के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 1991 [देखिए अधिसूचना सं० 332(अ), तारीख 15 मई, 1991 द्वारा मद सं० 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 1989 [देखिए का० आ० तारीख 30 जून, 1989] द्वारा "स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र" के नीचे क्रम संख्यांक 4, 5, 8 और 9 "शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र के नीचे क्रम संख्यांक 4, 5, 8 और 9 तथा "स्थानीय अधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र" के नीचे क्रम संख्यांक 19, 22, 27, 33 और 38 से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

1	2	3
3. Lucknow Division Teachers	Lucknow, Hardoi, Kheri, Sitapur, Barabanki Rae Bareli and Partapgarh districts	1
[1][4. Gorakhpur-Faizabad Division Teachers	Bahraich, Gonda, Basti, Siddharth Nagar, Gorakhpur, Maharajganj, Deoria, Azamgarh, Mau, Sultanpur and Faizabad districts	1]
[2][5. Varanasi Division Teachers	Ballia, Gazipur, Jaunpur, Varanasi, Mirzapur, and Sonbhadra districts	1]
6. Allahabad-Jhansi Division Teachers	Allahabad, Fatehpur, Banda, Hamirpur, Jalaun, Jhansi and Lalitpur districts	1
7. Kanpur Teachers	Kanpur Nagar and Kanpur Dehat and Unnao districts	1
[2][8. Agra Division Teachers	Agra, Firozabad, Mathura, Aligarh, Etah, Mainpuri, Etawah and Farukhabad districts	1]
[2][9. Meerut Division Teachers	Bulandshahr, Ghaziabad, Meerut, Muzaffar-nagar, Saharanpur and Haridwar districts	1]
	Local Authorities' Constituencies	
1. Tehri Garwhal Local Authorities	Tehri Garhwal, Dehra Dun and Uttar Kashi districts	1
2. Garhwal Local Authorities	Garhwal and Chamoli districts	1
3. Kumaon Local Authorities	Almora, Pithoragarh and Nainital districts	1
4. Moradabad-Bijnor Local Authorities	Moradabad and Bijnor districts	1
5. Rampur-Bareilly Local Authorities	Rampur and Bareilly districts	1
6. Budaun Local Authorities	Budaun districts	1
7. Pilibhit-Sahajahanpur Local Authorities	Pilibhit and Shajahanpur districts	1
8. Hardoi Local Authorities	Hardoi district	1
9. Kheri Local Authorities	Kheri district	1
10. Sitapur Local Authorities	Sitapur district	1
11. Lucknow-Unnao Local Authorities	Lucknow and Unnao districts	1
12. Rae Bareli Local Authorities	Rae Bareli district	1
13. Partapgarh Local Authorities	Partapgarh distrtct	1
14. Sultanpur Local Authorities	Sultanpur district	1
15. Barabanki Local Authorittes	Barabanki district	1
16. Bahraich Local Authorities	Bahraich district	1
17. Gonda Local Authorities	Gonda district	1
18. Faizabad Local Authorities	Faizabad district	1
[2][19. Basti-Siddharth Nagar Local Authorities	Basti and Siddharth Nagar districts	1]
[1][20. Gorakhpur-Maharajganj Local Authorities	Gorakhpur and Maharajganj districts	1]
21. Deoria Local Authorities	Deoria district	1
[1][22. Azamgarh-Mau Local Authorities	Azamgarh and Mau districts	1]
23. Ballia Local Authorities	Ballia district	1

1. Subs. by the Delimitation of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Amendment order, 1991 [*Vide* Notifn. No. S.O. 33[illegible]) dated 15th May, 1991], for items.
2. Sub[illegible] by the Delimitation of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Amendment Order, 1989 [*Vide* Notification No. S.[illegible] dated [illegible]th June, 1989], for the existing entries relating to serial numbers 4, 5, 8 and 9 under "Graduates' Constituencies", serial numbers 4, 5, 8 and 9 under "Teachers' Constituencies" and serial numbers 9, 22, 27, 33, and 38 under "Local Authorities' Constituencies.".

1	2	3
3. लखनऊ खंड शिक्षक	लखनऊ, हरदोई, खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, और प्रतापगढ़ जिले	1
[1][4. गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक	बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, सुलतानपुर और फैजाबाद जिले	1]
[1][5. वाराणसी खंड शिक्षक	बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले	1]
6. इ[illegible] खंड शिक्षक	इलाहाबाद, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर जिले	1
7. [illegible]	कानपुर [illegible] और कानपुर देहात और उन्नाव जिले	1
[1][8. [illegible] खंड शिक्षक	आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा और फर्रुखाबाद जिले	1]
[1][9. मेरठ खंड शिक्षक	बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हरिद्वार जिले	1]
	स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र	
1. टिहरी गढ़वाल स्थानीय प्राधिकारी	टिहरी गढ़वाल, देहरादून और उत्तर काशी जिले	1
2. गढ़वाल स्थानीय प्राधिकारी	गढ़वाल और चमोली जिले	1
3. कुमाऊं स्थानीय प्राधिकारी	अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले	1
4. मुरादाबाद-बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी	मुरादाबाद और बिजनौर जिले	1
5. रामपुर बरेली स्थानीय प्राधिकारी	रामपुर और बरेली जिले	1
6. बदायूं स्थानीय प्राधिकारी	बदायूं जिला	1
7. पीलीभीत-शाहजहांपुर स्थानीय प्राधिकारी	पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले	1
8. हरदोई स्थानीय प्राधिकारी	हरदोई जिला	1
9. खीरी स्थानीय प्राधिकारी	खीरी जिला	1
10. सीतापुर स्थानीय प्राधिकारी	सीतापुर जिला	1
11. लखनऊ-उन्नाव स्थानीय प्राधिकारी	लखनऊ और उन्नाव जिले	1
12. रायबरेली स्थानीय प्राधिकारी	रायबरेली जिला	1
13. प्रतापगढ़ स्थानीय प्राधिकारी	प्रतापगढ़ जिला	1
14. सुल्तानपुर स्थानीय प्राधिकारी	सुल्तानपुर जिला	1
15. बाराबंकी स्थानीय प्राधिकारी	बाराबंकी जिला	1
16. बहराईच स्थानीय प्राधिकारी	बहराईच जिला	1
17. गोंडा स्थानीय प्राधिकारी	गोंडा जिला	1
18. फैजाबाद स्थानीय प्राधिकारी	फैजाबाद जिला	1
[2][19. बस्ती-सिद्धार्थनगर स्थानीय प्राधिकारी	बस्ती और सिद्धार्थनगर जिले	1]
20. गोरखपुर-महाराजगंज स्थानीय प्राधिकारी	गोरखपुर और महाराजगंज जिले	1
21. देवरिया स्थानीय प्राधिकारी	देवरिया जिला	1
[1][22. आजमगढ़-मऊ स्थानीय प्राधिकारी	आजमगढ़ और मऊ जिले	1]
23. बलिया स्थानीय प्राधिकारी	बलिया जिला	1

1. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 1991 [देखिए अधिसूचना सं० का० आ० 332 (अ), तारीख 15 मई, 1991 द्वारा कुछ मदों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 1989, [देखिए का० आ० तारीख 30 जून, 1989] द्वारा "स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र" के नीचे क्रम संख्यांक 4, 5, 8 और 9, "शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र" के नीचे क्रम संख्यांक 4, 5, 8 और 9 तथा "स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र" के नीचे क्रम संख्यांक 19, 22, 27, 33 और 38 से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

1	2	3
24. Ghazipur Local Authorities	Ghazipur district	1
25. Jaunpur Local Authorities	Jaunpur district	1
26. Varanasi Local Authorities	Varanasi district	1
[1][27. Mirzapur-Sonbhadra Local Authorities	Mirzapur and Sonbhadra districts	1]
28. Allahabad Local Authorities	Allahabad district	1
29. Banda-Hamirpur Local Authorities	Banda and Hamirpur districts	1
30. Jhansi-Jalaun-Lalitpur Local Authorites	Jalaun, Jhansi and Lalitpur districts	1
31. Kanpur-Fatehpur Local Authorities	Kanpur Nagar and Kanpur Dehat and Fatehpur districts	1
32. Etawah-Farrukhabad Local Authorities	Etawah and Farrukhabad districts	1
[1][33. Agra-Firozabad Local Authorities	Agra and Firozabad districts	1]
34. Mathura-Etah-Mainpuri Local Authorities	Mathura, Etah and Mainpuri districts.	2
35. Aligarh Local Authorities	Aligarh district	1
36. Bulandshahr Local Authorities	Bulandshahr district	1
37. Meerut-Ghaziabad Local Authorities	Meerut and Ghaziabad districts	1
[1][38. Muzaffarnagar-Saharanpur-Haridwar Local Authorities	Muzaffarnagar, Saharanpur and Haridwar districts	1]

[2][3. Any reference in this Order to a district shall be construed as a reference to the area comprised within that district on the 1st day of February, 1991]

1. Subs. by the Delimitation of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Amendment Order, 1989 [*Vide* Notifn. No. S. O., dated 30th June, 1989] for the existing entries relating to serial numbers 4, 5, 8 and 9 under "Graduates' Constituencies", serial numbers 4, 5, 8 and 9 under "Teachers' Constituencies" and serial numbers 19, 22, 27, 33 and 38 under "Local Authorities' Constituencies"

2. Subs. by the Delimination of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Amendment Order, 1991 [Vide Notifn. No. S.O.332(E), dated 15th May, 1991, for "Paragraph 3".

1	2	3
24. गाजीपुर स्थानीय प्राधिकारी	गाजीपुर जिला	1
25. जौनपुर स्थानीय प्राधिकारी	जौनपुर जिला	1
26. वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी	वाराणसी जिला	1
[1][27. मिर्जापुर-सोनभद्रा स्थानीय प्राधिकारी	मिर्जापुर और सोनभद्रा जिले	1]
28. इलाहाबाद स्थानीय प्राधिकारी	इलाहाबाद जिला	1
29. बांदा-हमीरपुर स्थानीय प्राधिकारी	बांदा और हमीरपुर जिले	1
30. झांसी-जालौन-ललितपुर स्थानीय प्राधिकारी	जालौन, झांसी और ललितपुर जिले	1
31. कानपुर-फतेहपुर स्थानीय प्राधिकारी	कानपुर नगर और कानपुर देहात और फतेहपुर जिले	1
32. इटावा-फरुखाबाद स्थानीय प्राधिकारी	इटावा और फरुखाबाद जिले	1
[1][33. आगरा-फिरोजाबाद स्थानीय प्राधिकारी	आगरा और फिरोजाबाद जिले	1]
34. मथुरा-एटा-मैनपुरी स्थानीय प्राधिकारी	मथुरा, एटा और मैनपुरी जिले	2
35. अलीगढ़ स्थानीय प्राधिकारी	अलीगढ़ जिला	1
36. बुलन्दशहर स्थानीय प्राधिकारी	बुलन्दशहर जिला	1
37. मेरठ-गाजियाबाद स्थानीय प्राधिकारी	मेरठ और गाजियाबाद जिले	1
[1][38. मुजफ्फरनगर-सहारनपुर स्थानीय प्राधिकारी	मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हरिद्वार जिले	1]

2[3. इस आदेश में जिलों के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस जिले के अन्दर 1 फरवरी, 1991 को समाविष्ट क्षेत्र के प्रति निर्देश है।]

1. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 1989 [देखिए का० आ०, तारीख 30 जून, 1989] द्वारा "स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र" के] नीचे क्रम संख्यांक 4, 5, 8 और 9 "शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र" के नीचे क्रम संख्यांक 4, 5, 8 और 9 तथा "स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र" के नीचे क्रम संख्यांक 19, 22, 27, 33 और 38 से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 1991 [देखिए अधिसूचना सं० का० आ० 332 (अ), तारीख 15 मई, 1991] द्वारा पैरा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

AUTHORITIES SPECIFIED UNDER SECTION 8A TO ACCEPT PETITIONS ABOUT CORRUPT PRACTICES

Notification No. S.O. 367(E), dated the 25th May, 1976.—In pursuance of sub-section (*1*) of section 8A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government hereby specifies—

(*a*) in the case of a person found guilty of a corrupt practice by an order under section 99 of that Act in relation to an election to the House of the People or to the Council of States, the Secretary-General of the House of the People or the Secretary-General of the Council of States, as the case may be, and

(*b*) in the case of a person found guilty of a corrupt practice by an order under section 99 of that Act in relation to an election to the Legislative Assembly or to the Legislative Council of a State, the Secretary of the Legislative Assembly of the State or the Secretary of the Legislative Council of the State, as the case may be,

as the Authority for the purposes of sub-section (*1*) of section 8A aforesaid.

[Gazette of India, Extraordinary, 1976, Part II, Section 3(ii), page 1717.]

भ्रष्ट आचरण के बारे में अर्जी स्वीकार करने के लिए धारा 8क के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी

का० आ० 367(अ), तारीख 25 मई, 1976—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8क की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार—

(क) लोक सभा या राज्य सभा के लिए निर्वाचन के सम्बन्ध में, उस अधिनियम की धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति की दशा में, यथास्थिति, लोक सभा के महासचिव या राज्य सभा के महासचिव को, और

(ख) किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् के लिए निर्वाचन के सम्बन्ध में, उस अधिनियम की धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति की दशा में, यथास्थिति, राज्य की विधान सभा के सचिव या राज्य की विधान परिषद् के सचिव को,

पूर्वोक्त धारा 8क की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करती है।

[भारत के राजपत्र, असाधारण, 1976, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), पृष्ठ 1717 में प्रकाशित।]

OFFICER BEFORE WHOM A CANDIDATE FOR ELECTION TO FILL A SEAT IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF A UNION TERRITORY SHALL MAKE AND SUBSCRIBE OATH OR AFFIRMATION

Election Commission Notification No. 3/6/68(2), *dated the* 18*th March*, 1968.—(*1*) In pursuance of clause (a) of section 4 of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), and in supersession of its Notification No. 3/3/66, dated the 2nd May, 1967, the Election Commission [1][hereby authorises—

(*i*) the returning officer concerned and all the assistant returning officers subordinate to him,

(*ii*) all stipendiary presidency magistrates and all stipendiary magistrates of the first class, and

(*iii*) all district judges and all persons belonging to the judicial service of a State other than district judges,

as the persons] before any one of whom a person having been nominated as a candidate (hereinafter referred to as the candidate) for election to fill a seat in the Legislative Assembly of a Union territory shall make and subscribe the oath or affirmation in the form set out for the purpose in the First Schedule to the said Act.

(2) Notwithstanding anything contained in paragraph (1), in pursuance of clause (a) of the said section 4, the Election Commission hereby also authorises as the person before whom the candidate may make and subscribe the said oath or affirmation,—

(*a*) where the candidate is confined in a prison, the superintendent of the prison,

(*b*) where the candidate is under preventive detention, the commandant of the detention camp,

(*c*) where the candidate is confined to bed in a hospital or elsewhere owing to illness or any other cause, the medical superintendent in charge of the hospital or the medical practitioner attending on him,

(*d*) where the candidate is out of India, the diplomatic or consular representative of India in the country where the candidate happens to be or any person authorised by such diplomatic or consular representative,

(*e*) where the candidate is for any other reason unable to appear, or prevented from appearing, before the returning officer concerned or any assistant returning officer as aforesaid, any other person nominated by the Election Commission on application made to it in this behalf.

Explanation.—In this notification—

(*1*) the expression "the returning officer concerned" means the returning officer for the assembly constituency from which a person has been nominated as a candidate for election to fill a seat in Legislative Assembly;

[2][(*1A*) the expressions "district judge" and "judicial service" shall have meanings respectively assigned to them in article 236 of the Constitution of India]; and

(*2*) the expression "assembly constituency" shall have the meaning assigned to it in clause (*c*) of sub-section (*1*) of section 2 of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963).

1. Subs. by Notifn. No. 3/6/68(2), dated 25-10-1968.
2. Ins., *Ibid*.

वे अधिकारी जिनके समक्ष किसी संघ राज्यक्षेत्र को विधान सभा में कोई स्थान भरने के लिए निर्वाचन के निमित्त कोई अभ्यर्थी शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा

भारत निर्वाचन आयोग अधिसूचना सं० 3/6/68(2), तारीख 18 मार्च, 1968--(1) संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 4 के खण्ड (क) के अनुसरण में तथा अपनी अधिसूचना सं० 3/3/66, तारीख 2 मई, 1967 को अधिक्रांत करते हुए, निर्वाचन आयोग [1][एतद्द्वारा--

(i) संपृक्त रिटर्निंग आफिसर तथा उसके अधीनस्थ समस्त सहायक रिटर्निंग आफिसरों को,

(ii) सभी साम्बलिक प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेटों तथा सभी साम्वलिक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेटों को, और

(iii) सभी जिला न्यायाधीशों को तथा किसी राज्य की न्यायिक सेवा के सभी सदस्यों को, जो जिला न्यायाधीशों से भिन्न हों,

ऐसे व्यक्तियों के रूप में प्राधिकृत करता है] जिनमें से किसी के भी समक्ष कोई व्यक्ति, किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में किसी स्थान को भरने के लिए निर्वाचन के निमित्त अभ्यर्थी के रूप में (जिसे एतस्मिन्पश्चात् अभ्यर्थी कहा गया है) नाम-निर्देशित हो जाने पर, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए हुए प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(2) पैरा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त धारा 4 के खण्ड (क) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को भी ऐसे व्यक्ति के रूप में प्राधिकृत करता है जिनके समक्ष अभ्यर्थी शपथ ले सकता है अथवा प्रतिज्ञान कर सकता है तथा उस पर हस्ताक्षर कर सकता है---

(क) जहां कोई अभ्यर्थी जेल में परिरुद्ध है वहां उस जेल का अधीक्षक ;

(ख) जहां कोई अभ्यर्थी निवारक निरोधाधीन है वहां उस निरोध-शिविर का समादेशक ;

(ग) जहां कोई अभ्यर्थी बीमारी के कारण अथवा किसी अन्य कारण से किसी अस्पताल में या किसी अन्य स्थान पर परिरुद्ध है या शय्या पर पड़ा है वहां उस अस्पताल का भारसाधक चिकित्सा अधीक्षक या उसकी परिचर्या करने वाला चिकित्सक;

(घ) जहां कोई अभ्यर्थी भारत से बाहर है वहां उस देश में, जिसमें अभ्यर्थी है, भारत का राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि या ऐसे राजनयिक अथवा कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य कोई व्यक्ति;

(ङ) जहां कोई अभ्यर्थी किसी अन्य कारण से यथा पूर्वोक्त सम्पृक्त रिटर्निंग आफिसर अथवा सहायक रिटर्निंग आफिसर के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है अथवा उपस्थित होने से निवारित हो गया है वहां इस निमित्त निर्वाचन आयोग को आवेदन करने पर उसके द्वारा नामनिर्देशित अन्य कोई व्यक्ति ।

स्पष्टीकरण---इस अधिसूचना में---

(1) "संपृक्त रिटर्निंग आफिसर" पद से उस सभा निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर अभिप्रेत है जहां से विधान सभा में किसी स्थान को भरने के लिए निर्वाचन के निमित किसी व्यक्ति को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित किया गया हो,

[2][(1क) "जिला न्यायाधीश" तथा "न्यायिक सेवा" पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 236 में समनुदिष्ट हैं,] तथा

(2) "सभा निर्वाचन-क्षेत्र" पद का वही अर्थ होगा जो उसे संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में समनुदिष्ट है ।

---

1. अधिसूचना सं० 3/6/68(2), तारीख 25-10-1968 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. पूर्वोक्त द्वारा अन्तःस्थापित ।

16--274 M of Law & Justice/89

OFFICERS BEFORE WHOM A CANDIDATE FOR ELECTION TO FILL A SEAT IN THE METROPOLITAN COUNCIL OF DELHI SHALL MAKE AND SUBSCRIBE OATH OR AFFIRMATION

Election Commission of India Notification No. 3/6/68(3), *dated the 18th March,* 1968.—(1) In pursuance of clause (*a*) of section 6 of the Delhi Administration Act, 1966 (19 of 1966), and in supersession of its Notification No. 3/3/66(1), dated the 2nd May, 1967, the Election Commission [1][hereby authorises—

(*i*) the returning officer concerned and all the assistant returning officers subordinate to him,

(*ii*) all stipendiary presidency magistrates and all stipendiary magistrates of the first class, and

(*iii*) all district judges and all persons belonging to the judicial service of a State other than district Judges,

as the persons] before any one of whom a person having been nominated as a candidate (hereinafter referred to as the candidate) for election to fill a seat in Metropolitan Council of Delhi shall make and subscribe an oath or affirmation in the form set out for the purpose in the Schedule to the said Act.

(2) Notwithstanding anything contained in paragraph (1), in pursuance of clause (*a*) of the said section 6, the Election Commission hereby also authorises as the person before whom the candidate may make and subscribe the said oath or affirmation,—

(*a*) where the candidate is confined in a prison, the superintendent of the prison,

(*b*) where the candidate is under preventive detention, the commandant of the detention camp,

(*c*) where the candidate is confined to bed in a hospital or elsewhere owing to illness or any other cause, the medical superintendent in charge of the hospital or the medical practitioner attending on him,

(*d*) where the candidate is out of India, the diplomatic or consular representative of India in the country where the candidate happens to be or any person authorised by such diplomatic or consular representative,

(*e*) where the candidate is for any other reason unable to appear, or prevented from appearing, before the returning officer concerned or any assistant returning officer as aforesaid, any other person nominated by the Election Commission on application made to it in this behalf.

Explanation.—In this notification—

(*1*) the expression "the returning officer concerned" means the returning officer for the constituency from which a person has been nominated as a candidate for election to fill a seat in the Metropolitan Council of Delhi; and

[2][(*1A*) the expressions "district judge" and "judicial service" shall have the meanings respectively assigned to them in article 236 of the Constitution of India;]

(*2*) the expression "constituency" shall have the meaning assigned to it in clause (*c*) of section 2 of the Delhi Administration Act, 1966 (19 of 1966).

---

1. Subs. by Notifn. No. 3/6/68(3), dated, 25-10-1968.

2. Ins., *ibid.*

वे अधिकारी जिनके समक्ष दिल्ली की महानगर परिषद् में कोई स्थान भरने के लिए निर्वाचन के निमित्त कोई अभ्यर्थी शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा

भारत निर्वाचन आयोग, अधिसूचना सं० 3/6/68(3), तारीख 18 मार्च, 1968—(1) दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (1966 का 19) की धारा 6 के खण्ड (क) के अनुसरण में तथा अपनी अधिसूचना संख्या 3/3/66 (1), तारीख 2 मई, 1967 को अधिक्रांत करते हुए, निर्वाचन आयोग [1][एतद्द्वारा—

(i) संपृक्त रिटर्निंग आफिसर तथा उसके अधीनस्थ समस्त सहायक रिटर्निंग आफिसरों को,

(ii) सभी सम्मलित प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेटों तथा सभी सम्मलित प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेटों को, और

(iii) सभी जिला न्यायाधीशों को तथा किसी राज्य की न्यायिक सेवा के सभी सदस्यों को, जो जिला न्यायाधीशों से भिन्न हों,

ऐसे व्यक्तियों के रूप में प्राधिकृत करता है] जिनमें से किसी के भी समक्ष कोई व्यक्ति, दिल्ली की महानगर परिषद् में किसी स्थान को भरने के लिए निर्वाचन के निमित्त अभ्यर्थी के रूप में (जिसे एतस्मिनुपश्चात् अभ्यर्थी कहा गया है) नामनिर्देशित हो जाने पर, उक्त अधिनियम की अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए हुए प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(2) पैरा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त धारा 6 के खण्ड (क) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को भी ऐसे व्यक्ति के रूप में प्राधिकृत करता है जिनके समक्ष अभ्यर्थी शपथ ले सकता है अथवा प्रतिज्ञान कर सकता है तथा उस पर हस्ताक्षर कर सकता है—

(क) जहां कोई अभ्यर्थी जेल में परिरुद्ध है वहां उस जेल का अधीक्षक;

(ख) जहां कोई अभ्यर्थी निवारक निरोधाधीन है वहां उस निरोध-शिविर का समादेशक;

(ग) जहां कोई अभ्यर्थी बीमारी के कारण अथवा किसी अन्य कारण से किसी अस्पताल में या किसी अन्य स्थान पर परिरुद्ध है या शय्या पर पड़ा है वहां उस अस्पताल का भारसाधक चिकित्सा अधीक्षक या उसकी परिचर्या करने वाला चिकित्सक;

(घ) जहां कोई अभ्यर्थी भारत से बाहर है वहां उस देश में, जिसमें अभ्यर्थी है, भारत का राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि या ऐसे राजनयिक अथवा कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य कोई व्यक्ति;

(ङ) जहां कोई अभ्यर्थी किसी अन्य कारण से यथा पूर्वोक्त संपृक्त रिटर्निंग आफिसर अथवा सहायक रिटर्निंग आफिसर के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है अथवा उपस्थित होने से निवारित हो गया है वहां इस निमित्त निर्वाचन आयोग को आवेदन करने पर उसके द्वारा नामनिर्देशित अन्य कोई व्यक्ति ।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना में—

(1) "संपृक्त रिटर्निंग आफिसर" पद से उस सभा निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर अभिप्रेत है जहां से दिल्ली की महानगर परिषद् में किसी स्थान को भरने के लिए निर्वाचन के निमित्त किसी व्यक्ति को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित किया गया हो,

[2][(1क) "जिला न्यायाधीश" तथा "न्यायिक सेवा" पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 236 में समनुदिष्ट हैं,] तथा

(2) "निर्वाचन-क्षेत्र" पद का वही अर्थ होगा जो उसे दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (1966 का 19) की धारा 2 के खण्ड (ग) में समनुदिष्ट है ।

---

1. अधिसूचना सं० [illegible] 68(3), तारीख 25-10-1968 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. पूर्वोक्त द्वारा अन्तःस्थापित ।

पी॰एल॰डी॰ 213 II (द्विभाषी)
15000—1994 (डी॰एस॰के॰ IV)

विक्रेता :—(1) प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, भारत सरकार, भारतीय विधि संस्थान भवन, भगवान दास रोड, नई दिल्ली-110001.
(2) प्रकाशन-नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
(3) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001.